भगवानदास मोरवाल के उपन्यासों में ग्रामीण जीवन

—प्रो. (डॉ.) अनुसुइया अग्रवाल
—कुमारी महेश्वरी पात्रे

भगवान दास मोरवाल का काला पहाड़ मुख्य पात्र सलेमी की स्मृति द्वारा विवाह की परम्परा को समझने की दृष्टि से बेहद रोचक है। सलेमी तो स्वयं एक ऐसा पात्र है जो काला पहाड़ की तरह हर नगीना वासी के साथ-साथ सम्पूर्ण मेवात के बारे में चिंता करता है। आम भारतीय देहाती के विकास में पिछड़ने की पीड़ा सलेमी के व्यवहार से होती है। नेताओं के झूठे वादे व ढकोसले सलेमी खूब समझता है। लेखक यह दिखाने में भी सफल हुआ है कि समय के अनुसार किस तरह से चीजें व मूल्य बदलते हैं, मेवात एक समय जहाँ हिन्दू मुस्लिम भाई-चारे का जीवंत रूप है वहीं देश में घटित सम्प्रदायिक घटनाएं किस प्रकार मानसिक पीड़ा को जन्म देती है।

महात्मा गांधी जी ने कहा है कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। हमें भारत का परिचय देना है तो भारत के ग्रामीण अंचल का भी परिचय कराना होगा। साहित्य ही समाज का वास्तविक दर्पण है। अत: भारत में ग्रामीण जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो पहले हमें साहित्य का विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा। साहित्य की प्रत्येक विधाओं में उपन्यास सबसे लोकप्रिय रहा है। "ग्राम पड़ोस की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र है जिसमें आमने सामने के संबंध पाये जाते हैं जिसमें सामूहिक जीवन के लिए अधिकांशत: सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती है जिसमें मूल आवृत्तियों एंव व्यवहारों के प्रति सामान्य सहमति होती है।"[1] साहित्य में सबसे विस्तार उपन्यास को माना जाता है, उपन्यास एक ऐसी विधा है जो कि ग्रामीण जीवन की रहन सहन, लोकसंस्कृति, ग्रामीण समाज का सम्पूर्ण यथार्थ चित्रण मिलता है। इस विद्या में रूढ़िवादी विचार मान्यताओं का तोड़ते हुए। हिन्दी साहित्य में मुंशी प्रेमचन्द्र के उपन्यासों में ग्रामीण संस्कृति को एक विशेष पहचान मिली। और आगे स्तम्भ बनाकर उपन्यास लिखने की निरंतर होती गई। हिन्दी साहित्य में ग्रामीण अंचल को केन्द्र में रखकर लिखा उपन्यास जो 1954 में मैला आंचल नाम से लिखा गया, इसमें फणीश्वरनाथ रेणु जी ने ग्रामीण अंचल के बारे में चित्रण किया है। पूर्णत: ऐसे ही ग्रामीण जीवन पर आधारित उपन्यास नागार्जुन, राही मासू रजा, शिवप्रसाद सिंह, उदय शंकर भट्ट और आगे इसी प्रकार ग्रामीण जीवन पर लिखने की परम्परा समकालीन काल तक पहुँच गई है। "और ऐसे क्षेत्र में लोगों का नृजाति मूल भाषा और सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उनका सांझा ऐतिहासिक अनुभव परिस्थितियाँ और पर्यावरण।"[2] और इसी प्रकार नवीन साहित्यकारों में से एक हमारे सामने उभर कर नये उपन्यासकार भगवानदास मोरवाल की रचनाओं में प्रस्तुत है और इस शोध पत्र पर उनकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन पर विचार व्यक्त किया गया है।

ISSN 0975-8321

वाङ्मय

(त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका)

Peer Reviewed Journal
(Impact Factor 5.125)

सम्पादक : डॉ. एम. फ़ीरोज़ अहमद

आदिवासी उपन्यास (2014-2022) पर केन्द्रित अंक

संजीव बख्शी के उपन्यास भूलनकांदा में आदिवासी जीवन

प्रो. (डॉ.) अनुसुइया अग्रवाल

संजीव बख्शी छत्तीसगढ़ के सुप्रतिष्ठित साहित्यकार है। उपन्यास के क्षेत्र में उनका अलग ही प्रभुत्व है। इनकी समूची सृजनयात्रा एक गहन अध्ययनशील लेखन होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है, वे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए संयुक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए है। एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए भी एक अधिकारी व्यक्तित्व कम साहित्यिक व्यक्तित्व अधिक है। उनका प्रशासनिक जीवन उनके साहित्यिक जीवन से गुंथा हुआ है। अपने संस्मरणों में वे दोनों को साथ-साथ लेकर चलते है वे जहाँ भी रहे वहाँ एक साहित्यिक संसार बसा कर रहते थे। खैरागढ़ में जन्मे राजनांदगाँव के दिग्विजय महाविद्यालय में पढ़े गणित विषय से एम.एस.सी. किया पर संयोग से जिस दिग्विजय महाविद्यालय में पढ़े वहाँ कभी गजानन माधव 'मुक्तिबोध' रह चुके थे। हालाँकि जब ये मिडिल स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तभी उनका निधन हो गया था। किंतु उनका कुछ प्रभाव तो पड़ा ही होगा। उनके अनुपस्थिति में भी दूसरी उनकी अपनी भी एक साहित्यिक विरासत थी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी से जोड़ती हुई। सो गणित जैसे कठिन विषय में पूर्णता के साथ-साथ कविता लेखन में भी रुचि जाग्रत हुई।

भूलनकांदा हिंदी का अद्वितीय उपन्यास है। संजीव बख्शी के उपन्यास भूलनकांदा पर बनी फीचर फिल्म 'भूलन द मेज' 25 अक्टूबर 2021 को आँचलिक श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में रजत कमल अलंकरण से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक मनोज वर्मा ने यह सम्मान प्राप्त किया। उपन्यास सोलह खण्ड में विभक्त है। भूलनकांदा छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला ऐसा पौधा है, जिस पर पैर रखने से व्यक्ति रास्ता भटक जाता है और तब तक भटकता रहता है जब तक कोई व्यक्ति आकर उसे छू न दे। यह उपन्यास प्रशासन व्यवस्था पर कटाक्ष करता कि हमारी न्याय व्यवस्था भी तो भटकी हुई है, कही व्यवस्था का पैर भी भूलनकांदा पर तो नहीं पड़

साहित्य में व्यंग्य

—प्रो. (डॉ.) अनुसुइया अग्रवाल
—दीप्ति ठाकुर

वर्तमान में समाज के सभी विभागों में भ्रष्टाचार अपनी पैंठ बना चुकी है। सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। समाज में राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा धार्मिक क्षेत्रों के सभी विभागों में फैले भ्रष्टाचार के फलस्वरूप मानवों में दयाभाव, नैतिकता, मानवता का धीरे-धीरे पतन हो रहा है। मनुष्य की ऐसी मानसिक विकृतियों को देखकर मन रो उठता है, तभी व्यंग्य रूपी पौधा सिंचित होकर बढ़ता है। व्यंग्य के विषय को सिर्फ हंसी-मजाक न समझा जाए यह गंभीर विषय भी होता है।

व्यंग्य का अर्थ है कटाक्ष करना, ताना, कसना। दूसरे शब्दों में व्यंग्य एक ऐसी साहित्यिक अभिव्यक्ति अथवा रचना है जिसके द्वारा व्यक्ति अथवा समाज की विसंगतियों और विडंबनाओं अथवा उसके किसी पहलू को रोचक तथा हास्यपद तरीके से प्रस्तुत किया जाता है।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार "व्यंग्य वह है, जहाँ अधरोष्ठों में हँस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठा हो और फिर कहने वाले को जवाब देना अपने को और भी उपहासास्पद बनाना हो जाता है।"[1]

हरिशंकर परसाई ने व्यक्ति व समाज में उपस्थित विसंगतियों को लोगों के सामने लाने में व्यंग्य को सहायक माना है, उनके अनुसार "व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, मिथ्याचारों और पाखण्डों का पर्दाफाश करता है।"[2]

व्यंग्य एक नश्तर की तरह कार्य करता है। जैसे शरीर के अंदर कोई अवांछनीय वस्तु चली गई हो तथा विकृति आ गई हो तो उसे शरीर से बाहर निकाल फेंकने के लिए नश्तर की आवश्यकता पड़ती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नश्तर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार समाज के स्वास्थ्य के लिए व्यंग्य आवश्यक है।

तलवार की धार या बंदूक की गोली से तो किसी को भी मारना आसान है किन्तु यदि निशाना चूक जाए तो वार बेकार हो जाता है। लेकिन मुखबाज से किया गया वार अचूक होता है। समाज में जैसी-जैसी विकृतियाँ आती गईं वैसे ही वैसे उसका इलाज भी आता गया है। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई समाज सुधारकों एवं संतों ने भी अपना संपूर्ण योगदान दिया, लेकिन फिर भी यह भ्रष्टाचार एक लाईलाज बीमारी की तरह ही हमारे समाज को खोखला कर रही है। समाज में ही समाज के कुछ बुद्धिजीवियों के व्यंग्य बाण के द्वारा समाज की विसंगतियों पर कटाक्ष किया जाता रहा है ताकि अप्रत्यक्ष रूप से किए गए वार से समाज में कुछ बदलाव आ सके, सुधार आ सके।

26

कविता की दुनियां

प्रो. (डॉ.) अनुसुइया अग्रवाल
डी. लिट्., प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष,
हिन्दी अध्ययन एवं शोध केन्द्र,
शा. म. व. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
महासमुंद, (छत्तीसगढ़)

कविता
जो जन्म लेती है अंतर्मन में
विचार रूपी बीज से
कवि उसे धारण करता है।
भावनाओं के गर्भ में
समय के साथ पोषित होती है।
और
विकसित होते हैं उसके कोमल अंग
छंद, अलंकार, रस और श्रृंगार से
फिर किसी स्याह रात में,
जन्म लेती है नवजात कविता
जरा सोचों
कितना सुखद होता होगा

मनुष्य के जीवन संघर्ष के आरंभ से ही कविता मनुष्य के साथ रही। उसके प्रत्येक दुख– सुख में अभिव्यक्ति पाती रही है कविता। करूणा और संवेदना के रूप में मनुष्य के नितांत निजी क्षणों की सर्वाधिक विश्वसनीय साथी रही है कविता। कविता मनुष्य का स्वत्व है। मनुष्य की आत्मा की निजी पुकार है कविता। मनुष्य के सत् चित् और आनंद का आधार है कविता। इसलिए यदि कहें कि कविता मनुष्यता के साथ होती है तो गलत नहीं होगा।

कविता के स्वरूप पर यदि विचार करें तो संस्कृत आचार्यों, हिन्दी के आचार्यों और पाश्चात्य विद्वानों, के द्वारा काव्य के स्वरूप पर पर्याप्त विचार विमर्श हुआ है फलस्वरूप विभिन्न काव्य संप्रदायों का विकास हुआ और काव्य के प्रमुख तत्वों की चर्चा करते हुए काव्य लक्षण निर्धारित करने का प्रयास किया गया। संस्कृत आचार्यों में भामह, दण्डी, वामन, कुन्तक, मम्मट एवं हिन्दी के आचार्यों में चिन्तामणि, कुलपति मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाबराय आदि आचार्यों ने काव्य के लक्षण निर्धारित किए। किसी ने शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्। अर्थात शब्द और अर्थ के 'सहित भाव' (सहभाव) को काव्य कहा तो किसी ने अलंकारयुक्त शब्दार्थ को काव्य कहा। कोई गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ को काव्य मानते हैं तो मम्मट दोष से रहित शब्द और अर्थ तो कविता मानते हुए कहते हैं कि कविता गुण से मंडित हो तथा कभी– कभी अलंकार से रहित हो। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसों से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' वहीं पं. जगन्नाथ मानते हैं कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्। हिन्दी आचार्यों में चिंतामणि अलंकारों को काव्य के लिए अनिवार्य मानते हैं। कुलपति मिश्र भी दोषरहित, गुणसहित, कुछ अलंकारयुक्त शब्दार्थ को कविता कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है में काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है– 'जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं।' हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार– 'किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजक लेख, बात या वक्तृता का नाम नाम कविता है।' पाश्चात्य समीक्षकों में मैथ्यू आर्नल्ड, कॉलरिज, हडसन, जानसन, शैली ने कविता के स्वरूप पर विचार किया। किसी ने कविता को मूल रूप में जीवन की आलोचना माना तो किसी ने कल्पना और संवेग के द्वारा जीवन की व्याख्या, किसी ने कविता को... कल्पना की सहायता से युक्ति के द्वारा सत्य को आनंद से संबंधित करती हुई माना तो कालरिज 'सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द' को कविता मानते हुए कहते हैं– 'Poetry is the best

अलका सरावगी के उपन्यास में नारी-अस्मिता

डॉ॰ श्रद्धा हिरकने
सहप्राध्यापक, हिंदी विभाग
कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर (छ॰ग॰)
डॉ॰ अनुसुइया अग्रवाल
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
हिंदी शोध एवं अध्ययन केंद्र
शासकीय म॰व॰ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद (छ॰ग॰)

आधुनिक हिंदी उपन्यासों की नवीनतम धारा को आधुनिकता बोध का उपन्यास कहा जा सकता है। औद्योगिकीकरण, बदलते हुए परिवेश, भ्रष्ट व्यवस्था, महानगरीय जीवन और यांत्रिक सभ्यता के परिणाम से आज जीवन में अकेलापन एवं निराशा घर कर गई है। कुंठा, संत्रास एवं असुरक्षा की भावना ने हमें संत्रस्त कर दिया है। बीसवीं सदी के 9वें दशक में भारतीय साहित्य में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव नारी-विमर्श के कारण आया, जिसके कारण नारी ने साहित्य के केंद्रबिंदु से होकर मुख्यधारा में अपनी जगह बनाई। हिंदी कथासाहित्य इससे सर्वाधिक प्रभावित हुआ।

'वर्तमान दौर में स्त्री-चेतना से जुड़ी स्त्रीमुक्ति और अस्मिता के संकट वह पहचान के संघर्ष को व्यक्त करने वाली अनेकानेक कथा लेखिकाएँ हैं, जिनमें मुख्य रूप से मन्नू भंडारी ने 'आपका बंटी' में तलाकशुदा दंपती के बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का निरूपण किया है। उषा प्रियंवदा अमेरिका चली गईं वहीं बस गईं। वहाँ वे जिन अनुभवों से वे गुजरीं उसी को उन्होंने अपने उपन्यासों 'रुकोगी नहीं राधिका', 'शेष यात्रा' और 'अंतरवंशी' में अभिव्यक्त किया। 'पचपन खंभे लाल दीवारें' में आधुनिकबोध का गहरा रूप उभरा है।"[2]

उपन्यास साहित्य में तीन लेखिकाओं ने विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया और विशेष चर्चा का विषय बनीं। ये लेखिकाएँ हैं–प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा और अलका सरावगी। प्रभा खेतान ने विभिन्न संस्कृतियों विभिन्न परिवेश में विभिन्न पृष्ठभूमि और विभिन्न संदर्भों में नारी-नियति का चित्रण किया है। जिसका सारांश छिन्नमस्ता की प्रिया के शब्दों में है–'औरत कहाँ नहीं रोती खेतों में काम करते हुए, सड़क पर झाड़ू लगाते हुए, एयरपोर्ट में बाथरूम साफ करते हुए या फिर सारे भोग ऐश्वर्या के बावजूद पलंग पर रात-रातभर अकेले करवटें बदलते हुए हजारों सालों से इनके आँसू बहते जा रहे हैं।"[3]

इसकी मुक्ति का रास्ता क्या है? इस प्रश्न पर प्रभा खेतान कहती हैं–आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता। इसी प्रकार मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में भी स्त्री परक विद्रोह करते हैं उन्होंने बुंदेलखंड, ब्रजक्षेत्र के अहीरों, जाटों और कबूतरा जाति का यथार्थ आंचलिक जीवन चित्रित करते हुए इनके समाज में स्त्री पर होनेवाले अत्याचारों का प्रामाणिक और मार्मिक चित्रण किया है। इन समाजों की अधिकांश स्त्रियाँ इन अत्याचारों को चुपचाप सहन करती हैं किंतु इनमें से कुछ ऐसी

Shodhsamhita
शोधसंहिता

ISSN No. 2277-7067

CERTIFICATE OF PUBLICATION

This is to certify that

डॉ. नीलम अग्रवाल
सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय
महासमुन्द (छ.ग.)

For the paper entitled

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण गरीब परिवारों में आय असमानता की स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन (दुर्ग जिले के संदर्भ में)

Volume No. VIII, Issue 2, 2021-2022

in

Shodhsamhita

UGC Care Group 1 Journal

Editor-in-Chief

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
सार्क ISSN 2347 - 8373

अन्तर्राष्ट्रीय शोध समग्र पत्रिका (2021) 9,1-5
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 27 मार्च 2021

स्वतंत्रता आन्दोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान (श्री रेशम लाल जांगड़े के संदर्भ में)

हेमचंद्र जांगड़े*, डॉ० मालती तिवारी** एवं डॉ० सुभाष चन्द्राकर**

लेखक का घोषणा-पत्र

अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका सार्क में प्रकाशनार्थ प्रेषित *स्वतंत्रता आन्दोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान (श्री रेशम लाल जांगड़े के संदर्भ में)* शीर्षक लेख/ शोध प्रपत्र का लेखक *हेमचंद्र जांगड़े, मालती तिवारी एवं सुभाष चन्द्राकर* घोषणा करते हैं कि लेखक के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि हमने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख/ शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका सार्क में प्रकाशित होने की स्वीकृति देते हैं।। यह लेख/ शोध प्रपत्र मूल रूप में या इसका कोई अंश कहीं और नहीं छपा है और न ही कहीं हमने इसे छपने के लिये भेजा है। यह हमारी मौलिक कृति है। हम शोध पत्रिका सार्क के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देते हैं। सार्क में लेख प्रकाशित होने पर इसके कॉपीराइट का अधिकार सम्पादक को देते हैं।

शोध सारांश

श्री रेशमलाल जांगड़े पढाई के दौरान सन् 1940-42 तक नांदघाट, राजिम, भण्डारपुरी की सभाओं में प्रभावशाली भाषण देकर लोगों में भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति जागृति पैदा करते थे। हरिजन छात्रावास रायपुर में प्रति रविवार वाद-विवाद एवं सामूहिक प्रार्थना में भाग लेते थे। जहाँ भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन पर चर्चा होती थी। सन् 1941 के असहयोग आन्दोलन में नाबालिग होने के कारण इनको सत्याग्रह करने की मंजूरी नहीं मिली, फिर भी जुलूस, सभाओं और नारेबाजी में खुलकर भाग लेते थे। 12 अगस्त 1942 को गांधी चौक रायपुर में स्वतंत्रता संग्राम हेतु आयोजित आमसभा में भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन पर भाषण दिया। अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार का विरोध करने पर सरकारी अफसर जे0डी0 केरावाला ने डी0एम0 के आदेश पर अन्य 50 कार्यकर्ताओं के साथ गिरफतार कर रायपुर केन्द्रीय जेल में भेज दिया।

Keywords : संस्मरण, रामकृष्ण जांगड़े, आर0के0 ग्राफिक्स, कोरबा, छत्तीसगढ़, 2000

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन

भारत की स्वतंत्रता के लिये अंग्रेजों के विरुद्ध आन्दोलन दो प्रकार का था। एक अहिंसक आन्दोलन एवं दूसरा सशस्त्र क्रान्तिकारी आन्दोलन। भारती की आजादी के लिये 1857-1947 के मध्य जितने भी प्रयत्न हुए, उनमें स्वतंत्रता का सपना संजोये क्रान्तिकारियों और शहीदों की उपस्थित सबसे अधिक प्रेरणादायी सिद्ध हुई। वस्तुतः भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। भारती की धरती कि जितनी भक्ति और मातृ-भावना उस युग में थी, उतनी कभी नहीं रही। मातृ-भूमि की सेवा और उसके लिये मर मिटने की जो भावना उस समय थी, आज उसका नितांत अभाव हो गया है।

क्रांतिकारी आंदोलन का समय सामान्यतः लोगों ने सन् 1857-1942 तक माना है। श्रीकृष्ण सरल का मत है कि इसका समय सन् 1757 अर्थात् प्लासी के युद्ध से सन् 1961 अर्थात् गोवा मुक्ति तक मानना चाहिये। सन् 1961 में गोवा मुक्ति के साथ ही भारतवर्ष पूर्ण रूप से स्वाधीन हो सका है। जिस प्रकार एक विशाल नदी अपने उद्गम स्थान से निकलकर अपने

* शोध छात्र, दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ0ग0) भारत
** शा0 स्नातको0 महाविद्यालय, महासमुन्द (छ0ग0) भारत
*** दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ0ग0) भारत

© लेखक २०२१, एम०पी०ए०एस०वी०ओ० मुद्रण एवं सार्क सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित, सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें: E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in, इस प्रपत्र को www.anvikshikijournal.com पर पढ़ें

34

बस्तर की जनजाति समस्याएँ एवं समाधान

(छत्तीसगढ़ : बस्तर जिले के संदर्भ में)

पूर्णिमा भट्टाचार्य
शोधार्थी (राजनीति विज्ञान),
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
छत्तीसगढ़, (भारत)

डॉ. मालती तिवारी
सहायक प्राध्यापिका, (राजनीति विज्ञान),
शासकीय महाप्रभु बल्लभाचार्य, स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, महासमुन्द, छत्तीसगढ़, (भारत)

बस्तर की जनजाति समस्याएँ एवं समाधान
(छत्तीसगढ़ : बस्तर जिले के संदर्भ में)

शोध सारांश – आदिवासी जनजातियाँ ऐसे समुदाय को इंगित करती है, जो सामान्य जनों से दूर जंगलों, पहाड़ों, नदियों के किनारे रहना पसंद करते है जो शहरी लोगों शहरी वातावरण से कोसो दूर रहना चाहते है। बस्तर जिला आदिवासी जनजाति बहुल क्षेत्र है, इन आदिवासियों की संस्कृति तथा इनका पारंपरिक रहन–सहन और जीवन शैली हमेशा से ना केवल भारत वरन् विदेशी साहित्यकारों, पर्यटकों तथा दार्शनिकों के कौतुहल एवं आश्चर्य का केन्द्र रहा है। विविधता से भरा बस्तर एवं यहाँ की जनजातियों में विशिष्टता तो है किन्तु जनजातीय जीवन समस्याओं एवं कठिनाईयों से भरा हुआ है। आज भी बस्तर के आदिवासी अशिक्षा,गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, कुपोषण, अंधविश्वासों एवं ढेर सारी सामाजिक कुरीतियों से ग्रसित है, इन समस्याओं का सम्पूर्ण निदान करके ही आदिवासी समाज, जो की बाकी आबादी से बहुत पिछड़े हुए है, विकास की मूल धारा से स्वयं को जोड़ पाएगें। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही इन्हें विकास की धारा में जोड़ने के सतत् प्रयास शासन द्वारा किए जाते रहे है। अत: एवं बस्तर की जनजातियाँ में विकास तथा शिक्षा के प्रति व्याप्त उदासीनता एवं निरसता को दूर कर जन जागरूकता के द्वारा हम इन जनजातियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ पाएगे।

बस्तर जिला : सामान्य विवरण – दण्डकारण्य पर्वत पर स्थित बस्तर अपने प्राकृतिक सुंदरता एवं जनजातीय विविधता से सुसज्जित है। बस्तर की जनजातीय विविधता यहाँ के जन जातियों की जीवन शैली, सामाजिक रीति–रिवाजों उनकी धार्मिक मान्यताएँ सहज ही सभी का ध्यान आकर्षित करती है और बस्तर का प्राकृतिक सौन्दर्य तो स्वमेव ही सभी का मन मोह लेती है। मानवीय सभ्यता के विकास से कोसो दूर सघन वन प्रान्तों की धरा में जड़ बना बैठा बस्तर का आदिवासी समाज अनेक विशेषताओं से भरा है। बस्तर आदिवासी बहुलता से भरा एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी भी विकास के आधुनिक सोपानों को स्पर्श नहीं कर पाया है। सदियों से चली आ रही अंधविश्वासों की परम्परा जादू–टोना, भूत–प्रेत, सिरहा–गुनिया के बीच जनजातीय जीवन धारा अविरल प्रवाहित है। बस्तर क्षेत्र की कुल आबादी का लगभग ७० प्रतिशत भाग जनजातीय आबादी है। बस्तर में मूल रूप से २४ प्रकार की आदिवासी जनजातियाँ निवास करती है। बस्तर के आदिवासी जनजाति में धार्मिक संघर्ष नहीं देखा गया है। ये जनजातियाँ स्वभाव से सरल एवं शांतिप्रिय होते है।

बस्तर क्षेत्र देश के प्रमुख जनजातीय क्षेत्रों में से एक है। इसे पूर्वकाल में दण्डकारण्य, चक्रकूट, भ्रमरकूट नामों से जाना जाता था। अंग्रेजों के शासन काल में बस्तर "सेन्ट्रल प्रोविन्सेस एवं बरार" के अन्तर्गत शासित था। बस्तर क्षेत्र को स्वतंत्रता के पश्चात् जिले का दर्जा दिया गया एवं १९८१ में बस्तर संभाग बनाया गया। वर्तमान में बस्तर संभाग में सात जिले है। बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण भाग में स्थित है। बस्तर जिले का क्षेत्रफल ६५९६.९० किलोमीटर है। बस्तर जिला उत्तर में कोण्डागाँव जिला, पश्चिम में बीजापुर व दन्तेवाड़ा जिला, दक्षिण में

29

शासकीय योजनायें एवं जनजातीय महिलाएं (बस्तर जिले के विकासखण्डों के विशेष संदर्भ में)

पूर्णिमा भट्टाचार्य
शोधार्थी, (राजनीति विज्ञान),
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
छत्तीसगढ़, (भारत)

डॉ. मालती तिवारी
सहायक प्राध्यापिका, (राजनीति विज्ञान),
शासकीय महाप्रभु बल्लभाचार्य, स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, महासमुन्द, छत्तीसगढ़, (भारत)

शोध सारांश — आदिवासियों से आशय व्यक्तियों जनजातियों के ऐसे समुदाय से है, जो सामान्य लोगों से दूर जंगलों, पहाड़ों, नदियों, के किनारे निवासरत है, जो पूरी तरह से जंगलों में पाए जाने वाली चीजों, शिकार तथा कंदमूल फलों पर आश्रित होते है। दण्डकारण्य पर्वत पर स्थित बस्तर अपने प्राकृतिक सुन्दरता एवं आदिवासी जनजातीय विविधता से सुसज्जित है। बस्तर की आदिवासी जनजातीय विविधता यहां के जनजातीयों की जीवन शैली, सामजिक रीति–रिवाजों उनकी धार्मिक मान्यताएं, सहज ही सभी का ध्याान आकर्षित करती है और बस्तर का प्राकृतिक सौन्दर्य तो स्वमेव ही सभी का मन मोह लेती है। मानवीय सभ्यता के विकास से कोसों दूर सघन वन प्रान्तों की धरा में जड़ बना बैठा बस्तर का आदिवासी समाज अनेक विशेषताओं से भरा है। बस्तर की आदिवासी महिलाएं स्वावलंबी सरल, शांतिप्रिय, धार्मिक संघर्षो से दूर है। सदियों से चली आ रही अंध विश्वासों की परम्परा, जादू–टोना, भूत–प्रेत, सिरहा–गुनिया के बीच आत्मनिर्भतरा से ओत–प्रोत निर्झर झरने के समान आदिवासी जनजातीय महिलाओं की जीवन धारा अविरल प्रवाहित है। किसी भी समाज में महिलाओं एवं बच्चे की आबादी कुल जनसंख्या का अधा से अधिक भाग होता है। महिलाओं एवं बच्चे की स्थिति समाज के विकास के स्तर को प्रदर्शित करती है। शहरी ग्रामीण तथा जनजातीय समाज में स्त्रियों एवं बच्चों की सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य व पोषण, आर्थिक आदि स्थिति में भिन्नता दिखाई देती है। बस्तर की आदिवासी महिलाएं आधुनिक विकास धारा से कोसों दूर है, इन्हें इस धारा से जोड़ने का शासन द्वारा अथक प्रयास किये जाने के बावजूद अपेक्षित सफलता अभी भी दूर है इसका मुख्य कारण आदिवासी महिलाओं की शासकीय योजनाओं के प्रति उदासीनता तथा शासकीय कर्मचारियों की संकीर्ण मानसिकता भी है। ये कर्मचारी बस्तर के इन जन–जातियों से संपर्क हेतु इनके सुदूर अंचलों में जाना ही नहीं चाहते। अत: इन समस्याओं के निराकरण से ही शासकीय योजनाओं का वास्तविक लाभ आदिवासी महिलाओं को मिल पाएगा।

प्रस्तावना

जनजातियों के विकास एवं उत्थान के लिए शासन द्वारा समय–समय पर अनेक विकासवादी योजनाएं बनायी जाती रही है। बस्तर जिला जनजातीय क्षेत्र है तथा ना केवल आर्थिक बल्कि अन्य सभी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। ऐसे समय में केन्द्र शासन तथा राज्य शासन की विकास योजनाओं का सम्पूर्ण लाभ इस क्षेत्र के आदिवासी महिलाओं को अब तक नहीं मिल पाया यह एक शोचनीय विषय है। अत: बस्तर क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं पर विकास योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन किया जाना चाहिए। ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन तथा लाभ के स्तर में कमियो की पहचान की जा सके और इन योजनाओं का पूरा लाभ स्थानीय आदिवासी महिलाओं को मिल सके। बस्तर के आदिवासी शहरी क्षेत्रों से दूर गांवों में रहना पसंद करते है, ऐसे में इन महिला विकास की उन्हें उचित जानकारी ही नहीं मिल पाती। अत: इस शोध के माध्यम से जनजातियों में जागरूकता

पत्रावली संख्या V-34564, पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
सार्क ISSN 2347-8373

अन्तर्राष्ट्रीय शोध समग्र पत्रिका (2022)10,1-3
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 26 दिसम्बर 2021

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना : एक विश्लेषण (बस्तर जिला- छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)

पूर्णिमा भट्टाचार्य*, डॉ० मालती तिवारी** एवं डॉ० सुभाष चन्द्राकर***

लेखक का घोषणा-पत्र

अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका सार्क में प्रकाशनार्थ प्रेषित *प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना : एक विश्लेषण (बस्तर जिला- छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)* शीर्षक लेख/ शोध प्रपत्र का लेखक *पूर्णिमा भट्टाचार्य, मालती तिवारी एवं सुभाष चन्द्राकर* घोषणा करते हैं कि लेखक के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि हमने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख/ शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका सार्क में प्रकाशित होने की स्वीकृति देते हैं।। यह लेख/ शोध प्रपत्र मूल रूप में या इसका कोई अंश कहीं और नहीं छपा है और न ही कहीं हमने इसे छपने के लिये भेजा है। यह हमारी मौलिक कृति है। हम शोध पत्रिका सार्क के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देते हैं। सार्क में लेख प्रकाशित होने पर इसके कॉपीराइट का अधिकार सम्पादक को देते हैं।

शोध सारांश

घने वनों से आच्छादित, प्राकृतिक सुन्दरता से धनी छत्तीसगढ़ का बस्तर अंचल जो राजधानी रायपुर से महज 300 कि0मी0 की दूरी पर ही स्थित है। विकास की दृष्टि से अभी भी पिछड़ा हुआ ही है। यहां निवासरत जनजातियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ना केवल केन्द्र शासन वरन् प्रदेश सरकार द्वारा भी समय-समय पर अनेक कल्याणकारी एवं विकास मूलक योजनाओं का निर्माण किया जाता रहा है। ताकि विकास की दौड़ में पिछड़े क्षेत्र और ज्यादा पिछड़ ना जाए। विभिन्न प्रकार के पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार विगत 70 वर्षों से पिछड़े क्षेत्रों विशेषकर अनुसूचित जनजातियों से संबंधित क्षेत्रों को विकास की धारा से जोड़ने का अथक एवं निरंतर प्रयास कर रही है। वर्तमान समय में सबका विकास साथ-साथ करके ही विकास संभव है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के सम्यग विकास के लिए उनकी शिक्षा, उनकी आय तथा अन्य समस्याओं के निराकरण जो उनकी विकास में बाधा पहुंचाती है अनेक योजनाएं आरंभ की गयी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का उद्देश्य भी गर्भवती एवं धात्री ऐसी समस्त महिलाओं का कल्याण करना है जो इन सुविधाओं से वास्तव में वंचित है। इस योजना का आरंभ किए जाने के पिछे यही सार्थक उद्देश्य निहित है, कि गर्भवती एवं धात्री महिलाओं का स्वास्थ्य एवं सुपोषण संबंधित समस्याओं का निराकरण हो सके।

बीज शब्द; योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, उद्देश्य, पात्रता, प्रभाव।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना

भारत सरकार द्वारा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य तथा उन्हें सम्पूर्ण पोषक आहार प्रदान किए जाने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 में एक योजना आरंभ की गयी, जिसे प्रारंभ में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (IGM SY) के नाम से जाना जाता था। 2016 से इसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के नाम से जाना जाता है। मातृत्व वंदन योजना का शुभारंभ मुख्य रूप से निम्न वर्ग की गरीब महिलाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया, जो कार्य करने जाती है। तथा गर्भधारण करने के बाद काम पे नहीं जा पाती तो इस योजना के माध्यम से इन्हे आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है, ताकि गर्भावस्था में वे निश्चिंत होकर स्वास्थ्य लाभ

* शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) भारत
** सहायक प्राध्यापिका, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द (छत्तीसगढ़) भारत
*** सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) भारत

© लेखक २०२२, एम०पी०ए०एस०वी०ओ० मुद्रण एवं सार्क सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित, सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें: E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in, इस प्रपत्र को www.anvikshikijournal.com पर पढ़ें

E-ISSN: 0974-360X P-ISSN: 0974-361[illegible]

CERTIFICATE

This is to certify that paper entitled **'Leaf-Rust and Nitrogen Deficient Wheat Plant Disease Classification using Combined Features and Optimized Ensemble Learning'** author by **Ajay Kumar Dewangan** has been published in **Research Journal of Pharmacy and Technology**, Volume - 15 Issue - 6, pages 2531-2538.

The paper has been published after getting reviewed by reviewers.

The journal is indexed in ISA: Indian Science Abstracts, CAS: Chemical Abstracts Service (CAS), CAB:Abstract, Google Scholar, Scopus, Pro Quest Central, Gale Group Inc. USA, Indian Citetion Index.

Editor-in-Chief

Dr. (Mrs.) Monika S. Daharwal

A and V Publications 2008 Raipur

RJPT | A&V Publications | APP asian pharma press | ENGG

JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING

IMPACT FACTOR 6.1

UGC APPROVED JOURNAL

Google DRJI Scholarsteer IMPACTFACTOR INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL Scribd

Matthew Hull,
University of Michigan
EDITOR IN CHIEF
JSC JOURNAL

Journal of Scientific Computing

An UGC-CARE Approved Group A Journal

ISSN NO: 1524-2560, Impact Factor : 6.1
www.jscglobal.org, Mail : editor.jscjournal@gmail.com

CERTIFICATE ID : JSC-R1699

CERTIFICATE OF PUBLICATION

This is to certify that the paper entitled

"Automatic Detection and Classification of Wheat PlantDiseases Using Images Based Supervised Model"

Authored by

Ajay Kumar

From

Kalinga University, Naya Raipur, Chhattisgarh

Has been published in

VOLUME 10 ISSUE 10 2021

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) July To September 2018, Vol. I

रागात्मकता की उर्वर भूमि में पल्लवित नवगीत- 'कस्तूरी यादें'

डॉ. अनुसुईया अग्रवाल *

प्रस्तावना - 'कस्तूरी यादें' गीत कवि नारायण लाल परमार की कविता यात्रा का महत्वपूर्ण और सुखद पड़ाव हैं। जीवन के हर पल के अनुभव को सहेजने वाली 'कस्तुरी यादों' में कुल एक सौ एक गीत संकलित हैं। इन गीतों में राग और आग दोनों है, वह उनकी काव्य चेतना का आयाम हैं। गीतकार ने समय और समाज के तमाम संवेदनाओं को, अनुभूति को स्वयं देखा, परखा और भोगा है। इस जीवन राग के अन्तर्गत वहाँ जिजीविषा की उद्दाम लहरें और आम आदमी की जय- पराजय के सत्य को समर्थता से सृजित किया हैं।

'कस्तूरी यादें' रागात्मकता की उर्वर भूमि में पल्लवित नवगीत है। युवा मानसिकता में अनुरागात्मकता का भाव उमड़ पड़ता है और प्रेम तथा श्रृंगार जीवन की प्रेरणा और उमंग बन जाता है। उन्हीं अनुकूल और सुगंधित स्मृतियों का गुलदस्ता है 'कस्तूरी यादें'। जाहिर हैं कि भावों की दुनिया में सबसे अधिक सुगंधि अनुराग में होती हैं। 'यादें' अविष्य का बोध नहीं है, अपितु अतीत के संवेदनात्मक युवापन को उसकी अनुरागात्मकता के साथ रूपायित करता है। ऐसा कोई कवि नहीं हैं, जिसने प्रेम और श्रृंगार पर एक भी कविता न लिखी हो। युवा मानसिकता में प्रेम और श्रृंगार का स्थान एकदम सुरक्षित होता हैं।' प्रेमजन्य स्मृतियों के अनंत सिलसिले नवगीत में उभरते हैं। सहचरी के साथ प्रणय और मिल- जुलकर संघर्ष करने का एक से एक भाव व्यक्त हैं। वह प्रेम का सजीव माध्यम और जीवंत सत्ता हैं-

'बार बार छू लेती तन मन/खुशबूदार तुम्हारी आँखें।
पलकों में आये सपनों को/ भेज दिया करती बाँहों तक।
शायद नहीं चाहती, पहुँचे/ गीत प्यार का अब आहों तक।
नहीं मानती दुनियाँ में / कोई दीवार तुम्हारी आँखें।'

(तुम्हारी आँखें, पृष्ठ- 67)

परमार जी की 'कस्तूरी यादें' में उन दिनों की स्मृतियाँ संग्रहित हैं, जिन दिनों में युवा मन गीतों की तरह तरल होता है। वहाँ वियोग जनित यादों के अतिरिक्त संयोग के भाव- प्रवण दृश्यों में भी स्मृतियों की अनुगूँज मिलती हैं। स्मृतियों की लहर से युवा मन गीत का सृजन करने लगता हैं। इन गीतों में दर्द, संवेदना और उलाहने का भाव विद्यमान रहता है। परमार की प्रेमाभिव्यक्ति की प्रत्येक अनुभूति विशिष्ट और विरल हैं।

कवि अपनी विवशता व्यक्त करते हुए प्रिया से पूछता हैं कि 'कैसे आऊँ द्वार तुम्हारें' तो कभी संवेदना व्यक्त करते हुए कहता हैं कि अगर प्रिया को कोई पीड़ा अनुभव हो रही हो तो वह अपने जुड़े में फूल खोंच कर अपनी कुंठाओं का शमन कर ले। कभी वह कहता है कि जिसको मन की माटी सौंपी हैं, जिसे गीत के रस से सींचा है, उसको निष्ठुर बनकर उस बगिया से कैसे कोई फूल तोड़ लूं? नवगीत कविता में व्यक्ति- सापेक्ष प्रेमजन्य स्मृतियों के भाव विशिष्ट हैं। इन गीतों में युवा मन की सुगंधि हैं। परमार के गीत कोरे गीत नहीं हैं, दर्द को आकारित कर प्रिया को निवेदित पाती भी हैं। यथा-

'यह हवा छूकर तुम्हें यदि पास मेरे लौट आए
बाँध लूँगा मैं उसे सच गीत की पहली कड़ी में।'

(बाँध लूँगी, पृष्ठ- 29)

'तुम चाहो तो पाती समझो,
मैंने तो यह गीत लिखा हैं।'

(मैंने तो यह गीत लिखा हैं, पृष्ठ- 111)

'जाने क्या किर दिया कलम पर जादू टोना
जो भी लिखता गीत, तुम्हारा हो जाता है।'

(जाने क्या कर दिया, पृष्ठ 37)

'कस्तूरी यादें' का मूल प्रतिपाद्य प्रेम अभिव्यंजना ही हैं। जिसमें वह रूझान भी सम्मिलित है जिसे हम भावुकता भी कह सकते हैं। इस रूझान में अन्तर्मन की अभिव्यक्त हैं। प्रणय का भाव आँसू और मुस्कान दोनों हैं। इस आंतरिक शक्ति को परमार ने इन पंक्तियों में परिभाषित किया हैं-

'हो अनगिन परिभाषाएँ .पर मैं कहता हूँ,
कुछ आँसू और कुछ मुस्कानों से प्यार बना हैं।'

(मैं कहता हूँ, पृष्ठ-34)

प्रणय के इस पथ पर आँसू और मुस्कान, एक दूसरे से जुड़कर अहैतुक स्थिति प्राप्त करते हैं, तभी प्रेम को परिपूर्णता प्राप्त होती हैं। यह प्रेम की उच्चतम दशा हैं। 'कस्तूरी यादें' का कवि इसी स्थिति में रमा हुआ हैं और वर्षों बाद अपनी स्मृतियों को गीतों में उतारने के लिए प्रयत्नशील हैं। परमार ने जीवन के मधुर क्षण को 'खुजराहों की प्रणय- पत्रिका वाली मूरत में सृजन शील कलाकार की भाँति सुघड़ कस्तूरी यादों में गढ़ा हैं। इसमें समय और उससे जुड़े सन्दर्भों का मृग तो चौकड़ी भरते हुए चला गया किन्तु हर दिशा में कस्तुरी गंध- लहर छोड़ गया है। इस स्मृतिजन्य गंध का ओर छोर नहीं है। इस गंधमयी गीतों में स्मृतिजन्य भाव लहरों के तरंगित होने से वहाँ एक आंतरिक संगीत का अनुभव होने लगता है और सम्बधित यादें अपनी सम्पूर्णता में पुनः जीवंत होकर मनमोहिनी सिद्ध होती हैं-

'एक किरण यदि दिन भर नाचे, तो दुनिया में रात रहेगी।
श्रम से अगरन ब्याहेंगे तो क्वाँरी ही हर बात रहेगी।
एक फूल से मधुऋतु का क्या कभी अपरिमित रूप सवँरता?
साँसों के मेले से बिछुड़ी सदा जिन्दगी मात रहेगी।
एक अकेला स्वर रिरियाए, कौन कहेगा उसे बाँसुरी।
गली गली गीतों के नाचें मोर तभी तो खुशहाली हैं।

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (हिन्दी) शासकीय म. व. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद (छत्तीसगढ़) भारत

(तभी तो दीवाली है, पृष्ठ-47)

नवगीत राग प्रधान विधा हैं जो मानव सम्बन्धों को संयोजित करने का सूत्र है' और प्रेम ही इन सबंधों को स्थायित्व व प्रगाढ़ बनाता हैं। प्रेम भाव प्राणवान शब्दों के झुरमुट में समाई इन यादों के सन्दर्भ में उभय पक्षीय हैं। कभी इन यादों के आकाश से प्रेममयी सुधा बरसा कर मन को हरा भरा कर देती हैं और कभी एक गहरा दर्द भी उड़ेल देती हैं। वह जीवन- ज्वार इसलिए झेले थे कि तुम्हारे प्यार के गीत का सृजन करूं। आज वह दिन आ गया हैं और आँसू, अब मुस्कान बनकर जीवन को हर्षित कर गया है। ये खुशियाँ और यह दर्द व्यक्तिगत ही हैं किन्तु कभी- कभी मानव मन अनुभवों का केन्द्र बनकर सामान्यीकृत भी कर जाते हैं। परमार ने अनुराग- राग के व्यक्तिगत अनुभूतियों को सर्वसामान्य का अनुभव बना कर रचनात्मक कुशलता का परिचय दिया हैं और सृजन कर्म की विशिष्टता का निर्वहन किया है। इसके बावजूद भी 'कस्तुरी यादें' में पीड़ा के सन्दर्भ कम हैं, खुशियों के अधिक। सौन्दर्य दीपशिखा से जन्में प्रेम ने सौभाग्य को आकार देना आरंभ किया, वियोग की अग्नि ने उसे तपाया और यादों ने कुंदन सी जिंदगी को महकाया है। तभी यादों की कस्तूरी महक सम्पूर्ण संकलन में समग्र रूप से उपलब्ध होती हैं। कवि ने प्रेम की उन्मन और अभिसार की स्थिति को अभिव्यक्त करते हुए लिखा है-

'सौ सौ दुःख विस्मृत होते हैं
एक प्यार की राह में।
जैसे थका कारवां जीवन
पाता ठंडी छाँह में।'

(यही सोचकर, पृष्ठ- 96)

'अपने को बिन जाने परखे जिया, ढ़ेर सी उमर गुजारी,
पहिली बार तुम्हें देखा तो जाना दरपन क्या होता हैं?
सोच रहा था जिसे अजन्मा, वह सौन्दर्य तुम्हीं में प्रकटा,
सीखा मेरी इस मिट्टी ने पूजन- वंदन क्या होता हैं?'

(दर्पण क्या होता है, पृष्ठ 16)

इस क्रम में किसी सौन्दर्य पर मोहित कवि को आभास नहीं होता कि कब भोर हुई और कब सूर्यास्त, कब बादल उमड़े और कब बरसकर नहला गई, कब पतझड हुई, कब वासंती बहार बिखरी। फिर भी इतना अनुभव अवश्य हुआ कि मौसम बदल गई है। इसलिए आँगन मे चिड़िया चहक रही हैं ओर प्यार की अविरल धारा गीतों में बह रही है।

'प्राणों से मिल रहे प्राण हैं
यह निश्छल शुभ योग
पिघल रहे स्पन्दन सारे
नदी- नाव संजोग।'

(मौसम, पृष्ठ- 91)

'आज सुबह जाने क्यों बार- बार मन हुआ,
भाग रही नदिया के पानी पर प्यार लिखूँ।
आसमान की आँखें मुझको उकसा रहीं
कोयल के लिए मधुर गीत बार- बार लिखूँ।'

(प्यार लिखूँ,पृष्ठ- 65)

इस मधुर मिलन के कारण प्रेमी को हर ओर आनंद, मादकता और सुगंधि फैलती हुई सी महसूस कर देती है। मदमाते मधुवन में इस गंध का न कोई ओर था न छोर परिणामत: कुदरत का हर कोना जादुई लगता है और सोना भी माटी हैं तथा माटी- सोना लगता हैं। प्रणय के इस इन्द्रधनुषीय आकाश में जीवन के अनुभव और विश्वासों के नक्षत्र देदीप्यमान है। ऐसा लग रहा हैं मानों बादल की बाहों से कोई बिजली एकाएक फिसली और अनंत रोशनी के रूप में सामने आकर खड़ी हो गई हो। पूनम की चाँद सी अद्भूत सौन्दर्यवती प्रिया कवि के अज्ञात संवेदनाओं का आधार बन गई है इसलिए डालों पर हरे पात रह- रह कर डोल रहे हैं और प्रिया कानों में आहिस्ता- आहिस्ता मधुरस घोलने लगी है। प्रिय के अंग- अंग से गीत झर रहे हैं-

'अब तक तुमने बहुत दिया हैं मेरे इस रीते जीवन को।
धन्य किया है तुमने मेरी आँखों के धुँधले दर्पण को।
नजरों से छू- छू लेने का मृदु स्वभाव क्या भूल सकूँगा ?
कूक- कूक कर रिझा लिया तुमने मेरे गीतों के वनों को।'

(मन में ऐसी चाह नहीं हैं पृष्ठ- 20)

'अंग अंग से बेहिसाब कविताएँ झरती हैं।
होड़ किस तरह करे चाँदनी तुमसे डरती हैं।'

(चुगली करती है,पृष्ठ- 63)

प्रेम के विषय में इतना व्यापक एवं सुलझा हुआ आदेशपूर्ण दृष्टिकोण उपस्थित करके कवि ने जहाँ अपनी विशाल हृदयता का परिचय दिया हैं, वहाँ वह जीवन का नया दृष्टिकोण भी उपस्थित करता हैं। कवि ने जगत में सुख- दुःख बहुत देखा हैं, अनुभव भी किया हैं। मानव जीवन के सम्यक विकास के लिए कवि सुख- दुःख दोनों को साथ- साथ उपयोगी देखता हैं और अभिव्यक्त करता हैं कि पाँव यदि विश्वास की ऊँगली पकड़कर चलते रहेंगे तो जिन्दगी का कठिन सफर कट ही जाएगा तथा मुस्कुराहट की कली खिलती रहे तो शर्म से कुहासा दर्द गलकर छँट ही जाएगा। इसलिए जीवन के सुख- दुःख बाँटने का संकल्प लेकर वह उससे बोल ही देता है-

'कभी कभी जीवन में होता मूल्य बहुत हैं बँट जाने का,
बादल बनकर सुख बरसना फिर धीरे से छँट जाने का,
आँसू भरी तुम्हारी आँखे, सना हुआ हाथों में आटा
बिना किसी समझौते के ही मैंने दर्द तुम्हारा बाँटा।'

(उस दिन से ही, पृष्ठ- 99)

प्रिया का साथ पाकर मरू से मंदिर हो जाने का अनुभव सहेजता हुआ प्रेमी इस विश्वास को जीने लगता है कि जीवन की नैया डूबेगा नहीं। प्रिय उसके लिए सर्वस्व है। जहाँ वह स्वयं को सम्पन्न पाता है। प्रिया और प्रेमी को सिर्फ एकात्मक चाह है, इसके अतिरिक्त उनके मन में न और कुछ चाह है, न किसी की परवाह है। इसलिए परमार के गीत सम्पन्नता तथा सार्थकता के साथ अभिव्यक्त होते हैं-

'यदि बना सकेगा, तुमको मेरा गीत बावरा,
समझूँगा मैं उस दिन जो कुछ गाता हूँ वह व्यर्थ नहीं हैं।'

(गाता हूँ वह व्यर्थ नहीं हैं)

प्यार एक ऐसी धारा हैं, जिसमें कहीं विराम नहीं हैं और अतल- अगम है। इसलिए कवि के मन में नया यगीत गोविंद' लिखने की चाह जागृत हो गई है। मेघफूल सी प्रिया का सौन्दर्य देखकर आँखे धन्य हो गई हैं। प्रणय निश्छल वृंदावन उत्साह और उत्सव के वातावरण में रम गया हैं और उन्मादों के हर बाग में बसंत उत्सव की महक उठ रही है, जहाँ शर्म की कलियाँ चटक कर टूटती जा रही हैं। सर्वत्र ही अद्वितीय सा अनुभव करते हुए जीवन में समुपस्थित मोहक- मादक परिवर्तन को लक्ष्य कर कवि कह उठता है-

'धूप पराई सी लगती है, सहसा अपने घर आँगन में,
सबको एक समान नशा हैं, एक गीत सबकी धड़कन में;

पकड़ नहीं पाती है पागल, जीत हुई जाती पुरवईया
महक झूमती गाकर गरबा, मिट्टी के मोहक कण कण में,
अबुझ कामनाओं ने मिलकर जीत लिया जादू से रण है।'

(मन का दर्पण पृष्ठ- 43)

मन के दर्पण का इस तरह चमकना अद्भुत सुखद स्थितियों की रचना का ही प्रतिबिम्बन है। इस प्रतिबिंबन में प्रकृति के अनेक भावनापूर्ण चित्र भी अनायास गुंफित हो गए हैं। प्रणय भावनाओं का अंकन दृश्य प्रकृति के मनोहरी उपादानों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। प्रकृति का मानवीय जीवन के सरोकारों से गहरी सबंद्धता है। नारायण लाल परमार के नवगीतों की प्रमुख विशेषता- उनका प्रकृति और जीवन से तादात्मय है। उन्होंने प्रकृति के प्रतीकात्मक उपयोग भी किए हैं और उसके माध्यम से जीवन का यथार्थ उपस्थित किया है। इसलिए इस चित्रण के अन्तर्गत एक से एक अनूठी कल्पनाएँ, अनुपम उपमाएँ और जीवंत बिम्ब प्रस्तुत हुए हैं। कहीं गंध से लदकर होकर किलकती हुई बच्चों सी हर खामोशी को ऐसे तोडती है, मानों कही कुछ खो जाने से उन्मत हो गई हो। कहीं पूनम की रात में दूधिया चाँदनी हिरनी की तरह कुलाँचे भर रही हैं और खिडकी से झाँककर सबको चिढाने में मगन है। तो कहीं उथली सी तलैया गहरी नजर आने लगी है और गाँव की साँझ सर्वत्र स्नेह बिखेर कर अद्भुत सौन्दर्य सृष्टि कर रही हैं। कहीं आँगन भर बूँद बूँद बावरी हो नाच रही है तो डबरों में धूम धाम से मस्ताए दादुर दल इतराकर- इतराकर अधरों पर वर्षा गीत गा रहें हैं। कभी धरती से अम्बर तक सुध बुध खोकर पके हुए महुए सी हर ओर महकने लगती है। डॉ0. परम लाल गुप्त ने लिखा है- परमार का यह प्रकृति चित्रण छायावाद और प्रगतिवाद दोनों काव्य दृष्टियों से भिन्न उनकी ईमानदार अभिव्यक्ति का ऐसा विशिष्ट उदाहरण है, जो हमें हूबहू युग जीवन के सोच के निकट खड़ा कर देता है। कवि ने जीवन और प्रकृति के बीच तादात्मय स्थापित करते हुए लिखा है-

'गंध भरी दूधिया पूनम की रात है,
डालों पर हरे पात रह रह कर डोलते,
कानों में आहिस्ता मधुरस सा घोलते,
कंगन सी खनक रही पूनम की रात है'

(पूनम की रात, पृष्ठ-55)

'हेम कलश की ज्योति चुराकर फैली धूप कछार में
चलती बसंती हवा, उगमती मुक्त प्रणय संभार में।'

(वसन्तागमन पृष्ठ- 77)

यह हवा किसी निकट रिश्तेदार सी सबसे सुख संदर्भो का ध्यान रखती हुई प्रत्येक के जीवन को त्यौहारों से संपन्न कर रही है। कवि आग्रह करता है कि प्रेम के मदमाते मौसम में इसे भी अपने मन की करने दो, क्योंकि इस आंदोत्सव में पेड़, नदी, द्वीप, आकाश सभी मगन हैं-

'तुम्हें चूमकर, मुझ तक पहुँची रिश्तेदार हवा लगती है।
कहती थी तुम लिखो गीत कोई मत गाए मैं गाऊँगी,
हर मन के आँगन से लेकर दूर क्षितिज तक मैं जाऊँगी,
कह दो कैसे करूँ अनादर जब त्यौहार हवा लगती हैं।'

(रिश्तेदार हवा लगती है पृष्ठ- 80)

कस्तूरी यादें में परमार ने वर्षा ऋतु के अनके चित्रों को प्रकृति के कैनवास पर व्यापक रूप से उतारा है। जहाँ तक वर्षा का संबंध है, वह धरती को सौभाग्य प्रदान करने वाली है। जीवन यदु ने वर्षा ऋतु के संदर्भ में लिखा है- 'परमार के इस संग्रह में वर्षा ऋतु के अनेक चित्र हैं। इन चित्रों में कहीं मिलन का उत्साह है तो कहीं बिछोह की पीड़ा। वह श्रृंगार का उद्दीपन भी प्रस्तुत करती है और स्मृतियों का लंबा सिलसिला भी।' प्रेमीजन पर तो वर्षा का और भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसी वर्षा का स्वागत करते हुए कवि कह देता है कि सावन का यह महिना बहुत लाडला है। सावन के आगमन को रेखांकित करते हुए कवि कहता है कि नाच- नाच कर आंगन छंद बनी है, खेत हरियाली की चादर ओढकर मुस्कुरा रही है, कंजली के सौंधी गान से सावन महक उठा है। बूंद- बूंद बावरी हो गई है। हरियाली नैहर लौट आई है। मयूरों की पाँते बूंदों की बारात में शामिल होकर नाच रही है। बिजलियाँ बादलों से शृंगार सामग्री लाने का अनुरोध कर रही हैं। नेह नदी में डूब- डूबकर प्रफुल्लित बहनें अपने भाइयों को रेशम की डोरी बांध रही हैं। सावन के इस सुहावने पर्व से प्रफुल्लित होकर प्रकृति वैसे ही महक रही है जैसे कोई नन्हा शिशु माँ की आँचल में किलकारी भरते हुए चहकता है। लगता है मानों घर में खुशियों का मनभावन मौसम आया हुआ है। हर ओर मधुर स्वरों के गुंजार के बीच दिन फूलों की तरह और रात कलियों सी दिखाई देती है। यहाँ तक कि अपने घम का परिहार करने सूरज भी लुप्त होकर कहीं सुस्ता रहा है।

'सूरज है छुट्टी पर आज एक अरसे से
मंदिर का पीतल हत बिजली के फरसे से।
लहरों की चढती से नदिया गरूआनी है
बादल की बेटी यह बरखा बौरानी है।'

(बरखा गीत-पृ. 52)

अक्षर अक्षर रस बन जाए, कोयल की धड़कन का
ऐसा ही सुघड सलोना, पर्व सुहावन आया।

(परदेशी सावन आया, पृ. 105)

इन मादक क्षणों में कवि अपनी प्रिया से अनुरोध करता हैं कि चलो आमने- सामने बैठ जाएँ और बातों- बातों में हम बरसात को जिएँ, दिन की पहली फुहार में हम बहुत भीगे हैं, इसलिए सलोनी सुखद रात में रूप- रस का पान करते हुए कहीं खो जाए। वह प्रकृति के मौन संकेतो को समझने का आग्रह करते हुए कहता हैं कि फूलों की पंखुड़ियों पर लिखे हुए गीत जो कुछ संदेशा दे, वह उन्हें सुनकर समझे भी। कवि ने लिखा भी है-

'कितना मीठा है एकांत यह आज का
इन क्षणों में सदा जगाता प्यार हैं।
नैन थकते नहीं रूप- रस पान से
मौन गीतों की थमती न बौछार है।
किसलिए मन की बात अब मन रहें
क्यों न मिलकर इसी बात को हम जिएँ।'

(बरसात को जिएँ, पृष्ठ- 58)

प्रकृति और प्रणय भाव में एकात्म स्थापित करते हुए डॉ0. भागीरथ बड़ोले ने लिखा है- 'इस प्रकार प्रेमोदय और प्रेम- पल्लवन के सन्दर्भ के प्रकृति का स्वरूप मानव- मन से एकसार होकर अपनी सार्थकता को उजागर करने में उपयोगी सिद्ध हुआ है। अनेक स्थलों पर स्वतंत्र सत्ता होने के पश्चात् भी मानवीय भावनाओं के साथ प्रकृति की प्रगाढ संगति कवि की रूचि की द्योतक है।'

जीवन एक ऐसी यात्रा है। जिसके लक्ष्य की अंतिम परिणति क्या होगी, यह कोई नहीं जानता। जीवन में प्रणय और वेदना दोनों मिलते हैं। सुख की मधुर स्मृतियाँ क्षण में निर्मम होने लगे, सुन्दर स्वप्न नष्ट होने लगे, पीड़ा का समुन्दर लहराने लगें, राते उदासी से घिर गई और किसी गहरे अंधेरे के बीच उल्लास पूर्ण जीवन की गंध गुम होने लगी हैं इसलिए रोशनी में अंधेरे से कम वजन है और प्रिया ने अब अपनी नयन में अमावस आँज ली है। अपनी

है। वह नित चमकता रहता हैं। निश्छल प्रेम की भाँति। कवि को ज्ञात है कि अंधेरे को तोड़ने के लिए अनेक दीपक चाहिए और विपदाओं के समुद्र को पाटने के लिए अनेक हाथ जरूरी है अत: एक- दूसरे से जुड़ना ही प्रत्येक का जीवन धर्म हो। यथा-

'चाँद- सितारे फिजूल, मुझको बस चाहिए,
जीवन के गमले में, एक फूल प्यार का,
मेरा संकल्प सिर्फ सुख- दुख में समरसता
भेदभाव मिट जाए जीत और हार का।'

(एक फूल प्यार का, पृष्ठ- 108)

परमार को विश्वास है यदि व्यक्ति संकल्पित हो तो हर विषमताओं पर विजय प्राप्त किया जा सकता हैं। परमार ने एकता और श्रम जैसे जीवन मूल्यों के प्रति आस्था व्यक्त किया है। यदि हम श्रम की साधना नहीं करेंगे तो हर स्थिति बिना विवाह के क्वाँरी कन्या की तरह रहेगी। इसलिए जिन्दगी का आनंद जुड़कर जीने में हैं। यद्यपि इस तरह के भावों पर आधारित गीत; संग्रह से अलग लगते हैं किन्तु अलग- अलग प्रकार के फूल गुलदस्ते की सुन्दरता को बढ़ा देते है। 'कस्तूरी यादें' में ऐसे ही गीतों के कारण गीतकार की अलग पहचान दर्ज हुई है-

'एक हाथ से चाहें भी तो, मिट्टी को गुदगुदी न होगी,
कोटि- कोटि जब हाथ उठेंगे बंधु तभी तो हरियाली है।'

(तभी तो हरियाली है, पृष्ठ- 47)

परमार के गीतों की सबसे अधिक सुन्दरता उन गीतों में हैं, जहाँ वे आत्मीय धरातल पर लोक संस्पर्शिता, नादात्मक ध्वनियों की प्रकृतिय प्रतीतियाँ, नव्य उपमान योजना का आकर्षक रूपांकन करते हैं। ऐसे मे वे गीत- बिम्बों को लोक जीवन से लेते हैं-

'दीख नही पड़ती अब, छत पर बड़िया डाली
हँसने पर चैती को, बरज रही हैं माई
कम्मों को बार- बार, आती है उबकाई
बिरहू से छुटी हैं, आमों की रखवाली।'

(नैहर अब लौटी है, पृष्ठ- 53)

'आम हुए परदेशी, जामुन की पहुनाई
बेले बरबट्टी की, छज्जे तक चढ़ आई।
कुम्हड़े के फूलों पर, सोने का पानी है।'

(बरखा गीत- पृष्ठ- 52)

परमार की भाषा मौलिक हैं। बनावटी और नकल की प्रवृत्ति नहीं है इसलिए उनकी कविता भाषा के अनुकरण का वह भ्रम जाल उगाने से बच जाती हैं, जो संप्रेषण की समस्या उत्पन्न करे। उनकी भाषा में सहजता, स्वाभाविकता हैं। जीवंत जीवनानुभूति सौन्दर्यानुभूति के प्रकटीकरण में सफल हैं, सिद्ध है। भाषा के रचनात्मक वैशिष्ट्य के कारण शैल्पिक रचाव में कसाव है, यथास्थान मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से परमार की भाषा जीवंत हो उठी हैं-

'दीपित मन भावनी, साँझ सुघर जामुनी
पाहुन बन आई हैं, आशा के गाँव में।'

(गाँव की साँझ, पृष्ठ- 95)

'अनोखी खुशबू लिए यह
खिल उठा हैं
फूल जैसा मन।'

(फूल जैसा मन, पृष्ठ- 107)

यद्यपि इस संग्रह के गीत नए नहीं हैं किन्तु शिल्प की विशिष्टता से इन्कार नहीं किया जा सकता। शब्द विन्यास में प्रौढ़ता है। परमार ने शब्दों के माध्यम से ऐसे बिम्बों की सर्जना की है, जिसके भावों की गहराई को बिना कुशलता के बाँध पाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हैं। यथा-

'आत्म मुग्ध सी लिए आरसी बैठी रहती हो।
जो भी कुछ कहना होता है खुद से कहती हो।'

(चुगली करती है, पृष्ठ-63)

'कस्तूरी यादें' भावों की संपदा है, जिसमें अनुभूति की गहराई विद्यमान हैं। 'एक ही विषय पर अनेक गीत होने के कारण भावों का पुनरावर्तन अवश्य हुआ है किन्तु परमार जी ने अपनी शब्द पकड़ और अपने शिल्प कौशल से प्रत्येक गीत को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान करने की कोशिश की है।'

'कस्तूरी यादें' भाव भूमि में सृजित कृति हैं। इस कृति में कवि ने जिन भावों का सृजन किया हैं, उसे ही वे जग को बाँट रहें हैं। जीवन का यह नूतन प्रगतिशील चरण उसकी टूटती हुई जीवनस्थितियों का संबल है। जीवन में सुख- दुःख दोनों है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में सामान्यीकृत होकर अनवरत् संघर्षरत रहने का महती संदेश 'कस्तूरी यादें' में दिया हैं। वस्तुत: परिपूर्णण प्रेम को प्रतिपादित करता हुआ कस्तूरी यादें' गीत संकलन भले ही दर्द की बुनियाद पर तैयार किया गया हो, किन्तु वह प्रेम से सराबोर शक्ति और प्रेरणा की जिस ऊर्जा को बिखेरता है, वह मोड़ वरेण्य हैं। इस संग्रह का मूल भाव ही प्रेम अभिव्यंजना हैं। परमार ने प्रणय भाव को जिस क्षमता से अकारित किया हैं, उस प्रयत्नशील दृष्टिकोण से नवगीत विधा में 'कस्तूरी यादें' अभिनंदनीय ग्रंथ प्रमाणित होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

ISSN : 2456-4397 (P)
Bilingual / Monthly
RNI : UPBIL/2016/63067

Multi-disciplinary Bi-lingual International Journal

Anthology The Research

Impact Factor
SJIF = 3.39
IIJIF = 4.02

2018-19

Indexed with Google scholar

ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-3* Issue-9* December- 2018
Anthology : The Research

Contents

S. No.	Particulars	Page No.
1.	**बाल सुरक्षा– पारिवारिक मूल्यों के विकास में अभिभावकों की भूमिका** एलिजाबेथ भगत, राजनांदगांव, छ.ग.	01-04
2.	**साहित्य एवं पत्रकारिता** बी. नंदा जागृत, राजनांदगांव, छ.ग.	05-08
3.	**राष्ट्र के विकास में महिलाओं का योगदान** फुलसो राजेश पटेल, राजनांदगांव (छ.ग.)	09-11
4.	**चुनाव में मीडिया की भूमिका (2014 के लोकसभा चुनाव के विशेष संदर्भ में)** नागरत्ना गनवीर, राजनांदगांव	12-14
5.	**भारत में खाद्यान्न सुरक्षा–एक विवेचन** शुभा शर्मा, दुर्ग, छ.ग.	15-18
6.	**राजनीति प्रकिया में महिलाओं की दशा एवं दिशा** सुशमा चौरे, राजनांदगाँव, छत्तीसगढ़	19-22
7.	**छत्तीसगढ़ की जनजातियों (जिला बालोद के विशेष संदर्भ में)** अनुग्रहती जॉन, बालोद, (छ.ग.)	23-26
8.	**महिला सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं की भूमिका** आबेदा बेगम, राजनांदगांव (छ.ग.)	27-29
9.	**दलित महिलाओं का सशक्तिकरण : एक अध्ययन** मालती तिवारी, महासमुन्द, छ.ग.	30-33
10.	**पंचायतीराज संस्थाएँ एवं महिला सहभागिता** सरिता स्वामी, बलोद, छत्तीसगढ़	34-36

ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-3* Issue-9* December- 2018
Anthology : The Research

दलित महिलाओं का सशक्तिकरण : एक अध्ययन

सारांश

समाज में जन्म और पेशे के आधार पर जिन लोगों को सबसे अधिक अपवित्र माना गया, हिन्दू स्मृतियों के द्वारा उनके स्पर्श पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। जिस मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र की संज्ञा दी जाती है, उसमें यहाँ तक नियम बना दिया गया कि कुछ जातियों के लोगों को देख लेने मात्र से ही एक सवर्ण व्यक्ति अपवित्र हो जाता है और पुनः पवित्र होने के लिए उसे प्रायश्चित करना आवश्यक है। मध्यकाल तक हिन्दू समाज इतना धर्मान्ध और अंधविश्वासी बन गया कि वैदिक कर्म को तिलांजलि देकर स्मृतियों में दिये गये विधानों के अनुसार अपवित्र कही जाने वाली जातियों को सभी तरह की सुविधाओं से वंचित करके, उनका अमानवीय शोषण किया जाने लगा।

ब्रिटिश शासनकाल में अस्पृश्य जातियों की स्थिति बहुत दयनीय रही। इसके बाद भी आर्य समाज ने अपने सुधारवादी आंदोलन के अंतर्गत इन जातियों को 'दलित जाति' के नाम से संबोधित करके इनके लिए अन्य हिन्दू जातियों की तरह समान सुविधाएँ और समान अधिकार देने की आवाज उठायी। सन् 1931 की जनगणना के आयुक्त जे.एच. हट्टन (J.H. Hutton) ने इन जातियों को 'बाहरी जाति' (exterior caste) के नाम से संबोधित किया। महात्मा गाँधी वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कट्टरतावादी हिन्दूओं के विरोध के बाद भी अछूत कहे जाने वाले लोगों को हिन्दू समाज का अभिन्न अंग मानते हुए उन्हें 'हरिजन' कहना आरंभ किया।

मुख्य शब्द : दलित महिलाएं, सशक्तिकरण।

मालती तिवारी
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति शास्त्र विभाग,
शासकीय महाप्रभु
वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर
महाविद्यालय,
महासमुन्द, छ.ग.

प्रस्तावना

डॉ. अम्बेडकर ने 'दलित वर्ग' शब्द का प्रयोग करते हुए कहा था कि जो लोग गरीब, शोषित तथा सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित हैं उन्हीं को हम दलित कहते हैं। इस कथन से स्पष्ट होता है कि दलित शब्द से हमारा अभिप्राय उन लोगों से है जो उच्च जातियों द्वारा सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से शोषित होने के कारण तरह–तरह के अभावों के कारण गरीबी के निम्नतम स्तर पर हैं तथा सामाजिक अपमान के साथ ही उन्हें विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। वास्तव में दलित शब्द परम्परागत 'अछूत' शब्द के ही समानान्तर है। कुछ व्यक्ति यह मानते हैं कि जिन जातियों को हम अछूत मानते हैं उन्हें अनुसूचित जातियाँ कहते है। डॉ. मजूमदार ने परम्परागत अछूत जातियों और दलित वर्ग के बीच कोई अंतर न मानते हुए लिखा है कि 'अछूत जातियाँ' वे है जो बहुत सी सामाजिक और राजनीतिक निर्योग्यताओं से पीड़ित है, जिनमें से अधिकांश निर्योग्यताओं को धर्म के द्वारा निर्धारित करके उन्हे उच्च जातियों द्वारा लागू किया गया। इसके विपरीत यदि समुदाय के किसी भाग को जाति व्यवस्था के नियमों के आधार पर आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक सुविधाओं से वंचित करके उसे तिरस्कृत और अपमानित किया जाता है, तब लोगों को ऐसे वर्ग को हम दलित कहते हैं।

दलितों की समस्याएँ

भारत में दलित जातियों की समस्याओं को सबसे पहले यहाँ के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान अनुभव किया।

1. सामाजिक विभेद की समस्या :
2. उच्च जातियों द्वारा शोषण
3. हरिजन महाजनों द्वारा शोषण

4. आन्तरिक असामनता की समस्या
5. अन्तर्जातीय तनाव की समस्या
6. अशिक्षा
7. मद्यपान एवं नशीने पदार्थों की समस्या
8. राजनीति शोषण की समस्याऐं

दलित महिलाओं की द'kk

उपरोक्त संवैधानिक, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कानूनों और प्रावधानों के बावजूद वर्तमान समय में भी दलित महिलाओं के अधिकारों का हनन बड़े पैमाने पर जारी है। दलित महिलाओं के अधिकारों के हनन को हम मोटे तौर पर दो भागों में बॉट सकते है: पहला वे हनन जो सौम्य प्रकृति के हैं या दूसरे 'ाब्दों में जो हिंसात्मक नहीं है तथा दूसरे वे जो क्रूरता, हिंसा एवं जघन्य अपराध के रूप में अंजाम दिए जाते हैं। यदि हम नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों की बात करें तो पाऐंगे कि ग्रामीण एवं 'ाहरी दोनों ही क्षेत्रों में दलितों को बंधुआ मजदूरी का शिकार आज भी होना पड़ता है (इंटरनेशनल दलित सॉलिडॅरिटी नेटवर्क: दलित्स एंड बॉंडेड लेबर इन इंडिया). भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हालांकि बंधुआ मजदूरी को सन् 1976 से ही एक कानून लाकर fu"ksध कर दिया गया हैं, किन्तु इसके बावजूद 30 मार्च 2012 तक 2 लाख 94 हजार 155 बंधुआ मजदूरों की पहचान की गयी, जिसमें से लगभग बीस हजार को छोड़कर बाकी का पुनर्वास कर दिया गया है।

दलित महिलाओं की सामाजिक विडम्बना

भारतीय समाज की यह विडम्बना रही है कि जाति से जुड़ी वैचारिक मान्यताओं के कारण निम्न जाति के लोगों को सदैव उपेक्षित, विपन्न, सर्वहारा और दलित शब्द के संबोधन से जोड़कर देखा जाता रहा। इस प्रकार दलित वर्ग को वैचारिक तथा संरचनात्मक स्तर पर भारतीय समाज की असंवेदनशील रीति–रिवाजों के कारण एक तिरस्कार की जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ा। रोजगार के साधन जो उसे मिले, उसे सिवा तिरस्कार और मानवीय मूल्यों की गरिमा को कुचला तथा दबाया गया। इस संदर्भ में दलित महिलाओं को दोहरी मार का सामना करना पड़ता है। एक तरफ तो उसे महिला होने के कारण पुरूष प्रधान समाज की पितृसत्तात्मक मूल्यों का शिकार होना पड़ता है साथ ही अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने के कारण शूद्रों से जुड़ी मान्यताओं के दर्द को भी सहने पर विवश होना पड़ता है। इस शोध पत्र में दलित महिलाओं के मानवाधिकार से संबंधित अधिकारों की स्थिति को समझने का प्रयास किया गया है। विशेषकर उन दलित महिलाओं का अध्ययन किया गया है जो मैला ढोने तथा सफाई के काम से जुड़ी हैं। इस प्रकार के सफाई तथा मैला ढोने के काम से जुड़े श्रमिकों को गरिमा की बात करना सहज रूप से बेमानी है और उनके लिए मानवाधिकार के मानवीय मूल्यों का संरक्षण कर उसे बचाये रखना भी एक मिथक है। आजादी के बाद किए गये समझौते के कारण आए बदलावों के बावजूद आज की दलित व्यक्ति अनपढ़, कुपोषित, भूमिहीन, मजदूर हैं जो जीविकोपार्जन के लिए कई तरह से शोषणों के जाल में फंसा है। यह सैकड़ों सालों से विकसित तंत्र का शिकार है।

सशक्तिकरण की ओर अग्रसर

समाज या देश की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाओं की प्रगति नहीं हो सकती। डॉ. अम्बेडकर ने कहा है मैं किसी समाज की उन्नति का अनुमान इस बात से लगा सकता हूं कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। नारी की उन्नति के बिना परिवार, समाज एवं राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। हमारे देश की आधी आबादी आज भी गुलामी का जीवन जी रही है। समाज व्यवस्था में उसे पुरूष के अधीन बताकर उस पर तमाम प्रतिबंध लाद दिये गये हैं। निश्चित रूप से आज महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। एक वर्ग की महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर अपनी अस्मिता और अस्तित्व की खोज की है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा दलितों के उत्थान के प्रयत्न

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने यह महसूस किया कि अनुसूचित जातियों की स्थिति में सुधार किये बिना उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा से नहीं जोड़ा जा सकता। और उन्होंने लगातार उनके विकास के लिए कार्य किया। महात्मा गांधी ने अस्पृश्य जातियों को हरिजन अर्थात ईश्वर की सन्तान कहकर उनके सामाजिक, आर्थिक कमजोर स्थिति को दूर करने पर विशेष बल दिया ।

डॉ. अंबेडकर ने कहा–

1. हिन्दू समाज में परम्परागत विधान में क्रांतिकारी परिवर्तन किया जाए।
2. दलित महिला वर्गों को संगठित व शिक्षित किया जाए।
3. विधान मंडल व महिला आरक्षण पर बल दिया जाए।
4. महिला दलित वर्गों के विकास के लिए उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाये।
5. छात्राओं को छात्रवृत्तियां तथा रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाए।
6. तकनीकी शिक्षा के लिए देश, विदेश में अध्ययन करने व प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उपयुक्त सुविधाएं और वित्तीय सहायता प्रदान की जाये।
7. राजनीतिक, सामाजिक प्रशासनिक क्षेत्रों में स्थान दिया जाये।
8. दबाव मुक्त जीवन जीने का अधिकार हो।

दलितों को अधिकार

यदि हम दलित महिलाओं से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों पर नजर डालें तो पाएँगे कि नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संविदा निम्न अधिकार प्रदान करती है. अनुच्छेद 8 द्वारा बंधुआ मजदूरी का निषेध, अनुच्छेद 14 द्वारा सभी को कानून के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 16 द्वारा नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, राजनैतिक या अन्य राय रखने के कारण, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म अथवा अन्य किसी सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव को निषेध कर. इसी प्रकार अनुच्छेद 26, 25 (c), 19(1), 21, 14(3)(g), 16(1),9(2)(3)(4) एवं 18 (1) ऐसे अधिकार प्रदान करते हैं जो दलित महिलाओं के नागरिक एवं राजनैतिक जीवन से संबंधित हैं उधर दूसरी ओर दलित महिलाओं से संबंधित आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए आर्थिक एवं सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय संविदा के अनुच्छेद 7 (a)(i), 7(b), 10(2),6(1), 10(3), 13(2)(a), 9(a)(ii),7(d) तथा 11 मुख्य रूप से उल्लेखनीय है, (वही:25–26). इतना ही नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं की स्थिति को जानने के लिए एक आयोग की स्थापना भी 1946 में की। इसी आयोग के माध्यम से आगे चलकर 1965 में महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव उन्मूलन की घोषणा का मसौदा तैयार किया गया।

दलित महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण

मायावती

मायावती का जन्म 15 जनवरी, 1956 में,दिल्ली में एक दलित परिवार के घर पर हुआ। पिता प्रभु दयाल जी भारतीय डाक–तार विभाग के वरिष्ट लिपिक के पद से सेवा निवृत्त हुए। उनकी माता रामरती अनपढ़ महिला थीं परन्तु उन्होंने अपने सभी बच्चों की शि{kk में रूचि ली और सबकों योग्य भी बनाया। मायावती का परिवार बड़ा था उनका पैतृक गॉव बादलपुर उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में स्थित है। उनकी शिक्षा बीए, एलएलबी, बीएड दिल्ली के कालिन्दी कॉलेज से हुयी। उन्होंने अपने कैरियर की शुरूआत दिल्ली के स्कूल में शिक्षिका के रूप में की। उसी दौरान सिविल सर्विसेस की तैयारी भी की।

राजनीतिक जीवन की 'kq:vkr

1977 में मायावती, कांशीराम के सम्पर्क में आयीं। वहीं से उन्होंने एक नेत्री बनने का निर्णय लिया। कांशीराम के संरक्षण में 1984 में बसपा की स्थापना के दौरान वह काशीराम की कोर टीम का हिस्सा रहीं। मायावती ने अपना पहला चुनाव उत्तरप्रदेश में मुजफ्फरनगर के कैराना लोकसभा सीट से लड़ा था। 3 जून 1995 को मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं और उन्होंने 18 अक्टूबर 1995 तक राज किया। मुख्यमंत्री का दूसरा कार्यकाल 21 मार्च 1997 से 21 सितम्बर 1997 तक, तीसरा कार्यकाल 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक और चौथी बार 13 मई 2007 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया। उन्होने पूरे पांच वर्ष तक पद पर आसिन रहीं एवं देश के राजनैतिक इतिहास में अपना परचम फैलाया।

श्रीमती मीरा कुमार

श्रीमती मीरा कुमार भारत के प्रख्यात दलित नेता बाबू जगजीवन राम की पुत्री हैं। बाबू जगजीवन राम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थें। वो भारत के उप–प्रधानमंत्री भी थे। मीरा कुमार की माँ भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी थीं। मीरा कुमार के पिता, बाबू जगजीवन राम, की गिनती भारत के सर्वाधिक धनाड्य राजनेताओं में होती थीं। मीरा कुमार एक कुशल खिलाड़ी रही है। घुड़सवारी और निशानेबाजी की प्रतिस्पर्धाओं में उन्होनें कई पदक जीते है। उनकी शिक्षा 1973 में, भारतीय विदेश सेवा में उनका चयन हुआ और 1984 तक उन्होने दुनिया के विभिन्न मुल्कों के दूतावासों जैसे कि स्पैन,, मॉरीशस, यूनाइटेड किंगडम, इत्यादि में अपनी सेवाएं प्रदान कीं। 1980 मे, वे भारत के उच्चतम न्यायालय "सुप्रीम कोर्ट बार एसोशिएसन' की सदस्य बनीं।

राजनैतिक सफर

1984 के आम चुनाव में, मीरा कुमार उत्तर प्रदे'k के बिजनौर लोक सभा क्षेत्र से भारतीय रा"ट्रीय कॉंग्रेस की उम्मीदवार बनीं। रामविलास पासवान और मायावती को हराकर वे पहली बार लोक सभा सदस्य बनीं। 2004 में यू. पी. ए. सरकार में, वे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रहीं। 2009 में, वे भारत की प्रथम महिला लोक सभा स्पीकर पद पर 2014 तक आसीन रहीं।

इसके अलावा भारत एवं राज्यों की राजनीति मे विभिन्न पदों पर दलित महिलाओं के सशक्तिकरण के उदाहरण देखने को मिलते हैं।

पंचायतों में दलित नेतृत्व

स्वतंत्र भारत के संविधान में इसी अस्पृश्यता एवं असमानता को अधिकार मानकर आरक्षण की दलितों के लिए व्यवस्था की गई। मण्डल सिफारिशें लागू होने के कारण आरक्षण का दायरा अन्य पिछड़ा वर्ग तक व्यापक हो गया। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा आरक्षण व्यवस्था निम्नतम स्तर तक पहुँची तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी वर्गों की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिला।

पहले पंचायती राज संस्थाओं पर उच्च जाति के सदस्यों या जमींदारों का एकाधिकार था, परन्तु प्रायः अब ऐसा नहीं है। इन संस्थाओं में आरक्षण व्यवस्था के कारण

अब इनमें उच्च/सवर्ण जातियों या आर्थिक दृष्टि से संपन्न जातियों का स्वामित्व नहीं रह गया है अपितु समाज का निम्नतम वर्ग (दलित/महिला) भी प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। पंचायती राज में महिला का सबसे बड़ा प्रभाव राजनीतिक संरचना पर पड़ा है। परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में राजनीतिक चेतना जागृत हुई है तथा स्थानीय नेता धीरे–धीरे उच्च स्तर पर अपने राजनीतिक गठबंधन कर रहे हैं। खण्ड अथवा पंचायत समिति स्तर पर ऐसे गठबंधन काफी शक्तिशाली बन गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दलित महिलाओं का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि गांवों के आर्थिक विकास में केवल पिछड़े वर्गों और दलित महिलाओं की ही भागीदारी होती है। इन आकड़ों में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधियों का आंकलन करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायतों में 3,31,133 महिला प्रतिनिधि अनुसूचित जाति की और 2,23,959 महिला प्रतिनिधि अनुसूचित जनजाति की हैं। जनपद पंचायत में 23,758 महिला प्रतिनिधि अनुसूचित जाति की तथा 13,477 महिला प्रतिनिधि अनुसूचित जनजाति की है। जिला पंचायतों में 2,100 महिला प्रतिनिधि अनुसूचित जाति और 1099 महिला प्रतिनिधि अनुसूचित जनजाति की है। इन आकड़ों से पता चलता है कि देश के 19 राज्यों में 7,24,104 महिलायें प्रतिनिधि के रूप में चुनी गयी हैं।

निष्कर्ष

यह सत्य है कि दलित महिलाएँ शताब्दियों से उत्पीड़ित रही है, किन्तु यह भी सत्य है कि उनसे उद्धार के लिए प्राचीनकाल से ही समाज में सुधार के लिए आवाज उठती रही है। मध्यकाल में राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, जस्टिस एम.जी. रानाडे, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, गांधी जी, अम्बेडकर आदि समाज सुधारकों ने आवाज उठाई है। आज वर्तमान समय की यदि बात करें तो अब बहुत हद तक दलित महिलाओं को संबंधित निर्योग्यताओं को समाप्त किया जा चुका है। देश के विभिन्न भागों में दलित महिला जातियाँ संगठित समूहों के रूप में उदित हुई है। अब सशक्तिकरण से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में अधिकार के प्रति जागरूक होना अनिवार्य है। शैक्षिक समानता के अवसरों से आधुनिक मूल्यों के रूप में स्वतंत्रता, समानता बन्धुता के मूल्यों का विस्तार किया जाना दलित महिलाओं की चेतना, आधुनिकीकरण एवं सामाजिक विकास में एक समता मूलक समाज की स्थापना में सहायक हो सकती है। लोकतंत्र की सफलता में सशक्त दलित महिलाओं की चेतना महत्वपूर्ण है। भारत जैसे धर्म सम्मत एवं विकासशील राष्ट्र में जहां जाति व्यवस्था, समाज व्यवस्था का पर्याय भी थी वहीं अब उसका दूसरा स्वरूप सशक्तिकरण के रूप में देखने को मिल रहा है। परिवर्तन समाज का शाश्वत सत्य है। अतः इनकी स्वयं की जागरूकता एवं संविधान में बनाये गये नियमों को कठोरता से लागू किये जाने के कारण अब दलित महिलाओं के जो उत्पीड़न होते रहे हैं उसमें अवश्य कमी आती जा रही है। शिक्षा और समानता के उद्देश्य को लेकर दलित महिलाएँ प्रभावशील एवं सशक्त होती जा रही हैं। वर्तमान समय में सामाजिक, राजनैतिक, और आर्थिक क्षेत्रों में बड़े पदों पर आसीन होने के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। भारतीय जनसंख्या में दलित का प्रतिशत 16.6 है। प्रत्येक 6 भारतीय में एक भारतीय दलित है। उनमें से महिला दलित का आधा भाग है। महिला दलित, महिला सशक्तिकरण को दलित आंदोलन देश राज्य धर्म शोषण के दूसरे तरीकों और संस्कृति पर खुल कर विचार करना, परिभाषित करना होगा जिससे एक स्वतंत्रता समानता और भाईचारे पर आधारित एक नया महिला सशक्त समाज बनाया जा सके।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *भारत में समाज – डॉ. जी के. अग्रवाल पृ. 110, 11, 112, 113*
2. *पंचायती राज एवं दलित नेतृत्व– डाफ. पूरण मल पृ. 127*
3. *छत्तीसगढ़ में मानवाधिकार – डॉ. अम्बिका प्रसाद शर्मा पृ. 256, 257*
4. *भारतीय समाज : मुद्दे एवं समस्यायें– डॉ. एस. अखिलेश पृ. 681, 682*
5. *भारत में मानवाधिकार– अरूण चतुर्वेदी पृ. 68*
6. *रिसर्च जनरल ऑफ शोसल लाईफ साईंस– प्रोफेसर बृजगोपाल पृ. 227, 228*
7. *इतवारी अखबार – 22 दिसम्बर 2013*
8. *भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएँ– डॉ. गोपाल कृष्ण अग्रवाल*
9. *इंटरनेट*

Volume I, Issue XXVIII
October To December 2019

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 5.610 (2018)

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

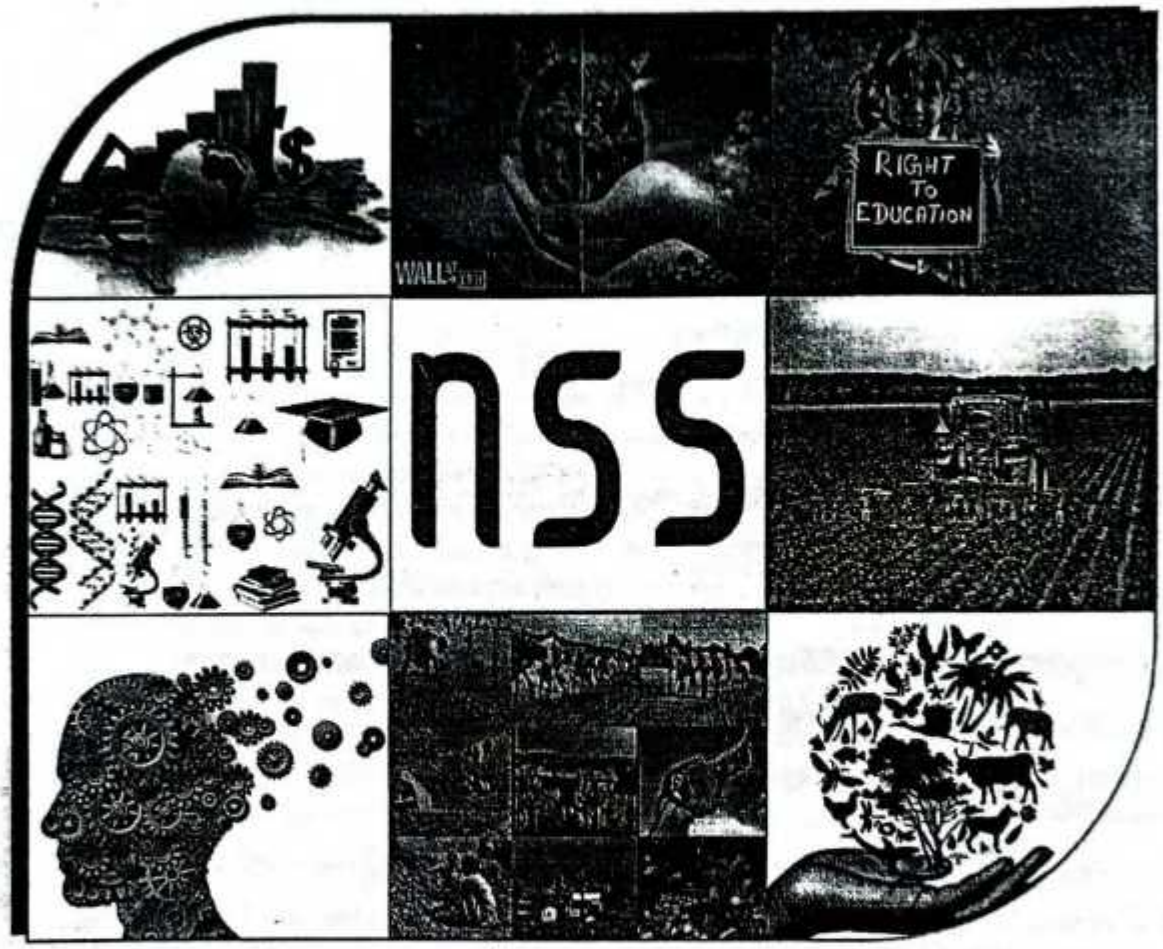

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

43. शिवानी की कहानियों में पारिवारिक नारी के विविध रूप (किरण बाला, डॉ. पीयूष कुमार शर्मा) 119
44. माहिष्मती की विभूतियां (डॉ. गुलाब सोलंकी) 122
45. समसामयिक जीवनबोध और केदारनाथ अग्रवाल की कविता (सविता, डॉ. सोनाली निनामा) 125
46. सुशीला टाकभौरे के नाटकसाहित्य में सामाजिक सरोकार (पाटील नवनाथ सदाशिव) 128
47. कथाकार अमृतराय का जीवन दर्शन (डॉ. विनय कुमार सोनवानी) 131
48. प्रेमचन्द के कथा साहित्य में दलित जीवन (सुमन सिसोदिया, डॉ. गुलाब सिंह डावर) 134
49. हिन्दी फिल्मों में बापू (डॉ. अनुसुइया अग्रवाल) 137
50. कबीर के काव्य में दर्शन (डॉ. आशा शरण) 139
51. अज्ञेय के सृजनात्मक साहित्य में स्वाधीनता के मूल्यों (कहानी-प्रेम) के विविध आयाम' (डॉ. अनुकूल सोलंकी) 141
52. नारी के विविध रूप – वाल्मीकि रामायण के संदर्भ में (डॉ. विनय कुमार सोनवानी) 143
53. भारतीय भाषाओं में रचित रामकाव्य में सामाजिक जीवन मूल्य (प्रफुल्ल कुमार टेम्भरेकर) 145
54. कबीर और तुलसी के राम में अन्तर (डॉ. रंजना मिश्रा) 147
55. मिथिलेश्वर की कहानियों में ग्रामीण परिवेश (दीपक सिंह) 149
56. वेदों में विश्व बंधुत्व तथा मानव मूल्य (प्रेमलता छापोला) 151
57. मधुकर सिंह के उपन्यासों की कथा – भूमि (डॉ. हरेराम सिंह) 153

(Sanskrit / संस्कृत)

58. नाट्यानुशीलनम् – नाटकस्योत्पत्तिविकासयोश्च पौरस्त्यपाश्चत्यमतविमर्श: (डॉ. बालकृष्ण प्रजापति) 155
59. वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का परिचय (संध्या दावरे) 157

(Education / शिक्षा)

60. Emotional Intelligence - As A Way To Control Emotion For Improvement (Dr. Kavita Verma) 159
61. A Study Of Academic Achievement Of First Year I.I.T. Students In Relation To Affective Domain Related Characteritics (Rajeev Kumar) 162
62. A Correlational Study of Emotional Intelligence And Anxiety Among Adolescents (Dr. Munmun Sharma) 165
63. शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों में लक्ष्य अभिप्रेरणा का अध्ययन (साधना ओसवाल, डॉ. मंजू वर्मा) 167
64. समावेशी शिक्षा में बी.एड इन्टर्नशिप की उपयोगिता का अध्ययन (भावना शेखावत, डॉ. अशोक सेवानी) 170
65. किशोरावस्था के विद्यार्थियों में तनाव का तुलनात्मक अध्ययन (प्रतिभा द्विवेदी, डॉ. विनोद सिंह भदौरिया) 172

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) October to December 2019, Vol. I

हिन्दी फिल्मों में बापू

डॉ. अनुसुइया अग्रवाल *

प्रस्तावना – महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व; जिसने हर किसी को किसी न किसी तरीके से जीवन के किसी न किसी मोड़ पर जरूर प्रभावित किया। सिर्फ एक– दो इंसान नहीं अपितु पूरा देश उनके साथ उठ खड़ा हुआ। हर इंसान के अंतर्मन को उन्होंने जगाया। गांधी जी से लोग क्यों जुड़ते चले गए; दरअसल वो असाधारण होते हुए भी साधारण तरीके से लोगों के बीच रहें। कभी दिखावे को तवज्जों नहीं दिया। यही वजह रही कि वे अंग्रेजी सूट–बूट के बजाय साधारण सी खादी की धोती पहनते थे। यही नहीं – चरखा चलाकर खुद खादी बनाते थे, रेल के जनरल डिब्बे में यात्रा किया करते थे। उन्होंने अपने आवरण और आचरण में कभी फर्क नहीं रखा। शायद इसलिए उन्होंने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया।

इस महामानव ने पराधीन भारत को आजादी दिलाने में ही महत्वपूर्ण भूमिका अता नहीं कि अपितु प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक आजादी और सक्षमता के लिए भी प्रयास किया। उनकी आजादी की परिभाषा में गरीब व्यक्ति की गरिमा की स्थापना और अटूट सामाजिक सहकार की स्थापना करना था। अपने इन प्रयासों की पूर्ति के लिए उन्होंने मानव श्रम को आधार बनाया। इसके लिए उन्हें जन– जन से जुड़ना पड़ा। भारत के प्रत्येक जन हृदय में अपना स्थान बनाते हुए करोड़ों भारतवासियों को उन्होंने अपने साथ लिया। उनके स्वाभिमान की रक्षा की। चरखे के जरिए हर गरीब के घर और मन में स्थान बनाने वाले बापू ने दलितों– वंचितों में अनोखा स्वाभिमान भरा।

भले ही यह घटना इतिहास बन गई पर आज भी लोगों के जेहन में इतनी जीवन्त है कि बापू के सहकार, सत्य, अहिंसा, आदि सिद्धांतों को आधार बनाकर फिल्म निर्माता आज न केवल फिल्में बना रहे हैं अपितु उसमें निहित श्रेष्ठ संदेश के कारण वे फिल्में सफल भी हो रही हैं। उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर कई गीतकारों के कलम से देशभक्ति के गीत लिखें गए। जनमानुष की मेहनत को प्रतिष्ठा देते हुए गांधी जी ने जिस चरखे और खादी से जनसमुदाय को जोड़ा था; उसका उल्लेख करते हुए 'होमी वाडिया' निर्देशित 'पंजाब मेल' नामक फिल्म आई थी जिसमें खादी को आजादी का मूलमंत्र बताते हुए उसे देश का बेड़ा पार होने का साधन भी बताया गया है। चरखे को सुदर्शन चक्र का प्रतीक मानते हुए यह संदेश दिया गया कि द्वापर युग में जिस सुदर्शन चक्र को चलाकर कृष्ण ने शत्रुओं का संहार किया था उसी सुदर्शन चक्र सदृश चरखे से स्वदेशी, स्वावलंबी, अहिंसक आंदोलन चलाकर देश का उद्धार किया जा सकता है।

'इस खादी में देश आजादी, दो कौड़ी में बेड़ा पार
देशभक्त ने तुझको पाकर, प्रेमरंग में मन को खोकर
टूटे तार में ताज पिरोकर
जड़ दिया मन का सुंदर तार
दो कौड़ी में बेड़ा पार।'

यहां पर दो कौड़ी का अर्थ खादी के सस्ते होने से है और चरखा सुदर्शन चक्र है।

महामानव महात्मा गांधी के प्रयासों से जो चरखा भारत के स्वाधीनता संग्राम में आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक बन गया था फिल्मी गीतों में वह राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है। जयंत देसाई के निर्देशन में 1940 में बनी फिल्म 'आज का हिन्दुस्तान' में चरखे से जुड़ा यह गीत देखिए–

'काते ये कच्चे धागे,
धागे ये कह रहे हैं, भारत के भाग जागे
चरखे के गीत गाओ, दुनियां को ये सुनाओ
चरखा चलाये गांधी, आगे– आगे धागे
भारत के भाग जागेय'

1942 में आई फिल्म 'भक्त कबीर' में चरखे पर केन्द्रित साधारण सा लगने वाला अधोलिखित गीत जनमानस को स्वतंत्रता आंदोलन की ओर उन्मुख करने वाला जागृति के सुंदर गीत के रूप में जन– जन का कंठहार बन गया था। इसमें खादी वस्त्र की खूबियों पर बढ़िया कशीदे किए गए–

'खद्दर ले लो खद्दर भाई
खद्दर ले लो खद्दर.....
सस्ते दामों में हाथ आये, महंगे रेशम को शरमाएं....
रेशम धोने से मिट जाए, खद्दर निखरता जाये।'

आजादी के तुरंत बाद 1948 में आई फिल्म 'खिड़की' में खादी की चुनरी का उल्लेख गीत में अनूठापन दर्शाता है–

'ए ओ सावरियां
जाओ बजरिया
लाओ चुनरिया खादी की।'

आजादी के बाद के फिल्मों में 'बापू की अमर कहानी' में रफी साहेब की आवाज में यह गीत आपने भुलाया नहीं होगा–

'सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों
बापू की ये अमर कहानी।'

बापू संभवत: ऐसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन पर सर्वाधिक फिल्में बनी और गाने लिखे गए। सन् 1954 में महात्मा पर आधारित फिल्म 'जागृति' को भला कैसे भुलाया जा सकता है, जिसमें तब आशा भोसले द्वारा गाया गीत 'साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल' आज भी लोगों की जुबांन पर है। यह सदाबहार गीत काफी मशहूर रहा।

सन् 1968 में 'परिवार' फिल्म के उस गाने को भी लोग आज भी गुनगुनाते रहते हैं– 'आज है दो अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (हिंदी) शासकीय म. व. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद (छ.ग.) भारत

महान। आज के दिन दो फूल खिले, जिनसे महका हिन्दुस्तान।'

पुराने जमाने के गांधीवाद से लेकर नए जमाने की गांधीगिरी पर बनी फिल्मों और गानों को लोगों ने खूब पसंद किया। 1982 में 'रिचर्ड एटनबरोय के द्वारा निर्देशित फिल्म 'गांधी' तो लोगों के द्वारा खूब सराहा गया। यह फिल्म गांधी की जीवन यात्रा का पहला सिनेमाई दस्तावेज है। हॉलीवुड स्टार 'बेन किंग्सलेय के गांधी किरदार और 'रोहिणी हंटगणी' के कस्तूरबा किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया। इस फिल्म ने 8 आस्कर और 26 एवार्ड जीते थे।

फिर आई थी 1996 में 'श्याम बेनेगल' की फिल्म 'मेकिंग ऑफ महात्मा।' इस फिल्म में गांधीजी के एक आम इंसान से महात्मा बनने तक के सफर को बखूबी दर्शाया गया था। ब्रिटेन और साउथ आफ्रीका के सेंट पिटमारेट्सबर्ग स्टेशन की वो ऐतिहासिक घटना; जब अश्वेत होने की वजह से रेल से धक्का देकर उन्हें उतार दिया गया था। इस घटना ने उनके आत्मसम्मान को सर्वाधिक चोट पहुंचाई और तब इस घटना ने सत्याग्रह को जन्म दिया और भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजा दिया। फिल्म में गांधी जी का अभिनय करने वाले 'रजित कपूर' को 'बेस्ट एक्टर' का 'सिल्वर लोटस एवार्ड' प्राप्त हुआ था।

सन् 2000 में फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता 'कमल हासन' के श्रेष्ठ निर्देशन में बनी फिल्म 'हे राम' में नसीरूद्धीन शाह ने गांधीजी का किरदार निभाकर खूब प्रशंसा बटोरी थी। यह फिल्म भी ऑस्कर की दौड़ में थी पर जीत न पाई।

सन् 2005 में 'मैंने गांधी को नहीं मारा' फिल्म आई। फिल्म उर्मिला मातोंडकर यानि त्रिषा और अनुपम खेर यानि उत्तम चौधरी के किरदार पर केंद्रित है जिसमें गांधी की हत्या विषयक गुत्थी को सुलझाया गया है।

सन् 2006 में निर्माता 'विधु विनोद चोपड़ा' और निर्देशक 'राजकुमार हिरानी' की 'लगे रहो मुन्ना भाई' फिल्म आई। जिसमें 'बापू' का सबसे शानदार किरदार एक कॉमेडी के रूप में भी दिल को छू लेने वाला संदेश देने में सफल रहा। यह इक्कीसवीं सदी के शुरूआत के भारतीयों के सोच से जुड़ी कहानी है। इसमें संजय दत्त को अवसर बापू दिखते थे। एक गेंगस्टर की सोच और गांधी दर्शन को बड़ी खूबसूरती से पिरोए गए इस फिल्म ने भारत के साथ यू. एस. में भी कई अहिंसात्मक आंदोलनों की प्रेरणा दी। इस फिल्म के माध्यम से 'गांधीगिरी' शब्द काफी प्रसिद्ध हुआ। इस फिल्म में गांधी जी की भूमिका निभाई थी मराठी सिनेमा के मशहूर अभिनेता 'दिलीप प्रभावलकर' ने।

सन् 2007 में फिल्म अभिनेता और निर्माता अनिल कपूर की फिल्म 'गांधी: माई फॉदर' में गांधी जी का किरदार निभाया 'दर्शन जरीवाला' और उनके बेटे 'हरिलाल गांधी' का किरदार 'अक्षय खन्ना' ने निभाया। फिल्म में अक्षय खन्ना को लगता था कि 'देश के पिता' महात्मा गांधी एक 'पुत्र के पिता' के रूप में असफल है। इस फिल्म को दर्शकों की मिश्रित प्रतिक्रिया मिली; अच्छी भी और आलोचनापूर्ण भी। फिल्म 'नेशनल एवार्ड' जीतने में सफल रही।

'करीम ट्राइडिया' के निर्देशन में बनी सन् 2018 की फिल्म 'गांधी: द कॉन्सपिरेसी' में गांधीजी का किरदार निभाया था 'जेसस सेंस' ने। फिल्म भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद से महात्मा गांधी की हत्या तक के घटनाक्रम को समेटे हुए थी।

कहा जाता है कि बापू को न तो फिल्म देखने में रूचि थी न उन्होंने कभी किसी फिल्म में काम ही किया। उन्होंने अपने जीवन में वाल्मिकी रामायण पर आधारित एकमात्र फिल्म 'रामराज्य' देखी थी। जो 1943 में मराठी फिल्मकार 'विजय भट्ट' द्वारा निर्देशित फिल्म थी। इस तरह बापू का सिनेमा से यद्यपि कोई सीधा संबंध नहीं रहा तथापि उनकी विचारधारा और उनके सत्य, अहिंसा और प्रेम के आचरण पर अनेक पटकथाएं लिखी गई और उनसे मिलते- जुलते चरित्र को प्रस्तुत करने की सफल कोशिश की गई। निसंदेह आगे भी यह प्रयास जारी रहेगा।

'वो कोई और चिराग होते हैं जो हवाओं से बुझ जाते हैं,
गांधीजी ने तो जलने का हुनर भी हवाओं से सीखा है।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. स्वर सरिता- वर्ष 09, अंक 4, अक्टूबर 2016
2. राष्ट्रवीणा- वर्ष 53, अंक 6, जून 2004
3. स्वर सरिता- वर्ष 10, अंक 4, अक्टूबर 2017
4. दैनिक भास्कर- दैनिक समाचार पत्र दि. 02 अक्टूबर 2019

****

ISSN 0973-3914

RESEARCH JOURNAL OF SOCIAL AND LIFE SCIENCES

QUARTERLY, BILINGUAL (English/Hindi)

A REGISTERED REVIEWED/REFEREED RESEARCH JOURNAL
Indexed & Listed at: Ulrich's International Periodicals Directory©, ProQuest, U.S.A (Title Id: 715205)

अंक-XXV-III हिन्दी संस्करण वर्ष-13 सितम्बर, 2018

UGC JOURNAL NO.40942
IMPACT FACTOR 3.112

JOURNAL OF
Centre for Research Studies
Rewa-486001 (M.P.) India
Registered under M.P. Society Registration Act, 1973, Reg. No. 1802,Year-1997
www.researchjournal.in

UGC Journal No. 40942,
Impact Factor 3.112, ISSN 0973-3914
Vol.- XXV, Hindi-III, Year-13, Sept., 2018

कवि केदारनाथ सिंह के काव्य में लोक सांस्कृतिक तत्व

• अनसूया अग्रवाल

सारांश- राष्ट्र की आंतरिक शक्ति के रूप में विराजमान लोकसंस्कृति, वाचिक परंपरा में जीवित रहने वाली श्रेष्ठ और स्थायी रूप से विद्यमान संस्कृति है। यह समाज में युगों से चली आ रही है। इसलिए यह अमरत्व की भावना लिए हुए है। सबकुछ बदल जाने पर भी यह नहीं बदलती। लोकसंस्कृति जितनी मजबूत होगी, लोक भी उतना ही ताकतवर होगा। इसकी अभिव्यक्ति लोकपरम्परा, व्रत, अनुष्ठान, गीत, नृत्य, उत्सव, संस्कार आदि के माध्यम से होती है। वैसे अपने शुद्ध रूप में गाँवों में ही प्रतिबिंबित होती है वहाँ के जनसाधारण की जीवनशैली, पर्व, उत्सव, रहन- सहन, नृत्य- संगीत, कथा- वार्ताएँ, आचार- विचार, विश्वास- मान्यताएँ आदि लोकसंस्कृति के ही परिचायक हैं।

मुख्य शब्द- संस्कृति, समाज, साहित्य, शाश्वत, झाड़-फूंक, नजर, लोकभाषा, प्रकृति, परिदृश्य।

आज शिष्ट समाज में संस्कृति का जो परिष्कृत रूप दिखाई देता है, उसका प्राकृत रूप लोकसंस्कृति में मौजूद है। ''वास्तव में लोकसंस्कृति की आत्मा विगत की धूमिल रेखाओं के साथ लोक की वाणी और विचारों, परम्परा और विश्वासों के बीच पनपती है[1]।'' यह लोक गाँव में ही नहीं, शहरों में भी बसता है। लोक अपने श्रेष्ठ संस्कारों के द्वारा अपने जीवन को परिष्कृत, विस्तृत व सद्गुणों से समृद्ध करता है। मानव के संपूर्ण सर्वांगीण जीवन की विधा के रूप में संस्कृति मनुष्य के जीवनादर्शों का निर्माण करती है। संस्कृति के ज्ञानार्जन हेतु साहित्य का अध्ययन अपेक्षित है। ''साहित्य समाज का दर्पण होता है तथा संस्कृति समाज की उत्कृष्टता-निकृष्टता को ज्ञात करने की कसौटी[2]।'' साहित्य समाज और संस्कृति से ही पुष्पित और पल्लवित होता है। सच्चा, विश्वसनीय, लोकव्यापी, शाश्वत और प्रतिनिधि साहित्य अपने लोक की चेतना और संस्कृति से जुड़ा होता है।

ध्यान दें तो आदिकाल से लेकर समकालीन साहित्य में मानवीय लोकधर्म का स्पष्ट निर्वाह दृष्टिगोचर होता है। विद्यापति के अनेक पदावली सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। लोकगीतों में रूप में उनके इन पदों की स्पष्ट गूंज आज भी मिथिला की अमराईयों में सुनाई देती है। यथा-

''सुनु रसिया अब न बजाऊ विपिन बँसिया,
नंद के नन्दन कदम्ब के तरू तर धिरे धिरे मुरली बजाऊ।''

जायसी के 'कन्हावत' में झाड़- फूंक की बड़ी सजीवता से चित्रण है। इस जादू-

---

• प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हिंदी, कला संकायाध्यक्ष, शासकीय म. व. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द (छ.ग.)

टोने, तंत्र- मंत्र पर एक दीर्घ कालावधि से लोगों की गहरी आस्था रही है। बालक कृष्ण को 'नजर' लगने पर पास- पड़ोस में होने वाली खुसफुसाहट लोकसंस्कृति के परिचायक शक्ति के रूप में उपस्थित हुई है। यथा-

"गोकुल ढाक बाजि गै घर- घर खुस- पुस होई।
दीठि लागि कान्हा कहें गा देखे सब कोई।"

रीतिकालीन कवि राजाश्रित होने के कारण राजदरबार में रहते थे अतः लोकजीवन से उनकी बहुत अधिक रूचि और वास्ता नहीं था तथापि कुछ कवियों ने संस्कृति के उत्थान और उन्नयन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कवि पद्माकर के काव्य में सांस्कृतिक तत्व की एक बानगी देखिए-

"छीन पितम्बर कम्मर तें सु बिदा दई मीड़ि कपोलन रोरी।
नैन नचाई, कह्यो मुसक्याई, लला फिर आइयो खेलन होरी।"

आधुनिक कवियों में भारतेंदु ने अनेक लोकछंदों की रचना की है जो आज भी लोकगीतों की तरह गाये जाते हैं-

"एरी लाल निछावर करिहौं जौं पिय मिलिहैं आज।
गहि कर सों कर गर लपटैहौं करिहौं मन को काज।"

इसी कम में केदारनाथ की पंक्तियाँ भी दृश्टव्य हैं। सामान्य जन के भावों को लोकगीतों के माध्यम से व्यक्त करते हुए कहते हैं-

"यह धरती है उस किसान की
जो बैलों के कंधों पर
बरसात घाम में,
जुआं भाग्य का रख देता है
खून चाटती हुई वायु में।"

चूंकि प्रयोगवादी कवियों के काव्यं में भाषा, उपमान, शिल्प एवं काव्य वस्तु की दृष्टि से नये- नये प्रयोग हैं तथापि इन नये- नये प्रयोगों में लोकशब्द, लोकभाषा भी शामिल है। लोक संपृक्ति केदारनाथ के काव्य की एक खास विशेषता है। उनकी लेखनी लोकजीवन के करीब पहुँचने का सहज प्रयत्न करती हैं। लोकजीवन के प्रति उनकी उन्मुखता प्रगतिवाद का प्रभाव कहा जा सकता है तथापि प्रगतिवाद में एक आंदोलन का स्वर था, सहजता नहीं थी। जबकि केदारनाथ सिंह का गाँव और ग्रामीण संस्कृति से सदा एक निर्मल रिश्ता बना रहा। वे एक साथ गाँव के कवि हैं और शहर के भी। उनकी काव्य संवेदना का क्षेत्र गाँव से शहर तक व्याप्त है। डॉ. गीता सिंह लिखती हैं- "केदार की कविता आकर्षक विस्मय के साथ आती है और बिंब- विचार से संपृक्त होकर तीखी बेलौस सच्चाई के समान पूरे सामाजिक दृश्य पर अपनी छाप छोड़कर चली जाती है। केदार की कविताओं में कल्पना की अपार पूंजी है जिसका प्रयोग वह परिवेश की जटिल यथार्थ को तीखे अर्थ में ग्राह्य बनाने के लिए करते हैं। उनकी कविता को समझने के लिए काव्यशास्त्रीय दुनिया को जानने की आवश्यकता नही है. हाट- बाजार की दुनियाँ में प्रवेश करना जरूरी है जहाँ कविता की भाषा अपना आकार ग्रहण करती है। ऊर्जा का भण्डारन इसी परिवेश से मिलता है। संभवतः इसलिए कविता के वादों से परे हटकर कवि मात्र अपनी प्रासंगिकता उपस्थित करता है[3]।"

UGC Journal No. 40942, Impact Factor 3.112, ISSN 0973-3914

माटी पुत्र केदारनाथ सिंह की रचनाओं में लोकसांस्कृतिक तत्व अनेक रूपों में उपलब्ध हैं। प्रकृति से कवि का गहरा सरोकार है। ग्राम्य प्रकृति अपने पूरे श्रृंगार और सौंदर्य के साथ उनकी रचनाओं में उपस्थित है-

"ओस भरे
काँपते गुलाब की टहनी पर
तितली के पंखों- सी सटी हुई
धूप।"

लोकपरम्परा का परिचय देती उनकी रचना 'एक पारिवारिक प्रश्न' में माँ अपने आंगन में वृन्दा का पौधा लगाकर पर्यावरण शुद्धता करते हुए अपनी धार्मिक वृति का परिचय देती हैं। हमारा लोक तुलसी को देवी के रूप में पूजता है। प्रतिदिन उसकी पूजा करता है। उसके सामने नत्मस्तक होता है। तभी तो केदारनाथ सिंह लिखते हैं-

"छोटे से आँगन में
माँ ने लगाये हैं
तुलसी के बिरवे दो"

वहीं 'रोटी' शीर्षक कविता में कवि ग्रामीण परिवेश का जीवंत चित्र उकेरते हुए एक ग्राम्यवासिनी को चूल्हे पर रोटी बनाते हुए प्रस्तुत करते हैं। यहाँ लोक की सहजता और सत्यता ही उद्घाटित नहीं होती अपितु रोटी के लिए संघर्ष करते हुए आम आदमी की व्यथा भी दिखाई देती है-

"मैं सिर्फ आपको आमंत्रित करूंगा
थक आप आएं और मेरे साथ सीधे
उस आग तक चलें
उस चूल्हें तक जहाँ वह पक रही है।"

"मैने जब भी उसे तोड़ा है।
मुझे हर बार वह पहले से ज्यादा स्वादिष्ट लगी है।"

ग्रामीण जनजीवन में बैल खेती कार्य में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख पशु है। वह दमतोड़ परिश्रम करता है, तब जाकर उसे खाना नसीब होता है। खेती किसानी के मौसम में तो इनके खाने- पीने का कोई समय भी निर्धारित नहीं रहता। सुबह- सुबह इन्हें भूसा-चारा खिलाकर दिन भर हल में जोतकर इनसे काम लिया जाता है। शाम तक थक कर ये चूर हो जाते हैं। जबकि घोड़ा दिन भर थान पर बंधे- बंधे यानि बिना कुछ किये भोजन पाता है। यही तो नियति का फेर है। तभी तो कहा जाता है- "मर- मर मरे बरदवा, बांधे खाये तुरंग।" कवि केदारनाथ ' 'बैल कविता में बैल की विवशता को रेखांकित करते हुए कहते हैं-

"वह चल रहा है
और सिर्फ एक पगडंडी उसे याद है
जो उसकी पूंछ की तरह
उसे हाँके लिए जा रही है।"

"जलती हुई आग
और ऊंघते हुए किस्सों के बीच
वह एक ऐसा जानवर है जो दिन भर
भूसे के बारे में सोचता है
रात भर ईश्वर के बारे में।"

"और बस्ती के इक्कीस चक्कर लगाने के बाद
पता है वह ठीक अपने हल के
सामने खड़ा है।"

शताब्दियों से कृषि भारतीय संस्कृति की प्रधान वृत्ति रही है। भारत का किसान रत्नगर्भा वसुन्धरा पर हल चलाकर अन्न के रूप में कामदुधा भूमि का आशीर्वाद प्राप्त करता आया है। कृषि कार्य के अंतर्गत खेत जोतने, कोड़ने, फसल काटने और तैयार करने के लिए वह अनेक उपकरणों का व्यवहृत करता हैं जैसे फावड़ा, कुदाली आदि। कवि केदारनाथ ने अनेक बिंब और प्रतीक भी इस लोक से ही लिए हैं। उनकी रचनाओं में इनकी बहुलता है। उनकी 'जमीन' कविता में इसकी बानगी देखिए। इस प्रयोग के कारण कवि चर्चित भी रहे-

"यह पशुओं के बुखार का मौसम है
यानि पूरी ताकत के साथ
जमीन को जमीन
और फावड़े को फावड़ा कहने का मौसम।"

पर्यावरण का सीधा संबंध प्रकृति से है। कवि इस धरा पर पर्यावर्णिक संस्कृति के संरक्षक के प्रतीक हैं। वे स्वयं को पर्यावरण से अलग नहीं मानते। उनकी रचनाएँ मनुष्य को अपनी जीवनशैली के बारे में पुनर्विचार के लिए प्रेरित करती हैं। मनुष्य वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से उन्नत होकर प्रकृति के साथ व्यापक छेड़छाड़ कर प्राकृतिक पर्यावरण संतुलन को नष्ट कर रहा है। इससे प्राकृतिक व्यवस्था के अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न हो गया है। इस तरह का पर्यावरणीय अवनयन घातक है। 'बढ़ई और चिड़िया' रचना में इस लोक परिदृश्य का सुंदर चित्रण देखिए-

"वह लकड़ी चीर रहा था
कई रातों तक
जंगल की नमीं में रहने के बाद उसने फैसला किया था
और वह लकड़ी चीर रहा था।"

कवि की कविताओं में लोकजीवन का सारा दृश्य मूर्त हो उठता है। गांव में अपनी आरंभिक शिक्षा- दीक्षा पूर्ण करने वाले कवि को गांव की सुबह और शाम खूब याद है। गांव का हर दृश्य आज भी कवि के मानस- पटल को स्पंदित कर रहा है-

"सूरज निकलने के काफी देर बाद
आती हैं भैंसे
नदी में नहाने के लिए।"

उनकी दृष्टि में लोक का पसीने से तर- बतर मेहनत कश मजदूर बहुत खूबसूरत

है। शहरी सभ्यता और चकाचौंध के बीच सूट- बूट वाले व्यक्ति की जगह कवि को 'नंगी पीठ' अधिक सुंदर लगती है। उनकी रचना 'नंगी पीठ' की प्रस्तुत पंक्तियों में ग्रामीण परिवेश का वही कठिन परिश्रम करने वाला जीवट व्यक्ति प्रतिबिंबित होता है-

"वह जाते हुए आदमी की नंगी पीठ थी
जो धूप में चमक रही थी।"

कुल मिलाकर केदार की कविताओं में लोकजीवन का सारा परिदृश्य मूर्त रूप में दृष्टिगोचर होता है। लोकसांस्कृतिक तत्व- लोकजीवन, लोकभाषा, लोक बिंब और लोकप्रतीक उनके काव्य को लोक के बहुत निकट ले जाती है। लोक शब्दावली, मुहावरें और प्रतीकों से युक्त उनकी कविताएँ उन्हें आम आदमी से जोड़ती हैं। वे लोक-समाज और उसकी संस्कृति के प्रति हमेशा सतर्क और सजग दिखे। काव्य लेखन करते समय भी लोक उनकी चेतना में हमेशा जीवंत रहा। आमजन से उनका गहरा सरोकार रहा। इन लोक सांस्कृतिक तत्वों के समावेंश के कारण उनकी रचनाएँ कालजयी बनेंगी, इसमें संदेह नहीं।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. सम्मेलन पत्रिका- लोकसंस्कृति अंक, सं. श्री रामनाथ सुमन, पृ. 116
2. राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी के काव्य का सांस्कृतिक अध्ययन- डॉ मृदुला द्विवेदी, पृ. 15
3. समकालीन कविता के हस्ताक्षर- डॉ. गीता सिंह, पृ. 10

Volume Issue XVIII
October To December 2019

ISSN 2391-3807
E-ISSN 2394-3513
Impact Factor - 5.190

Divya Shodh Samiksha

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

दिव्य शोध समीक्षा

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email :** dssresearchjournal@gmail.com, **Website :** www.dssresearchjournal.com

Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका 01
02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board 03/04
03. Referee Board 05
04. Spokesperson's 07
05. किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि का उनके सामाजिक समायोजन पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. मंजू पाटनी, प्रो. बेला सचदेवा, प्रीतिबाला अलावे) 09
06. ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं की रोजगार स्थिति का उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रभाव (ज्योति बौरासी, डॉ. संग्राम भुषण) 12
07. लघु एवं कुटीर उद्योगों में ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक विकास (डॉ. संग्राम भुषण, ज्योति बौरासी) 16
08. राजा रणमत सिंह का ऐतिहासिक परिचय (डॉ. अनुभव पाण्डेय) 19
09. साहित्य में पुनर्जागरण एवं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (डॉ. शुक्ला ओझा) 22
10. भारत छोड़ो आंदोलन में सतपुड़ांचल का अवदान (डॉ. संकेत कुमार चौकसे)25
11. श्री रामकृष्ण परमहंस की सांस्कृतिक सामाजिक तथा आध्यात्मिक देन (डॉ. अजय आचार्य) 28
12. वैश्वीकरण के कारण सार्वभौमिक परिवर्तन और बदलता परिवेश (डॉ. आर.के.यादव) 30
13. वर्षा जल संचयन हेतु तालाबों की उपयोगिता एवं समस्याएँ (डॉ. एस. एस. घुर्वे) 33
14. मिलाला लोक संस्कृति का अनुशीलन (कुक्षी तह. के विशेष संदर्भ में) (सुमन सिसोदिया, डॉ. गुलाब सिंह डावर) 36
15. मुनि श्री प्रमाणसागर और 'ज्योतिर्मय जीवन' (डॉ. गणेश लाल जैन, सतीश शर्मा) 40
16. हिन्दी साहित्य में जीवन मूल्य का महत्व (डॉ. विनय कुमार सोनवानी) 43
17. आधुनिक हिन्दी काव्य में गांधीवाद (डॉ अनुसुइया अग्रवाल) 47
18. 'धरती धन न अपना उपन्यास' में चित्रित दलित समाज का यथार्थ (नवनाथ सदाशिव पाटील) 50
19. लोकगीतों में गांधी (नियति अग्रवाल) 53
20. अष्टादश पुराणों में शिव की परिकल्पना (संध्या दावरे) 55
21. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. अभिमन्यु वशिष्ठ) 57
22. शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों में वातावरण जन्य अभिप्रेरणा का अध्ययन (साधना ओसवाल, डॉ. मंजू वर्मा) 62
23. मानव अधिकार के रूप में महिला आयोग की भूमिका एक विश्लेषण (दीपिका तोमर, डॉ. जगदीश चन्द्र सिन्हा) 65
24. Banking The Unbanked -The Indian Revolution (Dr. Praveen Ojha) 67

DSS Divya Shodh Samiksha (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2394-3807, E-ISSN 2394-3513, Impact Factor - 5.190 (2017) October to December 2019, Vol. I

आधुनिक हिन्दी काव्य में गांधीवाद

डॉ अशुसुइया अग्रवाल *

प्रस्तावना – महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं विचारधारा थे, दर्शन थे। वे गुणों की खान थे। वे संस्कार थे– 'जीयो और जीने दो' के संस्कार के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण और संस्कार वाहक के रूप में गांधी युगों तक जाने जाएंगे। श्रेष्ठ जीवन शैली के उदाहरण, स्वावलंबन, समसरता, सौहाद्र, अनेकता में एकता के समन्वय के लिए यदि किसी महापुरूष का नाम लिया जाता है तो वे गांधी हैं। सत्य और अहिंसा उनके दो बड़े शस्त्र थे। अपने असीम आत्मबल से इन दोनों को वे संचालित करते थे। सत्य ही उनका ईश्वर था और अहिंसा के वे प्रबल पक्षधर थे। गांधी एक सशक्त उदाहरण है, इन गुणों के। वे हमेशा कहा भी करते थे– 'खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनियां में देखना चाहते हैं।' अपने इस कथन को उन्होंने अपने जीवन में साबित किया। यही कारण है कि हमारे देश में महापुरूषों के विषय में जितना इतिहास की पुस्तकों में लिखा गया है, साहित्य और लोकसाहित्य में उससे तनिक कम नहीं है। साहित्यचेतना में सर्वाधिक उल्लेख गांधीजी, गांधीवादी विचारधारा और गांधीगिरी पर है।

गांधीवाद; उनकी विचार पद्धति का व्यापक नाम है। विचार करें कि गांधीवाद के इस परिप्रेक्ष्य में आधुनिक कवियों के काव्य पर इस विचार पद्धति का क्या प्रभाव पड़ा और उनके साहित्य में किस रूप में यह परिलक्षित हुआ।

यह तो विदित है कि गांधीयुग से पहले साहित्य में जो समय बीत रहा था, उसे हम किसी हद तक दयानंद युग कह सकते है। दयानंद युग और गांधीयुग में मूलभूत भिन्नता थी; निराकार और साकार को लेकर। गांधीयुग निराकार और साकार के पचड़े से परे था तथा हिंदुओं की एकता उन लोगों के साथ भी स्थापित करना चाहता था जिनसे स्वामी दयानंद के साथ संघर्ष चला था। उस समय बंगाल में बंकिम युग चल रहा था; तब पं. प्रतापनारायण मिश्र ने 'हिन्दू, हिन्दी, हिन्दुस्तान' का नारा दिया था। गांधीयुग के प्रभाव में आने से इस नारा ने अधिक उदार रूप ले लिया–

हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई, आपस में हैं भाई– भाई।

यह नारा गांधीयुग की देन है। सन् 1920 से 1950 के मध्य के लगभग सभी कवियों और साहित्यकारों की रचनाओं में प्रत्यक्ष– अप्रत्यक्ष रूप में गांधी जी का प्रभाव परिलक्षित होता है। यद्यपि साहित्य में गांधी आज एक मिथक बन गए हैं तथापि लगभग तीन दशकों तक साहित्य की सभी विधाओं में उन्होंने प्रमुखता से अपना स्थान सुरक्षित किया। यही नहीं; भारतीय साहित्य की युवा पीढ़ी हमेशा से गांधी दर्शन से प्रभावित रही है। उनके रचे साहित्य पर गांधी दर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। फिर चाहे मैथिलीशरण गुप्त की 'भारत भारती' हो, माखनलाल चतुर्वेदी की 'पुष्प की अभिलाषा' हो, रामधारी सिंह दिनकर की 'मेरे नगपति मेरे विशाल' हो अथवा सुभद्रा कुमारी चौहान की 'झांसी की रानी' हो; सभी साहित्यिक रचनाएं गांधी दर्शन से ही प्रेरित रही है। कहीं यह प्रभाव गांधीजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित प्रशस्तिपरक काव्य रूप में है तो कहीं गांधीजी के विचारों, सिद्धांतों और संदेशों को पौराणिक या आधुनिक कथानकों के रूप में संजोकर प्रस्तुत किया गया है।

गांधी जी पर पहली कविता पं. माखनलाल चतुर्वेदी ने 1953 ई. में लिखी– 'नि:शस्त्र सेनानी।'

बहन– भाई, हां कल ही सुना, अहिंसा आत्मिक बल का नाम,
पिता सुनते हैं श्री विश्वेश्वर, जननि? श्री प्रकृति सुकृति सुखधाम।
देश? यह प्रियतम भारत देश, सदा पशु– बल से जो बेहाल,
देश? यदि वृन्दावन में रहे कहां जावे प्यारा गोपाल।
द्रौपदी भारत माँ का चीर, बढ़ाने दौड़े यह महराज,
मान लें, तो पहनाने लगूँ, मोर– पंखों का प्यारा ताज।

और यह भी–

किंतु, क्या कहता है आकाश? हृदय! हुलसो सुन यह गुंजार।
पलट जाए चाहे संसार, न लूंगा इन हाथों में तलवार।

इस रचना के समय गांधीजी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत नहीं आए थे। अर्थात तब न तो गांधी महात्मा बने थे न ही सत्याग्रह का बिगुल ही उन्होंने बजाया था। जनता के मध्य 'कर्मवीर गांधी' के नाम से वे प्रसिद्ध थे किंतु माखनलाल चतुर्वेदी की सूक्ष्म दृष्टि ने पहचान लिया था कि गांधी अहिंसा के पुजारी हैं।

गांधीजी पर हिन्दी में दूसरी काव्य कृति की रचना स्वर्गीय पं. रामनरेश त्रिपाठी ने 'पथिक' शीर्षक से की। यह वर्ष भारत में गांधीयग का माना जाता है। पथिक के रूप में कवि ने गांधीजी की ही कल्पना की थी और गांधीजी जो कुछ कह रहे थे, उन सभी बातों को कवि ने अपनी काव्य कृति में पथिक के मुंह से कहलाई है–

अपना शासन आप करो, बस, यही शांति है, सुख है।
पराधीनता से बढ़कर जग में न दूसरा दु:ख है।

मैथिलीशरण गुप्त ने गाँधीवाद को कर्म और सियाराम शरण गुप्त ने तत्व के रूप में लिया है। गांधीजी की दृष्टि में जो कुछ अशुभ है, असुंदर है, असत्य है या अशिव है वह सब अनैतिक है। जो शुभ है, जो सत्य है वही शुभ है, वही नैतिक है। गांधीजी की दृष्टि में वही सत्य, वही शिव और वही सुंदर है; गुप्त ने भी गांधीजी के पदचिन्हों पर चलकर 'साकेत' में सत्य को शिव और सुंदर में समाहित करके सबसे ऊंचा पद दिया है साथ में गांधीजी की तरह ही राम नाम के महात्म्य को उसके साथ संपृक्त कर परम तत्व पर्याय के रूप में प्रतिष्ठित भी किया है।

*प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (हिंदी) शासकीय म. व. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद (छ.ग.) भारत

सत्य है स्वयं शिव, राम सत्य सुंदर है,
सत्य काम सत्य और राम नाम सत्य है।

कवि नरेश मेहता गांधीवादी विश्ववेदना और मानव का मानव से प्रेम के सिद्धांत से अभिभूत हुए। गांधीजी मानवता के राजपथ के महान पथिक और सबके लिए आदर्श स्थापित करने वाले श्रेष्ठ उदाहरण रहे हैं। उनका आचरण मानवीय व्यवहार के आचरणों की प्रयोगशाला रहा और उनका चिंतन मानवता के निर्देशों के सृजन का बीज उत्पादित करने वाला था। कवि नरेश मेहता के रघुनाथ, यधिष्ठिर आदि सब प्रज्ञा पुरूष के रूप में भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं। 'महाप्रस्थान' में निर्वाण के लिए जाते अनासक्त यधिष्ठिर के पीछे पूरा पांडव दल चला जा रहा है। भीम युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं कि जब न्याय आपके पक्ष में था तो आपने कौरवों से राज्य पहले ही क्यों नहीं छीन लिया। इस पर वे भीम से कहते हैं-

भीम!
मैं राज्यान्वेशी नहीं
मूल्यान्वेशी रहा हूँ
राज्य जैसी अपदार्थता के लिए
सौ वर्ष के वनवास के बाद भी
कौरव हमें अपना अधिकार दे देंगे
तो सच मानो भीम!
मैं कभी युद्ध के लिए सहमत नहीं होता।

महात्मा गांधी की तरह यधिष्ठिर को भी मूल्यनिष्ठ जीवन स्वीकार था। महात्मा सदैव मानव मात्र के गहन आंतरिक विकास पर जोर दिया करते थे। वे समाज में संघर्ष के बजाय सामंजस्य का मार्ग चुनते थे। नरेश मेहता के नायक यधिष्ठिर को भी राज्यमोह नहीं था। वे राज्यान्वेशी नहीं मानवीय मूल्यान्वेशी थे। उन्हें निर्जीव राज्य के लिए निर्दोषों का रक्त बहाना अस्वीकार्य था। वे कौरवों का भी नाश नहीं चाहते थे क्योंकि वे राज्य से बड़ा मनुष्य को मानते थे और उन्हें मनुष्य की आत्मा में बसने वाले परमात्मा पर विश्वास था।

कवि रामधारी सिहं दिनकर की कलम ने भी ऐसे चरित्र को रेखांकित किया जो उपेक्षित और पीड़ित मानवता का प्रतिनिधि था। आजादी के आसपास का समय गांधीवादी विचारों के जयघोष का समय था। गांधीवादी सोच या विश्वबंधुत्व की भावना, दया, क्षमा, सत्य, अहिंसा, मानवता आदि का पूरा प्रभाव जनमानस पर था। दलित, गिरिजन की सेवा, उनके उद्धार का प्रयास जन- जन की सोच में समाया था। दिनकर की 'रश्मिरथी' में भी गांधीवाद की गहरी छाप थी। कवि का ध्यान बाद में उन चरित्रों पर गया जो वर्षो प्रताड़ित, दलित और पीड़ित रहे। कवि का कर्ण भी चुपचाप अन्याय सहने वाला सहनशील प्राणी नहीं अपितु अपने पौरूष के सहारे उत्थान करने वाला विद्रोही पुरूष है। कर्ण ने दलितों, पीड़ितों, प्रताड़ितों के सामने अपना आदर्श रखा; उनमें नई चेतना जागृत की। तभी तो इस दलित नायक की मृत्य पर युधिष्ठिर से भगवान कृष्ण कहते हैं-

मगर, जो हो, मनुज सुवरिष्ठ था वह
हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का
दलित तारक, समृद्धधारक क्रिया का,
मनुजता का नया नेता उठा है,
जगत से ज्योति का नेता उठा है।

महात्मा ने कहा भी कि मनुष्य- मनुष्य के बीच असमानता का, ऊंच-नीचपन का विचार बुरा है। लेकिन इस बुराई को मनुष्य के हृदय से तलवार की धार के जोर पर नहीं निकाला जा सकता बल्कि अनुग्रह, सद्भावना और प्रेम की बुनियाद पर उसे पल्लवित- पुष्पित किया जाना होगा। कवि दिनकर के काव्य लेखन का उद्देश्य भी जाति भेद को नष्ट करना, समाज में समानता, एकता और बंधुत्व लाना तथा राष्ट्रपिता गांधी की नवचेतना का नवनिर्माण करना ही था।

नरेन्द्र शर्मा की कृति 'उत्तरजय' भी गांधीवाद के विचारों से अनुप्राणित है। गांधीवादी दर्शन हिंसा के बदले हिंसा को नहीं अहिंसा को प्रत्युत्तर के रूप में स्वीकार करता है। काव्य नायक युधिष्ठिर करूणा की मूर्ति है। वे जानते हैं,प्रेम से प्रेम और हिंसा से हिंसा बढ़ती है। इसलिए कृष्ण से कहते हैं-

यद्यपि जीवनशक्ति यज्ञ- शिक्षा कृष्णा है,
गुरूसुत से शोषित की मुझे नहीं तृष्णा है।
हिंसा से प्रतिहिंसा, रूकता ही नहीं चक्र,
वृत्र न अश्वत्थामा पांडुपुत्र नहीं शक्र।

कुँवर नारायण बैचेन की 'आत्मजयी' गांधीजी के सत्य और अहिंसा से प्रभावित खंडकाव्य है। महात्मा गांधी ने जनजीवन में आचरण की शुद्धि पर पूरा जोर दिया। उन्होंने सत्य, अहिंसा, प्रेम और भातृभाव को सार्वकालिक जीवन मूल्य के रूप में स्वीकार किया। मात्र सत्य और अहिंसा के हथियार के बलबूते दुर्धर्ष योद्धा सा उनके जुझारूपन को लक्ष्य करके अल्बर्ट आइस्टाइन ने कहा था कि हाड़ मांस का बना हुआ ऐसा मनुष्य वास्तव में इस पृथ्वी पर हुआ होगा, इस पर आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें। अहिंसा में द्वेष का भाव होता ही नहीं। वह तो प्रेम की संपत्ति है। कुंवर बैचेन के खंडकाव्य का नायक 'नचिकेता' आधुनिक विचारों से संपृक्त है वह पिता के हिंसा भरे यज्ञादि कर्मो से सहमत नहीं है। हिंसा से भरे यज्ञ, कर्म, अनुष्ठान को अस्वीकार करते हुए वह कहता है-

तुम्हारे इरादों में हिंसा,
खड्ग में रक्त.....
तुम्हारे इच्छा की हत्या होती है,
तुम समृद्ध होगे
लेकिन उससे पहले
समझाओ मुझे अपने कल्याण का आधार
ये निरीह आहुतियाँ यह रक्त यह हिंसा।
ये अबोध तड़पन बीमार गायों का जनसमूह।

वहीं समाज के दलित, उपेक्षित वर्ग के प्रति प्रेम, करूणा और सहानुभूति की भावना रखते हुए कवि जगदीश गुप्त ने 'शम्बूक' जैसे काव्य लिखा। गांधी की तरह कवि ने घृणा को अनुचित माना और प्रेम को महत्व दिया। गांधीजी का मत था कि हिंसक उपायों से कभी भी दमनकारी कृत्यों, युद्ध या आतंक को नहीं रोका जा सकता। हिंसक उपाय शांति के नहीं अशांति के संवाहक है। शांति के लिए शांतिमूलक उपाय ही उचित है। गांधीजी के इन सार्वकालिक और सर्वदेशीय सुझावों और उपायों की गूंज जगदीश गुप्त के काव्य में सुनाई देती है। यहां कवि ने शम्बूक के माध्यम से दलितों के विरूद्ध आवाज उठाई ही है साथ ही वे अहिंसा के भी पक्षधर हैं-

मात्र हिंसा नहीं मानव न्याय
है अहिंसक और और उपाय
दण्ड के हैं और बहुत।

इसी प्रेम को शक्ति और हथियार के रूप में स्वीकार करते हुए, प्रेम के जरिए विश्वकल्याण की कामना करते हैं कवि ठाकुर गोपालशरण सिंह अपने काव्य 'विश्वगीत' में। वे लिखते हैं-

क्षेम का बस प्रेम ही आधार है,
विश्व विभुत एक ही परिवार है।

निष्कर्षत: कह सकते हैं कि गांधीजी ने जीवन पर्यन्त ढाई आखर की महत्ता लोगों को सिखाई। वे इंसानी भेदभाव के खिलाफ थे और इंसानी लिबास की एकरूपता के पक्षधर थे। उन्होंने सदैव शांति की कामना की। यह उनका ही साम्थ्र्य था, उनका ही आत्मबल, सत्य, अहिंसा में अडिग आस्था और लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प शक्ति था कि पराधीन भारत के पराभूत वैभव को दासता की बेड़ियों से मुक्त कराया। इन मूल्यों के कारण ही उनका अवदान अप्रतिम माना जाता है। महात्मा के इन्हीं मूल्यों और विचारों से प्रभावित होकर तत्कालीन कवियों ने अपने साहित्य में मानवता की हिफाजत और वकालत की। कर्ण, शम्बूक, शबरी, नचिकेता आदि के चरित्रों में गांधीवाद की छाप देखी। सत्य, अहिंसा, प्रेम जैसे तत्वों को पोषित, पल्लवित और पुष्पित करने का अवसर दिया तथा समस्त विश्व में शांति के दीपक की ज्योत जलाए रखने की अनुकरणीय, काव्यात्मक पहल की।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. स्वर सरिता- वर्ष 09, अंक 4, अक्टूबर 2016
2. राष्ट्रवीणा- वर्ष 53, अंक 6, जून 2004
3. नरेश मेहता- महा प्रस्थान।
4. दिनकर- रश्मिरथी।
5. नरेन्द्र शर्मा- उत्तरजय।
6. कुँवर नारायण बैचेन- आत्मजयी।

****

आंतरराष्ट्रीय बहुभाषिक शोध पत्रिका

प्रिंटिंग एरिया

Printing Area International Interdisciplinary Research Journal in Marathi, Hindi & English Languages

January-2020, Issue-61, Vol-02

Editor
Dr. Bapu g. Gholap
(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

Co-Editor
Dr. Ravindranath Kewat
(M.A. Ph.D.)

"Printed by: **Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.** Published by **Ghodke Archana Rajendra** & Printed & published at Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.,At.Post. Limbaganesh Dist,Beed -431122 (Maharashtra) and Editor **Dr. Gholap Bapu Ganpat.**

Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251206

Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed
Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295
harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com
All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors www.vidyawarta.com

34

गुप्त के काव्य में राष्ट्रीय भाव

डॉ. अनुसुइया अग्रवाल
डी. लिट्., प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हिंदी,
शा.म.व.स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद (छ.ग.)

मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती— भगवान्! भारतवर्ष में गूँजे हमारी भारती। हो भद्रभावों उद्भाविनी वह भारती हे भवगते। सीतापते! सीतापते !!गीतामते। गीतामते!! राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रबल समर्थक कविवर मैथिलीशरण गुप्त भारतीयता का स्वाभिमान जागृत करने वाले कालजयी कवि और प्रखर चिंतक थे। वे राष्ट्रप्रेम के उदात्त विचारों के महानायक थे। भारत की प्राचीन संस्कृति और राष्ट्र की गौरवगाथा से मंडित उनकी प्रसिद्ध कृति 'भारत भारती' का प्रकाशन सन् १९१२ में हुआ था। भारतीय साहित्य में भारत— भारती सांस्कृतिक नवजागरण का ऐतिहासिक दस्तावेज कहा जा सकता है। जिस समय भारत— भारती का प्रकाशन हुआ उस समय समूचे राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा में तूफान सा आ गया था। उसके छंदों का हर मंचों और गोष्ठियों में भरपूर उपयोग कवियों और साहित्य प्रेमियों के द्वारा किया जा रहा था। यह स्वदेश प्रेम को दर्शाती हुई वर्तमान और भावी दुर्दशा से उबरने का मार्ग प्रशस्त करने वाली वह अमर रचना है जिसके द्वारा पूरे साहित्य जगत में गुप्त जी विख्यात हो गए। अपनी इसी कृति के कारण गुप्त जी जनता के मन, प्राणों में रच— बस कर राष्ट्रकवि की महिमा से अभिमंडित हुए। इसकी लोकप्रियता का आलम यह था कि इसकी लाखों प्रतियां रातो— रात खरीदी गई। बाद में शिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त प्रभातफेरियों, राष्ट्रीय आंदोलनों, प्रातःकालीन प्रार्थनाओं तक में भारत— भारती के छंद गाए जाने लगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार— 'पहले पहल हिन्दी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली पुस्तक यही थी।' इसमें जागरण का शंखनाद कर सकने का सामर्थ्य था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी 'सरस्वती' पत्रिका में लिखा था— "यह काव्य वर्तमान हिन्दी साहित्य में युगान्तर उत्पन्न करने वाला है।" वास्तव में इसकी पंक्ति— पंक्ति में जोश और उत्साह का संचार कर देने की अदम्य क्षमता थी। गुप्त जी ने भारत— भारती की प्रस्तावना में स्वयं लिखा है— "यह बात मानी हुई है कि भारत की पूर्व और वर्तमान दशा में बड़ा भारी अन्तर है। अन्तर न कहकर इसे वैपरीत्य कहना चाहिए। एक वह समय था कि यह देश विद्या, कला कौशल और सभ्यता में संसार का शिरोमणि था और एक समय है कि इन्हीं बातों का इसमें शोचनीय अभाव हो गया है। जो आर्य कभी सारे संसार को शिक्षा देती थी वही आज पराया मुँह ताक रही है! ठीक है, जिसका जैसा उत्थान, उसका वैस पतन! परन्तु क्या हम लोग सदैव अवनति में ही पड़े रहेंगे? हमारे देखते— देखते जंगली जातियाँ तक उठकर हमसे आगे बढ़ जाये और हम वैसे ही पड़े रहें, इससे अधिक दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? क्या हम लोग अपने मार्ग से यहाँ तक हट गए हैं कि अब उसे पा ही नहीं सकते? क्या हमारी सामाजिक अवस्था इतनी बिगड़ गई है कि वह सुधारी ही नहीं जा सकती। क्या सचमुच हमारी चिरनिद्रा है? क्या हमारा रोग ऐसा ही असाध्य हो गया है कि उसकी कोई चिकित्सा ही नहीं है।" उनका कथन ही नहीं उनकी ये पंक्तियाँ — "हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएँ सभी।।" के स्वर और विचार अभी तक लोगों के दिल— दिमाग में घूम रहे हैं।

भारत— भारती की अंतिम दो रचनाएँ 'शुभकामना' और 'विनय' मैथिलीशरण गुप्त जी के देशभक्ति की परिचायक रचनाएँ हैं। वह अमर लेखनी परमात्मा से प्रार्थना करती है— इस देश को हे दीनबंधो! आप फिर अपनाइए, भगवान्! भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए, जड़ तुल्य जीवन आज इसका विघ्न— बाधा पूर्ण है, हे राम! अब अवलंब देकर विघ्नहर कहलाइए। गुप्त जी द्वारा हरिगीतिका छंद में रचित और १९१० में प्रकाशित उनकी कृति 'जयद्रथ वध' महाभारत की कथा पर आधारित एक

खण्डकाव्य है जो ०७ वर्गो में विभक्त है। यूं तो इस कृति में द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह की रचना, चक्रव्यूह में अभिमन्यु को फंसाकर उसका वध से लेकर अर्जुन द्वारा जयद्रथ वध तक की कथा को लिया गया है तथापि महाभारत के युद्ध के मूल कारण पर विचार करते हुए कवि का मंतव्य है कि संसार का सबसे बुरा कर्म अपने अधिकारों का उपयोग न करना है। गुप्त जी ने इस कृति के माध्यम से देशवासियों को यह संदेश दिया है कि पारस्परिक ईर्ष्या– द्वेष का परित्याग कर आपस में मिल– जुलकर रहना चाहिए। आपसी वैमनस्यता सदैव विनाशकारी होता है। मैथिली शरण गुप्त जी ने संपूर्ण विश्व को एक कुटुम्ब की तरह मानने की अपील जनसाधारण से की इसलिए भारतीय संस्कृति की 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के उद्घोषक के रूप में उनकी छवि जनसामान्य के बीच बनी– किन्तु हमारा लक्ष्य एक अम्बर, भू सागर। एक नगर सा बने विश्व, हम उनके नागर।। १९३१ में प्रकाशित गुप्त जी की कृति 'साकेत' एक महाकाव्य है। इसके लिए उन्हें १९३२ में 'मंगलाप्रसाद पारितोषिक' प्राप्त हुआ था। यूं तो साकेत रामकथा पर आधारित कृति है किंतु इसके केन्द्र में लक्ष्मण और उर्मिला के दाम्पत्य जीवन के हृदयस्पर्शी प्रसंगों तथा उर्मिला की विरह दशा का ऐसा कारूणिक चित्रण है कि उसे पढ़कर पाठकों की आँखे बरबस नम हो जाती हैं। पाठक के हृदय में करूणा की तरंगे उठने लगती हैं और पाठक को उर्मिला के दु:ख के सामने संसार के सारे दु:ख कम लगने लगते हैं। कवि ने इसमें कैकेयी के पश्चाताप और उसके चरित्र के मनोवैज्ञानिक एवं उज्जवल पक्ष को प्रस्तुत कर उसकी अवांछित और निंदनीय छवि से उन्हें मुक्ति दिलाई है। इस कृति को पढ़कर राष्ट्रकवि की साहित्यिक क्षमता को नमन् करने का मन करता है। कवि का स्पष्ट मत है– "केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए उसमें उचित संदेश का भी मर्म होना चाहिए।"

इस कृति के प्रकाशनोपरांत गुप्त जी ने इसकी प्रति यर्वदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी को भेजी थी। १९३२ में गुप्त जी को प्रेषित अपने पत्र में महात्मा ने उर्मिला पर टिप्पणी भी की थी। १९३६ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें 'राष्ट्रकवि' शब्द से संबोधित किया। गुप्त जी ने १९४२ में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। १९४८ में आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी. लिट्. की उपाधि प्रदान की। १९५२ से १९६४ तक वे राज्यसभा के मनोनित सदस्य थे।

इस बीच सन् १९५४ में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया एवं 'पद्म विभूषण' अलंकार दिया गया। १९६० में काशी हिंदू वि. वि. से भी उन्हें डी. लिट्. की उपाधि प्रदान की गई थी। उपरोक्त तीन कृतियों के अलावा यशोधरा, नहुष, पंचवटी भी गुप्त जी के प्रमुख ग्रंथ के रूप में जाने गये। अन्य श्रेष्ठ कृतियों के अंतर्गत रंग में भंग, झंकार, कुणाल गीत, आस्वाद, मंगलघट, काबा और कर्बला, विश्ववेदना, गुरू तेग बहादुर, हिडिम्बा, पृथ्वी पुत्र आदि का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। आज भी उनकी कृतियाँ राष्ट्रीयता से ओत– प्रोत विचारों का संदेश चहुं ओर बगरा रही हैं। उन्होंने जीवन को जिस बारीकी से देखा उसे अपनी रचनाओं में उसी सूक्ष्मता के साथ अभिव्यक्त भी किया। वे साहित्य मर्मज्ञ थे। जननायक थे। सबके हितैषी और सच्चे साथी थे। अपनी रचनाओं के माध्यम से कवि ने आज के रचनाकारों को अनूठा मार्गदर्शन दिया है। उनका मानवता का कालजयी संदेश देखिए– "मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए जिए मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे।" राष्ट्र को दिशाबोध देने वाले ऐसे कवि कभी अतीत नहीं होते; सदा वर्तमान रहते हैं। मैथिली शरण गुप्त एक जीवित दर्शन, भारतीय संस्कृति के उद्बोधक, अलग– अलग मतपंथों के प्रति सहिष्णु और भारत के स्वप्न दृष्टा थे। सदियों बाद भारत की प्रज्ञा जिस कवि से मुखरित हुई उनका नाम है मैथिलीशरण गुप्त। वसुधैव कुटुम्बकम् का उनका सपना साकार हो, भारत की एकता मुखरित हो; इसके लिए जरूरी है गुप्त को पुन: समग्रता से पढ़ना और उनका अध्ययन करना। गुप्त जी हिन्दी साहित्य जगत् के लिए एक आदर्श रूप थे, हैं और हमेशा रहेंगे। गीत सम्राट नीरज के अनुसार– "दद्दा आधुनिक हिन्दी काव्य के भीष्म पितामह हैं। पूरा हिन्दी संसार दद्दा का हमेशा– हमेशा के लिए ऋणी रहेगा।"

संदर्भ ग्रंथ–

१ मधुमती– सं. डॉ. श्रीमती अजित गुप्ता, अगस्त २००६
२ अक्षरा– सं. कैलाशचंद्र पंत, दिसम्बर २०१९
३ साकेत– मैथिलीशरण गुप्त
४ भारत भारती– मैथिलीशरण गुप्त

ISSN 2394-5303

Printing® Area

Issue-62, Vol-01 February 2020

Peer Reviewed International Refereed Research Journal

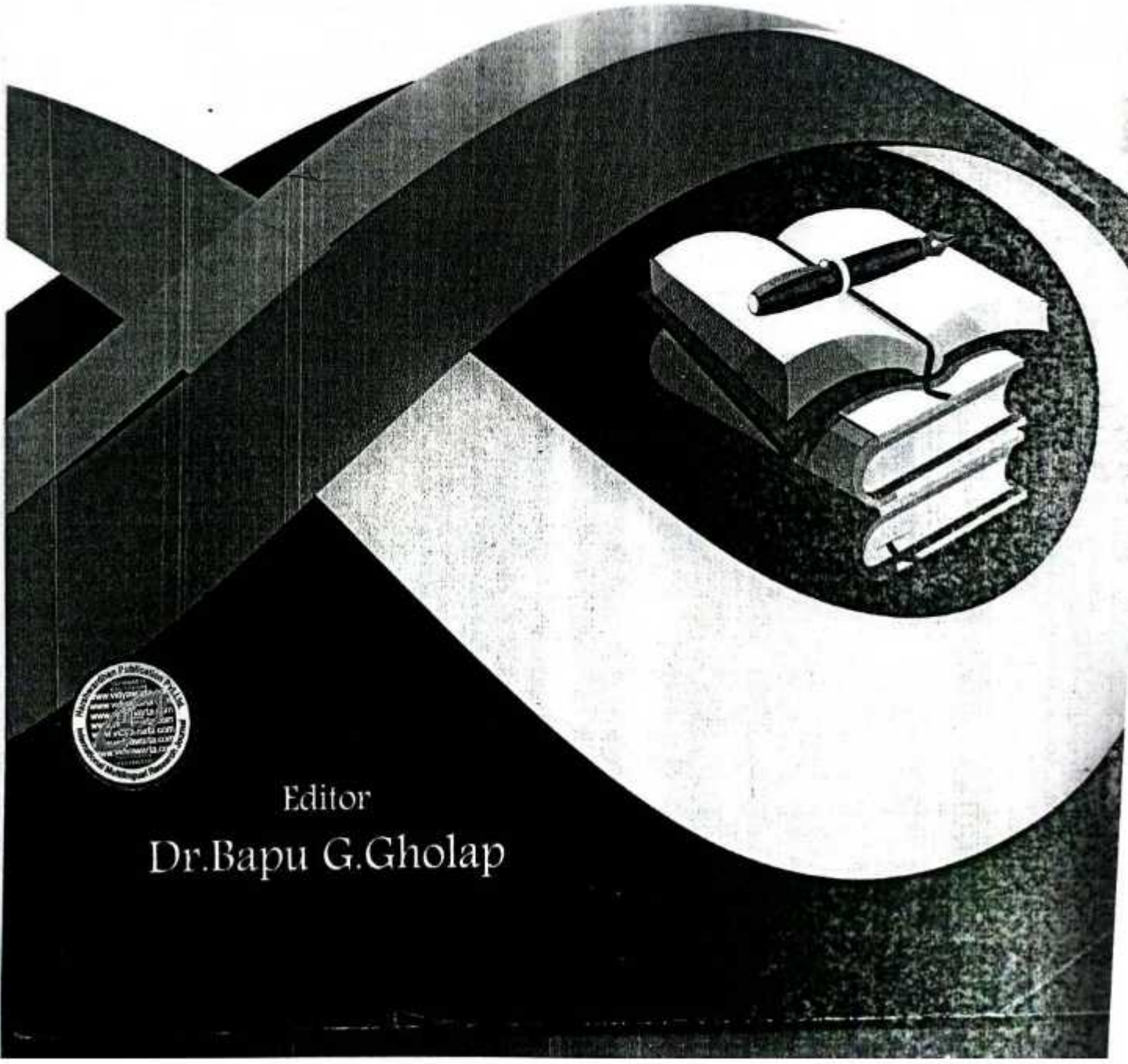

Editor
Dr.Bapu G.Gholap

27) स्मृतिग्रंथो में सम्पत्ति का विभाजन
डो. पंकजकुमार इन्द्रवदन वसावा, Dist. Bharuch ||123

28) सांस्कृतिक संकट और मिथिला का तंत्रवाद
डा. रविशंकर सिंह, मुजफ्फरपुर, (बिहार) ||125

29) झूठा सच:विभाजन की त्रासदी
सारिका ठाकुर, औरंगाबाद, बिहार ||128

30) पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधित्व महासमुंद जिले के विशेष संदर्भ में
सुश्री सीमा अग्रवाल, डॉ. आर. के. पुरोहित & डॉ.सुभाष चंद्राकर, रायपुर ||129

31) ग्रामीण उपभोक्ताओं के क्रय व्यवहार पर विज्ञापन का प्रभाव
राखी जायसवाल & डॉ. आर. एस. देवड़ा ||132

32) समस्तीपुर जिला में पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थलों की भौगोलिक एवं ...
डॉ० गोपाल कुमार (Rosera), गोपालगंज (बिहार) ||136

33) सर्व शिक्षा अभियान में आंगनबाडी कार्यक्रम का योगदान
मंजू बाला, मेरठ ||144

34) अनुवाद और संचार माध्यम
डॉ. पवार विक्रमसिंह विजयसिंह, जि. औरंगाबाद ||148

35) थिसोरस के माध्यम से हिन्दी शब्दों का शब्दावली नियंत्रण पुस्तकालय एवं सूचना...
गोविंद कुमार गौतम & प्रोफेसर हेमंत शर्मा, मध्य प्रदेश ||150

36) सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के शैक्षिक ...
दिनेश कुमार जैन & श्रीमती प्रकृति जेम्स, बिलासपुर ||157

37) बोक्सा क्षेत्र का सांस्कृतिक जीवन
डा०— पातंजलि, पीलीभीत ||163

38) सुशासन और महापौर की भूमिका
डॉ. मालती तिवारी, डॉ. सुभाष चन्द्राकर & प्रीतिबाला, रायपुर (छ.ग.) ||166

39) जीवन बीमा सेवा क्षेत्र में सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी
डॉ. महेश शर्मा, मोनिका सिंघल & डॉ. डी. के. सिंघल, उज्जैन ||169

www.vidyawarta.com/03 | http://www.printingarea.blogspot.com

है।

सूंता मन्तर मै कहूँ ..
अरेविष कहॉ खवाऊँ
उल्टे सूरज न पलटियों
उल्टी गंगा न बहे
न चुकौ अर्जुन वाण
उतारे विष तोको नौ–नौ चमारी की आन[7]

निष्कर्ष रुप में कहा जा सकता है कि बोक्साड़ लोकगीत की सृष्टि से अत्यन्त समृद्धि है बोक्सा लोकगीत में विविधता हैं रस की दृष्टि से श्रृंगार और शांत रस की प्रधानता है। लोक रुचि को नृत्य करने अद्भुत बाते मिलती है। विशेष रुप से झाड़ फूक से सम्बन्धित मंत्रो में बोक्सा उन्मुक्त है। अत: उनके गीतों में भी स्पष्टता उन्मुक्त अधिक है।

संदर्भ–सूची

१. कुन्दन सिंह राणा, उम्र–६५ वर्ष, बोक्सा जनजाति, ग्राम– भस्सूकला वाजपुर, जिला–ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड

२. चन्द्रकली राणा, उम्र–६० वर्ष; बोक्सा जनजाति, ग्राम–वन्नाखेड़ा वाजपुर, जिला– ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड

३. प्रेमसिंह दिवाकर, उम्र–६५ वर्ष, बोक्सा जनजाति, ग्राम– भस्सूकला वाजपुर, जिला–ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड

४. प्रेमसिंह राणा, उम्र–५५ वर्ष, बोक्सा जनजाति, ग्रामं– वन्नाखेड़ा वाजपुर, जिला– ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड

५. डॉ० राजवली पाण्डेय– हिन्दु संस्कार– प्रस्तावना पृ०– २३

६. डॉ० शम्भुशरण शुक्ला (अभीत)–सोलह सिंगार–१९९४– मंजुश्री प्रकाशन, पीलीभीत पृ०सं० –७२

७. डॉ० शम्भुशरण शुक्ला (अभीत)–सोलह सिंगार–१९९४– मंजुश्री प्रकाशन, पीलीभीत पृ०सं० –७२

❑❑❑

38

सुशासन और महापौर की भूमिका

डॉ. मालती तिवारी
निर्देशिका सह–निर्देशक,
शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय
महासमुंद (छ.ग.)

डॉ. सुभाष चन्द्राकर
शोधार्थी,
दुर्गा महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

प्रीतिबाला
दुर्गा महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

संक्षेपिका – लोकतंत्र को मजबूत व सफल बनाने के लिए प्रशासन में 'सुशासन' का होना अति आवश्यक है। प्रशासनिक कार्यो का ढाँचा इस प्रकार हो कि जनता की सहभागिता उसमें बने रहे। क्योंकि प्रशासन व्यवस्था ही देश की आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों को संचालित करने का उत्तरदायित्व निभाती है। प्रशासन में विकेन्द्रीयकरण व्यवस्था लागू हो जाने पर 'सुशासन' का विकास होने लगा है। इसी विकेन्द्रीयकरण व्यवस्था के तहत स्थानीय निकायों का प्रभुत्व कायम हो पाया है। स्थानीय संस्थाएं ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में भली–भांति फलीभूत हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था प्राचीन काल से ही व्यवस्थित थी नगरों की संरचना व प्रशासनिक व्यवस्था का विकास बाद में हुआ परन्तु नगरीय संस्था का स्वरूप समय के साथ परिवर्तित हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा सही ढंग से संचालित हो सके इसलिए नगर का प्रमुख अर्थात 'महापौर' को संविधान द्वारा शक्तियां प्राप्त हो जाने से नगरीय प्रशासन का स्वरूप परिवर्तित हो गया है। महापौर नगरीय राजनीति व

प्रशासनिक व्यवस्था में 'सुशासन' स्थापित कर भारतीय लोकतंत्र को सबल बनाने में राष्ट्र का योगदान दे रहे है। अतः नगरीय शासन में 'सुशासन' को समाहित करने में महापौर की प्रमुख भूमिका होती है।

प्रशासन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास के दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। प्रशासनिक कार्यों का सम्पादन लोककल्याण के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके। साथ ही प्रशासन में उन गुणों का समावेश किया जाना आवश्यक है जो प्रशासनिक गतिविधियों में वैचारिकता व व्यवहारिकता का समन्वय कर सके। लोकतंत्र को सबल व मजबूत बनाने के लिए प्रशासन में सु—शासन व्यवस्था का समावेश होना जरूरी है। प्रशासन में सु—शासन व्यवस्था तभी आ सकती है जब शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण किया जाए। विकेन्द्रीयकरण शासन प्रणाली स्थापित हो जाने पर प्रशासन की गतिविधि को एक नया आयाम मिलता है और उसमें निरन्तरता बनी रहती है। स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी मिल जाता है। वे राजनीति से जुड़ने लगते हैं साथ ही क्षेत्रीयता के प्रति उत्तरदायित्व व सामूहिक एकता की भावना का विकास होता है। शासन व्यवस्था भी हर स्तर पर सही व उत्तम ढंग से संचालित हो सके, इसलिए सुशासन शब्द का प्रयोग किया जाता है। सुशासन को स्थानीय शासन की संज्ञा भी दी जाती है। स्थानीय विशेष के लोग शासन व्यवस्था में शामिल होकर एक सच्चे लोकतंत्र का परिचय देते हैं।

सु—शासन व्यवस्था का गठन लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की मौलिक विशेषता का परिणाम है जिसमें स्थानीय विशेष की कार्य प्रणाली का सम्पादन करने के लिए लोग बारी—बारी से शासन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं के निवारण व आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शासन व्यवस्था को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। वर्तमान में स्थानीय शासन व्यवस्था का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है लोगों में स्थानीय विशेष व राजनीति के प्रति सजगता आ गई है। लोग राजनीतिक, गतिविधियों से संबंधित क्रिया—कलापों से रू—ब—रू हो रहे हैं, अपने क्षेत्र के प्रति एक लगाव उत्पन्न हो जाने के कारण लोगों में शासन को संचालित करने की भावना जागृत हो गई है। प्रशासन के हर स्तर पर सुशासन तभी प्रवाहित हो सकती है जब लोग शासन प्रक्रिया में भाग लेकर शासन का सहयोग करते हैं। इससे शासन व जनता दोनों ही एक दूसरे से सम्बद्ध होते हैं। साथ ही प्रशासन के हर स्तर पर विकास कार्यों के लिए दिशा मिलती है। स्थानीय निकायों की बात की जाए तो नगरीय शासन का संचालन महापौर द्वारा किया जाता है जिसे नगर का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। महापौर का चुनाव नगरीय निकाय की जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। जो सुशासन व्यवस्था की एक इकाई के रूप में उस स्थान विशेष में कार्यों का सम्पादन करता है। महापौर का उत्तरदायित्व है कि वह नगरीय व्यवस्था का संचालन सही ढंग से करे।

नगरीय नियोजन का कार्य संचालन महापौर द्वारा किया जाता है। जो निम्नलिखित है:—

१. नगरीय प्रबंधन का कार्य करना।

२. उपयोगी भूमि का विनिमय तथा इमारतों का निर्माण।

३. आर्थिक व सामाजिक विकास की योजना का निर्माण करवाना।

४. परिवहन के लिए सड़कों व पुल का निर्माण करवाना साथ ही संसाधन की समुचित व्यवस्था करना।

५. नगरीय जनता के लिए चिकित्सा सुविधा, बाजार व्यवस्था, जल की व्यवस्था नालियों का निर्माण, सफाई की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था प्रदान करना।

६. नगर के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करवाना।

७. नगर में आर्थिक स्रोतों का निर्माण कर आर्थिक रूप से सबल बनाना।

८. गंदी बस्तियों का संवर्धन करवाना।

९. मनोरंजन के साधनों को उपलब्ध करवाना।

१०. सांस्कृतिक, शैक्षणिक पहलुओं की

अभिवृद्धि और शमशान, गृहों का निर्माण करवाना आदि।

महापौर एक तरह से दिशा सूचक का कार्य करता है। जो नगरीय जनता की उम्मीदों को सही दिशा निर्देश करता है। राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं स्थानीय विशेष के लोगों के लिए चलाई जाती है। महापौर उन योजनाओं को नगरीय जनता तक पहुँचाने का कार्य करता है। और नगर से संबंधित मांगों को राज्य सरकार के समक्ष रखता है। एक तरह से यह सेतुबंध का कार्य करता है। नगरीय निकायों की गतिविधियों की जानकारी समय–समय पर राज्य सरकार को देता है। इससे राज्य सरकार को भी स्थानीय विशेष के विकास से संबंधित जानकारी मिलती रहती है। अत: सुशासन व्यवस्था के संचालन में महापौर अपने दायित्वों व कर्तव्यों का निर्वहन भली–भाँति करता है। जन प्रतिनिधि होने के नाते महापौर को कई समस्याओं व चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। परिस्थितियाँ कैसे भी रहे महापौर अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहता है। नगरीय निकायों के कार्यों के संचालन में महापौर का सहयोग प्रदान करने के लिए वार्ड प्रतिनिधि भी होते हैं जो अपने–अपने वार्डों का संचालन करते हैं। और नगर विकास के कार्यों में अपना–अपना योगदान देते हैं। सुशासन व्यवस्था में न्याय व्यवस्था कायम होना चाहिए इससे समाज के सभी स्त्री व पुरुषों को समान दृष्टिकोण से देखने व आगे बढ़ने का अवसर मिलंता है। प्रशासन में जितना लचीलापन होगा सुशासन उतना ही सुदृढ़ व मजबूत होगा।

नगरीय निकायों में निगम अधिकारी व कर्मचारी भी अपने–अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। नगर से संबंधित कार्यों की क्रियान्वित करने में सहयोग प्रदान करते हैं। ये शासन के तंत्र के रूप में प्रशासन का कार्य संचालन करते हैं। महापौर निगम अधिकारी व नगरीय जनता के बीच सामंजस्य बनाकर रखता है। नगर निगमों की संरचना अपने विकास का स्वरूप है। वर्तमान में जो नगरीय व्यवस्था क्रियान्वित हो रही है। कहीं न कहीं अपने अतीत से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में गांव को शासन की धुरी माना जाता था गांव ही स्थानीय स्तर पर प्रशासन का कार्यभार सम्भालते थे। ग्रामीण स्तर पर जो संस्था थी वह प्रशासन की एक इकाई के रूप में विद्यमान थी धीरे–धीरे नगरों का प्रचलन शुरू हुआ और प्रशासन के कार्यों पर दबाव बढ़ने लगा। प्रशासनिक कार्यों का सम्पादन भली–भाँति करना कठिन हो गया था। लोगों में प्रशासन व राजनीति के प्रति असंतोष, वैमनस्यता, आत्मविश्वास की कमी आदि महसूस होने लगी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थानीय निकायों की स्थिति सुधारने हेतु बहुत सी समितियों ने अपने–अपने सुझाव संसद में रखे, तब जाकर केन्द्र सरकार ने शक्तियों के वितरण प्रणाली पर ध्यान देकर स्थानीय निकायों को स्वतंत्र रूप से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की छुट दी, जिसका परिणाम यह था कि ७३वाँ व ७४वाँ संशोधन संविधान में किया गया।

७३वाँ संविधान संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ७४वाँ संवैधानिक संशोधन शहरी या नगरीय निकायों के लिए किया गया। आज ग्रामीण व शहरी निकाय अपने–अपने क्षेत्रों का निर्माण स्वतंत्रता पूर्वक कर रहे हैं। सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों में परिवर्तन आ गया है। शहरी क्षेत्रों मे महापौर को कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाने से महापौर नगरीय राजनीति में शक्तिशाली हो गया है। जो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चयनित होकर, शासन संचालन का कार्य अच्छे से निभा रहा है। चूंकि महापौर उसी क्षेत्र विशेष का होने के कारण, अपने क्षेत्र के प्रति लगाव सा उत्पन्न हो जाता है। इसी लगाव के कारण महापौर जनता व निगम अधिकारियों, पार्षदों के साथ मिलकर अपने नगर के लिए स्वेच्छा से कार्य करता है। जनता भी आत्मविश्वास के साथ अपने प्रतिनिधि का सहयोग करते हैं। अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं व कार्यों को भली–भांति सुलझाने व क्रियान्वित करने का कार्य करते है। स्थानीय संस्थाओं का निर्माण राज्य सरकार की विधानसभा व द्वारा निर्मित होती है। स्थानीय निकायों के द्वारा अपने क्षेत्रों में कार्य संचालन से केन्द्र व राज्य सरकार का भार हल्का हो गया है। और सभी दिशाओं में आगे बढ़ने के लिए सभी को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है।

पहले महापौर का चुनाव पार्षदों द्वारा किया जाता था तब महापौर को पार्षदों की ही बात माननी

पड़ती थी एक तरह से वह कठपुतली मात्र था किसी भी बात को स्वतंत्रता पूर्वक कह नहीं पाता था, किन्तु आज परिस्थितियाँ बदल गयी है। महापौर मेयर–इन–कौंसिल के सदस्यों व स्वविवेक निर्णय लेकर स्थानीय निकायों के कार्यों को करता है। जनता के विश्वास को बनाए रखा व नगर संचालन का कार्य करना महापौर का कर्तव्य है। संसद द्वारा इन स्थानीय निकायों को अधिकार प्रदान कर देने से शासन संचालन तथा शासन प्रवाह को गति मीली है और सुशासन व्यवस्था कायम होने लगी है। जनता भी शासन प्रक्रिया में भाग लेकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रही है। इससे शासन पर नियंत्रण भी रहता है। सामूहिक विकास के साथ–साथ सामूहिकता को बढ़ावा भी मिलता है।

शासन प्रणाली का विकेन्द्रीकरण हो जाने से शासन में 'सुशासन' का समावेश आने लगा है। भष्टाचार, विसंगतियां धीरे–धीरे समाप्त होने लगी है। लोग प्रशासन के प्रति जागरूक हो गये है। जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने का कार्य कर रहा है। 'सुशासन' को निरन्तर आगे बढ़ाने व उसमें लचीलेपन का समन्वय करने में स्थानीय प्रमुख महापौर की भूमिका का बहुत बड़ा योगदान है। जो निम्न से चोटी की ओर विकास में सहयोग दे रहा है। विकास की प्रक्रिया धीरे–धीरे होती है। इसमें निरन्तरता और सुशासन स्थापित करने का कार्य स्थानीय निकाय के प्रमुख का कार्य होता है, जो महापौर भली–भाँति निभा रहे हैं।

संदर्भ

१. माहेश्वरी एस.आर : भारत में स्थानीय प्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, पृ. ३५, ३६

२. अवस्थी एवं अवस्थी : भारतीय प्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा–३, पृ. ४५०

३. चोपड़ा, सरोज : स्थानीय प्रशासन, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, पृ. १०४

४. अवस्थी एवं अवस्थी : भारतीय प्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा–३, पृ. ४५०, ४५१, ४५७

५. चोपड़ा, सरोज : स्थानीय प्रशासन, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अगादमी, जयपुर, पृ. ४२, ९६, ९७, ९८, १०३, १११

६. पटनी, चन्द्रा : ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, रिसर्च पब्लिकेशन, त्रिलोपिया बाजार, जयपुर, पृ. १५५

39

जीवन बीमा सेवा क्षेत्र में सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी

डॉ. महेश शर्मा
प्राध्यापक वाणिज्य,
शासकीय कालीदास कन्या महाविद्यालय उज्जैन

मोनिका सिंघल
शोधार्थी,
विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन

डॉ. डी. के. सिंघल
प्राध्यापक वाणिज्य,
शासकीय कालीदास कन्या महाविद्यालय उज्जैन

भारत वर्ष २००० से जीवन बीमा क्षेत्र में एक बढ़ा परिवर्तन आया जबकि यह **सेवा** क्षेत्र निजी भागीदारो के लिये खोल दिया गया । इस वर्ष में एक बीमा विधेयक पारित किया गया जिसके तहत भारतीय बीमा क्षेत्र में निजी बहुराष्ट्रीय खिलाडी कम्पनियाँ प्रवेश कर सकती है ।

भारत में जीवन बीमा **सेवा** क्षेत्र का प्रारम्भ सन् १८१८ से हुआ जब ब्रिटिश फर्म ओरिएन्टल जीवन बीमा कम्पनी ने कलकत्ता में अपना व्यवसाय स्थापित किया इसके उपरान्त सन् १८२३ में बाम्बे जीवन बीमा कम्पनी इस क्षेत्र में आयी । सन् १९१२ में ब्रिटिष शासन ने एक भारतीय जीवन बीमा कम्पनी अधिनियम पारित किया । इसके बाद सन् १९२८ में भारतीय बीमा कम्पनी अधिनियम पारित किया । सन् १९२८ में भारतीय बीमा कम्पनी अधिनियम में संशोधन करते हुए सन् १९३८ में नया बीमा अधिनियम लागू किया गया ।

सन् १९५० के मध्य में १५४ भारतीय,१६

आन्वीक्षिकी

भारतीय शोध पत्रिका

मासद्वयी अन्तर्राष्ट्रीय शोध समग्र पत्रिका

प्रधान सम्पादिका

डॉ० मनीषा शुक्ला, maneeshashukla76@rediffmail.com

2021

पुनर्निरीक्षक संपादक

प्रो० विभा रानी दुबे, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, उ०प्र०, भारत

डॉ० नागेन्द्र नारायण मिश्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, उ०प्र०, भारत

प्रो० उमेश चंद्र दुबे, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, उ०प्र०, भारत

सम्पादक

डॉ० महेन्द्र शुक्ल, डॉ० अंशुमाला मिश्रा

सम्पादक मण्डल

डॉ० मंजू वर्मा, डॉ० अमित जोशी, डॉ० अर्चना तिवारी, डॉ० सीमा रानी, डॉ० सुमन दुबे, डॉ० सच्चिदानंद द्विवेदी, डॉ० मनोज कुमार अग्निहोत्री, पाल सिंह, डॉ० पौलमी चटर्जी, डॉ० राम अग्रवाल, डॉ० शीला यादव, डॉ० प्रतीक श्रीवास्तव, जय प्रकाश मल्ल, डॉ० त्रिलोकीनाथ मिश्र, प्रो० अंजली श्रीवास्तव, विजय कुमार प्रभात, डॉ० जे०पी० तिवारी, डॉ० योगेश मिश्रा, डॉ० पूनम सिंह, डॉ० रीता मौर्या, डॉ० सौरभ गुप्ता, डॉ० श्रुति विग, दीप्ति सजवान, डॉ० निशा यादव, डॉ० रमा पद्मजा वेदुला, डॉ० कल्पना बाजपेयी, डॉ० ममता अग्रवाल, डॉ० दीप्ति सिंह, डॉ० आभा सिंह, डॉ० अरूण कान्त गौतम, डॉ० राम कुमार

अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार मण्डल

पी० त्रिरावी (श्रीलंका), फ्रा च्युतिदेश सैन्सोम्बट (बैंकाक, थाईलैंड), डॉ० सीताराम बहादुर थापा (नेपाल), माजिद करीमजादेह (ईराक), मोहम्मद बारेई (जाहेडान, ईरान), मोहम्मद मोजटाबा केयाहफरजानेह (जाहेडान, ईरान), डॉ० होसैन जेनाबदी (सिस्तान एवं बलूचिस्तान, ईरान), मोहम्मद जावेद केयाह फरजानेह (जाबोल, ईरान)

प्रबन्धक

महेश्वर शुक्ल, maheshwar.shukla@rediffmail.com

पाठकों से

आन्वीक्षिकी, भारतीय शोध पत्रिका प्रत्येक दो माह (जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितम्बर एवं नवम्बर) पर एम०पी०ए०एस०वी०ओ० मुद्रण वाराणसी उ०प्र०, भारत द्वारा प्रकाशित की जाती है। डॉक खर्च दर के सम्बन्ध में जानकारी हेतु सम्पर्क करें।

वार्षिक पाठक मूल्य दर

संस्थागत एवं व्यक्तिगत : भारतीय 5000+1000/- डॉक शुल्क, एक प्रति 1300+100/- डॉक शुल्क, वैदेशिक : 6000+डॉक खर्च, एक प्रति 1000+डॉक शुल्क

विज्ञापन एवं निवेदन

विज्ञापन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रधान सम्पादिका के पते पर संपर्क करें। आन्वीक्षिकी एक स्ववित्तपोषित पत्रिका है, अतः किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग सराहनीय होगा। कृपया अपनी सहयोग राशि चेक अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से निम्नलिखित पते पर प्रेषित करें।

सभी पत्राचार निम्नलिखित पते पर ही प्रेषित करें -

B32/16A-2/1, गोपालकुंज, नरिया, लंका वाराणसी, उ०प्र०, भारत, पिन कोड- 221005, मो०नं० 09935784387, टेलीफोन नं० 0542-2310539, E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com,www.anvikshikijournal.com

मिलने का समय : 3-5 दिन (रविवार अवकाश)

पत्रिका संयोजन : महेश्वर शुक्ल,maheshwar.shukla@rediffmail.com

प्रकाशन : एम०पी०ए०एस०वी०ओ० मुद्रण

प्रकाशन तिथि : २० नवम्बर २०२१

मनीषा प्रकाशन
(पंजीकृत संख्या V-34564, पंजीकरण संख्या 533/ 2007-2008, B32/16A-2/1, गोपालकुंज, नरिया, लंका, वाराणसी उ०प्र०, भारत)

आन्वीक्षिकी

भारतीय शोध पत्रिका

वर्ष-१५ अंक-२,३,४,५ एवं ६ मार्च,मई,जुलाई,सितम्बर एवं नवम्बर २०२१

शोध प्रपत्र

युगपुरूष-श्री रेशम लाल जांगड़े, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अध्ययन -हेमचंद्र जांगड़े, डॉ0 मालती तिवारी एवं डॉ0 सुभाष चन्द्राकर 1-5

चिन्तनशील निराला -डॉ0 विजयलक्ष्मी 6-11

कठोर जल -अशोक कुमार 12-14

ज्ञानमार्गी कवियों का मूल परिचय -डॉ0 अंशुमाला मिश्रा 15-21

कालिदास की रचनाशैली एवं उनके महाकाव्य -यामिनी सिंह 22-25

कोविड काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य -अशोक कुमार वर्मा 26-28

भारत में जनजातीय समुदाय एवं नारी शिक्षा -कुमारी सरिता 29-33

शिक्षा के बाजारीकरण से उत्पन्न चुनौतियाँ -डॉ0 राजेश 34-36

"क्रान्ति धर्मी मानबहादुर सिंह की कविताएँ" -डॉ0 रामप्यारे प्रजापति 37-39

वेदों में पर्यावरण-सन्तुलन का महत्व -डॉ0 पूनम सिंह 40-45

वैदिक वाङ्मय में कृषि विज्ञान की मीमांसा -डॉ0 धर्मेन्द्र कुमार शुक्ल 46-48

खेड़ा सत्याग्रह में सरदार बल्लभ भाई पटेल का योगदान -डॉ0 अंजु लता श्रीवास्तव 49-51

शब्दब्रह्म से शब्दब्रह्म आत्मा की खोज -प्रो0 हरिदत्त शर्मा 52-54

प्रातिपदिकार्थ, लिङ्ग, परिमाण, वचन मात्र में प्रथम विभक्ति हो -डॉ0 मनीषा शुक्ला 55-60

प्रिंट ISSN 0973-9777, वेबसाइट ISSN 0973-9777

पत्रावली संख्या V-34564, पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777

भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2021) 15,1-5
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 27 मार्च 2021

युगपुरूष -श्री रेशम लाल जांगड़े, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अध्ययन

हेमचंद्र जांगड़े*, डॉ० मालती तिवारी** एवं डॉ० सुभाष चन्द्राकर***

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *युगपुरूष -श्री रेशम लाल जांगड़े, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अध्ययन* शीर्षक लेख/ शोध प्रपत्र की लेखक *हेमचंद्र जांगड़े, मालती तिवारी एवं सुभाष चन्द्राकर* घोषणा करते हैं कि लेखक के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि हमने इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख/ शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देते हैं। यह लेख/ शोध प्रपत्र मूल रूप में या इसका कोई अंश कहीं और नहीं छपा है और न ही कहीं हमने इसे छपने के लिये भेजा है। यह हमारी मौलिक कृति है। हम शोध प्रपत्र आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देते हैं। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देते हैं।

शोध सारांश

श्री रेशमलाल जांगड़े जी सतनामी समाज को शिक्षा की नजर से देखने वाला आजादी के पूर्व एवं आजादी के बाद सतनामी समाज के उत्थान के उस स्वर्णिम काल और वर्तमान नई पीढ़ी के समक्ष उपस्थित चुनौतियों से भरा समय एवं भविष्य के प्रति स्वप्न द्रष्टा की दृष्टि रखने वाले एकमात्र समाज को समर्पित समाज का धरोहर है। इस धरोहर का सदुपयोग समाज अपने इतिहास को जानने के लिये लिपिबद्ध कर सकता है। श्री रेशमलाल जांगड़े का नेत्र ज्योति खराब होने के बाद यह चिन्ता होने लगी थी कि क्या हम अपने इतिहास को मात्र कहानी के रूप में सुनेंगे या उनके द्वारा स्वरचित दस्तावेज समाज को स्मृति दंश होने से पूर्व उपलब्ध करा पायेंगे। आज हमें गर्व है कि सतनामी समाज का इतिहास एवं श्री रेशमलाल जांगड़े के कार्यों को कलमबद्ध करने जा रहे हैं।

Keywords : संस्मरण, रामकृष्ण जांगड़े, आर०के० ग्राफिक्स कोरबा (छ०ग०) २०००

इतिहास जब मूर्त रूप में मौजूद हो तभी उसे संजोकर रख लेना चाहिये। उसे भविष्य के लिये शोध का विषय क्यों बनाया जाये? विस्मृत इतिहास का शोध वैज्ञानिक आधार पर किया जा सकता है। ऐसे इतिहास में बहुत कुछ परिकल्पना, अनुमानित आंकड़ों पर आधारित होता है साथ ही वर्षों के प्रयास से कड़ियों को जोड़ना पड़ता है। समाज अपने आप में एक अमूर्त धारणा है, जिसे भौतिक रूप से देखा और स्पर्श नहीं किया जा सकता। परन्तु वही समाज किसी भी राष्ट्र और राष्ट्रीय जीवन का एक मूलभूत आधार स्तम्भ होता है। समाज एक ऐसा दबाव समूह होता है, जो किसी सरकार को उसके सामाजिक दायित्वों एवं नागरिक कर्तव्यों के प्रति सचेतक का कार्य करता है।

सतनामी समाज जिसका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चरित्र है, वर्तमान सन्दर्भ में राष्ट्र एवं नव–राज्य छत्तीसगढ़ के प्रति उसकी भूमिका, भागीदारी उसकी समस्याएं एवं समाधान तथा उसकी भावी संभावनाओं पर हमारा समाज किस धारा पर चिन्तन कर रहा है? राजनीतिज्ञ अपने दृष्टिकोण को आधार मानकर इतिहास बनाने का प्रयास करते हैं। किन्तु इतिहास

* शोध छात्र, दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ०ग०) भारत
** शा० स्नातको० महाविद्यालय, महासमुन्द (छ०ग०) भारत
*** दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ०ग०) भारत

© लेखक २०२१, एम०पी०ए०एस०वी०ओ० मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित, सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in, इस प्रपत्र को www.anvikshikijournal.com पर पढ़ें

का समाज को समग्र रूप में देखता है और वह अपनी लेखनी को समाज एवं राष्ट्र के हर विधा पर केन्द्रित करता है।

श्री रेशमलाल जांगड़े जी सतनामी समाज को शिक्षा की नजर से देखने वाला आजादी के पूर्व एवं आजादी के बाद सतनामी समाज के उत्थान के उस स्वर्णिम काल और वर्तमान नई पीढ़ी के समक्ष उपस्थित चुनौतियों से भरा समय एवं भविष्य के प्रति स्वप्न द्रष्टा की दृष्टि रखने वाले एकमात्र समाज को समर्पित समाज का धरोहर है। इस धरोहर का सदुपयोग समाज अपने इतिहास को जानने के लिये लिपिबद्ध कर सकता है। श्री रेशमलाल जांगड़े का नेत्र ज्योति खराब होने के बाद यह चिन्ता होने लगी थी कि क्या हम अपने इतिहास को मात्र कहानी के रूप में सुनेंगे या उनके द्वारा स्व–रचित दस्तावेज समाज को स्मृति शेष होने से पूर्व उपलब्ध करा पायेंगे। आज हमें गर्व है कि सतनामी समाज का इतिहास एवं श्री रेशमलाल जांगड़े के कार्यों को कलमबद्ध करने जा रहे हैं।

जब भी मानव समुदाय पर अत्याचार बढ़ता है तब महापुरुषों का जन्म होता है। जो उद्‌भुत और विशेष शक्ति से सुशोभित होता है। करुणा, दया, ममता एवं प्रेम के साथ हर मानव में ईश्वर का दर्शन करने वाले होते हैं। ऐसे ही महापुरुष श्री रेशमलाल जांगड़े के जीवन फलक के बारे में जानने के लिये कुछ पंक्तियों के सूत्र को आधार बनाया गया है कि एक छोटे से गांव में अति पिछड़ी जाति में पैदा होकर भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम से लेकर समाज सुधार तक देश की आजादी के बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्य, एक कुशल अधिवक्ता, एक सांसद, विधायक एवं मन्त्री के रूप में अपनी पृथक पहचान स्थापित किया जो कि हमारे लिये अमूल्य है। इन्हीं पहलुओं को जानने तथा उनसे सम्पूर्ण भारतीय जनमानस को उत्प्रेरित करने के लिये श्री रेशमलाल जांगड़े के जीवन पर शोध प्रारम्भ किया गया।

श्री रेशमलाल जांगड़े का व्यक्तित्व अत्यन्त विशाल था तथा उन्होंने कर्तव्य परायणता के पाठ को पढ़ाते हुये समाज में किये गये उनके योगदान को अविस्मरणीय बनाता है। सक्रिय राजनीति में कार्य करते हुये श्री रेशमलाल जांगड़े ने जिस प्रकार की साफ सुथरे छवि का परिचय दिया आज के राजनीति में संलग्न लोगों को श्री रेशमलाल जांगड़े की छवि से प्रेरणा लेनी चाहिये। राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक पदों पर रहते हुये श्री रेशमलाल जांगड़े ने छोटे आवासों में रहकर लोगों के लिये प्रेरणा का साधन बने। सादा जीव और उच्च विचार को आत्मसात किये श्री रेशमलाल जांगड़े ने आम जनमानस के मन में पैठ बनाई। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम आन्दोलन एवं संविधान निर्माण सभा के सदस्य के रूप में श्री रेशमलाल जांगड़े ने एक आदर्श प्रस्तुत किया। अति पिछड़े समाज में जन्म लेने के बाद आजीवन संघर्ष करते हुये राजनीति के शिखर तक पहुँचे तथा समाज के प्रति दायित्वों एवं सेवा भाव का आदर्श प्रस्तुत किया। उत्कृष्ट कार्यों के लिये समय–समय पर श्री रेशमलाल जांगड़े को प्राप्त पुरस्कार एवं सम्मान उनके सतत् सेवा भाव का ही परिचय है। स्वयं शिक्षित हुये तथा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

यह तो एक प्राकृतिक सत्य है कि इस दुनिया में असंख्य लोग जन्म लिये और खाते–पीते जीते इस दुनिया से रुखसत हो गये। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि इस दुनिया में ऐसे विरले लोग ही जन्म लिये, जिनका उद्‌देश्य महज खाना–पीना और जीना नहीं होता ऐसे लोग एक व्यक्तित्व को लेकर जन्म लेते हैं और बड़ा काम कर दुनिया में अपनी छाप छोड़ जाते हैं, जो सभी के लिये अविस्मरणीय बन जाते हैं। स्वर्गीय श्री रेशमलाल जांगड़े की गिनती ऐसे ही अविस्मरणीय विरले लोगों में होती है, जिनके व्यक्तित्व ने हजारों लाखों लोगों को प्रभावित किया। श्री रेशमलाल जांगड़े का जन्म १५ फरवरी, सन् १९२५ को वर्तमान बलौदाबाजार–भाटापारा जिले के बिलाईगढ़ विकासखण्ड के अन्तर्गत ग्राम परसाडीह में हुआ। परसाडीह एक छोटा सा गांव था, जहां माता गंगामती एवं पिता श्री टीकाराम जांगड़े के घर एक विलक्षण व्यक्तित्व का जन्म हुआ। ६ भाई एवं बहनों में श्री रेशमलाल जांगड़े दूसरे नंबर के सन्तान थे।

सन् १९३२ से १९३४ तक ग्राम मउवाडीह, बिर्रा तहसील चापा अविभाजित जिला बिलासपुर में पहली व दूसरी कक्षा की पढ़ाई पूरी किया जहाँ श्री कुंजराम नाई ने प्राथमिक शाला में प्रवेश दिलाया था। प्रवेश के पूर्व एवं पश्चात् भी पढ़ाई में तेज थे तथा स्वभाव से शरारती थे। श्री रेशमलाल जांगड़े अपने निजी घरेलू शिक्षक श्री पीलाराम पटेल को कभी–कभी छिप कर पत्थर मारते थे या उनके कपड़े में थूक दिया करते थे, कभी–कभी बाड़ी से फल भी चुरा लिया करते थे, जिसके कारण स्कूल और घर में डांट पड़ती और सजा भी मिलती था। श्री रेशमलाल जांगड़े अपने बड़े भाई श्री मूलचंद जांगड़े के साथ कक्षा पहली से लेकर तीसरी तक की पढ़ाई पूरी किये। श्री रेशमलाल जांगड़े पढ़ाई में तेज थे परिणास्वरूप तीसरी कक्षा में पढ़ते हुये भी पांचवीं की गणित को हल कर लेते थे। ब्रिटिश भारत होने के कारण भारत की शिक्षा व्यवस्था में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का

प्रभाव था। जिसके कारण स्कूलों में बाइबिल की शिक्षा दी जाती थी। श्री रेशमलाल जांगड़े का बाइबिल विषय में भी अच्छी पकड़ थी। फलस्वरूप अच्छे अंक प्राप्त करते थे। जिसके कारण मउवाडीह के जर्मन पादरी और अमेरिकन टायसन ने कई बार उन्हें पुरस्कृत किया।

कैम्प फायर और भक्तिकालीन नाटकों में श्री रेशमलाल जांगड़े की गहरी रुनी थी। तत्कालीन शिक्षक श्री अनादि, अमसून, फ्रेंकलिन, रतनसिंह एवं जोसेफ श्री रेशमलाल जांगड़े के प्रति गहरी स्नेह रखते थे। उनके नटखट स्वभाव को नजरअंदाज करते थे। सन् १९३५ में नगरदा प्राथमिक शाला में कक्षा चौथी में प्रवेश लिया। कक्षा चौथी में ७१ प्रतिशत अंक प्राप्त किया। सन् १९३६ में आगे की पढ़ाई के लिये रायपुर आ गये। यहाँ आश्रम में रहकर आगे की पढ़ाई पूर्ण किया। वर्तमान सप्रे स्कूल जो कि उस जमाने में लारी हाई स्कूल के नाम से जाना जाता था, प्रवेश लिया। दो वर्ष बाद सन् १९३८ में महन्त लक्ष्मीनारायण दास के अधीनस्थ राष्ट्रीय विद्यालय के छात्रावास में रहने लगे, जहाँ लगभग ३५ छात्र सतनामी समाज के थे। १९३९ में हरिजन छात्रावास अमीनपारा रायपुर स्थानांतरित हो गया। जहाँ ५० सतनामी छात्र रहकर पढ़ाई करते थे। श्री रेशमलाल जांगड़े को संगीत में रुचि थी तथा अच्छे गायक भी थे। पंडित सुन्दर लाल शर्मा के नेतृत्व में एक टोली लेकर नांदघाट खपरी गये थे, जहाँ महन्त नैनदास महिलांग, महन्त अंजोरदास से परिचय हुआ। सन् १९४२ के पूर्व उक्त हरिजन छात्रावास में दिनचर्या कड़े अनुशासन में होता था। प्रत्येक रविवार को वाद–विवाद, खेल–कूद एवं अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थीं। गणेश उत्सव में परिवर्तन और अन्य नाटक खेले जाते थे, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय एवं सामाजिक भावना जागृत होती थी। तत्कालीन अधीक्षक श्री श्रवण कुमार अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और छात्रावास के छात्रों के साथ स्वयं जमीन पर सोते थे। जिसका श्री रेशमलाल जांगड़े पर व्यापक प्रभाव पड़ा।

समय के साथ श्री रेशमलाल जांगड़े परिपक्व होते गये और नटखट व्यवहार को छोड़ पढ़ाई के साथ–साथ सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने लगे। छात्रावास में सभी छात्रों को निःशुल्क भोजन दिया जाता था, जिसके लिये छात्रावास के सचिव ठाकुर ज्ञानसिंह के नेतृत्व में आटामिल फाफाडीह से प्रतिमाह चांवल लेने के लिये जाते थे। अवकाश के दिनों में बूढ़ातलाब, सरजू तलाब, खो–खो तलाब तथा महाराजबन्द तलाब में नहाने जाते थे। छात्रावास से लगे अमीनपारा प्राथमिक शाला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की खेल–कूद एवं बौद्धिक कक्षाएं लगती थीं। जहाँ रेशमलाल जांगड़े सन् १९३९ से १९४२ तक नियमित रूप से भाग लिया करते थे। इन्हीं दिनों गुरु गोलवरकर एवं एकनाथ रानाडे की बौद्धिक सभाएं हुआ करती थीं, जहाँ श्री रेशमलाल जांगड़े अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर उनके विचारों को सुनते थे, जिससे श्री रेशमलाल जांगड़े के मन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। सन् १९४३ से १९४७ तक छत्तीसगढ़ के प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय जिसे टट्टा कालेज एवं पूर्व में चम्पादेवी रात्रिकालीन महाविद्यालय के नाम से भी जाना जाता था, इण्टरमीडिएट से बी०ए० तक की शिक्षा प्राप्त किये। महाविद्यालय में किताबी शिक्षा के साथ–साथ राष्ट्रवाद की भी शिक्षा दी जाती थी। महाविद्यालय के संस्थापक जे० योगानन्दम स्वयं भी शिक्षक के साथ–साथ समाजसुधारक एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे। श्री रेशमलाल जांगड़े की कानून में रुचि थी। चूंकि छत्तीसगढ़ में कानून की पढ़ाई के लिये कोई भी महाविद्यालय नहीं था। इसलिये कानून की पढ़ाई के लिये नागपुर विधि महाविद्यालय में प्रवेश लिया। उस जमाने में उतनी दूर जाकर पढ़ाई करना आसान नहीं था, इसके लिये श्री रेशमलाल जांगड़े ने परिवार के लोगों को समझाया तब जाकर नागपुर जाने की अनुमति मिली। इस प्रकार श्री रेशमलाल जांगड़े ने सन् १९४९ में कानून की पढ़ाई पूर्ण की साथ ही अपने परिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करते रहे। श्री रेशमलाल जांगड़े का प्रथम विवाह ग्राम सिंघरा, मालखरौदा, जिला जांजगीर–चांपा के रामेश्वरी बाई के साथ हुआ। इस प्रकार से श्री रेशमलाल जांगड़े गृहस्थी में प्रवेश किये। हाँलांकि यह विवाह की अवधि बहुत कम थी और उनकी प्रथम पत्नी का असमय निधन हो गया। जिसके बाद श्री रेशमलाल जांगड़े अपने जीवन को सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में समर्पित कर दिये। परिवार के सदस्यों एवं दोस्तों के समझा इसके बाद श्री रेशमलाल जांगड़े पुनः विवाह के लिये तैयार हुये और बिलासपुर निवासी कमला से सन् १९५८ में बड़े धूम–धाम से विवाह सम्पन्न हुआ। इस प्रकार श्री रेशमलाल जांगड़े पुनः गृहस्थ जीवन में प्रवेश किये। आगे चलकर श्री रेशमलाल जांगड़े को पाँच सन्तानों की प्राप्ति हुई जिसमें से दो पुत्री तथा तीन पुत्र थे। इस प्रकार श्री रेशमलाल जांगड़े गृहस्थ जीवन के साथ–साथ सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाया।

श्री रेशमलाल जांगड़े ने अपने जीवन में अनेक उतरा चढ़ाव देखे। जीवन काल में अनेक घटनाएं घटित हुई। समय–समय पर उन घटनाओं के बारे में परिवार के सदस्यों एवं मित्रों के साथ चर्चा करते थे। यहीं से प्राप्त जानकारी के आधार पर पता चला कि श्री रेशमलाल जांगड़े जब कक्षा दूसरी या तीसरी की पढ़ाई कर रहे थे तब जन्माष्टमी के दिन सायं ५ बजे अपने बड़े भाई के साथ महानदी–हसदेव नदी के संगम सोनिया डीह घाट को पार कर रहे थे कि अचानक पानी का प्रवाह बढ़ने के कारण चिकनी रेत में पैर फिसलने लगा। लगभग गर्दन तक पानी आ गया था। एक–दूसरे का सहारा लेते हुए किसी तरह आगे बढ़े और जान बचाकर नदी पार किये। इसी तरह ग्राम परसाडीह में मंदिर घाट पर दिन के दो बजे नहाने चले गये थे और जैसे ही घाट से पानी में कूदे सिर पानी में डूबने लगा। पानी का भंवर देखकर वहीं पास खड़े व्यक्ति ने बाल पकड़कर खींचा और बाहर लाया। तीन चार बार गोल घुमाया, तब पेट का पानी बाहर निकला। उस समय श्री रेशमलाल जांगड़े की उम्र करीब ११ वर्ष थी। उस समय ग्रामीण परिवेश में जादू–टोना को बहुत मानते थे। एक रात करीब नौ बजे के आस–पास बिलाईगढ़ से दर्राभाटा जाते समय रास्ते में अजीबो गरीब खतरनाक आवाज आने लगी। लगभग ३ किलोमीटर तक डरे सहमें सफर किये। किसी तरह दर्राभाटा पहुंचे, तब मन शान्त हुआ। यह घटना १९४६ की है। जेठ के महीने में बलौदा बाजार से १६ किलोमीटर दूर भाटापारा पैदल जाने के लिये निकले। ग्राम रवान पहुँचने के पहले ही तेज गर्मी के कारण बेहोश होकर गिर गये थे। तब उनके मित्र गजरू प्रसाद श्री रेशमलाल जांगड़े को सहारा दिये और तलाब किनारे पेड़ के छांव में लेकर गये, पानी पिलाया और ठीक लगने पर आगे सफर को पूरा किया।

श्री रेशमलाल जांगड़े युवा अवस्था से ही समाज सुधार के लिये कार्य करते थे। इसी कड़ी में कुछ घटनाएं घटी, जिसमें ग्राम घीवरा बिर्रा में माह फरवरी में ब्राह्मण एवं कुर्मियों द्वारा घीवरा के चालीस घर के सतनामी लोगों को बड़े तालाब में मुख्य सड़क के सामने कहीं पर भी स्नान के लिये जगह नहीं दी, और उन्हें अन्यत्र पचरी घाट बनाने के लिये कहा। इस घटना की जानकारी मिलते ही श्री रेशमलाल जांगड़े रात्रि को ग्राम घीवरा पहुँचे और पूरे ग्राम की एक आम सभा बुलाई गई। बैठक में ब्राह्मण एवं कुर्मी समुदाय के लोगों का सकारात्मक सहयोग नहीं मिला और हरिजन समाज के लोगों को अलग स्नान घाट बनाने के लिये मजबूर होना पड़ा, जिससे उच्च वर्ग के लोग क्रोधित हुये और विरोध स्वरूप स्थानीय दुकानें और होटल बन्द रहा। श्री रेशमलाल जांगड़े गांव में ही रुके थे। थोड़े भयभीत थे फिर भी परिस्थिति का सामना किया। यह घटना सन् १९५२ की है।

सन् १९५७ माह मई के आस–पास की घटना है, कि गुंजिया बोड़ ग्राम जो जय–जयपुर तहसील में था, सोन नदी के सामने आम पेड़ के नीचे आम ६ बजे के आस–पास छुआ–छूत निवारण हेतु आम सभा बुलाई गई, जिसमें सभी समाज के लोग शामिल हुये। श्री रेशमलाल जांगड़े ने सभा में हरिजन समाज के लोगों को तालाब के घाट में सामूहिक स्नान, होटलों में भोजन, मंदिरों में प्रवेश एवं नाई की दुकानों का उपयोग के लिये आवाज उठाई, जिस पर उच्च समाज के लोगों ने यह कहते हुए विरोध किया कि हरिजन समाज के लोगों के हाथों पानी भी नहीं पी सकते तो अन्य साधनों का प्रयोग कैसे करने दिया जा सकता है। इसपर श्री रेशमलाल जांगड़े ने सभा में उपस्थित सभी लोगों को समझाया कि सब मनुष्य एक समान हैं और संविधान ने सभी को समान अधिकार दिया है, उक्त बातें सुनते ही उच्च समाज के लोग आक्रोशित हो गये, जिसका श्री रेशमलाल जांगड़े ने बिना डरे साहस के साथ सामना किया। अन्ततः उच्च समाज के लोग भी धीरे–धीरे हरिजन समाज को स्वीकारने लगे। इस प्रकार से श्री रेशमलाल जांगड़े ने छुआ–छूत के निवारण के लिये मुखर होकर कार्य किया।

इस प्रकार समाज सुधार की गति को आगे बढ़ाते हुये ग्राम खपराडीह, तालदेवरी, ठठारी, सरसींवा, फरसवानी एवं धुरकोट में भी श्री रेशमलाल जांगड़े ने छुआ–छूत के निवारण के कार्य प्रारम्भ किये, जिसके कारण समाज के उच्च एवं निम्न वर्ग के बीच तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। श्री रेशमलाल जांगड़े समाज के निम्न वर्ग को बताते थे कि छुआ–छूत एक अपराध है, जिसपर दण्ड भी हो सकता है, जिसका उच्च वर्ग द्वारा सामाजिक बहिष्कार कर भय दिखाकर दबाने का प्रयास करते थे। खपराडीह में तो स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस प्रशासन का भी उच्च वर्ग के लोगों के प्रति झुकाव साफ समझ में आ रहा था, फिर भी श्री रेशमलाल जांगड़े नहीं डरे और आन्दोलन को जारी रखा, जिसका कारण था कि श्री रेशमलाल जांगड़े कानून के जानकार थे। उन्हें पता था कि छुआ–छूत एक दण्डनीय अपराध है। यह घटना १९५६ के आस–पास की है।

छुआ–छूत विरोधी आन्दोलन के चिढ़ कर कई स्थानों पर श्री रेशमलाल जांगड़े एवं उनके बड़े भाई श्री मूलचंद जांगड़े को जान से मार डालने का प्रयास भी किया गया। बावजूद इसके श्री रेशमलाल जांगड़े बिना डरे, बिना रुके समाज सुधार में आगे बढ़ते रहे। इसी प्रकार से श्री रेशमलाल जांगड़े अपने राजनीतिक जीवन में सैकड़ों मालगुजारों से सतनामी समाज के हजारों एकड़ जमीन बे जा कब्जे से छुड़ाई और गरीबों में बंटवा दी। स्वयं श्री रेशमलाल जांगड़े ने पांच एकड़ जमीन भूमिदान किया। चूंकि श्री रेशमलाल जांगड़े स्वयं मालगुजार परिवार से थे इसलिये उनके पास सम्पत्ति की कमी नहीं थी, लेकिन भूमिदान के चलते १९५० के आस–पास श्री रेशमलाल जांगड़े के पास लगभग १० एकड़ जमीन शेष बची थी। श्री रेशमलाल जांगड़े १९४३ से समाज सेवा का बीडा उठाया था। दो साल रायपुर सहकारी अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ सेवा कर १९४५ से पूर्णरूप से समाज सुधार में संलग्न हो गये। सतनामी समाज बाहुल्य ९० प्रतिशत गांव का दौरा कर उन गांवों को आठ सेक्टरों में बांटा तथा प्रत्येक सेक्टर के लिये एक अठगवां कमेटी का निर्माण किया। एक सेक्टर में पांच से छः संरक्षक दल बनाते जो अठगवां कमेटी का नेतृत्व करते थे। श्री रेशमलाल जांगड़े प्रत्येक गांव का पैदल ही दौरा करते हुये उन्होनें बिलासपुर, पामगढ़, मालखरौदा, डभरा, सक्ति, नवागढ़, बिर्रा, केरा, शिवरीनारायण, कसडो ल, बलौदाबाजार, भाटापारा, रायपुर, राजनन्दगांव, जशपुर, रायगढ़, धर्मजयगढ़, कोरबा, अकलतरा, मस्तूरी, नरियरा, पुसौर तक (लवन से महानदी पार कर लीलानगर नदी के तट तक) अठगवां कमेटी बनाई।

श्री रेशमलाल जांगड़े बाल्यावस्था से ही समाज सुधार के क्षेत्र में सक्रिय रहे, यही कारण है कि समाज में ऊँचा स्थान प्राप्त किये। कानून की जानकारी होने के कारण संविधान सभा के युवा सदस्य रहे। समाज सुधार के कारण आम लोगों के बीच स्वयं को स्थापित कर चुके थे। परिणामस्वरूप राजनीतिक रूप से भी सफल रहे। लगातार लोकसभा एवं विधानसभा के लिये निर्वाचित हुये एवं मंत्री पद को प्राप्त कर क्षेत्र के विकास के लिये सदैव तत्पर रहे। श्री रेशमलाल जांगड़े के समकालीन मित्र बताते हैं कि वे किसी भी पद में रहे हों सदैव सहज भाव से आम लोगों से मिले और उनके समस्याओं के निराकरण के लिये हर सम्भव प्रयास किये।

संदर्भ ग्रंथ सूची

संस्मरण (२०००) –रामकृष्ण जांगड़े, आर०के० ग्राफिक्स कोरबा (छ.ग.)

सतनामी सपूत (२०१५), सत्य दर्शन संस्थान, सतनामी समाज (छ.ग.)

सतयुग संसार, पाक्षिक पत्रिका, १६ से २८ फरवरी २०१७

सतनाम सार, मासिक पत्रिका, अगस्त २०१६

सतयुग संसार, पाक्षिक पत्रिका, १ से १५ मार्च २०१६

सतनाम सार, मासिक पत्रिका, अगस्त २०१२

GOVT. OF INDIA- RNI NO. UPBIL/2014/56766
UGC Approved Care Listed Journal
ISSN 2348-2397

शोध सरिता

An International Multidisciplinary Quarterly
Bilingual Peer Reviewed Refereed Research Journal

• Vol. 8 • Issue 29 • January to March 2021

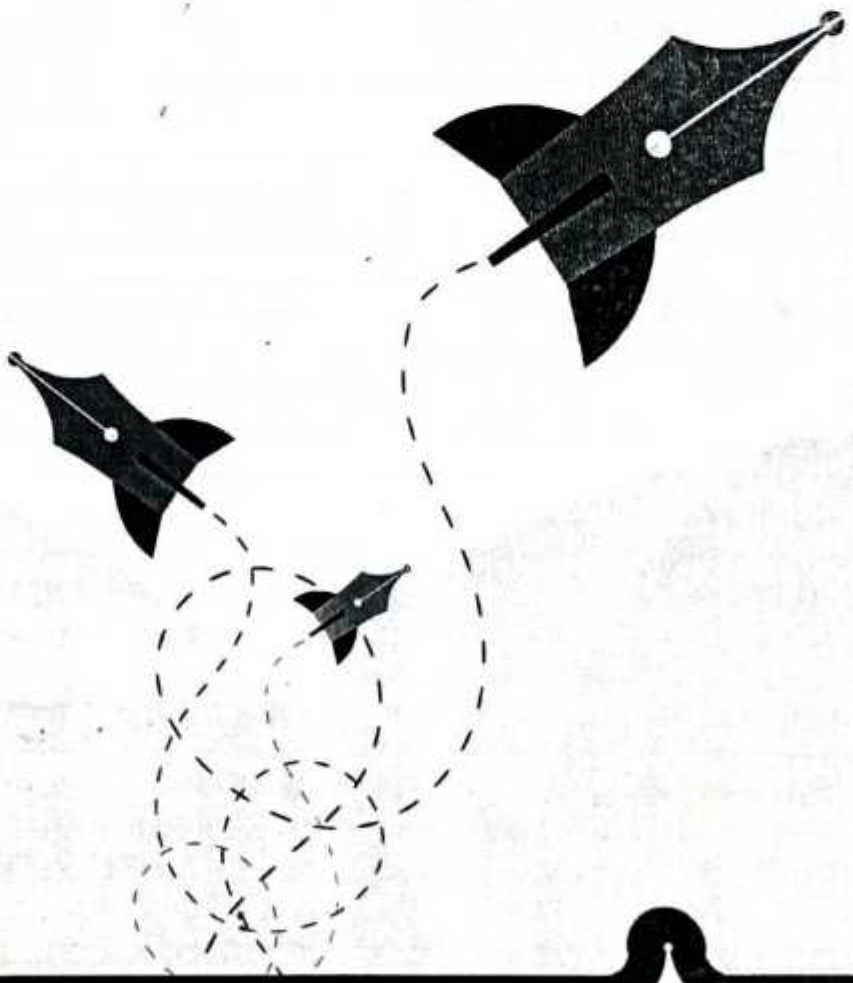

Editor in Chief
Dr. Vinay Kumar Sharma
D. Litt. - Gold Medalist

SANCHAR
Educational & Research Foundation

34.	ग्रंथालयों में सोशल मीडिया का उपयोग	आदित्य कुमार राय	149
35.	डाकू जीवन के विविध परिदृश्य और 'डांग' उपन्यास	डॉ0 कुलदीप सिंह मीना	153
36.	मेवात संत लालदास एवं लालदासी सम्प्रदाय का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन	मनीषा	157
37.	आधुनिक हिन्दी कविता में राष्ट्रीय–चेतना	डॉ0 हेमवती शर्मा	161
38.	बस्तर की जनजातियाँ एवं महिला विकास योजनाएँ	पूर्णिमा भट्टाचार्य डॉ0 मालती तिवारी डॉ0 सुभाष चन्द्राकर	165
39.	मराठा कालीन बस्तर रियासत में विद्रोह	करूणा देवांगन डॉ0 चेतन राम पटेल	170
40.	दिव्यांगजनों के सामाजिक सशक्तीकरण के लिए संवैधानिक पहल	सत्येन्द्र कान्त मौर्य	174
41.	"उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों में मतदान व्यवहार का अध्ययन" (हमीरपुर विधान सभा चुनाव 2017 के विशेष सन्दर्भ में)	डॉ0 ज्योति सिंह गौतम अरूण कुमार	177
42.	भारतीय शासन व्यवस्था के 75 वर्ष : प्रधानमंत्री पद के विशेष संदर्भ में	श्रीमती श्वेता मोर	182
43.	भारत में साम्प्रदायिकता का उदय	राकेश कुमार	187
44.	हिन्द–प्रशांत क्षेत्र में भारत की नौसैनिक शक्ति एवं क्वाड सहयोगः विस्तारवादी चीन के विरुद्ध उभरता एक सहयोग प्रारूप	अमरेन्द्र कुमार तिवारी प्रो० हर्ष कुमार सिन्हा	190
45.	कुषाण मुंद्राओ पर अंकित केश विन्यास एवं वस्त्राभूषण	डॉ0 कन्हैया सिंह	194
46.	ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जन स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति का अध्ययन (धमतरी जिले के विशेष संदर्भ में)	अश्वनी कुमार डॉ0 मनदीप खालसा	199
47.	सूफीमत देवाशरीफः एक अध्ययन	दरख्शाँ बानो	204
48.	मॉरीशसीय भारतवंशी समुदाय के राजनीतिक उत्थान में आर्य समाज की भूमिका (1903 ई0 से 1968 ई0 तक)	मोनिका वर्मा	209
49.	अमृतलाल नागर के उपन्यास : मानवीय मूल्यों का उदात्त स्वर–सन्धान	डॉ0 ऋचा सुकुमार	213
50.	भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में भारतीय रेल का महत्व	डॉ0 पवन कुमार मौर्य	217
51.	अष्टछापीय कवि छीतस्वामी के काव्य में बिम्ब विधान	डॉ0 सुषमा पाल	222

ISSN - 2348-2397
UGC CARE LISTED JOURNAL
IIS
शोध सरिता
AN INTERNATIONAL BILINGUAL PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
January-March, 2021
Vol. 8, Issue 29
Page Nos. 165-169

बस्तर की जनजातियाँ एवं महिला विकास योजनाएँ

पूर्णिमा भट्टाचार्य*
डॉ० मालती तिवारी**
डॉ० सुभाष चन्द्राकर***

शोध सारांश

बस्तर की जन जातियाँ स्वभाव से सरल एवं शांतिप्रिय होते है ये आधुनिक विकास धारा से कोसों दूर है। इन्हें इस विकास धारा से जोड़ने के लिए शासन द्वारा शासकीय योजनाएँ बनाकर क्रियान्वयन की गयी। किन्तु अपेक्षित सफलता अभी भी दूर है। इसका मुख्य कारण स्वयं इन जनजातियों के लोगों की उदासीनता तथा शासकीय कर्मचारियों की मानसिकता है। ये शासकीय कर्मचारी बस्तर के इन जनजातियों से संपर्क हेतु इनके सुदूर अंचल में जाना ही नहीं चाहते। शासन द्वारा बनाए गए विभिन्न योजनाओं का लाभ इन तक पहुँच ही नहीं पाता। आधुनिक परिवेश से दूर आदिवासी शासकीय योजनाओं को समझने में सक्षम नहीं है। अतः इन समस्याओं के निराकरण से ही योजनाएँ सफल हो सकती है। सदियों से चली आ रही अंध विश्वासों की परम्परा जादु–टोना, भूत–प्रेत, सिरहा–गुनिया, के बीच जनजातीय जीवन धारा अविरल प्रवाहित है। स्वतंत्रता के बाद से अभी तक विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से जनजातीय महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वास्तव में सम्पूर्ण विकास की अवधारणा तब तक मूर्त रूप धारण नहीं कर सकती तब तक जनजातीय समाज की उन्नति और विकास ना हो। अतः योजनाओं के प्रचार–प्रसार तथा इनके प्रति जन जागरूकता अत्यावश्यक है। छत्तीसगढ़ शासन के महिला व बाल विकास विभाग के प्रयासों से राज्य की महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व पोषण तथा आत्म निर्भरता के क्षेत्र में सुधार आया है। इस विभाग की योजनाओं से महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में भी बदलाव आया है। भारत सरकार तथा क्रमशः छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास हेतु अनेक योजनाएं तो बना दी गयी है, किन्तु इन योजनाओं का वास्तविक क्रियान्वयन हो ही नही पाता।

Keywords : बस्तर की जनजातियाँ, शासकीय योजनाएँ, योजनाओं का प्रभाव, योजनाओं की कमिया।

प्रस्तावना – जनजातियों से आशय व्यक्तियों या मनुष्यों के ऐसे समुदाय से है जो सामान्य लोगों से दूर जंगलों, पहाड़ों, नदियों के किनारे निवासरत है। वे पुरी तरह से जंगल में पाए जाने वाले वनोंपजों, शिकार तथा कंदमूल फलों पर आश्रित होते है। आधुनिक भारत में वर्तमान में भी अनेकों ऐसे क्षेत्र है जहाँ जनजातियाँ निवासरत है। आधुनिक भारत के इतिहास में आज भी आदिवासी जनजाति संस्कृति का अत्यधिक महत्व है। आज सम्पूर्ण विश्व में सर्वाधिक जनजातियाँ भारत में ही पायी जाती है। दण्डकारण्य पर्वत पर स्थित बस्तर अपने प्राकृतिक सुंदरता एवं जनजातीय विविधता से सुसज्जित है। बस्तर की जनजातीय विविधता यहाँ के जनजातियों की जीवन शैली, सामाजिक रीति रिवाज उनकी धार्मिक मान्यताएँ सहज ही सभी का ध्यान आकर्षित करती है बस्तर का नैसर्गिक सौन्दर्य सभी का मन मोह लेती है। मानवीय सभ्यता के विकास से कोसों दूर सघन वन प्रान्तों की धरा में जड़ बना बैठा बस्तर का आदिवासी समाज अनेक विशेषताओं से भरा है। बस्तर आदिवासी बहुलता से भरा एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी भी विकास के आधुनिक सोपानों को स्पर्श नहीं कर पाया है। बस्तर क्षेत्र की कुल आबादी का लगभग 70 प्रतिशत भाग जनजातीय आबादी ही है। बस्तर में मूल रूप से 24 प्रकार की आदिवासी जनजातियाँ निवास करती है।

सर्व प्रथम विभिन्न प्रकार की पंचवर्षीय योजनाओं (1951–1956) प्रथम पंचवर्षीय के माध्यम से सरकार द्वारा आदिवासी महिलाओं की सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश की गयी। तत्पश्चात् द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–1961) तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–1966), चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–1974), पंच पंचवर्षीय योजना (1974–1979), छठी पंचवर्षीय योजना तथा इसी क्रम में आगे ना केवल भारत सरकार अपितु छत्तीसगढ़ शासन तथा बस्तर जिले

*शोध छात्रा – (राजनीति विज्ञान), प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ), भारत
**सहायक प्राध्यापिका – (राजनीति विज्ञान), शासकीय महाप्रभु बल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द, (छत्तीसगढ), भारत
***सहायक प्राध्यापक – (राजनीति विज्ञान), दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ), भारत

भिन्न प्रकार के विकास कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का लक्ष्य रखा गया। बस्तर जिले में स्वावलंबन योजना, महिला एवं बाल विकास की योजनाएं, महिला विकास प्रोत्साहन योजना, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, लाडली योजना आदि ऐसी अनेकों योजनाएँ संचालित है, जिनसे आदिवासी महिलाओं के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास संभव है, किन्तु ना ही बालिका शिक्षा ना ही ग्रामीण आजीविका ना ही अन्य विकास योजनाओं से जनजातीय महिलाएँ लाभान्वित हो पाती है।

बस्तर की जनजातियाँ – बस्तर क्षेत्र चार प्रदेश की संस्कृतियों में रचा बसा है, एक तरफ आंध्रप्रदेश की संस्कृति का प्रभाव वही दूसरी ओर महाराष्ट्र की संस्कृति की भी झलक, एक ओर उड़िसा की संस्कृति का असर वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की संस्कृति का नजारा यहां जनजातियों के रहन, सहन, खान–पान तथा पर्व त्यौहारों में नजर आता है।

बस्तर क्षेत्र में मूल रूप माड़िया, गोंड, दोरला, गदबा, मुरिया, कुम्हार, कुडुक, कोष्टा, चमार, परसा, भतरा, हल्बा, नाहर, कोंवट, धाकड़, गांडा, महरा, डोम, चंडार, लोहार, राजगोंड आदि जनजातियाँ निवासरत है। बस्तर की प्रमुख जनजातियाँ एवं उनके रहन–सहन एवं संस्कृति का विवरण इस प्रकार से है–

(1) **गोंड जनजाति** – गोंड जनजाति ना केवल बस्तर जिला बल्कि सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में गोंडों की 30 शाखाएँ है। गोंड जाति की कई उपजातियां है जैसे– दोरला, अबुझमाड़िया, किल भूता, सबरिया गोंड, दंडामी, पहाड़िया गोंड, नागवंशी, सरगुजिया गोंड, धुलिया, खटेला, ढेरिया आदि। इनका रंग काला, मोटे ओंठ, चपटा नाक होता है। शरीर गठीला और ये औसत कद काठी के होते है। स्वभाव से सहनशील एवं कोमल हृदय के होते है। ये गोंडी बोली बोलते है, इनके शब्दकोष में बहुत ही कम लगभग 600 शब्द ही है। क्षेत्र के अनुसार इनके द्वारा उपबोलियां अपना ली जाती है। प्राकृतिक पदार्थो का प्रयोग खान–पान में करते है। कोदो भात एवं महुआ इनका मुख्य आहार है। ये चाव से पशु–पक्षियों के मांस का भक्षण करते है।

(2) **माड़िया जनजाति** – बस्तर अंचल में जनजातियों में माड़िया जनजाति सबसे पिछड़ी हुई जाति मानी गयी है। यह जन जाति बस्तर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। अबुझमाड़ के पर्वतों पर रहने के कारण ये अबूझमाड़िया भी कहे जाते है। मुख्य रूप से बस्तर के नारायणपुर, बीजापुर, जगदलपुर, दन्तेवाड़ा तथा कोंटा में पाए जाते है। जंगल के कन्दमूल, मंडिया, मछली, धान, कोसरा इन्हें बहुत प्रिय है, ये जानवरों का शिकार भी आहार के रूप में करते है। ये स्वभाव से ईमानदार होते है।

(3) **मुरिया जनजाति** – वास्तव में मुरिया जनजाति गोंड जनजाति की ही एक उपजाति है। मुरिया जनजाति की तीन उप शाखाएं है प्रथम घोटुल मुरिया, द्वितीय राज मुरिया तथा तृतीय झोरिया मुरिया। यह जनजातियाँ बस्तर के जंगलों, पहाड़ों एवं नदियों के आस–पास निवास करती है। मुख्य रूप से यह जनजाति नारायणपुर, कोण्डागांव एवं जगदलपुर के जंगलों के आसपास निवास करती है। ये घोटुल नामक सामाजिक संस्था के कारण विश्व प्रसिद्ध है।

(4) **हल्बा जनजाति** – बस्तर की इस जनजाति की कई उप शाखाएँ है। इनमें नरेवा, नायक, भंडारा, सुरेत, परेत, आदि मुख्य है। ये जाति बहुत साफ सफाई पसंद होते है। ये संस्कारों का पालन हिन्दु धर्म के अनुसार ही करते है। ये कृषि तथा पशुपालन दोनों द्वारा अपना जीविका उपार्जन करते है।

(5) **भतरा जनजाति** – बस्तर में जगदलपुर, सुकमा, कोण्डागांव के आसपास निवासरत है। पित सनभतरा तथा अमनेत इनकी उपजातियाँ है। यह जनजाति हिन्दु धर्म के समान पूजा संस्कार अपनाए हुए है।

(6) **धुरवा जनजाति** – धुरवा जनजाति को परजा जनजाति के नाम से भी जाना जाता है ग्राम के मुखिया द्वारा ही पूरे ग्राम के सामाजिक कार्यो को किया जाता है। कृषि कार्य करते है, इन्हें जड़ी– बूटियों का भी अच्छा ज्ञान होता है।

(7) **गदबा जनजाति** – यह बस्तर की बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई जनजाति है। इनकी बोली दूसरी जनजातियों की बोली से भिन्न एवं क्लिस्ट है। मूलतः शिकार और कृषि पर जीवन निर्वाह करते है।

(8) **दोरला जनजाति** – दोरला जनजाति भोपालपट्टनम, बीजापुर, कोंटा आदि क्षेत्रों के आसपास निवासरत है। दोरली बोली बोलते है। यह भी गोंड जनजाति की ही उपजाति है।

(9) **गड़वा जनजाति** – बस्तर क्षेत्र में यह जनजाति मुख्य रूप से पायी जाती है। यह कृषि करते है। पशुपालन एवं शिकार भी इनके व्यवसाय है। यह कोलेरियन समूह की जनजाति है।

(10) **कोया** – यह जनजाति गोंड जनजाति की एक उपशाखा है। यह जाति बस्तर में गोदावरी अंचल में निवास करती है। यह पक्षियों का शिकार करते है, कृषि एवं मछली पकड़ना भी जीविका पार्जन का जरिया है।

बस्तर में शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन – भारत के आजादी के पश्चात् राष्ट्र के जनजातीय समुदायों तथा जनजातीय क्षेत्र के विकास पर विचार किया गया। भारतीय संविधान में जनजातीयों के विकास तथा संरक्षण हेतु अनेक सुरक्षात्मक

...समुदाय आत्मसातीकरण तथा एकीकरण की नीति को भारत ...जनजातीय समुदायों तथा क्षेत्र के विकास हेतु सर्वश्रेष्ठ माना ...। विगत आठ दशकों से अधिक अवधि से जन जातियों को ...की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु जनजातीय संस्कृति के संरक्षण ...विकास के लिए विभिन्न योजना कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास ...रहे है। इन्हीं प्रयासों के तहत शासन द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में ...शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण कौशल विकास के कार्यक्रमों को प्रारंभ ...किया गया।

- सामाजिक कल्याण विभाग
- श्रम विभाग
- ग्रामीण विकास विभाग
- पंचायत विभाग
- महिला एवं बाल विकास विभाग

...स्तर में संचालित महिला एवं बाल विकास योजनाएँ –

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, नोनी सुरक्षा योजना, पूरक ...पोषण आहार योजना, सबला योजना, महतारी जतन योजना, ...महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इंटिग्रेटेड ...चाईल्ड प्रोटेक्शन योजना, लाडली योजना, उज्जवला गृह ...योजना, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ योजना, महिला एवं किशोरी ...सम्मान योजना, समेकित बाल विकास सेवा परियोजना, सुपोषित ...स्तर अभियान, नवा बिहान योजना, सक्षम योजना, स्वाधार गृह ...योजना, आर्थिक सहायता योजनाएँ, विधवा पेंशन योजना ...स्वावलंबन योजना, महिला स्वरोजगार योजना, कन्या समंगल ...योजना, मदर टेरेसा असहाय योजना, महिला विकास प्रोत्साहन ...योजना, विशेष महिला उत्थान योजना, महिला जागृति शिविर ...योजना, मुख्यमंत्री अमृत योजना

बस्तर में विकास योजनाओं का प्रभाव – बस्तर में जनजातीय ...क्षेत्र में महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में ...सुधार एवं महिलाओं के आत्मनिर्भरता व अन्य प्रकार के अनेक ...योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभाग की नीतियों ...से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार, मातृ–शिशु मृत्यु दर में ...कमी, पोषण स्तर में सुधार, जागरूकता में वृद्धि हुई है, किन्तु ...वांछित लक्ष्य अभी दूर है।

बस्तर के जनजातीय निवासी जो कि आधुनिक परिवेश से ...पूर्णतः अछूते है, छत्तीसगढ़ प्रदेश से मीलों दूर सुविधाओं का ...नितांत अभाव है तो भी अपने आप को प्रकृति के गोद में अत्यंत ...सुरक्षित महसूस करते है।

भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं ...का निर्माण इन्हें जीवन के आधारभूत सुविधाओं जैसे पोषण ...आहार, अच्छा स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी, बिजली की उपलब्धता, अच्छे ...आवास की सुविधा, स्वरोजगार जिससे इनमें आत्म निर्भरता आ से शोषित इन जनजातियों के शोषण पर सरकार पूर्ण रोक लगा देना चाहती है।

छत्तीसगढ़ सरकार जनजातियों के विकास पर बहुत ज्यादा जागरूक है। बस्तर जिला जनजातियों से बहुल क्षत्र है। शासन द्वारा विभिन्न प्रकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से इन जन जातियों के जीवन स्तर, शैक्षणिक स्तर, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर तथा राजनैतिक स्तर को ऊँचा उठाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। शासन की योजनाओं का निर्माण इस तरह से किया गया है, जिनसे इन जनजातियों की संस्कृति को संरक्षित तथा संवर्धित किया जा सके। अतः विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इन लोक जीवन, लोक कला, लोक संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जाता है। शासन की इन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर आदिवासियों के जीवन स्तर में ना केवल बदलाव आया है अपितु इनका जीवन खुशहाली से भर गया है, बस्तर जिले में विकास योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन इन बिन्दुओं के माध्यम से किया जा सकता है।

सामाजिक स्थिति में प्रभाव – पिछले सात दशकों से सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनजातियों के सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने का भरसक प्रयास कर रही है, ओर इन जनजातियों में पुराने रीति–रिवाजों, रूढ़ियों, धार्मिक अंध–विश्वासों के प्रति बहुत ज्यादा आस्था थी जो समय के साथ–साथ कम होता गया। आज विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्मकाण्ड बलि प्रथा, नशीली पेय का उपयोग जो इनकी सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा थी, इनमें बहुत ज्यादा कमी आयी है। आज आदिवासी जनजातियों में सामाजिक मूल्यों को भली भाँति समझने की क्षमता है वह विकास के मार्ग में बाधक किसी भी असमाजिक गतिविधियों में शामिल होकर अपने समाज के विकास में बाधक नही होना चाहता।

बस्तर जिले में संचालित बहुत सी सामाजिक योजनाएँ जैसे – सबला योजना, नोनी सुरक्षा योजना, महतारी जनन योजना, स्वाधार गृह योजना, उज्जवला योजना, महिला जागृति शिविर आदि से इनका सामाजिक जीवन स्तर काफी ऊँचा उठा है।

सबला योजना से लाभान्वित महिलाओं की स्थिति

क्र.	जनजाति स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1	गोंड	20	41.55
2	हल्बा	12	9.12
3	भतरा	08	13.19
4	महारा	20	52.50
5	गदबा	19	44.56

आर्थिक स्तर में प्रभाव – बस्तर जिले में जनजातीय विकास कार्यक्रमों के कारण 45 प्रतिशत जनजातीय लोगों के रहन–सहन एवं आर्थिक स्थिति में सुधार दृष्टि गोचर होता है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि लगभग 47 प्रतिशत लोगों के पहनावे, वेशभूषा एवं दैनिक इस्तेमाल की चीजों में बढ़ोत्तरी हुई है। सक्षम योजना, आर्थिक सहायता योजनाएं, स्वावलंबन योजना, महिला स्वरोजगार योजना।

मदर टेरेसा असहाय योजना, महिला विकास प्रोत्साहन योजना, विशेष महिला उत्थान योजना, महिला जागृति शिविर योजना आदि कुछ ऐसी योजनाएँ है, जिनसे बस्तर जिले में महिलाओं की स्थिति उत्तरोत्तर अच्छी होती जा रही है।

महिला स्वरोजगार योजना से लाभान्वित महिलाएँ

क्र.	जनजाति स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1	मुरिया	58	38.16
2	गदबा	18	8.80
3	धुरवा	16	7.60
4	भतरा	24	13.70
5	माडिया	22	21.30

शिक्षा के स्तर में परिवर्तन – आज सम्पूर्ण विश्व अत्यंत तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर है, बस्तर जिला जो की पूरी तरह जनजातीय क्षेत्र ही है इनमें भी शासन के द्वारा निरन्तर शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कल्याणकारी व शिक्षा प्रद कार्यक्रमों का असर दिखता है। सर्वेक्षण करने पर विदित हुआ कि लगभग 53 प्रतिशत लोग ऐसे है जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रदत्त शासकीय योजनाओं को ना केवल लाभ दायक बल्कि आवश्यक भी मानते है। निशुल्क शिक्षा, मध्यान्ह भोजन बिना शुल्क शाला प्रवेश ये जनजातीय लोग अपने बच्चों को शिक्षित करने तथा योग्य बनाने हेतु प्रोत्साहित है। बस्तर जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना, समेकित बाल विकास परियोजना आदि कुछ ऐसी योजनाएं है जिनका लाभ जनजातीय परिवारों को हुआ है।

राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव – बस्तर जिले में संचालित विकास योजनाओं का यहां के जनजातियों के राजनीतिक जीवन पर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विकास कार्यक्रमों से इनका शारीरिक, शैक्षिक स्तर ऊपर उठने के साथ ही इनमं राजनीतिक जागरूकता एवं चेतना का भी विकास होता गया। पिछले 70 सालों में बस्तर जिले में जनजातियों में राजनीतिक गतिविधियों में जागरूकता, भागीदारी तथा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

बस्तर में विकास योजनाओं की कमियां एवं समस्याएं – बस्तर में महिला एवं बाल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के मैदानी स्तर पर अनेक समस्याएं एवं कमियां है। जिससे योजनाओं पर वृहत व्यय के बाद भी अपेक्षित लक्ष्य पूर्ति नही हो पाती है या कागजों में ही योजनाएं सफल दिखाई देती है। शासन द्वारा बनाए गए विभिन्न योजनाओं का लाभ इन तक पहुँच ही नही पाता। बस्तर में पद स्थापना होने पर इन शासकीय अधिकारियों को वह सजा की तरह लगता है और वास्तविक हितग्राही शासन द्वारा दिए गए लाभ लेने से वंचित ही रह जाते है। बस्तर क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास की योजनाएं क्रियान्वयन की दृष्टि से अत्यन्त कमजोर है।

बस्तर जिले में विकास योजनाओं में अनेक कमियाँ है जैसे–

- बस्तर क्षेत्र में शासकीय विकास योजनाओं से अनेक हितग्राही वंचित है।
- स्थानीय अधिकारी–कर्मचारियों में स्थानीय बोलियों के प्रति अनभिज्ञता योजनाओं की विफलता का एक कारण है।
- कार्यक्रमों के संचालन में स्थानीय जनजातियों में सहभागिता की कमी है।
- दुरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में विकास की योजनाओं की पर्याप्त जानकारी व उचित क्रियान्वयन का अभाव है।
- विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में केन्द्र एवं राज्य शासन के बीच संवाद समन्वय का अभाव है।
- प्रशासनिक अधिकारियों का योजनाओं के संचालन में सहयोग कम मिला है।
- बस्तर जिले में महिला एवं बाल विकास की केन्द्र की योजनाओं का क्रियान्वयन कमजोर है।
- जिले को विकास खण्डों व सेक्टर में विभाजित किया गया है। विस्तृत क्षेत्र होने के कारण योजनाओं के संचालन एवं क्रियान्वयन में समस्याएं है।
- बस्तर जिले में संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों में सफलता के स्थान पर अर्ध सफलता एवं कमियां पायी गयी है।
- महिला एवं बाल विकास में योजनाओं के मैदानी स्तर के कर्मचारियों पर कार्य का अत्यधिक दबाव है।
- स्थानीय जनजातियों के मन में योजनाओं के प्रति विश्वास में कमी है।

निष्कर्ष – बस्तर क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग में पोषण आहार से संबंधित कार्यक्रम, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएँ, महिला जागृति शिविर आदि अनेकों योजनाएँ कागजी तौर पर तो संचालित है किन्तु इन योजनाओं के क्रियान्वयन से बस्तर की महिलाओं एवं बाल–शिशुओं के समग्र विकास के स्वरूप में अभी कोई अन्तर दृष्टिगत नहीं होता। अतः महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के योजनाओं के क्रियान्वयन में निचले से उच्च स्तर तक विभिन्न माध्यमों से कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से वास्तविक स्थिति

...उनके निराकरण के उपायों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

...के जनजातीय विकास योजनाएं एवं महिलाएं विषय में शासन की ओर से अनगिनत योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। किन्तु अनेको योजनाओं की असफलता की आलोचना भी होती रही है। इन योजनाओं की असफलता का पूरा आपेक्ष शासन पर लगाने से पूर्व हितग्राहियों की सामाजिक पृष्ठभूमि को हम नजर अंदाज नही कर सकते। कुछ योजनाएं ऐसी है, जिन्हें जनजातीय समाज समझ ही नही पाता तो कुछ योजनाएं ऐसी है जिनके प्रति स्थानीय लोगों के मन में विश्वास ही उत्पन्न नहीं होता। स्थानीय लोगो की परम्परा, निरक्षरता, रूढ़िवादिता, ...आदि भी योजनाओं की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगा देते है।

कुछ योजनाए आवागमन की अनुसविधाओं के चलते बलि चढ़ जाती है तो कुछ शासन तंत्र में प्रचलित लाल फीता शाही, नौकरशाही और भ्रष्टाचार के कारण सफल नहीं हो पाती। विकास के लक्ष्य को पूरा करने में कुछ समस्याएं तो बनी रहती है और इनका निराकरण उतना सहज भी नहीं होता है, किन्तु इन समस्याओं को अनदेखा करके इनका समाधान भी नहीं निकाला जा सकता।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन कमियों अथवा समस्याओं का विश्लेषण किया जाए ताकि विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सके। आज शासन ने इतने प्रगतिशील योजनाओं को लाया है, इसके बावजूद भी जनजीय महिलाओं की स्थिति में ज्यादा परिवर्तन दिखाई नही देता। जिन आंगनबाड़ी या ग्राम पंचायतों को इन योजनाओं के प्रचार-प्रसार का दायित्व दिया जाता है वे भी भाई-भतीजेवाद से ग्रसित होकर पक्षपात पूर्ण व्यवहार करने लगते है। इससे एक ओर तो संभ्रांत वर्ग और संभ्रांत होते जा रहे है, दूसरी ओर वास्तविक हितग्राही आधारभूत सुविधाओं से भी वंचित है। अतः जब तक प्रशासनिक तंत्र इन भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कठोर कदम नहीं उठाएगा तब तक इन योजनाओं की सफलता मात्र कागजी ही बनकर रह जाएगा और सम्पूर्ण विकास का लक्ष्य दूर और दूर होता जाएगा।

सन्दर्भ :–

- बंदूनी शशिकला– महिला सशक्तिकरण एवं अधिकार, पूर्वांचल प्रकाशन, दिल्ली (पृ.क्र. 92, 163, 184)
- जगदलपुरी लाला– बस्तर लोक कला – संस्कृति विश्व भारती प्रकाशन, नागपुर (पृ.क्र. 81–101)
- मिश्र इंदिरा– गरीब महिलाएँ उधार एवं रोजगार किताब घर प्रकाशन, नई दिल्ली
- नायडू पी.आर.– भारत के आदिवासी विकास की समस्याएं, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली (पृ.क्र. 304–307, 426–430)
- पाण्डेय डॉ. गणेश पाण्डेय अरूणा – भारत की जनजातियां, राधा पब्लिकेशन्स (पृ.क्र. 02–20, 82–89)
- वर्मा डॉ. शीला – जनजातीय विकास कार्यक्रम एवं महिलाएं, राधा पब्लिकेशन्स (पृ.क्र. 62, 144, 150, 165)
- सेन अमर्त्य – आर्थिक विषमताएँ, राजपाल पब्लिशिंग (पृ. क्र. 13–17)

GOVT. OF INDIA RNI NO.: UPBIL/2015/62096

UGC Approved Care Listed Journal

ISSN 2229-3620

KIS

शोध संचार
बुलेटिन

An International
Multidisciplinary
Quarterly Bilingual
Peer Reviewed
Refereed
Research Journal

Vol. 11

Issue 41

January to March 2021

Editor in Chief
Dr. Vinay Kumar Sharma
D. Litt. - Gold Medalist

sanchar
Educational & Research Foundation

19.	बाल विकास योजनाएँ : स्थिति, कमियाँ एवं सम्भावनाएं (बस्तर जिला – छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)	पूर्णिमा भट्टाचार्य डॉ0 मालती तिवारी डॉ0 सुभाष चन्द्राकर	76
20.	कोविड–19 आपदा के दौर में बदलता विश्व और मानववाद	पुनीत शुक्ल	80
21.	प्रवासन प्रभावित परिवारों के वृद्धजनों में स्वास्थ्य की स्थिति एवं जीवन की गुणवत्ता	रचना राय	83
22.	राष्ट्रनेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी	उदयभान द्विवेदी	88
23.	कश्मीर के सांस्कृतिक इतिहास का विवेचन	मीना देवी	92
24.	व्यक्तित्व विकास में सूर्यनमस्कार की भूमिका	डॉ0 सपना चन्देल	96
25.	वैश्विक पर्यावरण : वास्तविकता तथा आवश्यकताएँ	डॉ0 सुधारानी सिंह	101
26.	शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं में मानवाधिकार के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन	डॉ0 मनवीर सिंह डॉ0 जितेन्द्र कुमार सिंह	104
27.	ब्रेल संचार माध्यम और लिपि : पत्रकारिता का स्वरुप	डॉ0 अमिता मोनू सिंह राजावत	109
28.	भारतीय साहित्यकार प्रेमचंद	डॉ0 अशोक बाचुळकर	114
29.	रामायण का अर्थ एवं महत्व	डॉ० सपना चन्देल	117
30.	21वीं सदी में भारतीय संसद	खेमराज चंद्राकर	122
31.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रणीत एकात्म मानववाद का विश्लेषणात्मक अध्ययन	ज्योति गुप्ता	125
32.	शमशेर बहादुर सिंह के काव्य में यथार्थवादी दृष्टि	प्रो0 खेमसिंह डहेरिया	128
33.	केदारनाथ अग्रवाल की कविता में यथार्थ चेतना	डॉ0 सविता डहेरिया	132
34.	त्रिनिडाड एवं टुबैगो में हिन्दी प्रचार का कार्य	सरिता सिंह	135
35.	कमलेश्वर के उपन्यासों में नारी पात्रों का जीवन संघर्ष	डॉ0 सुधारानी सिंह	141
36.	तेलंगाना किसान आन्दोलन (1946–51)	डॉ0 निर्मला राणा	145
37.	वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लैंगिक आधार पर महिलाओं की स्थिति : एक अध्ययन	सीता यादव	149
38.	सतत् एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली के संदर्भ में शिक्षकों के अभिमत का अध्ययन	डॉ0 रंजना गुप्ता तृप्ति शर्मा	152

ISSN - 2229-3620
UGC CARE LISTED JOURNAL

शोध संचार
बुलेटिन

January-March, 2021
Vol. 11, Issue 41
Page Nos. 76-79

AN INTERNATIONAL BILINGUAL PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

बाल विकास योजनाएँ : स्थिति, कमियाँ एवं सम्भावनाएं (बस्तर जिला - छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)

❑ पूर्णिमा भट्टाचार्य*
डॉ० मालती तिवारी**
डॉ० सुभाष चन्द्राकर***

शोध सारांश

किसी भी समाज में महिलाओं एवं बच्चे की आबादी कुल जनसंख्या का आधा से अधिक भाग होता है। महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति समाज के विकास के स्तर को प्रदर्शित करती है। शहरी, ग्रामीण तथा जनजातीय समाज में स्त्रियों एवं बच्चों की सामाजिक शैक्षणिक स्वास्थ्य व पोषण, आर्थिक आदि स्थिति में भिन्नता दिखाई देती है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से लगातार अद्यतन भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के माध्यम से बाल विकास के लिए विभिन्न प्रकार के नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया। ताकि शिशुओं का समग्र एवं सतत विकास संभव हो सके सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में महिलाओं एवं बालकों के समग्र विकास के लक्ष्य रखे गये। प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) में कल्याण मूलक विचार धारा के तहत बालकों एवं शिशुओं के समस्याओं के निवारण का लक्ष्य रखा गया। इस क्रम में द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61) तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66) तथा समस्त पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं एवं बाल शिशुओं के समग्र विकास के लक्ष्य में शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ भारत का एक प्रदेश है। यहां केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा बालकों एवं शिशुओं के समग्र विकास हेतु बहुत सारे योजनाएं बनाई एवं क्रियान्वयन भी की जाती है इनमें पूरक पोषण योजना बाल संदर्भ योजना, मुख्यमंत्री विवाह योजना, आइ.सी.डी.एस. की सेवाएं, झुला घर योजना, एकीकृत बाल संरक्षण योजना, पोषण अभियान, नवा बिहान योजना, नोनी सुरक्षा योजना आदि प्रमुख है। कुछ योजनाएं तो बस्तर जैसे पिछड़े क्षेत्र के लिए अत्यंत प्रभावशाली साबित हुई है वहीं कुछ योजनाएं आधारभूत कमियों के कारण क्रियान्वयन से पहले ही असफल हो चुकी है। अतः प्रस्तुत लेख के माध्यम से बस्तर जिले में बाल विकास योजनाओं की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करते हुए इनकी कमियों की ओर संकेत किया गया है। इन कमियों को दूर करते हुए भावी योजनाएं एवं उनकी सम्भावनाओं को मूर्त रूप दिया जा सकेगा।

Keywords: बाल विकास योजनाएं, विकास योजनाओं की स्थिति, योजनाओं की कमियां, योजनाओं की संभावनाएं

बाल विकास योजनाएँ – भारत सरकार द्वारा समय–समय पर बालकों एवं शिशुओं के समग्र विकास हेतु अनेक केन्द्रीय योजनाओं का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार प्रदेश सरकार के द्वारा भी अपने किशोरो बालक –बालिकाओं के विकास एवं संरक्षण हेतु समय–समय पर अनेक योजनाओं का निर्माण किया जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बस्तर जिले में केन्द्र एवं राज्य सरकार की अनेक बाल विकास योजनओं का संचालन किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख योजनाओं का विवरण एवं स्थिति इस प्रकार है–

1. **मुख्यमन्त्री बाल संदर्भ योजना** – इस योजना का आरंभ वर्ष 2009 में किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाल शिशुओं में कुपोषण को कम करना है। इसके लिए परियोजना स्तर पर सेक्टर स्तर पर तथा पंचायत स्तर पर कैंप लगाया जाता है। इस योजना के तहत इन कैम्पों में गंभीर कुपोषित बच्चों एवं संकर ग्रस्त बच्चों को दवाई, टॉनिक, पोषक आहार आदि उपलब्ध कराया जाता है।

उद्देश्य – बच्चों में संक्रमण एवं गंभीर रोगों की पहचान करना।

- निजी अस्पताल या परीक्षण संस्थान में अधिकतम 300 रू. सीमा तक स्वास्थ्य जांच की सुविधा।
- हितग्राही बच्चे को एक वर्ष में अधिकतम 500/– रूपये की दवाएं तथा आवश्यकता होने पर चिकित्सा अधिकारी के परामर्श पर इससे अधिक राशि भी उपलब्ध करायी जाती है।

*शोध छात्रा (राजनीति विज्ञान) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) भारत
**सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द (छत्तीसगढ़) भारत
***सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) भारत

- हितग्राही बच्चे को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने पर संबंधित चिकित्सक को 1000/– रुपये का मानदेय तथा 500/– रुपये यात्रा भत्ता दिया जाता है।
- अगर बच्चा गंभीर बीमार है तो उसे दूसरे स्थान पर ले जाने का यात्रा भत्ता शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

पात्रता – गंभीर, कुपोषित एवं रोग से संकर ग्रस्त बच्चे

मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना से लाभान्वित हितग्राहियों की स्थिति वर्ष 2013 से अद्यतन

कुपोषण के रोकथाम हेतु संचालित योजना–मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना

जिला – बस्तर

क्र.	वर्ष/तहसील	लक्षित बच्चों की संख्या	कुपोषण मुक्त हुए बच्चों की संख्या	कुल शेष कुपोषित बच्चों की संख्या	कुपोषण मुक्त हुए बच्चों का प्रतिशत	कुपोषित बच्चों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	2013-14	1546	947	599	61.25	38.75
2	2014-15	2138	809	1329	37.84	62.16
3	2015-16	5566	2147	3419	38.57	61.43
4	2016-17	5148	2578	2570	50.08	49.92
5	2017-18	515	497	18	96.50	3.50
6	2018-19	15511	1829	13682	11.79	88.21
7	2019-20	1876	1516	360	80.81	19.19
8	2020-21	3965	1960	2005	49.43	50.57
9	2021-22	1890 .	176	1714	9.31	90.69

2. **नोनी सुरक्षा योजना** – यह योजना 1 अप्रैल 2014 से प्रारंभ की गयी है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के प्रथम बालिका ही पात्र है इस योजना के अंतर्गत शासन द्वारा हितग्राही बालिका को 5000/– की राशि पांच साल तक उपलब्ध करायी जाती है तथा जब हितग्राही बालिका 18 वर्ष की हो जाती है तो उसे 1 साल की राशि उपलब्ध करायी जाती है।

उद्देश्य – इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रुण हत्या को रोकना है।

- बालिकाओं के शिक्षा को इस योजना के अंतर्गत बढ़ावा दिया जाता है।
- इस योजना के संचालन का एक मुख्य उद्देश्य समाय में बेटा–बेटियों के भेदभाव को दूर करना है।
- हितग्राही परिवार के प्रथम बालिका को लाभ उपलब्ध करवाया जाता है।

पात्रता – गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की प्रथम बालिका।

नोनी सुरक्षा योजना से लाभान्वित हितग्राहियों की स्थिति 2014 से अद्यतन

योजना का नाम	वर्ष	हितग्राही संख्या
नोनी सुरक्षा	2014	677
	2015	810
	2016	1203
	2017	1185
	2018	1390
	2019	1205
	2020	947
	2021	410
	योग	7827

3. **सुकन्या समृद्धि योजना** – केन्द्र सरकार द्वारा भारत की बालिकाओं का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है इनमें से सुकन्या समृद्धि योजना भी एक महत्वपूण योजना है। 22 जनवरी 2015 में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आरंभ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत किसी भी बेटी के

माता पिता द्वारा भविष्य में बेटी की पढाई एवं विवाह हेतु बचत खाता खोला जा सकता है। देश की बालिकाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने हेतु इस योजना को आरंभ किया गया।

उद्देश्य – देश की बेटियों के भविष्य के लिए पढाई या विवाह हेतु राशि उपलब्ध कराना।

- इस बचत खाते को न्यूनतम 250/– रूपये से अधिकतम 1.5 लाख रूपये तक खोला जा सकता है।
- यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना के अंतर्गत किया गया है।

पात्रता – देश की सभी बालिकाए जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम हो।

- परिवार में दो ही बेटियाँ
- दो से अधिक बेटी होने की स्थिति में ऊपर की दो बेटियों को यह लाभ मिल पाएगा।
- अगर बेटियां जुड़वा हो तो फिर परिवार में तीन बेटियों को यह लाभ मिल पाएगा।

सुकन्या समृद्धि योजना से लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या

योजना का नाम	वर्ष	हितग्राही संख्या
सुकन्या समृद्धि योजना	2014	122
	2015	205
	2016	188
	2017	316
	2018	290
	2019	302
	2020	245
	2021	155
	योग	**1823**

4. **मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना** – इस योजना के तहत मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाल गरीब परिवारों के बेटियों को विवाह में आने वाली समस्याओं विशेषकर आर्थिक समस्याओं को दूर करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 2500/– रूपये तक ही सामग्री द्वारा मदद की जाती है।

उद्देश्य –

- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बेटियों को विवाह में सहायता करना।
- सामूहिक विवाह के माध्यम से विवाह में आने वाली समस्याओं का निराकरण करना।
- निराश्रित परिवार के बेटियों की भी विवाह में आर्थिक सहायता करना।
- 18 वर्ष की अधिक आयु की गरीब कन्याओं की विवाह में सहायता करना।

पात्रता –

- 18 वर्ष से अधिक उम्र की लडकियां।
- वर की आयु 21 वर्ष से अधिक हो।
- एक परिवार से अधिकतम 2 अविवाहित लड़कियां को पात्रता मिलेगी।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हो।

मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह से लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या

योजना का नाम	वर्ष	हितग्राही संख्या
मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह	2014	1475
	2015	828
	2016	1332
	2017	273
	2018	1100
	2019	826
	2020	400
	2021	
	योग	6234

5. **मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान** – हमारे समाज में कुपोषण एक बहुत ही गंभीर समस्या है, इसे दूर करने हेतु प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ में यह अभियान 2 अक्टूबर 2019 से जन सहयोग एवं जनता के भागीदारी द्वारा शुरू किया गया था। किन्तु वर्तमान मे यह मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के नाम से अन्यन्त सफलता पूर्वक कार्यो को कर रही है।

उद्देश्य –

- 2022 तक पूरे प्रदेश को कुपोषण से मुक्त करना।
- सभी बाल शिशुओं को पोषण आहार प्रदान कराना।
- गर्भवती माताओं को पोषण आहार प्रदान करना।
- एनीमिया पीड़ित महिलाओं को पोषण आहार प्रदान करना।

पात्रता –

- 03 – 06 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चे।
- गरीब गर्भवती महिलाएं।
- एनीमिया से पीड़ित महिलाएं।
- 15 से 49 वर्ष की एनीमिया पीड़ित महिलाएं।

बस्तर में बाल विकास योजनाओं की संभावनाएं – लिंग भेद, असमानता, कुपोषण, स्वास्थ्य, मानव अधिकार और विकास का मुद्दा है जो विश्व के हर देश और समुदाय को प्रभावित करता है। बालक –बालिकाओं को एकीकृत रूप से सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य सरकार को सहायता से प्रदेश के प्रत्येक जिले में महिलाओं एवं बाल विकास योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। योजनाओं

योजना से क्रियान्वयन के मध्य के कई चरणों में अनेक ऐसी समस्याओं का समावेश हो जाता है, जो योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति को बाधित करती है। ऐसी स्थिति में बाल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधक तथ्यों व कारकों की तलाश व समाधान से ये योजनाएं लाभकारी सिद्ध होंगी।

सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति में परिवर्तन – बाल विकास योजनाओं की कमियों को दूर कर सर्वेक्षित जनजातिय परिवारों में बच्चों की जननांकीय सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति में प्रभाव पूर्ण परिवर्तन लाया जा सकता है।

शिक्षा के स्तर में परिवर्तन – जनजातीय परिवारों में बाल योजनाओं के प्रति जागरूकता लाने पर शिशुओं एवं किशोरों के शिक्षा के स्तर में अमूल चूक परिवर्तन लाया जा सकेगा।

कुपोषण में कमी – विभिन्न प्रकार के पोषण आहार से संबंधित योजनाओं को मूर्त रूप देकर कुपोषण की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है।

विकास कार्यक्रमों में सहभागिता – बाल विकास योजनाओं के सफल संचालन के माध्यम से विकास कार्यक्रमों में जन भागीदरीता तथा जन सहयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।

जीवन स्तर में उन्नति – विकास कार्यक्रमों से जुड़कर जनजातिय लोगों की जीवन स्तर तथा रहन–सहन में उन्नति होने लगती है। तथा लोगों में जागरूकता का संचरण भी होता है।

शासन एवं समाज के मध्य कड़ी – उचित प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा जब विकास कार्यक्रमों में जागरूकता द्वारा प्रगति लायी जाती है तो ये विकास कार्यक्रम शासन और समाज के मध्य कड़ी का काम करने लगते है।

राजनीतिक प्रशिक्षण – सरकारे परिवर्तित होती रहती है लेकिन विकास योजनाएं सतत् रूप से अनवरत चलती रहती है, इन विकास योजनाओं से स्थानीय जन जातियों में ना केवल राजनीतिक चेतना बल्कि उनका रानीतिक प्रशिक्षण भी होता रहता है।

मानवधिकारों का संरक्षण – मनुष्य को अधिकार तभी मिलेगा जब उनका विकास होगा और ये विकास योजनाओं के उचित क्रियान्वयन से ही संभव है।

सन्दर्भ :–

- बंदूनी शशिकला – महिला सशक्तिकरण एवं अधिकार, पूर्वांचल प्रकाशन, दिल्ली– 2012 (पृ.क्र 93, 94, 95, 164, 165, 166)
- बेहार डॉ. रामकुमार – बस्तर एक अध्ययन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल – 1995 (पृ.क्र 19, 20, 21, 22, 23)
- जगदलपुरी लाल – बस्तर लोक कला–संस्कृति, विश्व भारती प्रकाशन, नागपुर (पृ.क्र 49, 50, 51)
- मिश्र इंदिरा – गरीब महिलाएं उधार एवं रोजगार, किताब घर का प्रकाशन, नई दिल्ली (पृ.क्र)
- पाठक राजीत – स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना– परिकल्पना और चुनौतियां, रजत प्रकाशन (पृ.क्र. 188, 189, 297, 298, 299, 300)
- सेन गुप्ता वृन्दा – छत्तीसगढ़ में कोसा उद्योग, नीरज बुक सेन्टर, राधा ऑफसेट, दिल्ली–2010 (पृ.क्र. – 25, 26, 27, 28, 29)
- सिंह मनोज कुमार – भारतीय महिलाएं अधिकार एवं चुनौतियां, अंकित पब्लिकेशंस, दिल्ली (पृ.क्र.–95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102)
- सेन अमर्त्य – आर्थिक विषमताएं, राजपाल पब्लिशिंग (पृ. क्र.– 28,29,30)
- वर्मा डॉ. शीला – जनजातीय विकास कार्यक्रम एवं महिलाएं, राधा पब्लिकेशंस, दिल्ली (पृ.क्र. – 20, 21, 22, 89, 90, 91)

❐❐❐

योजना से क्रियान्वयन के मध्य के कई चरणों मे अनेक ऐसी विसंगतियों का समावेश हो जाता है, जो योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति को बाधित करती है। ऐसी स्थिति में बाल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन मे बाधक तथ्यों व कारकों की तलाश व समाधान से ये योजनाएं लाभकारी सिद्ध होंगी।

सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति मे परिवर्तन – बाल विकास योजनाओं की कमियों को दूर कर सर्वेक्षित जनजातिय परिवारों में बच्चों की जननांकीय सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति में प्रभाव पूण परिवर्तन लाया जा सकता है।

शिक्षा के स्तर में परिवर्तन – जनजातीय परिवारों में बाल योजनाओं के प्रति जागरूकता लाने पर शिशुओं एवं किशोरों के शिक्षा के स्तर में अमूल चूक परिवर्तन लाया जा सकेगा।

कुपोषण में कमी – विभिन्न प्रकार के पोषण आहार से संबंधित योजनाओं को मूर्त रूप देकर कुपोषण की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है।

विकास कार्यक्रमों में सहभागिता – बाल विकास योजनाओं के सफल संचालन के माध्यम से विकास कार्यक्रमों में जन भागीदरीता तथा जन सहयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।

जीवन स्तर में उन्नति – विकास कार्यक्रमों से जुड़कर जनजातिय लोगों की जीवन स्तर तथा रहन–सहन में उन्नति होने लगती है। तथा लोगों में जागरूकता का संचरण भी होता है।

शासन एवं समाज के मध्य कड़ी – उचित प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा जब विकास कार्यक्रमों में जागरूकता द्वारा प्रगति लायी जाती है तो ये विकास कार्यक्रम शासन और समाज के मध्य कड़ी का काम करने लगते है।

राजनीतिक प्रशिक्षण – सरकारे परिवर्तित होती रहती है लेकिन विकास योजनाएं सतत् रूप से अनवरत चलती रहती है, इन विकास योजनाओं से स्थानीय जन जातियों में ना केवल राजनीतिक चेतना बल्कि उनका रानीतिक प्रशिक्षण भी होता रहता है।

मानवधिकारों का संरक्षण – मनुष्य को अधिकार तभी मिलेंगे जब उनका विकास होगा और ये विकास योजनाओं के उचित क्रियान्वयन से ही संभव है।

सन्दर्भ :–

- वंदूनी शशिकला – महिला सशक्तिरण एवं अधिकार, पूर्वांचल प्रकाशन, दिल्ली– 2012 (पृ.क्र 93, 94, 95, 164, 165, 166)
- बेहार डॉ. रामकुमार – बस्तर एक अध्ययन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल – 1995 (पृ.क्र 19, 20, 21, 22, 23)
- जगदलपुरी लाल – बस्तर लोक कला–संस्कृति, विश्व भारती प्रकाशन, नागपुर (पृ.क्र 49, 50, 51)
- मिश्र इंदिरा – गरीब महिलाएं उधार एवं रोजगार, किताब घर का प्रकाशन, नई दिल्ली (पृ.क्र)
- पाठक राजीत – स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना– परिकल्पना और चुनौतियां, रजत प्रकाशन (पृ.क्र. 188, 189, 297, 298, 299, 300)
- सेन गुप्ता वृन्दा – छत्तीसगढ़ में कोसा उद्योग, नीरज बुक सेन्टर, राधा ऑफसेट, दिल्ली–2010 (पृ.क्र. – 25, 26, 27, 28, 29)
- सिंह मनोज कुमार – भारतीय महिलाएं अधिकार एवं चुनौतियां, अंकित पब्लिकेशंस, दिल्ली (पृ.क्र.–95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102)
- सेन अमर्त्य – आर्थिक विषमताएं, राजपाल पब्लिशिंग (पृ. क्र.– 28,29,30)
- वर्मा डॉ. शीला – जनजातीय विकास कार्यक्रम एवं महिलाएं, राधा पब्लिकेशंस, दिल्ली (पृ.क्र. – 20, 21, 22, 89, 90, 91)

❐❐❐

आन्वीक्षिकी

भारतीय शोध पत्रिका

मासद्वयी अन्तर्राष्ट्रीय शोध समग्र पत्रिका

प्रधान सम्पादिका

डॉ० मनीषा शुक्ला, maneeshashukla76@rediffmail.com

पुनर्निरीक्षक संपादक

प्रो० विभा रानी दुबे, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, उ०प्र०, भारत

डॉ० नागेन्द्र नारायण मिश्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, उ०प्र०, भारत

प्रो० उमेश चंद्र दुबे, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, उ०प्र०, भारत

सम्पादक

डॉ० महेन्द्र शुक्ल, डॉ० अंशुमाला मिश्रा

सम्पादक मण्डल

डॉ० मंजू वर्मा, डॉ० अमित जोशी, डॉ० अर्चना तिवारी, डॉ० सीमा रानी, डॉ० सुमन दुबे, डॉ० सच्चिदानंद द्विवेदी, डॉ० मनोज कुमार अग्निहोत्री, पाल सिंह, डॉ० पौलमी चटर्जी, डॉ० राम अग्रवाल, डॉ० शीला यादव, डॉ० प्रतीक श्रीवास्तव, जय प्रकाश मल्ल, डॉ० त्रिलोकीनाथ मिश्र, प्रो०-अंजली श्रीवास्तव, विजय कुमार प्रभात, डॉ० जे०पी० तिवारी, डॉ० योगेश मिश्रा, डॉ० पूनम सिंह, डॉ० रीता मौर्या, डॉ० सौरभ गुप्ता, डॉ० श्रुति विग, दीप्ति सजवान, डॉ० निशा यादव, डॉ० रमा पद्मजा वेदुला, डॉ० कल्पना बाजपेयी, डॉ० ममता अग्रवाल, डॉ० दीप्ति सिंह, डॉ० आभा सिंह, डॉ० अरूण कान्त गौतम, डॉ० राम कुमार, के०के० श्रीवास्तव

अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार मण्डल

पी० त्रिराची (श्रीलंका), फ्रा च्युतिदेश सैन्सोम्बट (बैंकाक, थाईलैंड), डॉ० सीताराम बहादुर थापा (नेपाल), माजिद करीमजादेह (ईराक), मोहम्मद जारेई (जाहेडान, ईरान), मोहम्मद मोजटाबा केयाहफरजानेह (जाहेडान, ईरान), डॉ० होसैन जेनाबदी (सिस्तान एवं बलूचिस्तान, ईरान), मोहम्मद जावेद केयाह फरजानेह (जाबोल, ईरान)

प्रबन्धक

महेश्वर शुक्ल, maheshwar.shukla@rediffmail.com

पाठकों से

आन्वीक्षिकी, भारतीय शोध पत्रिका प्रत्येक दो माह (जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितम्बर एवं नवम्बर) पर एम०पी०ए०एस०वी०ओ० मुद्रण वाराणसी उ०प्र०, भारत द्वारा प्रकाशित की जाती है। एक वर्ष में आन्वीक्षिकी, भारतीय शोध पत्रिका 6 भाग हिन्दी एवं 6 भाग अंग्रेजी एवं 3 अतिरिक्तांकों के भाग में प्रकाशित की जाती है। डॉक खर्च दर के सम्बन्ध में जानकारी हेतु सम्पर्क करें।

वार्षिक पाठक मूल्य दर

संस्थागत एवं व्यक्तिगत : भारतीय 5000+1000/- डॉक शुल्क, एक प्रति 1300+100/- डॉक शुल्क, वैदेशिक : 6000+डॉक खर्च, एक प्रति 1000+डॉक शुल्क

विज्ञापन एवं निवेदन

विज्ञापन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रधान सम्पादिका के पते पर संपर्क करें। आन्वीक्षिकी एक स्ववित्तपोषित पत्रिका है, अतः किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग सराहनीय होगा। कृपया अपनी सहयोग राशि चेक अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से निम्नलिखित पते पर प्रेषित करें।

सभी पत्राचार निम्नलिखित पते पर ही प्रेषित करें -

B32/16A-2/1, गोपालकुंज, नरिया, लंका वाराणसी, उ०प्र०, भारत, पिन कोड- 221005, मो०नं० 09935784387, टेलीफोन नं० 0542-2310539, E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com,www.anvikshikijournal.com

मिलने का समय : 3-5 दिन (रविवार अवकाश)

पत्रिका संयोजन : महेश्वर शुक्ल,maheshwar.shukla@rediffmail.com

प्रकाशन : एम०पी०ए०एस०वी०ओ० मुद्रण

प्रकाशन तिथि : १८ फरवरी २०२१

मनीषा प्रकाशन

(पत्रावली संख्या V-34564, पंजीकरण संख्या 533/ 2007-2008, B32/16A-2/1, गोपालकुंज, नरिया, लंका, वाराणसी उ०प्र०, भारत)

आन्वीक्षिकी

भारतीय शोध पत्रिका

वर्ष-१५ अंक-१ जनवरी-फरवरी २०२१

शोध प्रपत्र

भारतीय समाज में मादक द्रव्य : समस्या एवं निदान -सुशील कुमार 1-6
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सम्बन्ध समाज से -अजय कुमार सिंह 7-9

प्रकृति में जीवाणुओं/ विषाणुओं की भूमिका -देवेंद्र बहादुर सिंह 10-12
बाल श्रम : एक सामाजिक बुराई -देवेंद्र प्रताप सिंह 13-16

रामायण एवं महाभारत का संक्षिप्त तुलनात्मक अध्ययन -अजय कुमार सिंह 17-21
बेरोजगारी और भारत की जनसंख्या -रणधीर सिंह 22-27

ऋग्वेद-काल में कन्या की स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता -डॉ0 जुगनू जहान 28-29
नक्सल : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं सामयिक परिदृश्य -डॉ0 प्रमोद यादव 30-33

मीरा के विद्रोह, संघर्ष एवं प्रेम की अनुभूति की अभिव्यक्ति -आशा मीना 34-42
साम्प्रदायिकता के पीछे का सच -डॉ0 नवीन कुमार 43-45

उपभोक्ता समाज बनाम सूचना समाज (बोड्रिलार्ड एवं डेनियल बेल का संक्षिप्त विश्लेषण) -डॉ0 शशि कान्त दूबे 46-49
वैदिक वाङ्मय में प्रतिपादित पर्यावरण चिन्तन -डॉ0 धर्मेन्द्र कुमार शुक्ल 50-53

सक्षम योजना का जनजातीय महिलाओं के जीवन पर प्रभाव (बस्तर जिला : छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में) -
पूर्णिमा भट्टाचार्य, डॉ0 मालती तिवारी एवं डॉ0 सुभाष चन्द्राकर 54-57

प्रिंट ISSN 0973-9777, वेबसाइट ISSN 0973-9777

पत्रावली संख्या V-34564, पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777

भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2021) 15,54-57
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 20 नवम्बर 2020

सक्षम योजना का जनजातीय महिलाओं के जीवन पर प्रभाव (बस्तर जिला : छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)

पूर्णिमा भट्टाचार्य*, डॉ० मालती तिवारी** एवं डॉ० सुभाष चन्द्राकर***

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *सक्षम योजना का जनजातीय महिलाओं के जीवन पर प्रभाव (बस्तर जिला : छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)* शीर्षक लेख/ शोध प्रपत्र की लेखक *हेमचंद्र जांगड़े, मालती तिवारी एवं सुभाष चन्द्राकर* घोषणा करते हैं कि लेखक के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि हमने इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख/ शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देते हैं। यह लेख/ शोध प्रपत्र मूल रूप में या इसका कोई अंश कहीं और नहीं छपा है और न ही कहीं हमने इसे छपने के लिये भेजा है। यह हमारी मौलिक कृति है। हम शोध प्रपत्र आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देते हैं। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देते हैं।

शोध सारांश

जनजातियों से आशय व्यक्तियों के ऐसे समुदाय से है जो आज भी विकास की परिभाषा से कोसों दूर, अनजान, अछूते है, जो अत्यंत सरल है प्रकृति के निकट प्राकृतिक संसाधनों में ही रचे बसे रहना चाहते हैं। भारत में विभिन्न प्रदेशों में आज भी आदिम जनजाति निवासरत हैं किन्तु आज जब हम संपूर्ण विकास की बात करते है तो इन जनजातियों को छोड़कर विकास की कल्पना निरर्थक, असंभव है।

वर्षों से समय–समय पर शासन द्वारा विभिन्न विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से इन जनजातियों के विकास को लक्षित किया जाता है। आज विकास का मुद्दा एक प्रबल मुद्दा है और इस विकास को संपूर्ण विकास कहा जाएगा जब ये समग्र समाज का समग्र विकास करें। अनुसूचित जनजातियों को आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाने हेतु अनेक योजनाएं बनायी गयी। इनमें सक्षम योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में महिलाओं को सक्षम आत्मनिर्भर बनाने हेतु शासन द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में वास्तव में अनेक हितग्राही लाभान्वित हुए है।

बीज शब्द; सक्षम योजना, जनजातीय महिलाएं, प्रभाव, संभावनाएं

सक्षम योजना का क्रियान्वयन

छत्तीसगढ़ में गरीबी की मार से जूझ रही ऐसी महिलाएं जो कानूनी रूप से अपने पति से विवाह–विच्छेद कर चुकी है तथा ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है की आर्थिक सहायता करने के उद्देश्य से इस योजना का आरंभ किया गया। महिलाओं को आर्थिक सहायता ऋण के रूप में अत्यंत कम ब्याज दर पर उपलब्ध करवाना ताकि व आत्मनिर्भर बन सके। यह इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है।

* शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ०ग०) भारत
** सहायक प्राध्यापिका, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द (छ०ग०) भारत
*** सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, दुर्ग महाविद्यालय, रायपुर (छ०ग०) भारत

© लेखक २०२१, एम०पी०ए०एस०वी०ओ० मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित, सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in, इस प्रपत्र को www.anvikshikijournal.com पर पढ़ें

छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्ष २००९–१० से महिला कोष द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना में बहुत ही कम ब्याज दर पर शासन द्वारा अक्षम लाचार महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रारंभ में इसमें ऐसी महिलाओं को एक लाख की राशि पांच वर्षों के लिए मात्र ६.५ प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर उपलब्ध कराया जाता था। वर्तमान में १७ अक्टूबर २०१७ से छत्तीसगढ़ सरकार ने ब्याज दर को ६.५ प्रतिशत से घटाकर ५ प्रतिशत कर दिया है। यह योजना छत्तीसगढ़ प्रदेश में सफलता पूर्वक संचालित की जा रही है। महिलाएं शासन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे इन सुविधाओं का लाभ लेकर स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयासरत है। ब्याज दर कम होने पर और अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ ले पाएंगी।

सक्षम योजना के उद्देश्य

सक्षम योजना वास्तव में एक ऋण योजना है। जिसमें शासन नाम मात्र की ब्याज लेकर महिलाओं को जो या विधवा है या परित्यक्ता है को आत्मनिर्भर तथा स्वावलम्बी बनाना चाहती है। अत: इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस तरह से है :

- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है को आर्थिक सम्बल देकर अपने पैरों पर खड़ा करना।
- ऐसी महिलाएं जो कानूनी रूप से अपने पति से संबंध–विच्छेद कर चुकी है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
- आर्थिक सहायता के रूप में धन उपलब्ध कराया जाना ताकि ऐसी महिलाएं स्वावलंबी बन सके।
- ब्याज दर अत्यंत कम रखा गया, ताकि महिलाएं दबाव आदि से बच सके।
- सामज में अपने आत्म–सम्मान की रक्षा करते हुए स्वतंत्रता पूर्वक जीवन निर्वाह कर सके, महिलाओं को ऐसा जीवन उपलब्ध कराना।
- ऐसी महिलाओं को समाज में भर्त्सना एवं आलोचनाओं से रक्षा करके आर्थिक संम्बल बनाने हेतु राशि उपलब्ध करवाना।
- उनके मौजूदा आर्थिक संसाधन की रक्षा करते हुए उनका संवर्धन करना।
- नियोजन के लिए तथा अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु उपयुक्त वातावरण का निर्माण कराना।

सक्षम योजना पात्रता

प्रदेश में सफलता पूर्वक संचालित इस योजना में पात्रता ऐसी सभी गरीब महिलाओं को दिया गया है, जिनके पति की या तो मृत्यु हो चुकी है या जो विधिवत तलाकशुदा हो।

- गरीब महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है।
- गरीब महिलाएं जिनका कानूनी रूप से विवाह–विच्छेद हो चुका है।
- वर्तमान में महिलाओं की आयु सीमा १८–५० वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिपक्वता एवं अविवाहित स्त्रियों को भी इस योजना की पात्रता दी गयी है यदि वे अपने आप को आत्म निर्भर बनाना चाहती है।
- ऐसी स्त्रियों जो अकेले जीवन यापन कर रही है तथा स्वयं को स्वावलंबी बनाना चाहती है।
- अगर महिलाओं के पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा वे तलाकशुदा है तो उम्र १८–५० वर्ष के बीच होना चाहिए।
- अगर महिलाएं अविवाहित अथवा परिपक्वता है तो उनकी आयु ३५–४५ वर्ष के बीच होनी चाहिए।

इस प्रकार कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाकर प्रशिक्षण देकर इस योजना द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

सक्षम योजना से लाभान्वित हितग्राहियों की स्थिति

महिला एवं बाल विकास विभाग, जगदलपुर जिला– बस्तर

क्र.	योजना का नाम	वर्ष	हितग्राही	स्वी. राशि
१	छ.ग. महिला कोष ऋण योजना (सक्षम योजना)	२०१३–१४	१६	९३००००
		२०१४–१५	५	२२००००
		२०१५–१६	१५	५६००००
		२०१६–१७	१५	७६००००
		२०१७–१८	१५	९५००००
		२०१८–१९	११	५४००००
		२०१९–२०	७	३८००००
		२०२०–२१	४	२६००००
		२०२१–२२	०	०

उपरोक्त आकड़ों को देखने पर अनुमान लगाया जा सकता है कि बस्तर जिले में सक्षम योजना से हितग्राही लाभान्वित तो हो रहे है, किन्तु आशातीत सफलता अभी दूर नजर आती है। वर्ष २०१३–१४ में हितग्राहियों की कुल संख्या बस्तर जिले के ०७ विकासखण्डों को मिलाकर १६ है। तथा उन्हें ९३०००/– की राशि प्रदान की गयी वर्ष २०१४–१५ में यह संख्या घटकर मात्र ०५ हो गयी तथा इन्हें २२०००/– की राशि दी गयी। आगे भी अगर सारणी का अवलोकन किया जाए तो हितग्राहियों की संख्या या तो स्थिर है या क्रमशः घटती-जा रही है, जो इस योजना के प्रति जन जागरूकता की कमी को दर्शाता है।

सक्षम योजना का प्रभाव

बस्तर जैसे पिछड़े क्षेत्र में सक्षम योजना के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली असहाय महिलाओं के जीवन में प्रभाव निश्चित रूप से नजर आता है :

सामाजिक सुरक्षा; ऐसी महिलाएं जिनके पति नहीं है उनके लिए यह योजना समाज में सिर ऊँचा उठाकर जीने की दिशा प्रदान करती है। ऐसी महिलाएं जिनके पति नहीं है, इस योजना से उन्हें एक सामाजिक सुरक्षा मिली है।

आर्थिक सुरक्षा; असहाय, परित्यक्ता, विधवा, तलाक शुदा, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु १ लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता देकर रोजगार हेतु प्रशिक्षण देकर इन योजना ने उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी दी है।

आत्मनिर्भर समाज का निर्माण; जब महिलाएं आत्म निर्भर होंगी तो वे पूरे परिवार को आत्म सम्मान दिलाकर आत्म निर्भर बना सकेंगी। इस योजना से महिलाओं में आत्म निर्भरता का प्रतिशत बढ़ा है।

रोजगार एवं उपक्रम हेतु प्रशिक्षण; असहाय, अबला, महिलाओं को उद्यम स्थापित करने हेतु ना केवल कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है बल्कि उपक्रम स्थापित करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण भी दी जाती है तथा इसे उद्यम का संवर्धन भी किया जाता है। ताकि महिलाएं संपूर्ण आत्म निर्भर हो सके।

सक्षम योजना, सम्भावनाएं

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में वर्ष २०१३–२१ की अवधि में सक्षम योजना के तहत लाभान्वित हुए महिला हितग्राहियों की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि वर्तमान में इस योजना के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव है। महिला जागृति शिविर योजना द्वारा इस योजना को प्रचारित–प्रसारित किए जाने की आवश्यकता है।

बस्तर जिले में कई विकासखण्ड अत्यंत पिछड़े कुए तथा प्रशासन तथा सामान्य लोगों में संवाद का अभाव है तो ये योजनाएं कागजों में तो संचालित है किन्तु जन जीवन के समझ से परे है। इन योजनाओं में सामन्य हितग्राहियों के लिए

जो नियम या मापदण्ड बनाए जाते है वे भी जन–साधारण के लिए कानूनी भाषा है और इन योजनाओं को ना वे समझ पाते है, और ना ही इनका पूरा लाभ उठा पाते हैं।

भाषा एवं बोली भी इन योजनाओं की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। जैसा कि सर्व विदित है बस्तर क्षेत्र ७० प्रतिशत जनजातिय बहुल क्षेत्र है। जिनकी भाषा एवं बोली भी ग्रामीण आदिवासी जो आज भी शहरी रहन–सहन एवं भाषा बोली को नहीं अपना पाए, तो ऐसी परिस्थिति भी प्रशासनिक अधिकारियों को भी समुचित बोली एवं भाषा शैली संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे इस योजना से लोगों को जोड़ सके। अत: कुछ सामान्य समस्याओं के निराकरण द्वारा ही हम सक्षम योजना को सफल बना सकते है तथा वास्तव में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस योजना को बनाया गया था। को हम प्राप्त कर सकते है। लोगों को जागरूक करके तथा योजनाओं के महत्व के बारे में बताकर बस्तर जिले में इन योजनाओं की संभावनाओं को मूर्त रूप दिया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ

http//www.cgwcd.gov.in

https//www.jagranjosh.com

https//pmmodiyojana.in

महिला एवं बाल विकास विभाग, जगदलपुर

एकीकृत बाल विकास परियोजना, तोकापाल

एकीकृत बाल विकास परियोजना, दरभा

बंदूनी, शशिकला –*महिला सशक्तिकरण एवं अधिकार,* पूर्वांचल प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ संख्या १०७, १०८, १०९

सिंह, मनोज कुमार –*भारतीय महिलाएं अधिकार एवं चुनौतियां,* अंकित पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृष्ठ संख्या १०६,१०७,१०८

UGC Approved Journal No. 49321 Impact Factor : 6.125 ISSN : 0976-6650

Shodh Drishti

An International Peer Reviewed Refereed Research Journal

Vol. 13, No. 8 Year - 13 August, 2022

PEER REVIEWED JOURNAL

Editor in Chief
Prof. Abhijeet Singh

Editor
Prof. Vashistha Anoop
Department of Hindi
Banaras Hindu University
Varanasi

Dr. K.V. Ramana Murthy
Principal
Vijayanagar College of Commerce
Hyderabad

Dr. Anil Kumar
Assistant Professor, Department of History
Rajdhani College, University of Delhi

Published by
SRIJAN SAMITI PUBLICATION
VARANASI
E-mail : shodhdrishtivns@gmail.com, Website : shodhdrishti.com, Mob. 9415388337

अनुक्रमणिका

✎	स्वदेश दीपक के नाटक जलता हुआ रथ का साहित्यिक विश्लेषण एवं रंगमंचीय समीक्षा **प्रमोद कुमार यादव एवं शिवशंकर यादव**	1-4
✎	भारत में कौशल विकास की चुनौतियाँ **डॉ0 अनिता वर्मा**	5-9
✎	लक्षित समूह में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के प्रति जागरुकता का अध्ययन **परम सिंह एवं डॉ0 ओ0पी0 सिंह**	10-16
✎	विकास योजनाओं का महिला असमानता पर प्रभाव **डॉ0 मनीश कुमार**	17-22
✎	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता **डॉ0 नरेन्द्र त्रिपाठी**	23-24
✎	आचार्य बृहस्पति का लय–वैचित्र्य **डॉ0 रवि पाल**	25-28
✎	समावेशी शिक्षा : आवश्यकता एवं महत्त्व **डॉ0 शशि भूषण राय**	29-32
✎	Education and the Child: A Sociological Study **Dr. Md. Ehsanul Haque**	33-34
✎	डोगरी लोक गीतें च सिठनियां लोक गीत **अनिल कुमार**	35-38
✎	फिल्म संगीत का ऐतिहासिक विवेचन **भावना पंवार**	39-40
✎	आश्वलायनगृह्यसूत्रे पंचमहायज्ञानां वैज्ञानिक अनुशीलनम् **वेदप्रकाश गौतम**	41-42
✎	खिलाड़ी छात्र एवं खिलाड़ी छात्राओं के परोपकारी व्यवहार का अध्ययन **राम बचन यादव एवं प्रो0 श्रवण कुमार**	43-47
✎	मुगल चित्रकला में धर्म : एक मूल्यांकन **डॉ0 परवेज आलम**	48-50
✎	भारतीय साहित्य में नारी की परिवर्तित स्थितियों का परिप्रेक्ष्य **पूजा वर्मा**	51-54
✎	मोहन राकेश के नाटकों में नारी पात्रों का वैशिष्ट्य **डॉ0 गिरजा शंकर गौतम**	55-59
✎	श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में ग्रामीण जीवन **प्रतिमा सिंह**	60-62
✎	तेल पर केन्द्रित पश्चिम एशिया की राजनीति का भारत पर प्रभाव : एक समीक्षात्मक अध्ययन **राकेश ठाकुर एवं डॉ० राजकुमार प्रसाद**	63-64
✎	वेदान्तदृष्टया सत्कार्यवादविचारः **कुलदीप चन्द्र**	65-67

UGC Approved Journal No. 49321
Shodh Drishti (An International Peer Reviewed Refereed Research Journal), Vol. 13, No. 8, August, 2022
Impact Factor : 6.125
ISSN : 0976-6650

६	Parenting Styles and Behaviour Problem in Children **Dr. Roli Prakash**	68-72
६	आधुनिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य–धारा में औदात्य के अवरोध तत्व **डॉ0 कृष्ण भगवान दुबे**	73-74
६	जीवन का विज्ञान–आयुर्वेद **डॉ0 बालचन्द्र गोविन्द राव कुलकर्णी**	75-76
६	आधुनिक संदर्भ में रामकथा **डॉ० राजमोहिनी सागर एवं डॉ० दीपा**	77-82
६	हिन्दी ग़ज़ल में स्त्री स्वर **डॉ0 सुधा सिंह**	83-86
६	कानूनी जागरुकता अन्तःक्षेप कार्यक्रम का आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर प्रभाव का अध्ययन **सरिता गुप्ता एवं डॉ0 चित्रा चन्द्रा**	87-92
६	उन्नीसवीं शताब्दी में सामाजिक–धार्मिक सुधार आन्दोलन में राजा राम मोहन राय का योगदान **वीर बहादुर**	93-98
६	जीवन कला और कुम्भ **त्रिवेणी प्रसाद तिवारी**	99-101
६	छत्तीसगढ़ राज्य के सीमेंट उद्योग में कार्यरत अकुशल श्रमिक परिवारों में आय संरचना का अध्ययन (बलौदा बाजार जिले के विशेष संदर्भ में) **जितेन्द्र कुमार एवं दीपक कश्यप**	102-106
६	समकालीन कहानी : वैश्विक दृष्टि और नये जीवन–मूल्य **डॉ0 लतिका सिंह**	107-110
६	जनपद प्रयागराज में यौनानुपात का तुलनात्मक अध्ययन **सुबाष चन्द्र यादव एवं डॉ० सत्येन्द्र प्रताप सिंह**	111-116
६	आदि गुरु शंकराचार्य के वेदान्त दर्शन में पाठ्यक्रम का अध्ययन **दीनानाथ यादव**	117-119
६	वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य : एक अध्ययन **सुनीता यादव एवं डॉ0 वर्षा पालिवाल**	120-122
६	महात्मा गाँधी के राजदर्शन की उपादेयता **डॉ0 सुधाकर कुमार मिश्र एवं प्रो0 प्रवीन गर्ग**	123-125
६	प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास हेतु किये जा रहे प्रयासों का मूल्यांकन **अनामिका कुमारी एवं डॉ0 किरण कुमारी**	126-130
६	अंग्रेजों के लुटे हुए देश का बौद्धिक सम्पन्न नेता : डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी **डॉ0 दिग्विजय सिंह**	131-132
६	कृष्णा सोबती के उपन्यास डार से बिछुड़ी में नारी मनोदशा **नम्रता ध्रुव एवं डॉ0 श्रीमती अनुसुइया अग्रवाल**	133-138
६	La musique de Bénarès : Une étude comparative de deux documentaires sur Bénarès **Rajneesh Gupta**	139-140

६	हिंदी उपन्यासों में पर्वतीय नारी जीवन संघर्ष **डॉ० मुकेश सेमवाल**	141-144
६	शैक्षिक अवसरों की समानता के सन्दर्भ में स्त्री शिक्षा **डॉ0 वीणा वादिनी अर्याल**	145-147
६	बलराम की कहानियों में ग्रामीण जीवन **पवन कुमार शर्मा**	148-152
६	जौनपुर जनपद में अवस्थित उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक शैली तथा अध्ययन आदत में सम्बन्ध का अध्ययन **स्वराज गौतम एवं डॉ0 अंजनी कुमार मिश्र**	153-156
६	ਸਾਹਿਤ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ **ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ**	157-159
६	छत्तीसगढ़ी गीतों में राष्ट्रीय चेतना : लक्ष्मण मस्तुरिया के विशेष संदर्भ में **सीमारानी प्रधान एवं डॉ0 अनुसुइया अग्रवाल**	160-162
६	मौर्योत्तर काल में उद्योग एवं व्यवसाय **डॉ0 दिनेश प्रताप सिंह**	163-166
६	भारतीय मूर्तिशिल्प विधान पर शास्त्रीय साहित्य का प्रभाव **दिनेश पाल**	167-170
६	समावेशी शिक्षा एवं दिव्यांग महिलाओं का सशक्तिकरण **वन्दना श्रीवास्तव**	171-174
६	श्रीमद्भगवद्गीता की सामाजिक पृष्ठभूमि **डॉ० पूनम तिवारी**	175-176
६	भारत में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति : एक विश्लेषण **डॉ0 संजय कुमार पाण्डेय**	177-180
६	चन्दौसी शहर में अध्ययनरत स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं के मानवाधिकार जागरुकता का तुलनात्मक अध्ययन **सुश्री शालू कुमारी एवं डॉ0 शिखा बंसवाल**	181-188
६	भारतीय साहित्य में स्त्री विमर्श की अवधारणा **डॉ0 श्यामजी सोनकर**	189-191
६	भारत में समाजवाद और नेहरू **प्रशान्त कुमार**	192-194
६	Different Phases of Development of Adolescent Girls and their Empowerment from Disempowerment: An Analysis **Dr. Reshma Kumari**	195-197
६	भारतीय समाज और गाँधी एवं अम्बेदकर के विचार : एक अवलोकन **डॉ0 सलोनी भारती**	198-200
६	विस्थापन का आक्षेपवचन **लक्ष्मी**	201-204

६	केदारनाथ अग्रवाल के काव्य में मानव चेतना **डॉ0 शरद चन्द्र**	205-206
६	राजेन्द्र यादव के उपन्यासों में शिल्प विधान **डॉ0 सुरेन्द्र प्रसाद यादव**	207-210
६	Sublimity of Aurobindo's Savitri as an Epic Point of View **Dr. Sujeet Kumar Singh**	211-216
६	वर्तमान परिपेक्ष्य में अघोरेश्वर कीनाराम के अघोर पंथ में उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि **आजाद कुमार**	217-220
६	जनपद पौड़ी गढ़वाल के देवलगढ़ क्षेत्र में प्राप्त दृश्य लोक कला रूपों का संक्षिप्त अध्ययन **स्वाति बिष्ट**	221-224
६	कबीर और रैदास की सामाजिक पृष्ठभूमि **प्रकाश बिन्दु**	225-230
६	महिला सशक्तीकरण एवं पंचायती राजव्यवस्था : संवैधानिक परिप्रेक्ष्य **रूद्र प्रताप सिंह एवं अमित कुमार यादव**	231-235
६	छपिया विकासखण्ड में जल संसाधन प्रबन्धन : एक स्थानिक–पारिस्थैतिक अध्ययन **डॉ0 श्रवण कुमार शुक्ल**	236-240
६	डॉ0 अंबेडकर के लोकतंत्र संबंधी विचार **डॉ0 सीमा कुमारी**	241-245
६	भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की संघात्मक प्रकृति : एक अध्ययन **आकांक्षा मिश्रा**	246-248
६	रंगमंचीयता के दृष्टिकोण से 'स्कंदगुप्त' नाटक **हिमांशु**	249-252

UGC Approved Journal No. 49321
Shodh Drishti (An International Peer Reviewed Refereed Research Journal), Vol. 13, No. 8, August, 2022
Impact Factor : 6.125
ISSN : 0976-6650

छत्तीसगढ़ी गीतों में राष्ट्रीय चेतना : लक्ष्मण मस्तुरिया के विशेष संदर्भ में

शोधार्थी
सीमारानी प्रधान
सहा.प्राध्या. हिन्दी
शोध निर्देशक
डॉ. अनुसुइया अग्रवाल, डी.लिट.
प्राध्या एवं विभागाध्यक्ष हिन्दी, शास.महा. प्रभु वल्लभाचार्य विश्वविद्यालय, महासमुंद, छत्तीसगढ

सारांश

गीत सरस, सरल व भावपूर्ण गान है। गीत मानव जीवन के विषाद व उल्लास के क्षण के साथी हैं। गीत में गहरी भाव भी बहुत ही कम शब्दों में व्यक्त होता है। भारत जैसे सांस्कृतिक मूल्यों के देश में गीत, वीर सिपाही की भूमिका के साथ कर्तव्य निर्वहन करते आ रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी वंदे–मातरम् सुनकर ही देशप्रेमियों के खून में उबाल आ जाता है। छत्तीसगढ़ के अनेक गीतकारों ने देशभक्ति पर केंद्रित ऐसे गीतों की रचनाओं से साहित्य सम्पदा को समृद्ध किया है जिनमें से एक लक्ष्मण मस्तुरिया है। उनके गीत राष्ट्र के वदना के साथ–साथ पीड़ित मानवता को सहारा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपनी मातृभूमि को सच्चा प्रेम करने वाले मस्तुरिया के गीत राष्ट्रीय चेतना को पुष्ट करती हैं।

की वर्ड : छत्तीसगढ़ी, गीत, राष्ट्रीय चेतना, लक्ष्मण मस्तुरिया, देश प्रेम, समरसता, सौहार्द्र।

काव्य जीवन का सरस पक्ष और मानव जीवन का रागात्मक पक्ष है। जब मानव जीवन में अनुभूति व संवेदना का विकास हुआ, तब मानव के हृदय में भाव गीत के रूप में प्रस्फुटित हुए। साहित्य का प्रार्दुभाव लोकगीतों से हुआ है अतः सभी समाज प्रारंभिक रूप से गीतात्मक रहा है। सुख–दुख की अभिव्यक्ति का माध्यम गीत ही है पर दुख–कातरता से करूणा जन्म लेती है और यह करूणा जब व्यापक रूप धारण करती है तो काव्य फूट पड़ते हैं। महर्षि वाल्मिकी ने क्रौंच पक्षी के रूदन से द्रवित होकर काव्य रचना की और उनकी पीड़ा भी कविता के माध्यम से व्यक्त हुई। इस प्रकार भाव प्रवणता प्रखर होकर गीत बन जाती है। "जहॉ मानव मन किसी सौंदर्य, राग, सत्य के किसी कोण से गहरे छू जाता है, वहॉ गीत की भूमि होती है। यह अपेक्षाकृत आत्मप्रधान होता है, यह विश्लेषणात्मक, बुद्धि–बोझिल, लेबा और जटिल नहीं होता।"[1] गीत के प्रमुख विशेषता गेयता होती है। स्वर पढ ताल के उचित संयोजन गीत को हृदय के पास ले आती है। गीत मन के भावों की सरस, सुमधुर अभिव्यक्ति है। गीत ने देशकाल परिस्थिति के अनुसार स्वयं को अनुकूल किया है।

हिन्दी साहित्य में गीत एक प्राचीन विधा है। लोकगीतों से विकसित होकर जनमानस के हृदय के सबसे निकट विधा है। भक्ति कालिन कवियों ने ईश्वर की आराधना हेतु भजन सृजित कर भाव विह्वल होकर इसे गाया करते थी। आज भी उन भजनों को उसी भाव से गाया जाता है। विद्यापति को उनके गीतों की सुमधुरता व भाव प्रखरता के कारण "मैथिल–कोकिल" की उपाधि मिली है। मीराबाई को उनके कृष्ण प्रेम के कारण 'प्रेम–दिवानी' कहा गया। 'मेरे तो गिरधर गोपाल' भारतीय लोकसमा का कंठहार है। सूरदास को उनके वात्सल्य संबंधी गीतों व भावों के कारण 'वात्सल्य–सम्राट' कहा गया। कबीर और नानक के गीत मानों प्रभु के चरणों में हाजिरी लगाते हों।

साहित्य देश–काल, समाज के अनुरूप जनकल्याण के उद्देश्य से सृजित होता है। स्वतंत्रता आंदोलन में गीतों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। गीत विधा ने आजादी के संघर्ष में सैनिक की भांति सजग प्रहरी के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है। 'वंदे मातरम्' की हुंकार से कितनों ने मातृभूमि को अपना रक्त तिलक कराया है। स्वतंत्रता के बाद भी निरंतर गीत के लेखन का कार्य अबाध गति से चल रहा है। समाज में चाहे कैसी भी समस्या हो उसका समाधान गीतो के माध्यम से उसे जन–जन तक पहुचाना आसान होता है। हिन्दी साहित्य में गीतकारों दीर्घ सूची है। अमीर खुसरो, गोपाल सिंह नेपाली, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुभद्राकुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंशराय बच्चन आदि प्रख्यात गीतकार है।

"आधुनिक काल में भी भारतेन्दु और महावीर प्रसाद द्विवेदी काल के कवियों ने गीत लिखे। मैथिलीशरण गुप्त की प्रबंध रचनाओं में सुंदर गीत मिलते हैं। रामनरेश त्रिपाठी आदि के गीत भी उल्लेखनीय है। यह युग राष्ट्रीयता समाज–सुधार, उद्‌बोधन, नीतिपरकता का तो था ही परंपरा से प्राप्त भक्ति, निष्ठा रहस्यात्मकता का भी था।"[2] वर्तमान समय में कुमार विश्वास, मनोज मुंतसिर आदि लोकप्रिय गीतकार हैं।

छत्तीसगढ़ का आरंभिक साहित्य लोकगीतों के रूप में समृद्धशाली है। परबगीत, सोहरगीत, यहाँ की विशेषता है। छत्तीसगढ़ के दुख–सुख गीत के बिना अभिव्यक्त नहीं होते है। जन–जीवन से जुड़े प्रत्येक संस्कार गीतों के साथ ही सम्पन्न होते हैं। समय के साथ छत्तीसगढ़ी गीतों में जन–जागरण के भाव आने लगे और यह भाव ही राष्ट्रीय चेतना के रूप में व्यक्त होने लगे। छत्तीसगढ़ अंचल समरसता के लिए जानी जाती है। समरसता का भाव राष्ट्रीयता को पोषित करती है।

यहाँ के गीतों में प्रेम, सौहार्द्र और राष्ट्रीय भाव बहुत ही सुंदर रूप में व्यक्त हुए है। "छत्तीसगढ़ी लोकगीत सामाजिक व्यवस्था की उपज है। घर और बाहर सर्वत्र स्त्री–पुरुष मिलकर जीवन यापन करते है। परिश्रम के क्षण हो चाहे नृत्य या सामूहिक मनोरंजन के क्षण; स्त्री की आवाज पुरुष की आवाज को छूकर चलती है। वन उपवन की शीतल वायु की मधुरता और खेती की हरियाली तथा महक इन लोक गीतों से अठखेलियाँ करती है।"[3] लक्ष्मण मस्तुलिया मूलतः गीतकार थे। उनके गीत श्रम बिदुओं को हरती है। तन–मन को प्रफुल्लित करती है। उनकी गीतों में छत्तीसगढ़ का जनजीवन अनिव्यक्त होता हैं। जिसमें मनुष्य के प्रेम, राग, द्वेष भक्ति संघर्ष आदि भाव व्यक्त होते है। वे छत्तीसगढ़ की महिमा के अमर गायक है, साथ ही छत्तीसगढ़ की दैन्यता, विवशता भी उनके गीत के विषय हैं। उनकी रचनाओं में सामाजिक सौहार्द्र प्रमुख रूप से नजर आता है।

"मोर संग चलव रे, मोर संग चलव जी,
वो गिरे थके हपटे मन, अउ परे डरे मनखे मन,
मोर संग चलव रे, मोर संग चलव ग।
विपत संग जूझे बर भाई मैं बाना बांधे हव,
सरल ल पिरथी मं ला देहूं प्रन अइसन ठानें हन।
मोर सुमन के सरग निसेनी, जुर मिल सबो चढ़व रे।"[4]

लक्ष्मण मस्तुरिया छत्तीसगढ़ के कमजोर वर्ग के साथ खड़े हैं वो आह्‌वान करते हैं कि समाज में हासिये में रखे जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति मेरे साथ समभाव से चलें। जब पानी, पवन, माटी कोई भेद नहीं करती तो हम क्यों भेद करें। सामाजिक समरसता पर उनकी वाणी जितनी मुखर है उतनी ही राष्ट्रीय चेतना पर भी है।

"मयं छत्तीसगढ़िया अंव रे।
भारत मां के रतन बेटा बढ़िया अंव रे।
सोन उगाथों, माटी खाथों
मान ले दे के हांसी पाथों
खेती खार संग मोर मितानी
धान–मयारू हितवा पानी।"[5]

इस गीत के माध्यम से गीतकार न सिर्फ भारत मॉ का बल्कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति का भी गुणगान कर रहा हैं। अरूण कुमार निगम जी के शब्दों में लक्ष्मण मस्तुरिया का कृतित्व और व्यक्तित्व उन्हें युगपुरूष के रूप में स्थापित करता है। "लक्ष्मण मस्तुरिया एक ऐसा नाम है जिन्होंने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत का युग–पुरूष कहा जाये वो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। उन्होंने अपने गीतों से जहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा को समूचे विश्व में स्थापित कर दिया वहीं छत्तीसगढ़ी के गीत संगीत को संस्कारित कर दिया।"[6] लक्ष्मण मस्तुरिया के नाम के उच्चारण मात्र से ही मिट्‌टी की सुगंध आने लगती है। उनके गीतों में सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ रचता बसता है। वे सच्चे माटी पुत्र हैं। उनकी रचना "छत्तीसगढ़ की माटी" राज्य के सम्पूर्ण जन की अभिव्यक्ति है। इसमें सभी जिलों की विशेषता के साथ–साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बहुत सुंदर झलक है। वे बताते हैं कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ के लोगों को अन्य लोगो ने छल किया। मानो जनमानस की पीड़ा शब्द बनकर उनके गीतों मे उतर आयी हो।

"मैं भारत के मूल दुलरवा
जस तुमन तस मैं हावौं।
फेर कइसन ए भेदभाव

छल कपट तुंहर, दुख मैं पावों
मैं काकर ले कमसल हावौं
जांगर बइहां छाती के
पथरा फोड़ लोहा टोड़
धन उपजावौं माटी ले।"[7]

लक्ष्मण मस्तुरिया की आवाज जन–जन की आवाज है। वे सामान्य जन के प्रतिनिधि कवि हैं उनकी रचनायें सीधे संवाद करती हुई प्रतीत होती है। केवल राष्ट्रीय चेतना ही नहीं आम जनजीवन को भी स्वर दिया। इस तरह कवि जनसाधारण के प्रवक्ता के रूप में भी उपस्थित हैं।

"मोर रग–रग म हे मया–दया
मैं महाभारत के गीता अंव
मोर भुजा में लाखन लोग पलै
मैं घर हारे, जग–जीता हंव।"[8]

उन्होंने मुकमाटी का मानवीकरण किया है। मीटी की महिमा, व्यथा और अन्य विशेषता परिलक्षित होती है। यह गीत मानो छत्तीसगढ़ की मिट्टी की अपनी पुकार है। उन्होंने माटी वंदना का जो भाव अपनी गीतों में संजोया है। उनका अनुशरण कई पीढ़ियॉं करेगी। लक्ष्मण मस्तुरिया का कहना है कि स्वदेशी व स्वराज के बिना जीवन व्यर्थ है। अपनी मिट्टी का मान बढ़ाना ही हम सबका परम कर्तव्य है। इस गीत में यह भाव इस प्रकार व्यक्त हुआ है।

"बिना सुराजी के जिनगानी,
मुरदा है तन मरे परान
बिना मान सभिमान के मनखे
गाय गरू अऊ कुकुर समान।"[9]

छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के प्रतीक लक्ष्मण मस्तुरिया के गीतों में देश प्रेम का स्वर हैं। देश प्रेम को आधार देने हेतु समरसता और सौहाद्र को उन्होंने जन सामान्य के समक्ष एकता के सूत्र के रूप में रखा। मानव के दुःख दर्द को गहराई से समझा। शोषित पीड़ित हृदय के लिए उनके गीत मरहम के जैसे हैं। आल्हा के तर्ज पर लिखे गीत 'सोनाखान के आगी' वीर रस का काव्य है। उस काव्य में शहीद वीरनारायण के कथा के माध्यम से उनके देश प्रेम का उत्कर्ष रूप है। देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखने वाले लक्ष्मण मस्तुरिया के गीत देशप्रेमियों को सदैव राह दिखाती रहेगी। लक्ष्मण मस्तुरिया माटी के जुड़े हुए थे, उन्होंने छत्तीसगढी अभिमान को स्थापित किया। उन्होंने फिल्मों में भी गीत लिखा, लेकिन सांस्कृतिक मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। फिल्मी गीत भी उन्होंने समाज को संदेश देने वाले एवं स्तरीय लिखा। "मोर छैया भुइयॉं" फिल्म का गीत "छैयां भुइयां ला छोड़ जवैया" जनमानस को झकझोरता है। निश्चय ही लक्ष्मण मस्तुरिया छत्तीसगढ़ महतारी के गौरव गान करने वाले हैं– जिनके गीतों को सुनकर मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा जागृत होती है। लक्ष्मण मस्तुरिया मंचीय कवि थे। मंच पर उनके गाये गीतों की गुंज भी सदैव रहेगा।

संदर्भ सूची :

1. नगेन्द्र, हरदयाल. हिंदी साहित्य का इतिहास. इंदिरापुरम् : मयूर पेपर बैक्स, सं. 2015, पृ. 628.
2. तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद. साहित्य का स्वधर्म. दिल्ली : सामयिक बुक्सः सं. 2018, पृ. 117.
3 शुक्ल, शिवशंकर. छत्तसीगढ़ी लोकसाहित्य का अध्ययन. रायपुर : वैभव प्रकाशन, 2011, पृ. 130.
4. आडिल, सत्यभामा. छत्तसीगढ़ी भाषा और साहित्य. रायपुर : विकल्प प्रकाशन, सं. 2003 पृ. 156.
5. शर्मा, सुधीर छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान लक्ष्मण मस्तुरिया रायपुर : वैभव प्रकाशन, सं. 2019, पृ. 102.
6. वही, पृ. 20.
7. मस्तुरिया, लक्ष्मण छत्तीसगढ़ के माटी. रायपुर : लोकसुर प्रकाशन, संस्करण 2011, पृ. 21.
8. वही, पृ. 5.
9. मस्तुरिया, लक्ष्मण , सोनाखान के आगी. रायपुर : लोकसुर प्रकाशन, सं. 2011, पृ. 21.

UGC Approved, Journal No. 48416 (IJCR), Impact Factor 6.0 ISSN : 2393-8358

Interdisciplinary Journal of Contemporary Research

An International Peer Reviewed Refereed Research Journal

Vol. 9, No. 7 July, 2022

PEER REVIEWED JOURNAL

EDITOR

Dr. H.L. Sharma
Associate Professor
Shimla, Himachal Pradesh

Dr. Hans Prabhakar Ravidas
Assistant Professor
Department of Performing Arts,
National Sanskrit University, Tirupati

Dr. Anil Kumar
Assistant Professor, Department of History
Rajdhani College, University of Delhi

Published by

VPO Nandpur, Tehsil-Jubbal, District-Shimla, Himachal Pradesh

email : ijcrournal971@gmail.com, Website : ijcrjournals.com

Impact Factor : 6.0
ISSN : 2393-8358

अनुक्रमणिका

	बाल श्रमिकों की पारिवारिक, आर्थिक स्थिति का समग्र अध्ययन : फिरोजाबाद जिले के विशेष सन्दर्भ में **डॉ0 चित्रा चन्द्रा एवं मोनिका उपाध्याय**	1-4
	अभिनवगुप्त का जीवन और रचनायें (एक शिल्पकार के दृष्टिकोण से) **दिनेश पाल**	5-10
	स्वतंत्र भारत में शिक्षा का विकास एवं नयी शिक्षा नीति–2020 **डॉ0 संजय कुमार पाण्डेय**	11-16
	स्त्री अस्मिता और उसकी चेतना **डॉ0 श्यामजी सोनकर**	17-20
	सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा : एक अध्ययन **डॉ0 सलोनी भारती**	21-24
	The Psychology of Children and their Intelligence Development in Phases : A Study **Dr. Reshma Kumari**	25-28
	Genotypic Sensitivity of Salt in Chickpea (*Cicer arietinum L.*) **Dr. Richa Chauhan and Dr. Piyush Kumar Patel**	29-32
	छ0ग0 में कमार जनजाति : एक सामान्य अध्ययन **योगराज साहू**	33-36
	Le Culte de la Sincérité et de la Franchise chez Robert Challe **Harpreet Kaur Bains**	37-40
	Need for PEB & PPVC Technologies to Speed UP Construction **Harish Lal Chawla & Dr. P.R. Swarup**	41-48
	वाराणसी जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन का अध्ययन **शिव प्रसाद सोनकर एवं डॉ0 संजय सोनकर**	49-54
	भागलपुर के बीड़ी कारीगर **डॉ0 रवि प्रकाश यादव एवं निशित रंजन**	55-59
	डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का शैक्षिक दृष्टिकोण एवं विकसित भारत **विजय कुमार यादव**	60-62
	महात्मा गाँधी नरेगा का सीमान्त समुदायों पर प्रभाव **उमा भारती राजपूत**	63-66
	इलियट का परंपरा संबंधी चिंतन **हिमांशु**	67-70
	क्षेत्रानुसंधान एवं स्थान नामार्थ शब्दावली के अध्ययन की समस्याएँ **डॉ0 गिरजा शंकर गौतम**	71-74

	A Study of Contract Farming on Household Income: Empirical Evidence Western Uttar Pradesh **Dr. Sarfraj Ahmed**	75-80
	धर्म का उद्गम और विकास **डॉ0 रश्मि श्रीवास्तव**	81-83
	An Analysis of Skill Development Programmes for Women in India **Dr. Karnica Agrawal**	84-90
	श्रवणबाधित विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं आत्म–संप्रत्यय में सहसंबंध **मीना कुमारी एवं डॉ0 निशात परवीन**	91-96
	A Study on the Activities of Aasra Group of National Institute of Technology (NIT) Rourkela **Priyanka Kishore**	97-101
	Bal Sansad: Development of Leadership Skills among Elementary School Students of Jharkhand **Harim Qudsi**	102-108
	Emerging Trends and Innovation in Banking Sector in India (With Special Reference to Digitization) **Dr. Shikha Srivastava**	109-114
	शास्त्रमत पर लोकमत की विजय पताका **डॉ0 प्रीति**	115-119
	जगदीश चन्द्र के विकलांग पात्र **डॉ0 नवारुणा भट्टाचार्य**	120-124
	آزادی کے بعد اردو غزل پر فسادات کے اثرات **عرفات حسین شاہ**	125-128
	सिविल सेवा (IAS, PCS) में प्रवेश हेतु तैयारी कर रहे आरक्षित व अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की मनःस्थिति का अध्ययन **डॉ0 सी0वी0 पाठक एवं अरुण कुमार मिश्र**	129-131
	माध्यमिक स्तर के ग्रामीण एवं शहरी सामान्य बस्तियों में निवास करने वाली छात्रों की व्यावसायिक रूचि का अध्ययन **डॉ0 वंदना शुक्ला एवं बृजेश कुमार सिंह**	132-134
	महिला सशक्तीकरण में मीडिया का योगदान : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन **डॉ0 अवध बिहारी सिंह**	135-140
	देवकली विकास खंड जिला–गाजीपुर में कृषि व्यवसाय के आवश्यक पहलू **डॉ0 प्रहलाद सिंह यादव एवं प्रो0 जी0एस0 लाल**	141-144
	Impact of COVID-19 on Academic Works in Central University of Jharkhand **Dr. Arpana Raj**	145-157
	A Comparative Study - Marital Adjustment of the Male Partner among Employed Wives and Non-employed Wives **Asha Rani**	158-160

	Shiva in Gujarat (c. 950 CE – 1300) **Dr. Ranjana Bhattacharya**	161-167
	Land Use/Land Cover Mapping from Satellite Imagery of a Part of Sonbhadra District (U.P.) **Dr. Sushil Kumar**	168-174
	भरतनाट्यम् नृत्य का प्रस्तुतिक्रम 'मार्गम्' : एक अध्ययन **सत्यजीत देबनाथ, डॉ. संतोष पाठक एवं डॉ. के. माधवी**	175-178
	माध्यमिक स्तर के ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के समायोजन का अध्ययन **प्रो० अजय कुमार दूबे एवं संतोष कुमार पाल**	179-182
	भारत में सूफीवाद के प्रसार के कारण : राजनीतिक व सामाजिक **डॉ0 फौज़ान अबरार**	183-185
	आचार्य शारदातनय की दृष्टि में लास्य नृत्य : कथक नृत्य के परिप्रेक्ष्य में **गुंजन तिवारी**	186-190
	Revenge Pornography: Unveiling the Concept **Dr. Himani Bisht**	191-195
	नवाचार, अस्मितामूलक चिन्तन की अवधारणा और स्त्री–विमर्श **डॉ० बबिता**	196-198
	Interrupted Embodiment, Memory and Storytelling in Virginia Woolf's *Mrs. Dalloway* **Ms. Apoorva**	199-204
	Rohinton Mistry's *Such a Long Journey*: A Diasporic Analysis **Dr. Anand Prakash Dwivedi**	205-212
	The Impact of India's Demonetization on E-commerce **Dr. Amit Kumar Singh**	213-219
	सुरेन्द्र वर्मा के उपन्यासों में स्त्री–पुरुष सम्बन्ध का विश्लेषण **महेश सिंह यादव एवं डॉ0 शिप्रा द्विवेदी**	220-222
	ग्रामीण समाज में अस्पृश्य जातियों का सामाजिक स्वरूप (इंदौर जिले के विशेष संदर्भ में) **दिनेश परमार**	223-228
	Green Human Resource Management Practices : A Strategy for Promoting Environmental Consciousness among Individuals **Rajat Kumar Singh**	229-234
	Enhancing Self Help Groups through Neoliberalism (Neoliberal Policies) (A Sociological Study based on Darbhanga District of Bihar) **Laxmi Kumari**	235-240
	A Descriptive Study of MSMEs' Financial Inclusion in India: Challenges and Opportunities **Ms. Nidhi Gupta & Prof. (Dr.) Anil Pratap Singh**	241-245
	छत्तीसगढ़ी काव्य में राष्ट्रीय चेतना : केयूर भूषण के विशेष संदर्भ में **सीमारानी प्रधान एवं डॉ0 अनुसुइया अग्रवाल**	246-248

UGC Approved Journal No. 48416
Interdisciplinary Journal of Contemporary Research, Vol. 9, No. 7, July, 2022

Impact Factor : 6.0
ISSN : 2393-8358

छत्तीसगढ़ी काव्य में राष्ट्रीय चेतना : केयूर भूषण के विशेष संदर्भ में

शोधार्थी
सीमारानी प्रधान
सहा.प्राध्या., हिन्दी
शोध निर्देशिका
डॉ. अनुसुइया अग्रवाल (डी.लिट्.)
प्राध्या0 एवं विभागाध्यक्ष–हिन्दी, शास.महा. प्रभु वल्लभाचार्य विश्वविद्यालय, महासमुंद, छत्तीसगढ

सारांश

राष्ट्रहित किसी भी देश के नागरिकों का परम ध्येय है। साहित्य समय–समय पर जन सामान्य में राष्ट्रीय भावना को उभारती है। राष्ट्र हित को नजरअंदाज करने वालों को लताड़ती भी है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिन्दी साहित्य का योगदान सर्वविदित है। स्वतंत्रता के बाद भी हिंदी साहित्य राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रही है। छत्तीसगढ़ी काव्य में भी राष्ट्रीयता की भावना प्रखर रूप से व्यक्त हुआ है। छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों में जनवादी कवि केयूर भूषण का नाम उल्लेखनीय है। छत्तीसगढ़ी महतारी की सेवा और भारतभूमि का गौरवगान उनके काव्य का प्रमुख स्वर रहा है। केयूर भूषण सादगी से जीवन यापन कर सच्चे छत्तीसगढ़िया के भाव को आजीवन निर्वाह किये है।

की–वर्ड : छत्तीसगढ़ी काव्य, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र हित, केयूर भूषण, समरसता, सौहार्द्र।

राष्ट्रीय चेतना से तात्पर्य राष्ट्र के प्रति संवेदनशील होना है। राष्ट्रीय चेतना को समझने से पहले राष्ट्र की अवधारणा को जानना आवश्यक है। भारतीय परंपरा में राष्ट्र शब्द का प्रयोग वैदिक काल से होता आ रहा है। राष्ट्र शब्द समुदाय का द्योतक है। समुदाय का संबंध विशेष भौगोलिक क्षेत्र से होता है। समुदाय विशेष के प्रति हम की भावना उसे राष्ट्र की दर्जा देती है। राष्ट्र में समूह की भावना निहित होती है, जिसमें वैचारिक एकता का भाव हो। "शब्द" राष्ट्रीय एकीकरण" की एक स्पष्ट मान्यता यह है कि समाज के सदस्यों के आदर्श और आकांक्षाएँ भावनात्मक बंधन और मूल्यांकन एक होने चाहिए।"[1] राष्ट्र के प्रति सम्मान व प्रेम की भावना ही राष्ट्रीयता है। राष्ट्र की उन्नति व विकास के लिए सदैव कियाशील रहना राष्ट्रीय चेतना है।

भारत जैसे विशाल देश का गौरवशाली परंपरा साक्षी है कि भारतभूमि भारतीयों के लिए कभी भी माटी का अंश मात्र नहीं रहा। यह भूमि हमारी भारत माता है, जिसके लिए जीने से अधिक मरने पर गर्व होता है। भारत माता की सुन्दर कल्पना अथर्व वेद में वर्णित है। "माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः" का सूत्र सभी देशवासियों के लिए राष्ट्र भक्ति के मंत्र जैसे है। प्रत्येक काल में महापुरूषों ने मातृभूमि का स्तवन अनेक रूपों में किया है। भारतीय मनीषियों ने वसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा से विश्व को अचंभित कर दिया। भारत की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोकर अखंड भारत की कल्पना को साकार करने वीरों ने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी।

साहित्य राष्ट्रीयता की भाव को पुष्ट करती है। किसी भी राष्ट्र की विशेषताएँ वहाँ की साहित्य में व्यक्त होती है। साहित्य राष्ट्र की आंतरिक सौदर्न्य का बोध कराती है। आवश्यकता होने पर राष्ट्रहित के लिए सजग प्रहरी की भूमिका निभाती है। भारत साहित्यिक दृष्टि से उन्नति के चरम पर है। जब–जब देश में कठिन समय आया साहित्य ने राष्ट्र को संभालाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे वो साहित्य किसी फकीर, संत, कांतिवीर या विद्रोही की वाणी से फूटी हो। "मानव–मूल्यों की अवमानना और आदर्शों एवं नैतिकता के स्वांग के बीच रहते हुए समकालिन हिंदी साहित्यकार के एक हाथ में निर्माण है और दूसरे हाथ में संहार।"[2] हिंदी साहित्य में कबीर जैसे फक्कड़ संत भी हुए, जिनके दोहे व पदों ने समाज के नब्ज को टटोला। कबीर ने समाज की बुराईयों पर करारा प्रहार कर समसरता की जो धारा बहायी है, वो युगों तक राष्ट्रीयता को बल देती रहेगी। कबीर का युग आडम्बरों व विभिन्न सामाजिक विषमताओं का था। ऐसे समय में कबीर ने समाज से भेदभाव मिटाने के लिए बहुत प्रयास किया। निर्गुण, निराकर ब्रह्म की उपासना पर बल देकर राष्ट्र को गरीमामयी बनाने में योगदान दिया। भक्तिकालिन संत तुलसी दास ने आराध्य प्रभु श्रीराम को इस तरह से जन–सामान्य से जोड़ा कि प्रत्येक व्यक्ति राम जैसे पुत्र, पिता, और राजा की कल्पना करने लगे। उन्होने राम को मर्यादा पुरूषोत्तम, समन्वयवादी, लोकरक्षक के रूप में प्रस्तुत कर जन सामान्य के लिए विश्वास पैदा किया है। हालाकि सूरदास ने सीधे राष्ट्र या समाज सुधार की बात नहीं किया, लेकिन कृष्ण के

मनमोहक रूप को जन मानस में प्रस्तुत कर समाज को सत्कर्म के लिए प्रेरित किया हैं। रीतिकालिन साहित्य की काव्यधारा राष्ट्रवादी नहीं है। परन्तु इस समय भी भूषण जैसे राष्ट्र वादी वीर रस के कवि भी हुए हैं जिन्होनें अपनी वाणी में ओज भरकर राष्ट्रवाद का हुंकार कर राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त किये।

आधुनिक काल में भारतेन्दु जी ने भारत की दुर्दशा की चिंता करते हुए इसे सर्वव्यापी बनाया है। मैथिलीशरण गुप्त को उनके राष्ट्रीय योगदान के कारण राष्ट्र कवि का दर्जा मिला है। गुप्त जी भारतीय मूल्य को अपने काव्य का विषय चुना है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनायें उन्हें भारतीय आत्मा के रूप में पहचान दिलाती है। रामधारी सिंह दिनकर ने राष्ट्रीय चेतना को सर्वथा नवीन रूप में प्रस्तुत किया। उन्होने बताया कि समय के साथ राष्ट्र की जरूरत बदलती रहती है। बदलते समय के अनुरूप देश के साथ मजबूती से खड़े होना ही राष्ट्र भक्ति है। "हिंदी में राष्ट्रीय कविताएँ उच्च कोटि के होती आयी थी, यदि यह कहा जाय तो शायद अत्युक्ति समझा जाएगा, पर परिणाम में वे अन्य भाषाओं की अपेक्षा कम नहीं थी। किन्तु आजादी के लड़ाई में लगे हुए बलिदानी भारत की जो वीरता जो स्वाभिमान, जो अधीरता और आकोश दिनकर में प्रकट हुआ, कला के रूप में उसका विस्फोट हुआ पहले उतने जोर से नहीं हुआ था।"[3] छत्तीसगढ़ ऐसे तो बहुत ही शांत और सरल प्रदेश के रूप में विख्यात है। धन–धान्य से परिपूर्ण "धान का कटोरा" है। खनिज संपदा व सांस्कृतिक विविधता से संपन्न है। युद्ध कभी भी छत्तीसगढ़ का उद्देश्य नहीं रहा है, और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमानी होते हैं। अपनी मान मर्यादा के लिए सदैव सजग रहते हैं।

स्वाधीनता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान अविस्मरणीय है। स्वतंत्रता आंदोलन से भी पहले छत्तीसगढ़ में आजादी के लिए जनजातियों ने जंग छेड़ दिया था। गेंद सिंह जैसे महानायकों ने क्रांति की मशाल जलाई। 1857 के गदर में सोनाखान के जमीदार वीरनारायण सिंह ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। 1910 का भूमकाल ने अंग्रेजी सत्ता को हिला दिया। कालेन्द्र सिंह, गुण्डाधर जैसे वीरों का परिचय संसार में हुआ। कंडेल सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, आदि छत्तीसगढ़ के उल्लेखनीय आंदोलन है।

छत्तीसगढ़ी साहित्य व साहित्यकार भी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ तन–मन से जुड़े रहे। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की अस्मिता और भारत की आजादी के लिए अपनी लेखनी से आग उगलने वाले रचनाकार भी हुए हैं और शांति से सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले रचानाकार भी हुए है।

ऐसे ही देशभक्त, समाजसुधारक कलमकार केयूर भूषण जी हैं। जिन्होने राजनीति में रहने के बाद भी सिर्फ छत्तीसगढ़िया बने रहे, बल्कि सांसद होने के बाद भी बहुत सादा जीवन व्यतित किया। वे मीलों पैदल चलते थे और आजीवन साइकिल पर ही चले। उनकी सादगी अतुलनीय है और उनकी जीवन शैली अनुकरणीय रही है। सादा–जीवन, उच्च विचार सदैव उनका ध्येय रहा। सामाजिक सद्भाव उनकी प्रमुख विशेषता रही। डॉ. रमणी चन्द्राकर के अनुसार– "दूसरों के दुख–दर्द देखकर वे तुरंत पिघल जाते है। राह चलते यदि कोई ठंड से ठिठुरता दिखाई देता है, तो वे अपना दुशाला या कोट उतार कर सहज ही दे देते है। रिक्शे, आटो वालों को बिना मोल–भाव किये अधिक किराया देते, घर के नौकरों से भी वे सहृदयता से बात करते हैं।"[4] केयूर भूषण का व्यक्तित्व उनके कृतित्व में उभरता है। केयूर भूषण उपन्यास, कहानी, लेख व विविध काव्य रचना की हैं। उनकी प्रकाशित काव्य संग्रह में लहर (1986) "मोर मयारूक गांव" (2002) और "नित्य प्रवाह" (2000) है। इसमें से लहर और मोर मयारूक गांव छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह है तथा नित्य प्रवाह हिंदी संग्रह है। उनकी रचना भारतीयता से ओत प्रोत सांस्कृतिक धरोहर हैं। उनका काव्य भारतीय गौरव का मधुर गान है। उनके "लहर" काव्य संग्रह में संग्रहित रचना इस तरह की भावना को व्यक्त करते है।

केयूर भूषण मूलरूप से साहित्यकार हैं, मानवता के सच्चे सेवक हैं। उसके बाद ही जीवन के अन्य भूमिका के निर्वाह किये हैं। राजनीतिज्ञ होकर भी कभी राजनीति में रम नहीं पाये। कुटिलता उन्हें कभी छू नहीं पाई। उन्हे देश की माटी की वंदना ही अच्छा लगा, जीवन भर साधु सा जीवन व्यतित करते रहे। भेदभाव से परे होकर ही कार्य किये। उनके काव्य में यह भाव दृष्टव्य है–

"दुनिया भर बर प्रेम हमर हे,
हमर तुंहर के भेद नई जानेन।
घट–घट म राम ला मानेन
नइ राखन हम मन मा भेद
कइसन सुन्दर हमर देश।"[5]

केयूर भूषण का देश को योगदान अविस्वमरणीय है। बाल उम्र से ही राष्ट्र की सेवा में जुड़ गये। मीडिल स्कूल में पढ़ते–पढ़ते ही स्वतंत्रता आंदोलन में स्वंय को झौंक दिया। इस कारण अपनी औपचारिक पढ़ाई पूर्ण नहीं कर पाये। बहुत कम उम्र ही उन्हे जेल की सजा मिली। रायपुर जेल में अन्य क्रांतिकारियों से

उनकी मुलाकात हुई। जिससे उनके विचार और भी प्रखर हुए। जेल से आने के बाद उन्होने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव, किसान को अपना कार्य क्षेत्र चुन लिया। किसानों के संगठन के गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए गांव–गांव जाते थे। गांवों की समस्याओं से रूबरू होने लगे। माटी की सेवा करते–करते माटी में रम गये। छत्तीसगढ़ के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए सतत् प्रयास रत रहे। पं. सुन्दरलाल शर्मा की जयंती मनाकर उनके महत्व को जन–जन तक पहुचाने का सार्थक प्रयास किया। क्योंकि उन्हें अपनी माटी से गहरा लगाव है–

"छत्तीसगढ़ी बोली बर मया हे,
छत्तीसगढ़ी मनखे बर मया हे
छत्तीसगढ़ के माटी म उपजे हस
भुलाबे झन किरिया हे।"[6]

केयूर भूषण को अपने माय बोली से बहुत लगाव रहा है। उनके अनुसार जो वात्सल्य, मिठास, और दुलार, माय बोली में है, वो किसी में नहीं है। छत्तीसगढ़ी बोली के प्रति उनका अगाध स्नेह व अनुराग उन्हे अन्य लोगों से पृथक करता है। राजनीति में रहकर भी वो मातृभूमि के सेवक और गौरव गाथा के अमर गायक ही बने रहे। उनके संपूर्ण व्यक्तित्व पर हमेशा सहृदय केयूर भूषण का ही वर्चस्व रहा। छत्तीसगढ़ के अतीत गौरव को प्रकाश में लाने का निरंतर प्रयास किये। उन्हे दृढ़ विश्वास था कि एक न एक दिन छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक गौरव से संपूर्ण विश्व परिचित होगा। छत्तीसगढ़िया होने का गर्व व स्वाभिमान उनके ललाट पर सदैव चमकता रहा। अपनी संस्कृति से जुड़कर उन्हे आनंद और शांति का अनुभव होता था। उनका गांव उन्हे तीर्थस्थान से ज्यादा पावन लगता था।

"बड सुम्मत हे जांता गांव म,
एक पिलोर बनके रइथें।
सुम्मत के करतब हे भारी,
सकल जिनिस उंरवरे कहिथें।
आनंद बधई उहें बजत हे,
होवथे रोज रमायन।"[7]

छत्तीसगढ़ की अनुपम संसार कवि के लिए सदैव नवीन सौन्दर्य से परिपूर्ण है। चीर नूतनता से युक्त छत्तीसगढ़ की संस्कृति केयूर भूषण को तरोताजा करती है। उसकी सुगंध कवि को जीवंत रखती है। उनकी लेखनी को प्राणवान बनाती है। केयूर भूषण जी अपने कविता संग्रह "मोर मयारूक गांव" की भूमिका में लिखतें हैं कि "मोर महतारी मोर उपर अतेक मया करे हे के मैं ओखर रिन ले उरिन हो नई संकव। ओखर बर मोला भर–भरके ओखरेच कोंख म कई बेर ले जनम लेके ओखर सेवा करे बर परही। तभो उरिन नई होए संकव।"[8] केयूर भूषण के लिए छत्तीसगढ़ की भूमि नहीं स्वर्ग से बढ़कर थी। उन्होने इस माटी से जन्मे सभी छत्तीसगढ़ी महतारी के संतान को अपना भाई बंधु माना। समरसता, सौहार्द्र उनके जीवन जीने का सदैव ढ़ग रहा।

केयूर भूषण के न सिर्फ काव्य बल्कि अन्य विधाओं मे भी छत्तीसगढ़ी संस्कृति का वर्णन है। केयूर भूषण ने स्थानीयता को राष्ट्र से जोड़ने वाली कड़ी माना है। उनकी अप्रकाशित पांडुलिपियां भी राष्ट्र प्रेम से ओत प्रोत हैं। केयूर भूषण जनवादी साहित्यकार हैं। प्रगतिशील विचारधारा के कारण समाज के लिए अहितकार परंपराओं को स्वीकार नहीं किया। गांधीवाद के सच्चे अनुयायी हैं। सरलता उन्हे सभी साहित्यकारों की पंक्ति से अलग करती है। उनकी लेखनी ने निरंतर देश सेवा की है, जिसका प्रभाव अक्षुण्ण रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ

1. शर्मा, के, एलः भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन, पब्लिकेशन, 2010.
2. वाष्णैय, लक्ष्मी सागर स्वातंत्र्यत्तर. हिंदी साहित्य का इतिहास, दिल्लीः राजपाल एवं सन्स. सं. 2009 पृ. 29.
3. सिन्हा, सावित्री. दिनकर. नई दिल्लीः राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा. लि. सं. 1998. पृ. 14.
4. चन्द्राकर, रमणी, केयूर भूषण के छत्तीसगढ़ी साहित्य का अनुशीलन, रायपुरः वैभव प्रकाशन सं. 2015. पृ. 63.
5. भूषण, केयूर. लहर. छत्तीसगढ़ी कविता संग्रह. रायपुरः जनचेतना प्रकाशन, सं 1958 पृ. 12.
6. वही पृ. 01.
7. भूषण, केयूर. मोर मयारूक गांव. छत्तीसगढ़ी कविताएं रायपुरः जनचेतना प्रकाशन, सं. 2002, पृ. 9.
8. वही पृ. 8.

UGC Approved Journal No. 49321 Impact Factor : 6.125 ISSN : 0976-6650

Shodh Drishti

An International Peer Reviewed Refereed Research Journal

Vol. 13, No. 8 Year - 13 August, 2022

PEER REVIEWED JOURNAL

Editor in Chief
Prof. Abhijeet Singh

Editor
Prof. Vashistha Anoop
Department of Hindi
Banaras Hindu University
Varanasi

Dr. K.V. Ramana Murthy
Principal
Vijayanagar College of Commerce
Hyderabad

Dr. Anil Kumar
Assistant Professor, Department of History
Rajdhani College, University of Delhi

Published by
SRIJAN SAMITI PUBLICATION
VARANASI
E-mail : shodhdrishtivns@gmail.com, Website : shodhdrishti.com, Mob. 9415388337

UGC Approved Journal No. 49321
Shodh Drishti (An International Peer Reviewed Refereed Research Journal), Vol. 13, No. 8, August, 2022
Impact Factor : 6.125
ISSN : 0976-6650

७	Parenting Styles and Behaviour Problem in Children **Dr. Roli Prakash**	68-72
७	आधुनिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य–धारा में औदात्य के अवरोध तत्व **डॉ0 कृष्ण भगवान दुबे**	73-74
७	जीवन का विज्ञान–आयुर्वेद **डॉ0 बालचन्द्र गोविन्द राव कुलकर्णी**	75-76
७	आधुनिक संदर्भ में रामकथा **डॉ० राजमोहिनी सागर एवं डॉ० दीपा**	77-82
७	हिन्दी ग़ज़ल में स्त्री स्वर **डॉ0 सुधा सिंह**	83-86
७	कानूनी जागरुकता अन्तःक्षेप कार्यक्रम का आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर प्रभाव का अध्ययन **सरिता गुप्ता एवं डॉ0 चित्रा चन्द्रा**	87-92
७	उन्नीसवीं शताब्दी में सामाजिक–धार्मिक सुधार आन्दोलन में राजा राम मोहन राय का योगदान **वीर बहादुर**	93-98
७	जीवन कला और कुम्भ **त्रिवेणी प्रसाद तिवारी**	99-101
७	छत्तीसगढ़ राज्य के सीमेंट उद्योग में कार्यरत अकुशल श्रमिक परिवारों में आय संरचना का अध्ययन (बलौदा बाजार जिले के विशेष संदर्भ में) **जितेन्द्र कुमार एवं दीपक कश्यप**	102-106
७	समकालीन कहानी : वैश्विक दृष्टि और नये जीवन–मूल्य **डॉ0 लतिका सिंह**	107-110
७	जनपद प्रयागराज में यौनानुपात का तुलनात्मक अध्ययन **सुबाष चन्द्र यादव एवं डॉ० सत्येन्द्र प्रताप सिंह**	111-116
७	आदि गुरु शंकराचार्य के वेदान्त दर्शन में पाठ्यक्रम का अध्ययन **दीनानाथ यादव**	117-119
७	वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य : एक अध्ययन **सुनीता यादव एवं डॉ0 वर्षा पालिवाल**	120-122
७	महात्मा गाँधी के राजदर्शन की उपादेयता **डॉ0 सुधाकर कुमार मिश्र एवं प्रो0 प्रवीन गर्ग**	123-125
७	प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास हेतु किये जा रहे प्रयासों का मूल्यांकन **अनामिका कुमारी एवं डॉ0 किरण कुमारी**	126-130
७	अंग्रेजों के लुटे हुए देश का बौद्धिक सम्पन्न नेता : डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी **डॉ0 दिग्विजय सिंह**	131-132
७	कृष्णा सोबती के उपन्यास डार से बिछुड़ी में नारी मनोदशा **नम्रता ध्रुव एवं डॉ0 श्रीमती अनुसुइया अग्रवाल**	133-138
७	La musique de Bénarès : Une étude comparative de deux documentaires sur Bénarès **Rajneesh Gupta**	139-140

UGC Approved Journal No. 49321 Impact Factor : 6.125
[illegible] : An International Peer Reviewed Refereed Research Journal, Vol. 13, No. 8, August, 2022 ISSN : 0976-6650

कृष्णा सोबती के उपन्यास डार से बिछुड़ी में नारी मनोदशा

[illegible]
सहायक प्राध्यापक, हिंदी, [illegible]
शोध निर्देशक
डॉ. श्रीमती अनुसुइया अग्रवाल (डी.लिट्)
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद

सारांश

कृष्णा सोबती अपनी विशिष्ट लेखन शैली के लिये जानी जाती है। अपने उपन्यास के माध्यम से आपने स्त्री के विभिन्न पहलुओं को पैनी दृष्टि से उजागर किया है। सोबती ने स्त्री मनोदशा को अपने उपन्यास के [illegible] से उद्घाटित किया है। आपकी सटीक लेखन शैली ने स्त्री जीवन को खोलकर रख दिया है। डार से बिछुड़ी उपन्यास के माध्यम से आपने एक किशोरी जो अपने माता-पिता के स्नेह से वंचित, माँ के स्नेह व सुखद गृहस्थी की कल्पना करती है किन्तु उसके भाग्य में शायद वह स्नेह ही नहीं है जिसकी वह तलाश करती हुई अपने मामा-मामी के घर की दहलीज को पार कर जाती है। दहलीज लाँघते समय उसे अपनी नानी की बात याद आती जिसमें नानी कहती है कि "एक बार का खिसका पाँव जिन्दगानी धूल में मिला देगा" और उसका जीवन ठीक उसी तरह बिखराव से भरा हुआ रहता है। डार से बिछुड़ी पाशो अंत में डार में मिल जाती है। प्रत्येक परिस्थिति में पाशो की मनोदशा के माध्यम से स्त्री मन के उतार-चढ़ाव का सामना करती दिखाई देती है। कभी स्त्री अभागी, भयाक्रांत आक्रोश, मानसिक तनाव, अभाव, दुःख व संताप के भावों के घेरे में स्वयं को पाती है। स्नेह व सुख स्त्री के जीवन में क्षणिक ही होते हैं जिसे पाशो के माध्यम से व्यावहारिक रूप मिलता है। सोबती ने अपने बेबाक लेखन के माध्यम से स्त्री मनोदशा का पक्ष दृढ़ता से प्रस्तुत किया है। चाहे घर हो या समाज स्त्री की स्थिति में कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता। स्त्री अपनी मनोदशा की स्पष्ट अभिव्यक्ति में असमर्थ नजर आती है, उसकी असमर्थता के कई कारण हो सकते हैं– स्त्री के लिये घर के लोगों की सोच, समाज की मानसिकता, स्त्रियों की स्त्रियों के प्रति सोच, व्यवहार आदि नारी जीवन को प्रभावित करती है। स्त्री मन संवेदनशील होता है इसीलिये अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति करने में प्रायः असमर्थ सी रहती है। स्त्री मन की दशा समाज, घर और लोग क्या कहेगें यह सोचकर दायरे में बंधकर रह जाती है। घर से निकलकर अपने अस्तित्व और अपने घर को तलाशती स्त्री पाशो नदी रूपी अनेक परिस्थितियों में अनेक रिश्तों के लहरों भरे उतार चढ़ाव में हिचकोले खाते अपनी जगह को तलाशने की कोशिश करती है।

कुँजी शब्द : स्त्री, मनोदशा, पाशो, अभागी, आत्मचिंतन, ममता।

हर युग में नारी का चित्रण भिन्न–भिन्न रूपों में देखने को मिलता है। किसी युग में नारी पूजनीय तो किसी युग में भोग्या बनकर सामने आई। नारी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक जड़ता की आज प्रतिमूर्ति बन चुकी है। अनेक सवाल लिये आधुनिक युग में समाज–सुधार के माध्यम से सामाजिक मान्यताओं, धार्मिक कट्टरता, कुप्रथा और जड़ता का शमन किये जाने का आरंभ हुआ, जो साहित्य जगत में भी मुखरित हुआ, साथ ही नारी अपने अस्तित्व व अधिकार प्राप्ति हेतु जागरूक हो सामने आने लगी। कहा जाता है कि नारी मन को नारी ज्यादा अच्छे से समझ कर साहित्य में चित्रित कर सकती है । आधुनिक युगीन साहित्य में नारी मन की दशायें चित्रित की गई हैं। स्त्री लेखिकाओं ने लेखन के माध्यम से स्त्री मन के विभिन्न पहलुओं का लेखन कर साहित्य में नए आयाम का सृजन किया है।

कृष्णा सोबती महिला लेखिकाओं में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। उनके उपन्यासों में नारी जीवन के सभी पहलुओं का चित्रण किया है। उपन्यासों के माध्यम से नारी जीवन की विभिन्न समस्याओं का चित्रण बड़ी सहजता से करती हैं, नारी मन की वेदना, आत्मपीड़ा, आत्मचिंतन का या स्त्री मनोदशा का चित्रण हमें प्रत्येक उपन्यास में देखने को मिलता है। नारी जीवन की स्थितियों, तनाव, संघर्ष, निराशा, उत्साह, कोध, अवसाद, उदासी, आत्मग्लानि, नाराजगी, चिंता आदि। उपर्युक्त मनोदशा का चित्रण सूक्ष्मता व गहनता के साथ साहित्य में दृष्टव्य है।

कृष्णा सोबती रचित 'डार से बिछुडी' एक ऐसी लड़की की कहानी है जो एक रात अपने घर से निकलने का साहसिक कदम तो उठाती है किन्तु उसके पश्चात् उसका जीवन विभिन्न विषम परिस्थितियों से भरे संघर्ष का शिकार होता गया। इन परिस्थितियों का नायिका पाशो किस तरह सामना करती है और उसके

UGC Approved Journal No. 49321
Shodh Drishti (An International Peer Reviewed Refereed Research Journal), Vol. 13, No. 8, August, 2022
Impact Factor : 6.12..
ISSN : 0976-6650

मन में क्या-क्या भावनाये आती जाती है उसका चित्रण हमें 'डार से बिछुडी' उपन्यास में दृष्टिगत होता है। स्त्री मन चंचल, दुःखी, दमित, शोषित, तनाव, संघर्ष, कौतूहल, स्वतंत्रता की छटपटाहट का मनोवैज्ञानिक चित्रण 'डार से बिछुड़ी' उपन्यास की नायिका पाशो में दिखाई देता है। लेखिका के द्वारा स्त्री मन के विभिन्न मनोदशाओं का सूक्ष्म चित्रण बड़ी सहजता, सरलता से लेखिका ने अपने उपन्यास में किया है।

'डार से बिछुड़ी' उपन्यास का आरंभ ही नायिका पाशो की अपनी मां को देखने की उत्कण्ठा। बहाने से अकेली चल निकल जाती है और कुम्हारों के घर तक हो वापस लौट आती है। नायिका अपने नानी, छोटी-बड़ी मामी व मामा के तिरस्कार भरे भावों से आहत रहती है:-

"बार-बार सोचती और सोच-सोचकर और भी इठलाती। चाहती, किसी दिन चुपके से खोजों के हवेली जाऊं और किसी झरोखे से अपनी माँ कहलाने वाली की झलक तो पाऊँ।"[1]

पाशो अपनी माँ को देखने की आकांक्षी है उसने सुन रखा था कि उसकी माँ बहुत सुंदर है इसलिए वह उससे मिलना चाहती थी।

प्रभा खेतान का मानना है कि "आज भी स्त्री की मुख्य संघर्ष भूमि उसका परिवार ही है।"[2]

प्रभा खेतान के उपर्युक्त कथन का सार्थक उदाहरण हमें भय और तिरस्कार रूप हमें पाशो के पक्ष में देखने को मिलता है वह अपने नानी और मामा के साथ रहती है, वह अपने मामा से डरती है अवसर मिलते ही मामा, मामी भी उसे हमेशा तिरस्कृत करते रहते हैं। मामा तिरस्कार करके कहते हैं कि-

"पानी से छुआ, झुक तन्दूर में हाथ डाला और सेंक न सहार सकने से उछलकर पीछे हुई कि छोटे मामू ने निर्दयता से चुटिया घुमा दी और धक्का देकर कहा"-

"अरी, यह कुलच्छनियों वाले हाव-भाव!"[3]

स्त्रियों परायों की तुलना में अपनों से ही ज्यादा प्रताड़ित होती हैं, घरवालों के अत्याचार, आतंक और क्रोध का शिकार भी होती हैं। किसी की करनी का फल किसी को भोगना पड़ता है। इसका सटीक उदाहरण हमें तब दिखाई देता है जब पाशो की उसके मामू यह कहकर पिटाई करते हैं कि तुम अपना रूमाल करीम को कब दे आई। उसके बाद नानी, बड़ी व छोटी मामी ने सच का पता लगाये बिना पाशो को खरी-खोटी सुनाया। नानी तो यहाँ तक कह देती है कि मौहरा (ज़हर) दो इसे।

"मामा के नीचे जाते ही मामी आ धमकी लानत-फटकारें दे कुरता खींचकर बोली-

"अरी नरकों में वास हो तेरा और तुझे जन्मने वाली का! उस शोहदे से ऑख लड़ाके चली! कैसी कुलच्छनी मॉ थी"[4]

अनजाना भय का आंतक और घबराहट की मनोदशा जब पाशो को जोड़ मेले ले जाने की बात नानी और मामा फुसफुसाहट में करते हैं साथ ही नानी और मामी के बीच का संवाद नायिका को भयाकांत कर दहलीज़ को लॉघने का कारक बनता है-

"बेटे को समझा बहू, अभागी को इस बार तो बकश दे।"

"इस घर की न पत, न मान पर तुम्हारी तार वहीं बजती है मॉ!

शुकर मनाओ रात-ही-रात जो लड़की को गाड़ नहीं दिया।"[5]

स्वभावतः स्त्रियॉ ममतामयी होती है, पाशो के जीवन में उसकी नानी, मॉ, मौसी आदि स्त्री पात्र भी हमेशा उसे अपनी ममता के ऑचल में पनाह देते हैं। नानी उसे मामा व मामी के आक्रोश से बचाती है। मॉं अपनी बेटी की रक्षा करती है और मौसी अपनी बेटी की तरह पाशो को लाड़ प्यार करके उसे ससुराल में प्यार से रखती है। मौसी कभी सास बन उसे सीख देती है तो दीवान जी की मृत्यु पश्चात् पाशो के दुख का कारण भी स्वयं को मानने लगती है-

"मौसी ने उठाली दी और गले लगा रो-रो बोली-

"मुझ बुरी की ही नजर लगी है बीवी रानी, तुम्हारी झोली लाल देख मेरी खुशियॉ मान नहीं थीं।"[6]

"साहित्य में रोने धोने, सताये जाने का चित्रण अधिक हो रहा है इस पर लिखा जाना चाहिए कि स्त्री का शोषण स्त्री ज्यादा करती है।"[7] पाशो को भी मामी, बकतर की मॉ आदि पात्र किसी-न-किसी तरह से परेशान करते रहे हैं। पाशो की अपनी ममतामयी मॉ भी उस पर अविश्वास करती है और कहती है-

"पाशो, करीमू के कहे घर से निकली थी?"

"हवेली तक करीमू छोड़ने आया था?"[8]

अपनी उम्र से 18 वर्ष से बड़ी उम्र के डॉक्टर से प्रभा खेतान ने प्रेम किया और अपने साक्षात्कार में कहा कि "मैं एक बार संबंध बना लेती हूँ तो अंत तक उसे निभाती हूँ। इस जुडाव को दुनिया चाहे जितना असंगतिपूर्ण माने परंतु मुझे ऐसा नही लगता। प्रेम शर्तो पर आधारित नहीं होता।"[9]

UGC Approved Journal No. 49321
Shodh Drishti (An International Peer Reviewed Refereed Research Journal) Vol. 13, No. 8, August, 2022
Impact Factor : 6.125
ISSN : 0976-6650

...ऐसा करने का साहस स्त्री ही जुटा सकती है। ऐसा ही पाशो के जीवन में भी देखने को मिलता है। समय का चक्र परिवर्तनशील है अपनों से बिछुड़ने के बाद पाशो के मन से भरे जीवन में खुशी के पल दीवान जी के घर में जिसे वह अपना ससुराल मानती है, वहीं दिखाई देता है। वहीं वह दीवान जी की ... बनकर रह रही है। दीवान जी उम्र में पाशो के पिता तुल्य थे फिर भी उनकी पत्नी बनकर पाशो बहुत ... रहती है और अपने बीते दिनों के समस्त दुःखों को भूल जाती है। दीवान जी के पास उसे सुख, आनंद, ... का जीवन जीने का अवसर प्राप्त हुआ। दीवान जी स्नेह व सम्मान दोनों ही पाशो को दिया करते थे–

"पलँग पोश बीबी लेती, बीबी पोश पलँग। न कुछ करती, न धरती। मन–ही–मन सुख पाती.....मैं ... का राज करती हूँ। भला हो मेरे अपने मामुल का, जिसने इस घर परणाया!"

"मालक, तुमने तो इस घर के भाग खोल लाए। भला हो सज्जन प्यारी का! शेखजी ने तो मेरे हाथ ... लगा दिया।"[10]

निःस्वार्थ भाव से आजीवन पति की सेवा करने वाली स्त्री पति के प्रत्येक कार्य को सहज व सहर्ष स्वीकार कर उससे जुड़कर अपने जीवन को सार्थक मानती है इसलिये भारतीय नारियाँ आदर्श भारतीय नारी कहलाती है । यद्यपि संस्कारों में बंधकर कभी–कभी परिवार व समाज की उपेक्षा का शिकार भी होती है। स्त्री जीवन' उतार–चढ़ाव से भरा होता है। पाशो के जीवन से संघर्षों का मानो चोली–दामन का साथ है। खुशी के पलो ने उसके आँचल में दस्तक दिया ही था कि दीवान जी मृत्यु ने पुनः उसके जीवन को विषमताओं, संघर्षों से भर दिया–

"अभी तो तेरा चम्पा खिला था.... राजा कलियाँ छोड़ कहाँ गया! अभी कल ही तेरे लाल की माँ परणायी थी... हाय...हाय।"[11] भाव साम्य के लिये सुमित्रानंदन पंत रचित 'परिवर्तन' की निम्न पंक्तियों को देखा जा सकता है–

"अभी तो मुकुट बँधा माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ
खुले न थे लाज के बोल, खिले भी चुम्बन–शून्य कपोल
हाय! रूक गया यहीं संसार, बना सिंदुर अँगार
वात–हत–लतिका वह सुकुमार पड़ी है छिन्धार।[12]

दीवान जी की मृत्यु के पश्चात् पाशो के मन में उलझन और कशमकश ने घर कर लिया वह दीवान की मृत्यु से उबर ही नहीं पाई कि बरकत नाम के व्यक्ति और उसकी माँ ने उसके जीवन को नर्क में परिवर्तित कर दिया। बरकत का हुकुम चलने लगा, एक बार फिर स्त्री मन दमन का शिकार हुई । उसकी अपनी सोच–समझ, मान–सम्मान और अस्तित्त्व फिर से कहीं लुप्त हो गया। पाशो दुःख, अवसाद की गहरी खाई में गिरता चला गया निम्न संवाद इसकी पुष्टि कर रहा है–

"मौसी की लानत फटकार से अब मेरा क्या बनने बिगड़ने वाला था! यह घर अब भिम्भर के दीवानों का था और मैं उसकी बाँदी।"[13]

जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार नज़र आने लगे तो एक मात्र ईश्वर की शरण ही आत्मीय सुख व शांति प्रदान करता है। ईश्वर ही है जिसकी कृपा ही हमें संसार की समस्त विपत्तियों से लड़ने की शक्ति प्रदान कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नायिका स्वंय को

दासी मानकर हार मान लेती है और ईश्वर पर आस्था रख स्वयं को छोड़ देती है–

"चौका चूल्हा सँभाल अपनी छोटी बैठक जा लेटी। रब्ब की नज़र सीधी हो तो फिर क्या दिवान बरकत और क्या उसकी माँ! हे जानी जान, इस गरीबनी को अब आपजी की ही ओट!"[14]

स्त्री की कैसी दशा और व्यथा है कि उसका अपना कोई घर ही नहीं न मायका न ससुराल दोनों ही जगह वह पराया धन ही रहती है। 'डार से बिछुड़ी' नायिका पाशो के पास भी अपना घर कहलाने जैसा कुछ भी नहीं था। बचपन नानी, मामा और मामी के घर कष्टों में बीत रहा था वहाँ से भागने पर अपनी माँ के घर क्षणिक ही पनाह मिला विवाद न बढ़े इसलिये रातों–रात पाशो को उसके पिता की उम्र में पुरूष की संगिनी बना भेज दिया गया। वहाँ भी पाशो की खुशियाँ ज्यादा दिन टिक न सकी एक नन्हीं संतान ने आँखें खोली ही कि दीवान की आकस्मिक मृत्यु ने उसके जीवन को दुदर्शा से भर दिया। जीवन फिर अंधकारमय हो गया। जिस घर को वह अपना समझती रही वह भी छलावा निकला और एक रात वह वहाँ से भी गायब कर दी गई और उसका दूध मुँहा बच्चा भी छीन लिया गया। यह स्त्री की कैसी दशा है, जो अभागी की अभागी ही रही। आज पाशो घर से बिछुड़ने के बाद कहाँ आ पहुँची है उसे ही नहीं पता–

"कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ?"

कड़ी आवाज आई–

"चुपचाप पड़ी रह! तेरी कूक फरियाद सुननेवाला दूर–दूर तक कोई नहीं!"[15]

पाशो को बरकत के द्वारा लाला के पास भेज दिया जाता है लाला जो उम्रदराज़ है। पाशो यहाँ भी मिन्नत करती है पर उसकी बात सुनने वाला यहाँ कोई नहीं । स्त्री का जीवन विवशताओं से भरा ही क्यों रहता है? जब कभी पाशो सोचती है कि अब उसका जीवन सही हो गया है तब नयी विपदा उसके सामने आ खड़ी रहती है। एक बार फिर पाशो अपने आपको अभागी मानकर पुनः समझौता कर लेती है–

"तुम स्योनी जो नसीब ही बुरे है तो क्या दोष बरकत मियान का, क्या दोष मेरे वैरियों का!"[16]

संघर्ष और सहनशीलता नारी की नियति है उस पर आर्थिक संकट उसे शोषण का शिकार बनाती है। स्त्री हर परिस्थिति को सहनशीलता की मिसाल बनकर सहन करती है। यही वजह है कि नारी को सहनशीलता की प्रतिमूर्ति भी कहा जाता है। पाशो भी उसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जब बरकत उसे एक वृद्ध लालाजी के यहाँ भेज देता है जिसके तीन युवा पुत्र हैं जो उससे अलग–अलग तरह से व्यवहार करते हैं। पाशो तीनों के दुर्व्यवहार को सहकर उस घर में मजबूरी में रहती है।

"सबसे बड़े खिंचे–खिंचे रहते, छोटे निर्दयता से छेड़छाड़ करते, मँझले डाँटते–फटकारते और कभी भी अपने ही ढंग से पुचकारते।"[17]

स्त्री अपमान को भी सहकर रह जाती है। पाशो को मँझले के पूछे सवाल का जवाब न देने पर उसने घमंडी बता दिया और अपने उसने अपने पौरूष होने का अभिमान भी झलकता है–

"ऐसा तेज! इन्हीं हाथों घमंड तेरा टूटेगा!
अपमान का घूँट पी धीमे से पूछा
रोटी चूल्हे पकाऊ कि तंदूर?"[18]

स्त्री अपने को अभागी भी मानती है वह परिस्थितियों के थपेड़े सह सहकर से इतनी हताश हो जाती है कि स्वयं को अभागी मानने लग जाती है पाशो भी परिस्थितियों से हार मानकर स्वयं को अभागी मान लेती है उसके हालात ने उसे वहाँ लाकर खड़ा कर दिया था कि वह विवश हो गई थी चाहकर भी कुछ नही कर सकती है। उसका घर–बार तो छुड़ा ही वह अपने दूध मुँहे बच्चे से भी अलग कर दी गई थी इसलिए वह अपने आप को अभागी कह उठती है–

"सच ही सब धूल हुआ– इस अभागी की लाज, शरम, इज्जत, आबरू।"[19]

पाशो कहती है कि जो जहाँ भी जाती है अभागी ही पाती है मुँहबोले भाई की मृत्यु के उपरांत वह दुःखी हो बड़ी माँ को सांत्वना देती है और स्वयं उनकी बातों से दुःखी होकर अपने को अभागी बताती है–

"इस बार बड़ी माँ नहीं, मैं रोने लगी। मुझ अभागी को बहन पुकारनेवाली वीर जी, क्या जानती थी आपजी के किसी काम न आ सकूँगी! इस जोग भी थी मैं जो मेरा इतना मान किया।"[20]

स्त्री भयभीत होकर जीवन जीती रहती है वह अपने मन की बात व्यक्त भी नहीं कर पाती। मँझले का कहना कि आज भी बूढ़े दीवान को याद करती हो तब पाशो भयवश मन की बात व्यक्त नही कर पाती उसे डर है कि कहीं मँझला उसे मार न डाले–

"जी तो हुआ, रो–रो कहूँ, क्यों न याद करूँगी अपने टीके राजे को, पर भयभीत–स्त्री सिर हिला बोली।"[21]

"सिर झुकाए–झुकाए थर–थर काँपती रही–आज इस हड्डी की खैर नहीं।"[2]

स्त्री का जीवन क्यों ऐसा होता है कि वह पुरूषों की दासी बनकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है वह अपने आप को उसके अधीन ही पाती है। पाशो का समझौतावादी चरित्र उसकी हर परिस्थिति में दिखाई देता है किन्तु विद्रोह करके स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर पाने का साहस उसमें नहीं । समाज के अनुरूप स्त्री पुरूष पर किसी न किसी रूप में आश्रित रहती ही है इसलिए पाशो हमेशा किसी न किसी पुरूष स्वीकार करती हुई मिलती है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने स्त्री चरित्र की सभी संभावित भूमिकाओं जैसे माँ, पत्नी, बहिन, विधवा, रखैल आदि का निरूपण सहजता से किया है। "रोहिणी के अनुसार–प्रत्येक भूमिका में, परिस्थितियों के नाटकीय मोड़ ने पाशो के चरित्र की एक और परत पाठकों के सामने प्रस्तुत की है मानो शनैः शनैः प्याज की परतें उतरती जा रही हों। वह चपलता से धीरता, विलास से त्याग, आत्मनिर्भरता से परदुःख कातरता के सोपानों पर आहरण करती रही है। उल्लेखनीय है कि पाशो की मानसिकता में आने वाले ये परिवर्तन कृत्रिम एवं आरोपित नहीं हैं वरन् उसके मनोविज्ञान का उद्घाटन करते हैं।"[23] स्त्री की पुरूष की अधीनता डरकर, मजबूरी में और अपनी अक्षमता की वजह से सिर झुकाकर उसकी दासता स्वीकार कर लेती है–

"मँझले पहले निर्दयी आँखों से तरेरकर देखते रहे, फिर रूखाई से कड़के–"

"जा, जाकर रोटी–पानी ला!"

"बाँदी की तरह हुक्म बजा लाई!"[24]

एक दासी की भाँति पाशो उसका हुक्म मानती चली। चौके पर थाली परस लाई पानी का कटोरा रखने आई तो भी मँझले उसी भद्दी मुद्रा में बैठे देखकर भयभीत दहलीज में ही खड़ी रह गई–

"अंग–अंग काँपने लगा कहूँगी नहीं!"[25]

धैर्य स्त्री का अनमोल गहना है जिसे वह जीवन भर धारण किये रहती है। ये वही गहना है जो घर को बनाता है और सभी सदस्यों को जोड़ कर रखता है। साहस उसे बड़ी से बड़ी कठिनाईयों का सामना करने का बल देता है। पाशो जिस घर में मँझले की मृत्यु के पश्चात् पनाह प्राप्त करती है वहीं के वीर सपूत जिन्हें उसे अपनी मुँहबोली बहन माना था वह भी सिख और अंग्रेजी सेना के बीच हुये युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गये थे। पर वीर सपूत की माँ की मनोदशा इस विषम परिस्थिति में भी धैर्य और साहस का दामन नहीं छोड़ती है। निम्न पंक्तियाँ माँ के धैर्य और साहस को बताती है–

"सुनते ही बड़ी माँ मानो होश में आ गई! हिचकियाँ रोक आँखें पोंछ लीं और हाथ फैला बोलीं–

अरी, खड़ी–खड़ी क्या तकती है? सामान निकालो और वीर–पूजा के लिए तहखाने बुहार दो।"[26]

समस्त कठिनाइयों का सामना कर अंततः डार से बिछुडी डार में मिल ही जाती है जहाँ उसे अपनी बिन्दा, शेखजी, वीर जी और मौसी मिलती है। उपन्यास का सुखांत हृदयस्पर्शी है–

"जिगरा करो..... जिगरा करो बच्ची.... अब तुम घर आन पहुँची। मौसी के कहे वीर तुम्हारी खोज में न जाने कहाँ–कहाँ भटका दिया।"

"बेटी के वीर को बुलाएँ; आज उन्हीं के पैरों का सदका, बिछुड़ी बिटिया हमारी डार में आन मिली।"[27]

निष्कर्ष

मानव जीवन पर आधारित उपन्यास 'डार से बिछुडी' अपने शीर्षक के अनुरूप पाशो के जीवन को खोलकर रखता है । नायिका पाशो के विभिन्न चरित्रों की मनोदशा को परत दर परत प्रतिबिम्बित किया है जैसे व्यस्क होती नायिका के मन में उठने वाली उमंगें, पत्नी की पति से अपेक्षायें, बहिन का भाई से स्नेह, सम्मान, माँ का वात्सल्य, स्त्री का धैर्य एवं रखैल के रूप में स्त्री मनोदशा का सटीक चित्रण किया गया है। उपन्यास में स्त्री मनोदशा के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया हैं। हर पात्र किसी न किसी मनोदशा को अपने में संजोये हुये है। स्त्री जीवन का आरंभ घर के दायरों से शुरू होता है, हमारा समाज चाहता है कि हम उस दायरे के बाहर न निकले जिसे नानी पात्र के माध्यम से अभिव्यक्ति दी गई है जो इस उपन्यास मूल वाक्य रहा और पाशो का जीवन उसी तरह विच्छिन्न हो गया। पाशो भटकती–भटकती अतंतः अपने घर पहुँच ही जाती है वह साबित करती है कि स्त्री धैर्य, साहस और आशा के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेती है। कृष्णा सोबती ने न सिर्फ पाशो वरन् हर पात्र में स्त्री मन की बात को अपनी विलक्षण लेखन क्षमता से प्रस्तुत किया है जो हमें नये दृष्टिकोण के साथ देखने और सोचने के लिये प्रेरित करता है।

संदर्भ–ग्रंथ :

1. सोबती, कृष्णा. डार से बिछुडी. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन. तीसरा संस्करण 2008, पृष्ठ 16
2. वर्मा, कल्पना. स्त्री विमर्श : विविध पहलू. प्रयागराजः लोक भारती प्रकाशन. प्रथम संस्करण 2019. पृष्ठ 16
3. सोबती, कृष्णा. डार से बिछुडी. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन. तीसरा संस्करण 2008, पृष्ठ 17
4. वही, पृष्ठ 23, 24
5. वही, पृष्ठ 27, 28
6. वही, पृष्ठ 67
7. वर्मा, कल्पना. स्त्री विमर्श : विविध पहलू, प्रयागराजः लोक भारती प्रकाशन. प्रथम संस्करण 2019. पृष्ठ 18, 67
8. सोबती, कृष्णा. डार से बिछुडी. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन. तीसरा संस्करण 2008, पृष्ठ 38
9. वर्मा, कल्पना. परम्परा और आधुनिकता. इलाहाबादः जगत भारती प्रकाशन. प्रथम संस्करण 2018. पृष्ठ 67
10. वही, पृष्ठ 47
11. वही, पृष्ठ 66,67
12. पंत, सुमित्रानंदन. पल्लव. इलाहाबादः लोकभारती प्रकाशन. प्रथम संस्करण 1940, पृष्ठ 112
13. वही, पृष्ठ 76
14. वही, पृष्ठ 79
15. वही, पृष्ठ 80

UGC Approved Journal No. 49321
Shodh Drishti (An International Peer Reviewed Refereed Research Journal), Vol. 13, No. 8, August, 2022 Impact Factor : [illegible]
ISSN : [illegible]

16. वही, पृष्ठ [illegible]
17. वर्मा, रतनकुमारी. महिला साहित्यकारों का नारी-चित्रण. नयी दिल्ली : अध्ययन पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स संस्करण 2009, पृष्ठ 240
18. सोबती, कृष्णा. डार से बिछुड़ी. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन. तीसरा संस्करण 2008, पृष्ठ 85
19. वही, पृष्ठ [illegible]
20. वही, पृष्ठ 91
21. वही, पृष्ठ 117
22. वही, पृष्ठ [illegible]
23. पारसीवाल, डॉ शशि. कृष्णा सोबती के उपन्यासों में मध्य-वर्ग. आगरा : निखिल पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स संस्करण प्रथम 2014, पृष्ठ 200, 201
24. सोबती, कृष्णा. डार से बिछुड़ी. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन. तीसरा संस्करण 2008, पृष्ठ 97
25. वही, पृष्ठ 93
26. वही, पृष्ठ 116
27. वही, पृष्ठ 123,124
28. वर्मा, रतनकुमारी. महिला साहित्यकारों का नारी-चित्रण. नयी दिल्ली : अध्ययन पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स संस्करण 2009, पृष्ठ 192

UGC Approved Journal No. 49321 Impact Factor : 6.125 ISSN : 0976-6650

Shodh Drishti

An International Peer Reviewed Refereed Research Journal

Vol. 13, No. 11.1 Year - 13 November, 2022

PEER REVIEWED JOURNAL

Editor in Chief
Prof. Abhijeet Singh

Editor
Dr. K.V. Ramana Murthy
Principal
Vijayanagar College of Commerce
Hyderabad

Dr. Anil Kumar
Assistant Professor, Department of History
Rajdhani College, University of Delhi

Published by
SRIJAN SAMITI PUBLICATION
VARANASI
E-mail : shodhdrishtivns@gmail.com, Website : shodhdrishti.com, Mob. 9415388337

UGC Approved Journal No. 49321
Shodh Drishti (An International Peer Reviewed Refereed Research Journal), Vol. 13, No. 11.1, November, 2022
Impact Factor : 6.125
ISSN : 0976-6650

अनुक्रमणिका

७	राजनीतिक चेतना के अनूठे कवि केदारनाथ अग्रवाल **डॉ0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह एवं मनीषा यादव**	1-5
७	प्रेमचन्द का साहित्य : सामाजिक सरोकार और मानव अस्तित्व **डॉ0 नलिनी सिंह**	6-8
७	जल संकट मध्य प्रदेश के बुंदेलखण्ड पठारी क्षेत्र के लिए चुनौतियाँ कारण एवं समाधान **मनोज कुमार**	9-14
७	भगवंत अनमोल की किन्नर केंद्रित उपन्यास 'जिंदगी 50–50' में एक सकारात्मक सोच की पहल **डॉ0 सविता मिश्रा एवं अन्तिमा गुप्ता**	15-19
७	काशी में सम्पन्न होने वाले पर्वों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महात्म्य का भौगोलिक विश्लेषण **बृजेश यादव**	20-28
७	कोविड–काल के दौरान शिक्षक प्रशिक्षुओं के ऑनलाइन अधिगम का विश्लेषण : सर्वेक्षण शोध **आकांक्षा सिंह एवं श्वेता गुप्ता**	29-38
७	जनपद चन्दौली में जनसंख्या बृद्धि से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या : एक विश्लेषण **डॉ0 सुशील कुमार**	39-44
७	लघु कथाओं में अभिव्यक्त नारी चेतना : स्त्री–विमर्श के संदर्भ में **तरुणा**	45-50
७	विविधता आधारित बोलियों क्षेत्र लाहौल **डॉ0 सुनीता**	51-52
७	औपनिवेशिक दिल्ली में महिला शिक्षा **प्रियंका**	53-57
७	ग्रामीण समाज में जातिगत भेद–भाव का अध्ययन (इंदौर जिले के विशेष संदर्भ में) **दिनेश परमार**	58-60
७	स्त्री–विमर्श और प्रभा खेतान **डॉ0 कृष्ण राज सिंह**	61-62
७	अथर्ववेद में राष्ट्रीय भावना **डॉ0 प्रत्यूष वत्सला द्विवेदी**	63-65
७	21वीं सदी के हिन्दी उपन्यासों में अभिव्यक्त मानवीय मूल्य **मेधा भारती**	66-68
७	सुरेन्द्र वर्मा के कथा–साहित्य में पत्नी के स्वरूप का चित्रण **महेश सिंह यादव एवं डॉ0 शिप्रा द्विवेदी**	69-71
७	नई कहानी के नए निकष और देवीशंकर अवस्थी की आलोचना **रूद्र प्रताप**	72-76
७	माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता का अध्ययन **डॉ0 एस0पी0 सिंह (वत्स) एवं शिवप्रताप सिंह**	77-79

६	भारत की आंतरिक सुरक्षा में उग्रवाद की समस्या : पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष संदर्भ में **सुमन पाण्डेय एवं डॉ0 (श्रीमती) प्रीति पाण्डेय**	80-82
६	राम, कृष्ण, शिव और डॉ0 लोहिया **डॉ0 अभिमन्यु पाठक**	83-85
६	बौद्ध धर्म में स्त्रियों की भूमिका **डॉ0 दीप नरायन**	86-90
६	हिन्दी–साहित्य का एक बेमिसाल शब्दचित्र : सुभान खाँ **डॉ0 विवेक शंकर**	91-94
६	संधारणीय विकास : भारतीय एवं पाश्चात्य परिदृश्य के संदर्भ में **डॉ0 हनुमान प्रसाद उपाध्याय**	95-99
६	ठुमरी की उत्पत्ति : एक अध्ययन **नीलम पटेल एवं प्रो0 रंजना टोणपे**	100-104
६	गाँधीवादी सामाजिक विचारधारा और विष्णु प्रभाकर की कहानियाँ **अमलेश कुमार यादव**	105-107
६	अमरकांत की कहानियों में मध्यवर्गीय जीवन **विनोद कुमार एवं डॉ0 संध्या यादव**	108-110
६	कठपुतली कला की ऐतिहासिक भूमिका **अंचल अग्रवाल एवं श्रीमती जया जैन**	111-114
६	अमरकोष में अमरकालीन प्रयुक्त सांस्कृतिक सामग्रियों की भूमिका **डॉ0 अञ्जलि यादव एवं सपना विश्वकर्मा**	115-120
६	त्वचा रोग : एक समग्र अवलोकन **सतीशचंद्र तिवारी**	121-126
६	बौद्ध तांत्रिक सत्ता और हिंदी का साहित्य **संगीता राय**	127-131
६	भारतीय न्याय व्यवस्था **डॉ0 अनिल कुमार सिंह एवं विकास रंजन**	132-134
६	मध्यकालीन भारत में हिन्दू स्त्रियों की शैक्षणिक स्थिति **डॉ0 सन्नी देवल दास**	135-139
६	जनपद पौड़ी गढ़वाल के धार्मिक कलात्मक रूपों का एक संक्षिप्त अध्ययन **स्वाति बिष्ट**	140-142
६	महिला बेरोजगारी : एक आधुनिक दृष्टिकोण **डॉ0 सुधा सिंह**	143-144
६	18वीं शताब्दी में सूबा अवध में अंग्रेजी शक्ति का बढ़ता प्रादुर्भाव : एक अध्ययन **डॉ0 प्रमोद कुमार द्विवेदी**	145-147
६	नव–नागरिक के रूप में अप्रवासी : एक उपाश्रित दृष्टिकोण **रेखा कुमारी**	148-152
६	भारत में उद्यमशीलता एवं सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम का विकास **गनेश कुमार**	153-158

UGC Approved Journal No. 49321
Impact Factor : 6.125
Shodh Drishti (An International Peer Reviewed Refereed Research Journal), Vol. 13, No. 11.1, November, 2022
ISSN : 0976-6650

५	वैदिक कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति एवं विकास **बोदन सिंह**	159-162
५	आधुनिक युग की नारियों पर व्यंग्य **प्रो. (डॉ.) अनुसुइया अग्रवाल एवं दीप्ति ठाकुर**	163-165
५	औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत् महिला श्रमिकों की पारिवारिक एवं सामाजिक–आर्थिक कार्यदशाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन **सुरेन्द्र एवं डॉ0 कल्पनाथ सिंह यादव**	166-170

UGC Approved Journal No. 49321
Shodh Drishti (An International Peer Reviewed Refereed Research Journal), Vol. 13, No. 11.1, November, 2022
Impact Factor : 6.125
ISSN : 0976-6650

आधुनिक युग की नारियों पर व्यंग्य

शोध–निर्देशक
प्रो. (डॉ.) अनुसुइया अग्रवाल (डी.लिट्.)
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (हिन्दी), शा.म.व. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द (छ.ग.)
दीप्ति ठाकुर
शोधार्थी, (हिन्दी), शा.म.व. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द (छ.ग.)

मेरी लेखनी चलना चाहती है पर लिखें कि पर। लेखनी को तो निरंतरता चाहिए पर विचारों में भी निरंतरता आवश्यक है न। व्यंग्य लेखन में सहज व सरल भाव तो आती नहीं है, इसमें कहीं–कहीं शब्द शक्ति का भरपूर प्रयोग किया जाता है। सामने वाले को व्यंग्य कसना हो तो लक्ष्य पर वार करने हेतु लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है, किंतु इस बात का भी ध्यान रखना है कि तीर अर्जुन के तीर की तरह निशाने पर यानि सीधे मछली की आँख पर ही लगे । फिर चाहे वो समाज प्रेमी हो या समाज का ढोंगी। व्यंग्य का प्रयोग केवल सकारात्मक कार्यो हेतु ही व्यवहार में लानी चाहिए। समाज हेतु ही बुध्दिजीवी व्यंग्य साहित्य की रचना करते है ताकि समाज में समानता, प्रेम, भाईचारा जैसे सद्विचारों का विस्तार हो सके।

साहित्य की जलधारा में व्यंग्य गंगा, जमुना के बीच सरस्वती की तरह है; विलुप्त रहती है पर अपनी पहचान, अपनी ख्याति रखती है। व्यंग्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अनैतिकता, भ्रष्टाचार, भाईचारावाद आदि बुराईयों का पर्दाफाश करता है। आज व्यंग्य ने मनुष्य को सच को सच कहने और गलत का प्रतिकार करने की शक्ति प्रदान की है, व्यंग्य के कारण समाज की जड़ता टूटी है, और वह विसंगतियो से लड़ने का अस्त्र पा चुका है। व्यंग्य ने आम आदमी को शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की शक्ति प्रदान की है। अपने विचारों को सशक्त करने के लिए व्यंग्य सबसे सशक्त माध्यम है। जब किसी समाज का शरीर सुन्न पड़ जाता और उस पर छोटी मोटी बातों का कोई असर नही होता तब उसे व्यंग्य की गहरी चुटकी काटकर ही जगाया जा सकता है। व्यंग्य साहित्य की ऐसी विधा है जो समाज के चेहरे पर पड़े झूठे दम्भ के नकाब को उखाड़ फेंकता है।

आधुनिक युग में तो समाज में सुधारात्मक कार्य यदि किया जाए तो इसके लिए इस साहित्य का चयन किया जाता है, उस पर भी विधाओं में व्यंग्य विधा, जैसे नवलक्खा हार के नौ रत्नों में एक प्रमुख रतन और इस नौ रत्नों को धारण करने की लालसा महिलाओं में सदा ही रही है। आज की नारी साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी पैठं बना चुकी है। साहित्य के हर क्षेत्र में कहीं न कहीं नारी की व्याख्या अवश्य ही होती है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के साहित्य में महिलाओं का वर्णन अवश्य ही होता है, अगर यह बात सामने आई कि व्यंग्य में से हास्य प्रस्फुटित हुआ है तो कोई बात नही। लेकिन कही यह बात साबित हो गई कि हास्य में से व्यंग्य सबसे पहले झांका था, तो व्यंग्य का प्रादुर्भाव करने वाली निश्चित रूप से नारी रही होगी; देख लीजिए रामायण और महाभारत उठा कर, यहाँ तक कि चारों युगो में भी नारियों की भूमिका उल्लेखनीय रही है। चारों युग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग तथा कलयुग में नारियों की अहम भूमिका रही है व्यंग्य को पल्लवित करने में। इन पौराणिक आधारों पर आज तक व्यंग्य प्रसंगों में नारी का विशेष स्थान बना हुआ है। माना तो यहाँ तक गया है कि नारी के सहज सुलभ हाव–भाव भी व्यंग्य के प्रतिमान बन जातें है।

आज की नारी पुरूषों से कम नही रह गई। बल्कि उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। मैथिलीशरण गुप्तजी का कथन "आँचल में है दूध और आँखों में पानी" इस कथन की व्याख्या से कही बाहर आ चुकी है। आज की नारी आँचल में ममता के साथ–साथ कई सपने भी पालती है, आँखो में ओजस्विता का पानी आ चुका है। वे अपनी ओजस्विता के कारण अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम बनती जा रही है। आधुनिकीकरण का प्रभाव भी महिलाओं के मन मस्तिष्क पर अच्छा खासा पड़ा है। नारियों की चितनशीलता बढ़ रही है, हर क्षेत्र में नारी अपनी पैंठ बना रही है।

आधुनिक युग की महिलाओं के शौर्य का वर्णन अब पूरी दुनिया कर रही है तो फिर भला स्वर्ग क्यों अछूता रहे? डॉ. स्नेहलता पाठकजी की व्यंग्य रचना "द्रौपदी का सफरनामा" ने द्रौपदी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है– "वे सोचने लगी कि एक मैं थी जिसे पाँच पतियों ने मिलकर बाजी पर लगा दिया। भरी सभा में चीर हरण करवा दिया फिर भी चुप रही। चलो मैं तो पतिव्रता थी। मेरा तो धर्म था चुप रहना, पर मेरी लाज तो उन पांडवों के हाथ में थी। फिर भी कैसे चुपचाप गर्दन लटकाए बैठे रहे जैसे हवा न चलने पर ज्वार के भुट्टे। उस दिन नारद मुनि ने ही तो बताया था कि आजकल भूलोक की पत्नियों की शक्ति बहुत बढ़ गई है। उनकी रक्षा करने के लिए आज के पति जान पर खेल जाते है। भले ही दूसरों की पत्नियों का हाथ पकड़ने की कोशिश करनी पड़े पर अपनी पत्नि का हाथ पकड़कर उनकी शक्ति कम करने

की हिम्मत नही कर पाते। और तो और वहाँ नारी स्वातंत्र्य आंदोलन भी होने लगे है। अपने समक्ष नारियों की प्रगति से पुरूष भी बहुत खुश हैं। यह सोचसोच कर द्रौपदी अपने जमाने को कोस ही रही थी कि भूलोक से नंदी विमान पर सवार महादेव के साथ पार्वती आती दिखाई दीं।"[1]

आज की महिलायों स्वावलंबी होकर अपने निर्णयों पर भी विचार–विमर्श करती हैं। अपने विचारों का आदान–प्रदान करते हेतु वे महिला मंडल का निर्माण करती हैं। पहले अखिल भारतीय महिला मंडल हुआ करते थी। फिर शहरी महिला मंडल के खुलतें ही मुहल्ले, गली में भी महिला मंडल खुलने लगे जैसे कि जगह–जगह चाय ठेले, चाट–गुपचुप के ठेले, रेहड़ी आदि। यहाँ महिलाएँ अपनी असभ्यता का परिचय भी दिखावटी सभ्य व बनावटी, सुसंस्कृत होकर देती है। डॉ. स्नेहलता पाठकजी की व्यंग्य रचना "प्रजातंत्र के घाट पर" के अंतर्गत इक्कीसवी सदी का महिला मंडल में अध्यक्षा की भूमिका का वर्णन है– "महोदया खुश हुई। मुस्कुरा कर बोली। वाह! क्या खूब कहा। तुम जैसी व्यवस्था मंत्री कुर्सी पर डटी रही तो यह मंडल अवश्य अपने साथ–साथ चाँद का नाम रोशन करेगा। अच्छा। और कुछ। अध्यक्षा ने पूछा। जी हाँ। एक विषय बच गया है। श्रीमती आस्था ने पल्ला संभाला। वो कौन सा। अध्यक्षा ने आंखे फाड़ी। वो ये कि आप मुश्किल ये साल में तीन मीटिंगे अटेंन करती है और बाकी महिने गायब रहती हैं। आपकी अनुपस्थिति में सदस्यायें हुल्लड़ मचाती है। मीटिंग को ब्यूटी पार्लर समझ मेकअप में बिजी रहती है। कभी–कभी तो सुंदर दिखने की होड़ में एक दूसरे पर कीचड़ भी उछालने लगती हैं। इस प्रकार आपकी छबि धूमिल हो रही है। अपनी धूमिल छवि को चमकाने के लिए क्या आप दो शब्द कहना चाहेंगी ?"[2]

"एक नारी सब पर भारी" यह मुहावरा दूर की सोंचने वाले ने ही ईजाद किया है लगता है तभी तो हमारे देश की समाज सेवी, देश प्रेमी वीरांगनाओं वीरगाथा के किस्से हमारे इतिहास में सुरक्षित है। नैतिक शिक्षा के रूप में इनकी कहानियाँ बचपन से ही हमारे स्मृति पटल में छपी हुई है। इनकी गौरवशाली महिमा द्वारा समाज को नई दिशा प्रदान की गई है। इन वीरांगनाओ ने मुगलों और अंग्रेजों को भी लोहे के चने चबवाकर, उन्हे भारत से खदेड़ा है। अब स्वतंत्र भारत में सभी महिलाएँ स्वतंत्र है यहाँ तक निचले तबके की कामवाली बाईयों में भी कांतिकारी भाव जागृत हो चुके है। संपन्न, प्रतिष्ठित घरों की महिलाएँ भी इनके इशारों पर नृत्य करती है। काम छोड़ न दे इस भय से कामवालियों की आवभगत में जुटी रहती है। डॉ. स्नेहलता पाठकजी के व्यंग्य रचना "द्रौपदी का सफरनामा" के अंर्तगत "ये महरी ये मजबूरी" नामक व्यंग्य में दर्शाया गया है– "बाजू वाली बाई हे न रोज सुबह पहले गरम चाय के साथ गरम–गरम पराठे खाने को देती है। खा के पंखा के नीचे सुस्ता के फिर काम पे लगती हूं। बड़ी अच्छी आई है। उस दिन मैं पानी से भीग गई थी तो चट अपनी नई साड़ी दे दी उठाके। और फिर बच्चों के साहब के कपड़े तो देती ही रहती है। ऐसा कहकर धिक्कारती नजरों से मुझे देखती मानो कह रही हो कि एक आप हैं जो इतनी पुरानी भद्दी पड़ी साड़ी भी पहनती रहती हो ये भी नही कि मुझे ही दे दे। उसकी हर बात चुनौती देती सी लगती। लिहाजा उसके आते ही मैं फ्रिज के ठंडे पानी से उसका स्वागत करती। ज्यादा दूधवाली गरम चाय बनाती। खाना बन जाने पर सब से पहले उसकी थाली परोसती। कपड़े भी उसे देती ही रहती। यदि न दूं तो अपनी उदार हृदया बाजू वाली बाई के सामने निकृष्ट कोटि का साबित कर देगी।"[3] महिला सशक्तिकरण का यह एक और अलग तरह का उदाहरण बन गया है व्यंग्य विधा की दृष्टि में कि निचले तबके की कामवाली बाई के समक्ष नतमस्तक हो मालकिन उसके स्वागत सत्कार में रत् रहती है ताकि कामवाली संतुष्ट होकर वही टिकी रहे चिरकाल तक।

महिलाएँ इतनी सशक्त हो गई है कि उनके अंदर मानवीय संवेदना भी क्षीण होती प्रतीत होती है। और कहते है न कि महिला ही महिला की शत्रु होती है यह बात व्यंग्य कार गजेन्द्र तिवारी की व्यंग्य रचना 'अस्पताल का सच' में चरितार्थ हो रहा है– "हुआ, दरअसल, यह कि जैसे ही उन्होने बिस्तर से मुझे उठाया मैं तो उठकर बैठ गई। मैने कहा मैं जिंदी हूँ। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे बोलते देख वे यानी वार्ड ब्वाय तो भाग खड़े हुए लेकिन वह चुड़ैल नर्स बड़े–ही–कड़े पित्तेवाली निकली। उसने मुझे बल पूर्वक लिटाते हुए और सिर के ऊपर चादर ढाँकते हुए कहा, 'तुम मरी हो या जिंदी, इस बात को तुमसे ज्यादा, अच्छा तरह डॉक्टर समझता है। समझी' ।.....अब बक–बक बंद करो और चुप रहो।.....डॉक्टर वो है कि तुम?"[4]

धन और वैभव का प्रदर्शन करती सभ्रांत परिवार की नखरीली महिलाओं द्वारा किया गया समाज सेवा का ढोंग तथा उनके द्वारा एक–दूसरे के प्रति किया गया आलोचना का वर्णन व्यंग्यकार गिरीश पंकज के 'मिसेज पाउडरवाला की बर्थ–डे पार्टी' में निहित है– "अरे, क्या करें, समाज सेवा' दूसरी बोली– कितना करें। दो–चार बच्चों को घर के बचे–खुचे कपड़े बांट–बूट कर फोटो–वोटो तो खिंचवाती रहती हूँ। कल के ही अखबार में देखा नहीं मेरा फोटो। यही साड़ी तो पहनी थी। देखो न कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं, लेकिन मेरे नीचे खड़ा वो नाक बहाता, मैला कुचला बच्चा कितना बेकार लग रहा है रे। बट क्या करे, सोशल सर्विस के लिए कुछ न कुछ तो त्याग करना ही पड़ता है न। कोई साड़ी पर, कोई नयी–नयी गाड़ी पर, कोई हीरो पर, कोई हीरोइन पर, कोई किसी के प्रेम– प्रसंगों पर (अपने आपको छोड़कर) घर की सज्जा पर,

अपने–अपने हसबैंडों की नंबर दो की बढ़ा–चढ़ा कर बतायी गई कमाई, गहन चर्चा करने में मशगूल थी। खाना कम चुगली ज्यादा। इसी में मजा आ रहा था।"[5]

एक महिला द्वारा दूसरी महिला की प्रसिद्धि पर ईर्ष्या की भावना रखना, वह भी माँ सरस्वती के समक्ष इस चरित्र को दर्शाया है व्यंग्यकार स्नेहलता पाठक ने "जब भी किसी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा होती है तो मेरी छाती पर गज–गज भर के लंबे साँप लोटने लगते हैं। कभी–कभी तो लगता है कि पुरस्कार पाने वाले को कहनी मारकर गिरा दूँ और उसकी जगह मैं खड़ी हो जाऊँ। ज्ञानपीठ के अभाव में कहीं दीवानी न बन जाऊँ। अतः हे माँ मैं आपकी शपथ खाती हूँ। मुझे ज्ञानपीठ के किए एवमस्तु का वरदान दे दें। हे माँ, मैं अपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैने निरुद्देश्य लेखन कभी नही किया है। मैने जब भी लिखा किसी न किसी पुरस्कार के लिए ही लिखा है। अतः यदि आपने इस बार मेरी पुकार सुन ली तो मैं वचन देती हूँ कि भविष्य में फिर कभी मसि, कागज और लेखनी की ओर नही देखूंगी।"[6]

चिर काल से पुरूष सत्तात्मक समय में महिलाओं को निम्न स्थान दिया जाता था चाहे वह किसी भी वर्ग, धर्म की स्त्रियाँ हो। स्त्रियों पर अत्याचार करना, उनका शारीरिक व मानसिक शोषण करना आदि, यह तो प्रारंभ से ही हो रहा है। महिलाओं की दशा, पीड़ा को साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के द्वारा समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है। ताकि महिलाओं की दशा सुधारी जाए, परपीड़ा के भाव जगायी जाए।

आज के आधुनिक युग में महिलाओं के हित में सरकार द्वारा कई योजनाएँ बनाई गई तथा उन्हें भी हर क्षेत्र में पुरूषों की तरह स्वतंत्रता का, सम्मान का अधिकार दिया गया है। महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं के प्रति अपराधों को भी रोका जा रहा है, लेकिन कलयुग के प्रभाव का असर स्वयं महिलाओं पर भी पड़ रहा है। महिलाओं के विचार इतने आधुनिक हो गए हैं कि स्वयं महिला ही महिला की शत्रु बन गई है। पुरूषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल तो रही है किंतु दूसरी महिला के कंधे पर पीछे से ईर्ष्या, छल–कपट की सुई चुभा रही हैं। महिलाएँ अब अबला नही सबल बन चुकी है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी। लेकिन आज भी अपवाद के रूप में कुछेक महिलाएँ मिल जाएँगी जो आधुनिक, सबल, शिक्षित होने के पश्चात् भी दर्द व घुटन में सिहर रही है। उनकी मुस्कान, हंसी के पीछे उसकी अंतर्रात्मा की वेदना कोई समझ ही नही पाते या समझना ही नही चाहते। फिर भी वह चोट खाकर गिरकर फिर उठकर अपने दर्द भरे चेहरे पर मुस्कान से सजे मुखौटे को पहनकर अपना कर्तव्य निर्वहन करती है। उसकी सहायता करना तो दूर उल्टे उससे दूषित प्रतियोगिता, ईर्ष्या की भावना रखकर उसे पुनः धक्का देकर गिराना चाहती है, स्वयं दूसरी महिलाएँ। फिर पुरूष भी कहां पीछे रहेंगे वे तो प्रारंभ से महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझतें हैं। तेज तर्रार महिलाओं के समक्ष सज्जनता का प्रदर्शन करते हैं तथा सीधी–सादी खासकर दुखी, असहाय महिलाओं पर कुदृष्टि डालना तथा उनकी मजबूरी का लाभ लेने से भी बाज़ नही आते।

हृदय में उठी इस चुभन व पीड़ा से व्यंग्य के बीज का अंकुरण होता है तब लेखक की लेखनी के द्वारा यह बीज फलफूलकर पौधे का निर्माण करता है। समाज में सकारात्मकता, एकता व परस्पर प्रेम के द्वारा ही प्रगति के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। इतिहास से ही आज तक हमारी कई वीरांगनाएँ, समाजसेवी व विदूषी भली महिलाओं की गाथाओं तथा कार्यो को स्मृति पटल में रखकर आज की महिलाएँ उनके जैसा न सही किंतु कुछ अंश भी उनके जैसा व्यक्तिव बनाए तथा स्वयं में सुधार करें तो समाज स्वर्ग बन जाए, क्योंकि स्वस्थ्य मानसिकता में ही स्वस्थ्य समाज की उन्नति–प्रगति निर्भर करता है। कोई मनुष्य देवियों को यूँ ही नही पूजता है, धन–वैभव, ऐश्वर्य के लिए लक्ष्मी देवी की पूजा, शक्ति, सामर्थ, सुरक्षा हेतु दुर्गा देवी की पूजा तथा शिक्षा के लिए देवी सरस्वती की पूजा अराधना की जाती है। कहतें हैं नारियों में देवी का अंश होता है तो हे आधुनिक नारियों! अपने अंर्तमन के दूषित विचारों तथा दुष्टता को निकाल फेको तथा अपने अंदर के दैवीय शक्तियों के अंश को जागृत करो ताकि महिला सशक्तिकरण शब्द की सार्थकता प्रकट हो सके, एक स्वस्थ्य समाज का निर्माण हो सके। नारी स्वयं मानवजाति की जननी है तथा विध्वंस तथा निर्माण दोनों ही नारी के ही हाथों में निहित है। अतः नारियाँ स्वयं चिंतन करें कि उसे इस समाज का निर्माण करना है या .....?

संदर्भ–ग्रंथ सूची :

1. पाठक, स्नेहलता. दौपदी का सफरनामा. नागपुर : विश्वभारती प्रकाशन. पृ. 1
2. पाठक, स्नेहलता. प्रजातंत्र के घाट पर : 21वी सदी का महिला मंडल. कानपुर : विद्याविहार प्रकाशन. पृ. 122
3. पाठक, स्नेहलता. दौपदी का सफरनामा : ये महरी ये मजबूरी. नागपुर : विश्वभारती प्रकाशन. पृ. 79
4. तिवारी, गजेन्द्र. ला, खर्चा निकाल : अस्पताल का सच. बिजनौर : हिंदी साहित्य निकेतन. पृ. 127
5. पंकज, गिरीश. ईमानदारों की तलाश : मिसेज पाउडरवाला की बर्थ–डे पार्टी. बीकानेर : कामेश्वर प्रकाशन. पृ. 100
6. पाठक, स्नेहलता. बाकी सब ठीक है : हे उलूकवाहिनी, वर दे ..... . रायपुर : वैभव प्रकाशन. पृ. 8

UGC Approved Journal No. 49321 Impact Factor : 6.125 ISSN : 0976-6650

Shodh Drishti

An International Peer Reviewed Refereed Research Journal

Vol. 13, No. 12.1 Year - 13 December, 2022

PEER REVIEWED JOURNAL

Editor in Chief
Prof. Abhijeet Singh

Editor
Dr. K.V. Ramana Murthy
Principal
Vijayanagar College of Commerce
Hyderabad

Dr. Anil Kumar
Assistant Professor, Department of History
Rajdhani College, University of Delhi

Published by
SRIJAN SAMITI PUBLICATION
VARANASI
E-mail : shodhdrishtivns@gmail.com, Website : shodhdrishti.com, Mob. 9415388337

अनुक्रमणिका

७	आजादी की विरासत : गुमनाम 'गदर' क्रांतिकारी **डॉ0 अतुल कुमार जायसवाल**	1-4
७	मध्यकालीन सामाजिक–सांस्कृतिक व्यवस्था में स्त्री दशा का अवलोकन **डॉ0 अरुण कुमार**	5-7
७	भारत में लैंगिक असमानता **डॉ0 अशोक कुमार**	8-10
७	भूमि उपयोग की वैचारिकी : एक अध्ययन **डॉ0 कमलेश कुमार**	11-13
७	वैदिक संस्कृति में आर्य और अनार्य **डॉ0 शिवराम यादव**	14-16
७	ऐतिहासिक उपन्यासकार शत्रुध्न प्रसाद एवं उनकी रचनाधर्मिता **डॉ0 विजय प्रताप निषाद**	15-18
७	अमरकंटक : धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व **दीक्षा मिश्रा**	19-23
७	कृष्ण और सुदामा की मित्रता **डॉ0 दुष्यन्त सिंह**	24-26
७	समकालीन कवियों की काव्य–दृष्टि **देवीलाल गोदारा**	27-34
७	'कफ़न' कहानी का संवेदनात्मक पहलू **जितेन्द्र कुमार**	35-40
७	पृथ्वी को निगलता आज का जलवायु परिवर्तन **लक्ष्मीनारायण मीणा**	41-44
७	शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत एकल एवं संयुक्त परिवार की महिला शिक्षिकाओं के परिवारिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन **स्वयं प्रकाश राय एवं मयंक कुमार सिंह**	45-50
७	वेदाङ्ग–निरूक्ते दैव्यापदः तासां निराकरणोपायाश्च **नीलेश कुमार तिवारी एवं आचार्य डॉ. रामकिशोर मिश्र**	51-53
७	पश्चिम संस्कृति का भारत के ग्रामीण समाज पर प्रभाव **पूजा यादव**	54-56
७	सूचना संवाहक : सामाजिक संगठन **रमन रघुवंशी एवं प्रोफेसर रमा सिंह**	57-62
७	संस्कृतसाहित्ये नाटकोद्भवस्यविकासविमर्शः **रामनिरी मीना**	63-66
७	हिंदी लघु कथा सिद्धांत, स्वरूप और विकास **तरुणा**	67-70

६	निर्मल वर्मा का साहित्य और नारी चेतना **सत्यप्रकाश शुक्ल एवं डॉ0 धर्मेन्द्र कुमार शुक्ल**	71-74
६	जनसंख्या वृद्धि का विकास पर प्रभाव **डॉ0 राम शब्द यादव**	75-77
६	विवेकी राय के ग्रामांचलिक साहित्य की सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का एक विवेचनात्मक अध्ययन **आनन्द गौतम**	78-80
६	के चन्दर पात्र पर महानगरीय संस्कृति के प्रभाव का अध्ययन **अरविन्द कुमार**	81-82
६	भारतीय रेल में प्रशासनिक हिंदी (राजभाषा) की उत्तरोत्तर प्रगति **आदित्य प्रताप सिंह एवं डॉ. अनुसइया अग्रवाल**	83-88
६	सारनाथ : जहाँ गुज़रा सदियों का कारवाँ **डॉ0 सीमांत प्रियदर्शी**	89-93
६	आर्थिक विकास का गाँधीवादी मॉडल–वर्तमान परिप्रेक्ष्य में **डॉ0 पूनम यादव**	94-98

UGC Approved Journal No. 49321
Shodh Drishti (An International Peer Reviewed Refereed Research Journal), Vol. 13, No. 12.1, December, 2022
Impact Factor : 6.125
ISSN : 0976-6650

भारतीय रेल में प्रशासनिक हिंदी (राजभाषा) की उत्तरोत्तर प्रगति

आदित्य प्रताप सिंह
शोधार्थी (हिंदी), शास. कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
डॉ. अनुसइया अग्रवाल (डी.लिट्.)
शोध निर्देशिका
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (हिंदी), शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य महाविद्यालय, महासमुंद (छत्तीसगढ़)

सारांश

भारतीय रेल, भारत सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला वृहद एवं उपयोगी संस्थान है। जो कि लगभग 150 वर्षों से भी अधिक समय से आवश्यक परिवहन सेवा, माल ढुलाई के साथ ही देश अर्थव्यवस्था के मजबूत आधार के साथ सुचारू रूप से निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। यह विशाल भारत को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चित तक जोड़ने का कार्य करती है इसके साथ ही यह विश्व की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली अग्रणी संस्था है। अतः इस आधार पर यह भारतीयों को आपस में उनकी भाषा, संस्कृति के मेलजोल में अपनी प्रमुख भागीदारी रखते हुए राजभाषा हिंदी के विकास और उसके प्रचार–प्रसार के लिए भारतीय संविधान में किए गये प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा नियमों एवं अधिनियमों का रेल में पालन करवाने हेतु बाध्य एवं सतत प्रयासशील है। अतः भारतीय रेल में राजभाषा के स्वरूप एवं कार्यप्रणाली का गठन, अध्ययन एवं विश्लेषण एवं इसकी प्रगति निश्चित रूप से राजभाषा के विकास में अपनी विशेष भूमिका रखता है।

बीज शब्द : भारतीय रेल, राजभाषा, प्रशासनिक, हिंदी, भाषा, स्वरूप, कार्यप्रणाली, कार्यालय, नियम, अधिनियम।

प्रस्तावना

हिंदी आम बोल चाल की भाषा एवं साहित्य की भाषा के अलावा राजभाषा भी है जो कि भारत की अधिकारिक भाषा है उसके प्रचार–प्रसार और कार्यालयों में उपयोग के लिए संविधान में प्रयुक्त की गई है। भारतीय रेल केन्द्र सरकार के अधीन कार्य करने वाली संस्था है अतः राजभाषा नीति इस पर भी पूर्णतः लागू होती है। रेल में प्रशासनिक हिंदी के लिए किए गए प्रावधानों, नियमों, उपनियमों एवं प्रोत्साहन, पुरस्कारों के प्रयासों एवं रेल के राजभाषा विभाग की कार्यप्रणाली, उसकी उपादेयता एवं रेल की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उत्तरोत्तर विकास करना ही इसकी प्रशासनिक हिंदी की प्रगति को दर्शाता है।

भारतीय रेल के विभिन्न राजभाषा विभागों के द्वारा उसके विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच राजभाषा विभाग के नियमों की जानकारी, कार्य प्रणाली के साथ ही उनमें प्रशासनिक हिंदी का समुचित प्रयोग, हिंदी लेखन एवं साहित्य के प्रति रूची एवं अभिव्यक्ति का माध्यम प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है जो कि राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के द्वारा राजभाषा पर संविधान में लागू किए गये प्रावधानों का अनुपालन भारतीय रेल के द्वारा किन किन स्तरों पर किया जा रहा है और यह रेल में प्रशासनिक हिंदी के विकास एवं उसके प्रचार–प्रसार के लिए उपयोगी है।

भारतीय रेल में प्रशासनिक हिंदी (राजभाषा) की आवश्यकता– भारतीय संविधान में निर्दिष्ट एवं एक राष्ट्रभाषा की अवधारणा के लिए सरकारी काम–काज की भाषा के रूप में प्रशासनिक भाषा अथवा प्रशासनिक हिंदी का विकास हुआ। जिसमें भारत की अन्य भाषाओं एवं अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के मेल से एक ऐसी भाषा का विकास करना जो कर्मचारियों के सीखने, समझने व कार्यालयीन कार्यो की गति में अवरोध ना पैदा करे। "राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, जनभाषा, मातृभाषा, संचार भाषा की भूमिका निभाते हुए हिन्दी प्रशासन में राजभाषा के रूप में कहां और कैसी है, इसे जानलेना आवश्यक है।"[1] देश और समयकाल के अनुसार हर भाषा विकास करती रहती है। एक सजग समाज अपनी भाषा में नित नए प्रयोग कर नवीन शब्दों का सृजन और समावेश करते रहता है। जिस प्रकार प्रकृति में हर एक क्षण परिवर्तन और विकास होता रहता है उसी प्रकार भाषा की उन्नति के लिए भी उसमें भी समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है।

भारतीय रेल का विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारत में प्रत्येक राज्यों तक फैला है जहां अपनी–अपनी प्रांतीय भाषाएं भी मौजूद है अतः ऐसे में प्रशासनिक कार्यो में सहजता,

सुगमता, स्पष्टता, शुद्धता एवं शिष्टता के लिए यह आवश्यक है कि एक ऐसी भाषा हो जिसमें कार्यालयीन व प्रशासनिक कार्य एकसमान रूप से सुचारू पूर्वक किया जा सके तो यह प्रशासनिक भाषा को अपनाने के लिए बाध्य होती है। सरकारी कार्यालयों में रेल के अलावा भी अन्य कई विभाग है जहां इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है अतः सभी के लिए एक भाषा की अवधारणा से ही प्रशासनिक भाषा का उद्‌भव हुआ जो कि हिंदी भाषा के साथ अन्य भाषाओं का मिला–जुला स्वरूप है। इसी प्रशासनिक भाषा को 'राजभाषा' के रूप में विकसित करने और उसके प्रयोग एवं प्रचार–प्रसार को बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय के अन्तर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना की गयी। जिसके निर्देशानुसार, राजभाषा नियमों का अनुपालन भारतीय रेल में भी किया जा रहा है।

भारतीय रेल में राजभाषा का उद्‌भव– भारतीय रेल का इतिहास लगभग 150 वर्ष से अधिक पुराना है और भारत की आजादी के 73 सालों बाद भी प्रशासनिक हिंदी को अपनी जगह लेने में नियमों के अधीन, चर्चा एवं विचार–विमर्श के दौर से गुजरना पड़ रहा है। इस हेतु संविधान की पूरी मान्यता है, रेल के द्वारा इस हेतु वार्षिक लक्ष्य भी बनाया जाता है, राजभाषा नियमों–अधिनियमों का एक व्यापक प्रावधान है। "राजभाषा विभाग के तीन बुनियादी आधार है–कार्यान्वयन, प्रशिक्षण एवं अनुवाद"[2]। भारतीय रेल में हिंदी को समाविष्ट करने के लिए राजभाषा विभाग की व्यवस्था है परंतु आज भी भारतीय रेल के कुछ प्रांतो एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिंदी को सर्वग्राही बनाने की प्रकिया अभी संकमण की स्थिति में ही है। इस हेतु रेल के समस्त विभागों में पिछले कुछ वर्षो में अनुवाद, प्रशिक्षण, यांत्रिक सुविधाएँ और बुनियादी ढांचो को लेकर साधन संपन्न संस्थाओं में काफी काम हुआ है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों के प्रकाशन, लेखन–सामग्री, प्रचार और प्रशिक्षण में प्रशासनिक हिंदी का अस्तित्व दिखाई पड़ता है।

राजभाषा के रूप में प्रशासनिक हिंदी उपयोग के लिए दे तो दी गई पर कार्यालय के भीतर की फाइलों में अंग्रेजी आज भी उससे कहीं अधिक मजबूत स्थिति के साथ विराजमान है। व्यक्ति की निजता, आत्मगौरव, उसके सम्मान और उसकी पहचान से राजभाषा की सोच का ना जुड़ पाना हमारे वर्तमान की सबसे बड़ी भाषिक त्रासदी है। जब तक इसके उपयोग के प्रति रूचि नहीं जागेगी तब तक अनुवाद की सार्थकता नहीं होगी। इसलिए राजभाषा के प्रति व्यक्ति–समाज और पर्यायी रूप से कर्मचारियों के मन में आस्था का संचार करना एक मनौवैज्ञानिक चुनौती है।

वर्तमान समय में रेल में प्रथम चरण में राजभाषा विषयक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिसमें लेखन–सामग्री, प्रकिया साहित्य, प्रशिक्षण साहित्य, प्रचार साहित्य आदि स्थायी स्वरूप के कागजात हिंदी में तैयार कर लिए गए है। इसी संदर्भ में "जगत् का अधिकांश व्यवहार, बोलचाल, अथवा लिखा–पढ़ी से चलता है, इसलिए भाषा जगत् के व्यवहार का मूल है।"[3] वर्तमान में रेल के कार्यालयीन पत्राचार, अधिकारियों की नोटिंग, टिप्पण, भाषण, व्यक्तव्य आदि में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है पर यह प्रारंभिक दौर की सफलता ही मानी जाएगी। अभी यथार्थमूलक उपलब्धियों की ओर बढ़ने और लक्ष्य प्राप्ति की अपार संभावनाएं विद्यमान है। किसी भी भाषा के प्रयोग करने वाले ही उसे उपयोगी, सार्थक और सक्षम बनाने का माध्यम होते है। विश्व की सभी संपन्न भाषाएं अपने संकमण काल को पार कर सक्षम स्थिति तक पंहुची है। अभी रेल में प्रशासनिक हिंदी को और बहुत सी उपलब्धियां हासिल करना शेष है।

भारतीय रेल में प्रशासनिक हिंदी का स्वरूप– भाषा अभिव्यक्ति का एक सहज और सशक्त माध्यम होता है। राष्ट्रीय स्तर पर भाषा एक भावनात्मक सुरक्षा की महत्वपूर्ण कड़ी भी है। प्रशासनिक कार्यो में हिंदी की भूमिका अंग्रेजी भाषा से पीछे ही रही है परन्तु यह भी सत्य है कि व्यवहारिक रूप से भारत की संपर्क भाषा हिंदी ही है और यह सर्वसमान्य के व्यवहार में लायी जाने वाली भाषा है। "राजभाषा हिंदी के अभिष्ट प्रयोग के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राजभाषा से सम्बद्ध समस्त कार्यव्यापारों का निरूपण, प्रवर्तन एवं पुनर्विलोकन की सुव्यवस्थित प्रकिया को राजभाषा प्रबन्ध की संज्ञा दी जा सकती है।"[4] लेकिन आज भी रेल व अन्य कार्यालयों के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में काफी कठिनाईयों, विवाद और संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में यह एक जटिल कार्य है कि किसी एक भाषा में ही हर प्रकार के प्रशासनिक कार्य पूरे किए जा सकें।

जिस प्रकार आज पूरे विश्व में प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा में गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, मेयर आदि शब्द फ्रेंच भाषा से लिए गए है उसी प्रकार हिंदी भाषा से अलग अन्य भाषाओं के शब्दों को उसी उच्चारण में अपनाकर राजभाषा या प्रशासनिक हिंदी के स्वरूप का गठन किया गया है। इस प्रकार की प्रशासनिक हिंदी को अपनाने का मुख्य कारण यह भी है कि सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी किन्ही अन्य प्रांतो से आकर दूसरे प्रांतो में कार्य करते है और उनकी शिक्षा हिंदी से अलग उनकी मातृभाषा या अंग्रेजी में

भी हो सकती है। जिसके कारण हिंदी के कठिन शब्दों को समझने और उनके उच्चारण में उन्हें कई प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है जिससे सरकारी कार्यालयों का कार्य प्रभावित होता है। अतः सरकारी कार्यालयों के काम–काज को गति प्रदान करने और एक भाषा से जोड़ने के लिए प्रशासनिक हिंदी के स्वरूप का विकास हुआ। "राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, जनभाषा, मातृभाषा, संचार भाषा की भूमिका निभाते हुए हिन्दी प्रशासन में राजभाषा के रूप में कहां और कैसी है, इसे जानलेना आवश्यक है।"[5] अतः हिंदी सिर्फ एक भाषा न होकर हमारे राष्ट्र के अस्मिता की ऐसी पहचान है, जिसके विकास के लिए हम सबके सामुहिक प्रयासों की आवश्यकता है।

भारतीय रेल के राजभाषा विभाग का गठन और स्वरूप– कियान्वयन, प्रशिक्षण, अनुवाद तथा रेल के राजभाषा संबंधी सांविधानिक और कानूनी उपबंधो का अनुपालन सुनिश्चित करने और रेल के सरकारी काम–काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना विभाग के प्रमुख कार्य है। गृह मंत्रालय के द्वारा तय किये गये कार्यक्रमों एवं लक्ष्यों के कियान्वयन हेतु रेलवे बोर्ड स्तर पर राजभाषा निदेशालय Directorate of Official Language की स्थापना की गई है जो कि मंत्रालय एवं निदेशालय दोनो स्तरों पर कार्य करती है। इसके अलावा यह पूरे भारत में भारतीय रेल के समस्त जोन मुख्यालयों, मंडल कार्यालयों एवं अन्य विभागों के लिए राजभाषा नियमों के सही तरीके से अनुपालन करने के लिए निर्देश जारी करने एवं राजभाषा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। जिसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निदेशक राजभाषा होते है। इसके अलावा सभी जोनल रेल मुख्यालयों, समस्त मंडल कार्यालयों एवं रेल की अन्य इकाईयों में राजभाषा विभाग या अनुभाग का गठन किया गया है। राजभाषा के विकास के लिए रेल मंत्रालय एवं रेलवे बोर्ड के द्वारा कई प्रकार की समितियाँ भी बनाई गयी हैं जो राजभाषा के कार्यो की समीक्षा, सुझाव करने का कार्य करती है।

राजभाषा निदेशालय (रेलवे बोर्ड)– भारतीय रेल में संवैधानिक उपबंधो के लिए गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा के लिए बनाए गये नियमों एवं निर्देशों को समूचे रेल में लागू करवाने एवं उनका सही तरीके से अनुपालन के लिए राजभाषा निदेशालय की स्थापना रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली में की गई है। रेलवे बोर्ड की अध्यक्षता में यह निदेशालय कार्य करता है जिसमें निदेशक–राजभाषा प्रमुख अधिकारी है। "इस निदेशालय द्वारा रेल में राजभाषा संबंधी प्रमुख निर्देश जारी करने, वार्षिक कार्यक्रम, प्रचार–प्रसार, प्रशिक्षण, पुरस्कार, रेल की प्रशासनिक व तकनीकी शब्दावली, अनुवाद, कार्ययोजना एवं लक्ष्य बनाने का कार्य किया जाता है।"[6] रेल भवन के पुस्तकालयों लिए किताबों की खरीदी, राजभाषा के लिए हिंदी पत्रिका रेल–राजभाषा का प्रकाशन तथा वेबसाइट पर ई–पत्रिका के संपादन का कार्य भी इस निदेशालय द्वारा किया जाता है।

राजभाषा निदेशालय के प्रमुख कार्य निम्न है–

- गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के द्वारा लागू नियमों और नीतियों का भारतीय रेल में अनुपालन।
- राजभाषा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रेल के अन्तर्गत निर्धारित 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों के कार्यालयों लिए वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण।
- राजभाषा नियमों, नीतियों एवं उनके कियान्वयन के लिए कार्ययोजना।
- समस्त जोनल मुख्यालय द्वारा समय–समय पर प्राप्त राजभाषा प्रगति रिपोर्ट का आकलन और विश्लेषण।
- मंत्रालय एवं निदेशालय स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन की बैठक का आयोजन।
- रेलवे के लिए अनुवाद, प्रशासनिक एवं तकनीकी शब्दावली का निर्माण।
- राजभाषा नियमों, नीतियों का प्रचार–प्रसार, सहायक साहित्य एवं राजभाषा की गृह पत्रिका "रेल–राजभाषा" का प्रकाशन एवं वेबसाइट पर ई–पत्रिका का संपादन।
- निदेशालय में विभिन्न प्रकार की हिंदी एवं तकनीकी गोष्ठियों का आयोजन।
- निदेशालय में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी सप्ताह और पखवाड़ा का आयोजन।
- राजभाषा से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन, पुरस्कार वितरण।
- संसदीय राजभाषा समिति, रेलवे हिंदी सलाहकार समिति और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के द्वारा प्राप्त सुझावों को गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के साथ चर्चा एवं बैठक।

क्षेत्रीय रेल (जोनल) राजभाषा प्रधान कार्यालय– भारतीय रेल के 17 क्षेत्रीय रेल मुख्यालयों में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई है। जिसके द्वारा उस मुख्यालय के अंतर्गत समस्त विभागों, आने वाले मंडल कार्यालयों, कारखानों एवं उत्पादन इकाईयों एवं अन्य कार्यालयों/अनुभागों में राजभाषा के नियमों, निर्देशों एवं उसके प्रचार–प्रसार का कार्य किया जाता है। रेल निदेशालय द्वारा दिए गये वार्षिक कार्यक्रम एवं लक्ष्यों के आधार पर समस्त जोन में इसका अनुपालन का कार्य जिसमें मासिक एवं त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट का आकलन,

संग्रहण एवं बैठक का आयोजन। इसके अलावा रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन व हिंदी के विकास के लिए विभिन्न जोनल स्तर पर कार्यक्रम, प्रतियोगिता आदि का संचालन तथा हिंदी दिवस, सप्ताह व पखवाड़े का आयोजन। रेलवे के प्रत्येक क्षेत्रीय रेल मुख्यालय में महाप्रबंधक महोदय की अध्यक्षता और उनकी निगरानी में राजभाषा विभाग का संचालन होता है। मुख्य राजभाषा अधिकारी इस विभाग के प्रमुख होते हैं इसके अलावा वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों जिसमें राजभाषा अधिकारी, सहायक राजभाषा अधिकारी, अनुवादक, टंकण लिपिक, शीघ्रलेखक एवं राजभाषा सहायक आदि की नियुक्ति की जाती है। क्षेत्रीय रेल के राजभाषा प्रधान कार्यालय का प्रमुख कार्य निम्न है।

- हिंदी व कम्प्यूटर से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
- हिंदी कार्यशाला का आयोजन
- राजभाषा के कार्यो की समीक्षा
- मासिक व त्रैमासिक बैठक/समीक्षा बैठक का आयोजन
- राजभाषा कार्यान्वयन की बैठक का आयोजन
- राजभाषा निरीक्षण
- सहायक साहित्य एवं राजभाषा की गृह पत्रिका का प्रकाशन
- विभिन्न प्रकार के विषयों की राजभाषा गोष्ठियों का आयोजन हिंदी गोष्ठी, तकनीकी गोष्ठी
- हिंदी मंच का आयोजन, व्याख्यान एवं प्रस्तुति
- राजभाषा निदेशालय के निर्देश पर जोनल स्तर में राजभाषा के अनुपालन का दायित्व
- राजभाषा से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं पुरस्कार वितरण।

मंडल राजभाषा कार्यालय– भारतीय रेल के क्षेत्रीय रेल मुख्यालयों के अन्तर्गत समस्त मंडल कार्यालयों में भी राजभाषा विभाग की स्थापना की गई है। मंडल स्तर पर क्षेत्रीय रेल मुख्यालय के द्वारा दिए गये वार्षिक कार्यक्रम एवं लक्ष्यों के आधार पर समस्त मंडल कार्यक्षेत्र में इसका अनुपालन का कार्य। मंडल के अन्तर्गत समस्त विभागों, उसके अन्तर्गत आने वाले कार्यालयों, स्टेशनों, क्षेत्रों एवं अन्य विभागों में राजभाषा के नियमों, निर्देशों एवं उसके प्रचार–प्रसार का कार्य किया जाता है। राजभाषा के प्रधान कार्यालय में होने वाले हिंदी और कम्पयूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के चयन तथा हिंदी के विकास के लिए मंडल स्तर पर हिंदी के विभिन्न कार्यक्रम का संचालन, प्रतियोगिता आदि का संचालन तथा हिंदी दिवस, सप्ताह व पखवाड़े का आयोजन। मंडल कार्यालयों में इसके लिए मंडल राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति 'नराकास' में मंडल रेल प्रबंधक और मंडल राजभाषा अधिकारी की सहभागिता के साथ ही नगर के अन्य सरकारी विभागों एवं साहित्यकारों के द्वारा समिति का गठन।

अन्य राजभाषा शाखा कार्यालय एवं अनुभाग– रेल के प्रत्येक क्षेत्रीय रेल मुख्यालयों, मंडल कार्यालयों के अलावा रेल की अन्य उत्पादन इकाईयों, कारखानों एवं समस्त विभागों के अनुभागों में भी में राजभाषा अनुभाग की स्थापना की जाती है। जो उस विभाग में कार्मिक अनुभाग के अन्तर्गत स्थापित की जाती है। राजभाषा के नियमों का अनुपालन, रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण व राजभाषा के कार्यक्रम, बैठक, प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार वितरण आदि के कार्यो के संचालन तथा हिंदी दिवस, सप्ताह व पखवाड़े का आयोजन करती है। इसमें उस विभाग के प्रमुख द्वारा राजभाषा के लिए नामित अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो अपने प्रशासनिक कार्यो के अलावा राजभाषा का अतिरिक्त कार्यभार भी ग्रहण करते है। छोटे अनुभागों में राजभाषा सहायक की नियुक्ति की जाती है जो कि मंडल राजभाषा अधिकारी के निर्देशों पर उस अनुभाग के कार्यो को करते है। इसमें बहुत सी उत्पादन इकाईयों एवं कारखानों द्वारा राजभाषा की गृह पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है।

राजभाषा समितियों– राजभाषा विभाग के साथ ही रेल में राजभाषा के क्षेत्र में उसकी उपयोगिता बढ़ाने, उसके लिए सुझाव, समीक्षा हेतु कई प्रकार की समितियों का निर्माण भी किया गया है जो स्वतंत्र रूप से राजभाषा के संबंध में अपनी राय और परामर्श देने का कार्य करती है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति– रेल में राजभाषा संबंधित सुझाव के लिए "रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग–प्रसार की समीक्षा करने के लिए अध्यक्ष रेलवे बोर्ड की अध्यक्षता में रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है।"[5] इस समिति का मुख्य उद्देश्य राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे राजभाषा अधिनियम की धारा 3,3 का अनुपालन, अनुवाद, शब्दावली, हिंदी में पत्राचार, हिंदी में प्राप्त पत्रो के उत्तर हिंदी में देने, फाइलों पर हिंदी में टिप्पण, वैबसाइट में उपलब्ध सूचनाओं को हिंदी में करने का कार्य, चैक प्वांइटों की सकियता आदि के संबंध में विचार–विमर्श करना है। इस समिति की हर

तिमाही में अर्थात एक वर्ष में चार बैठकें आयोजित की जाती है। प्रत्येक तीन अथवा चार वर्ष के अंतराल में इस समिति का पुनर्गठन किया जाता है।

रेलवे हिंदी सलाहकार समिति– रेलवे हिंदी सलाहकार समितियों का काम संविधान में उल्लिखित राजभाषा संबंधी उपबंधो, राजभाषा अधिनियम व राजभाषा नियमों, केन्द्रीय हिंदी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों/अनुदेशों के कियान्वयन के बारे में और रेल मंत्रालय, क्षेत्रीय रेलों आदि पर स्थित रेल कार्यालयों के कामकाज में हिंदी के प्रयोग–प्रसार को बढ़ाने के विषय में सलाह देना है। यह "रेल मंत्रालय तथा क्षेत्रीय रेलों, उत्पादन इकाइयों, उपकमों, मंडलो आदि में हिंदी की प्रगति की समीक्षा करने और हिंदी के प्रयोग–प्रसार पर नजर रखने के लिए रेल मंत्री की अध्यक्षता में रेलवे हिंदी सलाहकार समिति गठित की जाती है।"[6] यदि यह समिति राजभाषा नीति या उसके संबंध में जारी किए गए किसी निर्देश/अनुदेश में कोई परिवर्तन करने का सलाह देती है तो इस प्रकार के सुझाव को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की पूर्व सहमति से लागू किया जा सकता है। इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल गठन की तारीख से तीन वर्ष के लिए किया जाता है। रेलवे हिंदी सलाहकार समिति द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यो के लिए गृह मंत्रालय द्वारा कई बार इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास)– नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति 'नराकास' का गठन राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सन् 1976 के अनुसार देश के उन सभी नगरों में जहां केंद्रीय सरकार, बैंक और उपकमों आदि के 10 या इससे अधिक कार्यालय हों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा सकता है। इस समिति का गठन राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार के सचिव (राजभाषा) की अनुमति से किया जाता है।

इसका प्रमुख उददेश्य केंद्रीय सरकार के देश भर में फैले हुए कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मार्ग में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए एक संयुक्त मंच की आवश्यकता महसूस की गई ताकि सभी कार्यालय, उपक्रम, बैंक आदि बैठको के माध्यम से चर्चा कर राजभाषा के विकास में अपनी भूमिका निभा सकें जिसके लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन का निर्णय लिया गया। इन समितियों के गठन का प्रमुख उद्देश्य हिंदी के विकास के साथ ही भारत के नगरों में हिंदी की उपयोगिता को बढ़ावा देना और अन्य विभागों के मेलजोल की सहायता से हिंदी के विकास के लिए कार्य करना, उनके सुझाव पर अमल करना साथ ही राजभाषा के प्रति लोगो में जागरूकता का भाव पैदा करना।

रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई प्रोत्साहन और पुरस्कार योजनाएँ– भारत सरकार की राजभाषा नीति एवं गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार रेलों के विभिन्न कार्यालयों में "सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने की दृष्टि से रेल अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पुरस्कार योजनाएं एवं प्रतियोगिताएं आदि प्रचलित है।"[7] इन प्रोत्साहन/पुरस्कार योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कार के पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष के अप्रैल–मई महीने में अखिल भारतीय रेल राजभाषा सप्ताह समारोह के अवसर पर पुरस्कृत किया जाता है। इन योजनाओं का विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

- कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक
- रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक
- रेल मंत्री राजभाषा शील्ड/ट्रॉफी तथा अन्य वैजयंतियां (क,ख एवं ग क्षेत्रो के लिए)
- लालबहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना
- मैथिलीशरण ष्गुप्तष् पुरस्कार योजना : (काव्य/गजल संग्रहद्ध
- प्रेमचंद पुरस्कार योजना (कहानी संग्रह/उपन्यास के लिएद्ध
- रेल मंत्री व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना
- रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता
- अखिल रेल हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता
- अखिल रेल हिंदी निबंध प्रतियोगिता एवं अखिल रेल हिंदी वाक् प्रतियोगिता
- अखिल भारतीय रेल नाट्योत्सव
- हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले विभागों के लिए सामूहिक पुरस्कार योजना
- रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार योजना

उपरोक्त प्रतियोगिताएं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों एवं अराजपत्रित वर्ग के लिए है, जिसमें हिंदी भाषी एवं अहिंदी भाषी सभी कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। इन पुरस्कार योजनाओं के माध्यम से रेल अधिकारियों और कर्मचारियों को राजभाषा में कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, उनकी रूची को बढ़ाना और प्रशासनिक हिंदी के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास है।

निष्कर्ष

इस प्रकार भारतीय रेल में सुनियोजित कार्यप्रणाली के माध्यम से प्रशासनिक हिंदी के प्रसार–प्रसार और कार्यालयीन कार्यो में इसकी उपयोगिता एवं एकरूपता बनाए रखने के लिए निरंतर कई वर्षो से प्रयास जारी है। समय के साथ इसी ज्ञानानुभव एवं कार्यप्रणाली को नवीन पीढ़ी तक सही स्वरूप में हस्तांतरित करने का उद्देश्य भी इसमें निहित है। भारत के विभिन्न प्रांतो के निवासी रेल अधिकारी और कर्मचारी बनकर दूसरे प्रांतो में काम करने के लिए नियुक्त किये जाते है। ऐसे में उनके द्वारा अपनी मातृभाषा का ज्ञान रखना तो उत्तम होता है परंतु कहीं न कहीं व प्रशासनिक कार्यो में कठिनाई उत्पन्न करता है। अतः प्रत्येक रेल अधिकारी एवं कर्मचारी को प्रशासनिक हिंदी का ज्ञान, प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करने का कार्य ही रेल के राजभाषा विभाग का प्रमुख कार्य है जो इसके लिए निर्मित निर्धारित स्वरूप और कार्यप्रणाली के माध्यम से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है।

संदर्भ सूची :

1. खड़से, डॉ. दामोदर, राजभाषा प्रबंधन : संदर्भ व आयाम, नई–दिल्ली, समय प्रकाशन, 2000, पृ. 15
2. http://www.secr.indianrailways.gov.in/view_section.jsp?lang=0&id=0,1,1356,1373, 937, 1185, Dt. 04-12-2022
3. गुरू, डॉ. कामता प्रसाद, हिन्दी व्याकरण, इलाहाबाद : लोकभारती प्रकाशन, पुनर्मुद्रित 2015, पृ. 17
4. ठाकुर, गोवर्धन–राजभाषा प्रबंधन, 1993, पृ. 17
5. खड़से, डॉ. दामोदर, राजभाषा प्रबंधन : संदर्भ व आयाम, नई–दिल्ली, समय प्रकाशन, 2000, पृ. 15
6. https://indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section.jsp?id=0,1,304,366,521. Dt.04-12-2022
7. रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति निर्देशिका, भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
8. रेलवे हिंदी सलाहकार समिति निर्देशिका, भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

वर्ष–12, अंक–1–2, जनवरी–जून 2022

अनुचिन्तन विमर्श

A Multidisciplinary
Peer Reviewed
Refereed
Journal

विषय सूची

अनुचिन्तन विमर्श,
वर्ष– 12, अंक– 1–2, जनवरी–जून 2022 ISSN: 0976-2671

1. शोध में विषय का चयन : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
4/*श्रीमती सीमारानी प्रधान **डॉ0 अनुसुइया अग्रवाल

2. बौध दर्शन में सन्निहित योग एवं पर्यावरण
9/डॉ0 ईश्वर चन्द

3. 'कोविड'– 19 का पलायन करने वाले श्रमिकों पर प्रभाव
16/रिंकू कुमारी

4. कोविड– 19 का सामाजिक पर्यावरण पर प्रभाव
22/राहुल श्री

5. ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोविड– 19 का प्रभावः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
32/संतोष कुमार सिंह

6. कोविड– 19 का राजनीतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन
39/डॉ0 रामानन्द प्रकाश

7. आर्थिक पर्यावरण पर कोविड– 19 का प्रभाव
46/सुशीला हाँसदा

8. ग्रामीण विकास की बदलती तस्वीर
50/अवीनाश तिवारी

9. व्यंग्य में रस का स्वरूप
56/*दीप्ति ठाकुर**डॉ0 अनुसुइया अग्रवाल

ISSN- 0976-2671
अनुचिंतन विमर्श, वर्ष–12, अंक–01 – 02, जनवरी – जून 2022

शोध में विषय का चयन : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

*श्रीमती सीमारानी प्रधान **डॉ0 अनुसुइया अग्रवाल, डी.लिट्
*सहायक प्राध्यापक हिन्दी, शास.महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद *Email- rudraseema123@gmail.com*
**प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हिन्दी शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद

सारांशः

मनुष्य जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। खोज–खबर का भाव उसे गतिशील एवं खोजी बनाता है। यही भाव शोध का आधार हैं। शोध मानवीय संस्कृति को चिर–नूतन बनाता है। शोध अनुशासन से जुड़ा है। उचित चरणों से किया गया शोध ज्ञान पिपासा की शांति के साथ–साथ मानवीय जरूरतों की भी पूर्ति करता है। शोध का सबसे महत्वपूर्ण भाग विषय चयन है। जिससे शोधकर्ता, शोध निर्देशक उस विषय के साथ न्यायपूर्ण तरीके से अध्ययन कर सटीक परिणाम कर सकते हैं। शोध गंभीर व जिम्मेदारी पूर्ण कार्य है। अतः शोध विषय का चयन सोच समझकर करना बहुत जरूरी है।

शब्द कुंजी :– शोध, शोध–विषय, शोधकर्ता, शोध–निर्देशक, शोध–प्रक्रिया, परामर्श।

शोध मानव समाज का अनिवार्य अंग है। शोध को मानवता का आधार कहना गलत नहीं होगा। शोध का उद्देश्य मानव जीवन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। शोध विषय के चुनाव के पूर्व शोधार्थी को शोध संबंधी अध्ययन करना आवश्यक है, जिससे उसे शोध का विस्तार व सीमाओं का अनुमान हो सके और विषय समाज के लिए उपयोगी हो सके।

शोध का सबसे महत्वपूर्ण भाग शोध विषय का चुनाव करना है यदि किसी एक विषय का चुनाव नहीं किया जाता है तो भटकाव आ सकता है और शोध का परिणाम प्रभावित हो सकता है।

शोध विषय के चुनाव के चरण :– शोध पूर्णतः वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उचित चरणों के अनुसरण से ही शोध सम्भव है, जो निम्नानुसार है :–

प्रारंभिक तैयारी :– शोध विषय के चयन के पूर्व शोधार्थी को अपनी रूचि के अनुसार सामग्री संकलन कर अध्ययन करना चाहिए। जिससे उसे विषय चयन पर सुविधा हो साथ ही ऐसे विषय का चयन करे जो उसके परिस्थितियों के अनुकुल हो, ताकि डाटा का संकलन हो सके। अन्य विद्वानों से परामर्श भी लेना आवश्यक है, जिससे उनके अनुभव का भी लाभ मिल सके।

"इस तरह चार पॉच महिनों की तैयारी के बाद विषय चुनें तो प्रायोगिक दृष्टि से अधिक सुविधाजनक होगी। इसके बिना या तो विषय दुर्बल रहता है, या विषय को लेने के बाद छात्र उसे पूरा करने में अपने आपको असमर्थ पाता है।" [1] शोधार्थी को दूरदर्शिता के साथ विषय चयन करना चाहिए जिससे शोध उद्देश्य की प्राप्ति हो एवं परिणाम भी विश्वसनीय हो।

छात्रों की दुर्बलताओं का ध्यान : विषय चयन का केन्द्रीय तत्व छात्र है। कई बार निर्देशक ऐसे विषय का चयन कर लेते हैं जो छात्र के लिए शोध कर पाना संभव नहीं होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि छात्र ऐसे हल्के विषय चुन लेते हैं जिसमें स्तरीय सामग्री प्राप्त नहीं हो पाता है। "विषय के चुनाव में शोधकर्ता की क्षमता या योग्यता भी काफी मायने रखती है। यदि शोधकर्ता अपनी रूची के अनुसार ऐसे विषय चुन लें जिस पर कार्य करना उसकी सामर्थ से बाहर है, तो परिणाम ठीक नहीं होगा।" [2] विषय चयन को लेकर कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। शोध का सारा दारोमदार विषय चुनाव पर निर्भर करता है। शोधकर्ता को अपनी क्षमता, योग्यता और सामग्री के उपलब्धता के आधार पर विषय चयन करना जरूरी है।

विषय चयन का मापदण्ड : विषय चयन को लेकर यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शोध विषय का चयन शोधार्थी स्वयं करे या शोध निर्देशक करे। प्रश्न यह भी उठता है कि निर्देशक अपने अध्ययन क्षेत्र का ही कोई विषय शोधार्थी को दे या कोई नवीन विषय पर शोध कार्य करवाये या शोधार्थी और निर्देशक दोनों मिलकर विषय तय करें।

उच्च व गहन अध्ययनशील शोधार्थी जब स्वयं विषय का चयन करता है, तो यह शोध के लिए महत्वपूर्ण होता है एवं नवीन एवं विश्वसनीय शोध के लिए महत्वपूर्ण भी है लेकिन यदि शोध विषय का चयन शोधार्थी अपने अध्ययन व रूचि के अनुसार करता है और उस विषय में निर्देशक का ज्ञान अल्प या नहीं है तो निर्देशक को मार्गदर्शन करने में दिक्कत हो सकता है, साथ ही शोधार्थी को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए शोध, शोध–निर्देशक के निर्देशन में होना चाहिए। लेकिन यह अनिवार्य न हो। " निर्देशक शोध सिद्धांतों से परिचित गंभीर विद्वान हो तो वह मोटे तौर पर परामर्श देकर और शोध करा सकता है। [3] निर्देशक के दिये गये विषय पर अनुसंधान करने से यह सुविधा होती है कि निर्देशक को अपने क्षेत्र की जानकारी होती है और वह शोधार्थी को उचित मार्गदर्शन व सहायता से शोध बहुत आसानी से हो जाता है। इसमें यह विशेष ध्यान रखने की बात है कि छात्र शोध में पूर्णतया अपने निर्देशक पर निर्भर नहीं रहेगा नही तो शोध में मौलिकता का अभाव हो जायेगा।

अनुसंधान का विषय कैसे हो : अनुसंधान के विषय की प्रवृत्ति पर शोध निर्भर करता हैं अनुसंधान का विषय सत्य का उद्घाटन और पूर्वज्ञात सत्यों के विस्तार के लिए सक्षम होना चाहिए। विषय दिलचस्प हो, जिससे परिणाम की प्राप्ति तक शोधार्थी जुड़ा

रहे। विषय मे नवीनता हो जिससे नवीन परिणाम का प्राप्त हो सके। ऐसे विषय पर शोध करने से शोधार्थी के ज्ञान क्षेत्र में विस्तार होता है और समाज उस ज्ञान से लाभान्वित हो पाये। इस सबके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कि कभी पहले उसी विषय पर शोध न हुआ हो। विषय का चयन शोध कार्य के परिणाम को ऊँचाई में ले जाने के लिए समक्ष है।

विषय की महत्ता : जिस विषय पर हम शोध करने जा रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है और गंभीर है यह भी शोध को प्रभावित करता है। विषय क्षेत्र बहुत विस्तार न हो, जिससे एक निश्चित अवधि में शोध को पूर्ण न किया जा सके। लेकिन इतना सीमित भी न हो कि उसका लाभ समाज को न मिल सके। फिर भी शोध के परिणाम के पूर्व शोध की महत्ता पर सटीक सही कहा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप किसी पौधे का अध्ययन करके ही बताया जा सकता है कि उसमें किस प्रकार के औषधीय गुण विद्यमान हैं।

व्यवहारिक उपयोगिता : किसी भी शोध की महत्ता इस बात पर निर्भर है कि समाज में उसका व्यवहारिक उपयोग क्या है? क्योकि उपयोगिता शोध का मूल्य है। कई बार शोध सिर्फ शोध–ग्रंथ के रूप में डिग्री प्राप्त करने के साधन मात्र रह जाते हैं। शोध चाहे किसी भी विषय में हो, उसकी उपयोगिता से उसका महत्व तय होता है। "वैज्ञानिक विषयों में अनुसंधान द्वारा जिन वस्तुओं या कार्य–प्रणालियों का आविष्कार किया जाता है, उनकी प्रायोगिक उपयोगिता शोध का मूल्य निश्चित करती है।[4] शोध से समाज लाभान्वित हो, इस बात को ध्यान में रखकर विषय चयन करना चाहिए।

सफलता की संभावना : विषय का निर्धारण करते समय सभी पक्षों पर सोच विचार करना आवश्यक है। क्योंकि शोध–कार्य में समय श्रम के साथ–साथ धन भी लगता है। इसके लिए जरूरी है कि पहले से अध्ययन किया जाये। जिससे विषय की विशालता का अनुमान हो सके साथ ही उसके सीमा का अंदाज हो। विषय से संबंधी पूर्वज्ञान का आकलन कर सामग्री की उपलब्धता पर भी सोचना आवश्यक है, जिससे शोध की पूर्णता और सफलता निश्चित किया जा सके। कभी–कभी ऐसा होता है कि विषय के अनुरूप सामग्री नहीं मिलती या सामग्री तक छात्रों की पहुँच नहीं हो पाती है।

जिस विषय पर पर्याप्त शोध हो चुके हैं उस पर काम करना चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि पूर्व में हो चुके काम से इतर हमें मौलिक प्रस्तुति देनी होती है।

विषय की सीमाएँ : शोध का विषय कितना सिमित हो या कितना व्यापक हो यह चर्चा का विषय हो सकता है। विषय की विशालता व गइराई के बीच सामजस्य होना जरूरी है। यदि विषय में विशालता हो तो गहराई कम हो सकती है। कभी–कभी बहुत सीमित विषय से विषय के बहुत सारे पहलू उजागर नहीं हो पाते। "लेकिन अत्यंत विशाल अनुसंधानों सभी लेखकों के सभी पहलूओं का विश्लेषण संभव नहीं होता। सीमित विषयों के शोधों में विविध अंशो या पहलुओं के विशद अध्ययन की संभावना रहती है, लेकिन ऐसे

अध्ययन का महत्व तभी है जब इन अंशो का अपना महत्व है।" [5] विषय की प्रवृति के अनुसार विषय का विस्तार तय किया जा सकता है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि शोध की विशालता व सीमितता विषय के मांग के अनुरूप होना चाहिए।

शोधार्थी का बौद्धिक स्तर : शोधार्थी का बौद्धिक स्तर के अनुसार विषय का चयन होना आवश्यक है। छात्र के बौद्धिक स्तर यदि उच्च है, तो विषय का स्तर भी वैसा ही होना चाहिए। यदि किसी छात्र का बौद्धिक स्तर निम्न या मध्यम हो तो उसकी क्षमता के अनुसार विषय का चयन हो ताकि उस विषय पर सरलता से काम किया जा सके। छात्र तार्किक या विश्लेषण शक्ति से युक्त हो तो विषय का चयन विश्लेषणात्मक होने से छात्र उसमें बेहतर कर सकते हैं। कुछ शोधार्थियों में कल्पना, आलोचना और सिद्धांत, निर्णय की दक्षता होने से उसके अनुरूप विषय चयन जरूरी है जिससे विषय के साथ छात्र न्याय कर पाये।

निष्कर्ष : किसी भी शोधार्थी के लिए विषय का चयन महत्वपूर्ण है। इसे जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करना शोधार्थी का कर्तव्य है। सबसे पहले शोधार्थी अपनी रूचि का क्षेत्र तय कर ले। उस संबंधी अध्ययन करे साथ ही शोध निर्देशक का सहयोग व परामर्श भी ले। पूर्व में उस विषय में कार्य कर चुके शोधकर्ताओं के अनुभव का लाभ भी ले। अंत में स्वयं ही इस निर्णय पर पहुँचे कि क्या विषय उसके प्रवृति के अनुरूप हैं ? विषय का समाज में क्या उपादेयता होगी ? "शोधार्थियों को अपने शोध विषय के चयन में इतनी सावधानी तो करनी ही चाहिए कि हम विषय में प्रवेश कर सार्थक परिणाम प्राप्त कर सकें क्योंकि विषय का निष्कर्ष तो हम संक्षिप्त विवरण का शोध के बाद अपने विचारों व प्राप्त तथ्यों के आधार पर निकाल ही लेते है, पर उसका परिणाम समाज को संरचनात्मक पहल हेतु प्रेरित करे। [6]

वास्तव में शोध उद्देश्यपूर्ण पावन कार्य है। सफल शोध के लिए शोधात्मक अनुशासन व चरणों का पालन नितांत आवश्यक है। शोध मानव जीवन के निरंतर प्रगति का मार्ग है। शोध नवीन ज्ञान का मार्ग खोलता है शोध रूपी शरीर की आत्मा, शोध का विषय है। आत्मा जितनी आभामय होगी शरीर उतना ही तेजस्वी होगा। शोध को उद्देश्यपूर्ण, उपयोगी, विश्वसनीय बनाने हेतु उपर्युक्त विषय चयन शोध के लिए अनिवार्य है।

संदर्भ सूची

1. नवले, संजय शोध संस्कृति, कानपुर अमन प्रकाशन, 2016 पृ. 83
2. पाण्डेय, उमा शोध प्रस्तुति, दिल्ली नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 1992, पृ. 6
3. गणेशन, एस.एन. अनुसंधान प्रविधि सिद्धांत और प्रक्रिया इलाहाबार लोकभारती प्रकाशन 2001 पृ. 85

वर्ष–12, अंक–1–2, जनवरी–जून 2022

अनुचिन्तन विमर्श

A Multidisciplinary
Peer Reviewed
Refereed
Journal

विषय सूची

अनुचिन्तन विमर्श,
वर्ष– 12, अंक– 1–2, जनवरी–जून 2022 ISSN: 0976-2671

1. शोध में विषय का चयन : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
4/*श्रीमती सीमारानी प्रधान **डॉ0 अनुसुइया अग्रवाल

2. बौध दर्शन में सन्निहित योग एवं पर्यावरण
9/डॉ0 ईश्वर चन्द

3. 'कोविड'– 19 का पलायन करने वाले श्रमिकों पर प्रभाव
16/रिंकू कुमारी

4. कोविड– 19 का सामाजिक पर्यावरण पर प्रभाव
22/राहुल श्री

5. ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोविड– 19 का प्रभाव: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
32/संतोष कुमार सिंह

6. कोविड– 19 का राजनीतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन
39/डॉ0 रामानन्द प्रकाश

7. आर्थिक पर्यावरण पर कोविड– 19 का प्रभाव
46/सुशीला हाँसदा

8. ग्रामीण विकास की बदलती तस्वीर
50/अवीनाश तिवारी

9. व्यंग्य में रस का स्वरूप
56/*दीप्ति ठाकुर**डॉ0 अनुसुइया अग्रवाल

ISSN- 0976-2671
अनुचिंतन विमर्श, वर्ष–12, अंक–01 – 02, जनवरी – जून 2022

व्यंग्य में रस का स्वरूप

*दीप्ति ठाकुर**डॉ0 अनुसुइया अग्रवाल, डी.लिट्

*शोध छात्रा, शास.महा.व. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद, पं.रवि.शुक्ल विवि., रायपुर (छ.ग.) Email - sinnisairam@gmail.com

**प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हिन्दी शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद

सारांश

21वीं सदी में विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में जिस प्रकार परिवर्तन एवं परिवर्धन हुआ है उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी नए प्रयोग, नये विचार और कल्पना के नए आयामों का आविर्भाव हुआ है। हिंदी साहित्य में व्यंग्य सिर्फ 'शब्द शक्ति' के भाव मात्र में सीमित न रहकर आज विस्तृत रूप में उभर कर सामने आया है। व्यंग्य समाज के यथार्थ से जुड़ा हुआ अन्याय, अनाचार, पाखंड, कालाबाजारी, छल, दोगलापन, अवसरवाद और असामंजस्य तथा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक विसंगतियों से घिरा हुआ है। सजग साहित्यकार व्यंग्य के माध्यम से इन सभी विसंगतियों एवं विद्रूपताओं पर तीक्ष्ण प्रहार करता है। व्यंग्यकार जीवन और जगत की वास्तविक अनुभूतियों को अपने साहित्य में उतारता है। जीवन और जगत में जो कुछ भी परिवर्तन एवं परिवर्तन एवं परिवधन होता है उससे व्यंग्य भी प्रभावित होता है। व्यंग्य के स्वरूप की चर्चा करने से पूर्व व्यंग्य व्युत्पत्ति मूलक अर्थ एवं परिभाषा को समझ लेना आवश्यक है।

शब्द कुँजी–अविर्भाव, असामंजस्य, विद्रुपताओं, एप्रोच, विसंगतियों।

परिचय

हिंदी साहित्य में प्रचलित 'व्यंग्य' शब्द संसकृत भाषा का शब्द है। 'हिंदी साहित्य कोश' (ड.ध.वर्मा पृष्ठ 649) में व्यंग्य की व्युत्पत्ति 'वी+अंग'–'विकृत या वी रूप अंग दिया है। मूलतः व्यंग्य शब्द का प्रयोग 'शब्द–शक्ति' के अतर्गत ही किया जाता था। इसलिए 'हिंदी शब्द सागर' (आ. र.वर्मा पृष्ठ 931) में व्यंग्य का अर्थ बताया गया है।–1) शब्द का वह गूढ़ अर्थ जो उसकी व्यंजना–वृत्ति द्वारा प्रकट हो और 2) ताना बोली, चुटकी।

हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यकार एवं विद्वानों ने व्यंग्य की जो परिभाषाएं दि है वह इस प्रकार है :–

1). समाज की कुरीतियों का भांडाफोड़ करने का कार्य मुख्यतः व्यंग्य द्वारा ही हो सकता है। यदि उसमें हास्य भी समाविश्ट हो जाए तो रंग और भी तेज हो जाएगा।1

2). व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करता है। .....अच्छा व्यंग्य सहानुभूति का सबसे उत्तम रूप होता है।2

भारतीय विद्वानों द्वारा दी गयी उपयुक्त परीभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि व्यंग्य का उद्‌भव चारों ओर व्याप्त विकृतियों एवं विद्रूपताओं पर प्रहार कर उनका पर्दाफाश करता है।

शब्द–शक्ति और व्यंग्य

भारतीय काव्यशास्त्र में व्यंग्य का संबंध मूलतः व्यंजना शब्द–शक्ति के अंतर्गत स्वीकारा गया है। व्यंजना शक्ति शब्द और अर्थ की वह शक्ति है जो अभिधा तथा लक्षणा शक्ति के भी विरत हो जाने पर एक ऐसे अर्थ का बोध करती है जो वाच्य और लक्ष्य से भिन्न और विलक्षण होता है। व्यंजना शक्ति व्यंग्यार्थ को ध्वनित करने वाली शब्द वृत्ति है। व्यंग्यार्थ शब्द और अर्थ दोनों से संभव है। इस तरह व्यंग्य शब्द में भी होता है और अर्थ में भी।

रस और व्यंग्य

व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार करता है, वह जीवन तथा समाज के यथार्थ चित्रण और त्रासद स्थितियों की आलोचना करता है। इस स्थिति में यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि "क्या यथार्थ चित्रण से रस निष्पत्ति संभव है?" इस संदर्भ में डॉ. नगेन्द्र ने कहा है कि यथार्थ चित्रण में भी रस होता है और व्यंग्य से रस का क्या विरोध? उसमें तो करूणा, हास्य, अमर्ष आदि भावों की सत्ता निश्चित रूप से होती है, जो मानवीय संवेदना पर आश्रित होते है।3 अतः व्यंग्य द्‌वारा मुख्यतः कुछ रस की अनुभूति होती है।

व्यंग्य में करूण रस की अनुभूति

व्यंग्य के माध्यम से लेखक या कवि समाज में फैल रहे विद्रूपताओं तथा विसंगतियों का पर्दाफाश करते हुए कभी–कभी करूण रस की निष्पत्ति कर बैठते हैं। हरिशंकर परसाई की रचना 'भोलाराम का जीव' हो या गजेंद्र तिवारी की रचना 'चेतना के विवेकाश्व' इन दोनों रचनाओं में व्यंग्य की आकामकता है। 'भोलाराम का जीव' का उदाहरण देखिए, "गरीबी की बीमारी थी। पांच साल हो गए, पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर दस–पंद्रह दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन पांच सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए। फिर बर्तन बिके। अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते–घुलते और भूखे मरते–मरते उन्होंने दम तोड़ दिया।"4 इसी प्रकार गजेंद्र तिवारी की रचना 'चेतना के विवेकाश्व' का 'धर्म का मूल है दया' का उदाहरण भी दृष्टव्य है–"विडंबना यह है कि अपने बीमार बेटे की जिंदगी के लिए जो राजा घुटने टेक कर ईश्वर के सामने दया की भीख मांगता है, वही राजा अपने सामने घुटने टेक कर बैठे हुए उस बूढ़े किसान की दया की पुकार को अनसुना कर देता हे जो अपने बेटे के प्राणों की भीख उसी से मांग रहा होता है? यानी हम वह चीज़ दूसरों से प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि हम स्वयं दूसरों को नहीं देना

चाहते। कितनी बड़ी विसंगति है यह! हम चाहते हैं कि दूसरे हमसे आदर व सम्मान का व्यवहार करें लेकिन हम स्वयं दूसरों से सीधे मुंह बात करने की जरूरत भी महसूस नहीं करते।"5

इस प्रकार उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में सरकार द्वारा दिए जा रहे पेंशन/वेतन ना मिलने के कारण सरकारी कर्मचारी का शरीर संसार छोड़ देता है। गजेंद्र तिवारी ने भी बीमार बेटे के पिता के प्रति करूणा का भाव दिखाया है।

व्यंग्य में रौद्र रस की अनुभूति

व्यंग्य समाज की विद्रूपताओं तथा विसंगतियों पर प्रहार करके व्यक्ति, वस्तु तथा समाज की पोल खोलता है। प्रहार करते समय वह रौद्र रस की अभिव्यक्ति भी करता है। गजेंद्र तिवारी ने अपनी रचना व्यंग्य बत्तीसी (कौन है खलनायक?) में कटु आक्षेपों के द्वारा क्रोध उत्पन्न करने वाला व्यंग्य लिखा है–'अरे पाखंडीओं, अगर तुम अश्लील और नंगी फिल्में देखने नहीं जाओगे, तो क्या पुलिस तुम्हें ताजीरात ए हिंद की दफा 302 के तहत गिरतार कर तुम्हारे खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलाएगी', बाबा सुमिरन दास ने कहा,'या कोई तुमको तुम्हारे घर से जबरन अगवा कर फिल्म दिखाने ले जाएगा? अरे ढोंगियों क्यों नहीं कहते साफ–साफ कि तुमको चटकारे लेकर चाट–पकौड़े खाने में मजा आता है इसलिए जैसे गंदगी पर मक्खियां टूट पड़ती है, वैसे ही फिल्म लगने पर सिनेमा या वीडियो हॉल पर तुम टूट पड़ते हो और आरोप लगाते हो बनाने वालों पर कि फिल्म बनाते हैं वह लोग, तो हम देखने जाते हैं। अरे, बनाने वाले तो पोटेशियम साइनाइड. .....। क्यों नहीं खाते? बोलो, बोलते क्यों नहीं?"6

व्यंग्य में विभत्स रस की अनुभूति

राजनीति को फटकारते हुए बरसाने लाल चतुर्वेदी ने आज की राजनीति को अलग ढंग से परिभाषित किया है, 'रस परिवर्तन' कविता में इसका परिचय दिया है–

"थूक कर चाटना
साहित्य में विभत्स माना जाता है
राजनीति में,
अब उसे श्रृंगार रस मान लिया गया है।"7

व्यंग्य में हास्य रस की अनुभूति

हिंदी साहित्य में व्यंग्य, हास्य के साथ जुड़कर आया है। जुड़कर इसलिए कि दोनों में एक समानता है – विसंगतियों की, साथ ही दोनों की प्रवृत्ति में मूलभूत अंतर भी है। वह है – हास्य रस की स्थिति को लेकर वही लेखक सफलतापूर्वक लिख सकता है जो प्रकृति से विनोद प्रिय हो, आशावादी दृष्टिकोण वाला हो, शब्द–शक्तियों की परख रखता हो, साथ ही वही पाठक इस कृति का आनंद ले सकता है जो शब्द–संकेतों तथा व्यंग्य के व्यंजक पक्ष को पकड़ने की वृत्ति रखता हो। गजेंद्र तिवारी ने अपने व्यंग्य बत्तीसी

5:52
(3.25 MB) Anuchintan June 20... IMPORT

के अंतर्गत "पंचतारा भिक्षार्थी" नामक पाठ के माध्यम से हास्य रस को प्रकट किया है– "क्वालिफाइड आदमी ही तो भिखारी होता है अपने मुलुक में। मैं एम.ए.पास हूं, हिंदी साहित्य में। कई जगह हाथ–पांव मारे, कुछ डौल नहीं जमा। भूखों मरने की नौबत आ गई। तभी मेरे एक मित्र ने मुझ पर रहम खा कर इस व्यवसाय में मुझे लगा दिया। हालांकि उसे 'एप्रोच' (पहुंच) भिढानी पड़ी लेकिन 'एप्रोच' और घूस इन दोनों के बल पर मुझे भीख मांगने का व्यवसाय करने का लाइसेंस मिल ही गया।.....किस्मत ने साथ दिया खूब डटकर और साल भर में ही मेरी आमदनी सब खर्चा काटकर प्रतिदिन दो सौ तक पहुंच गई।..... अब तो मुझे सात साल का 'एक्सपीरियंस' है इस लाइन का और मैं काफी 'सीनियर' माना जाता हूं अपनी इंडस्ट्री में। 'ए' क्लास यानि ये लोग जो हर रोज सौ रूपया 'इन्कम टैक्स' पटाते हैं अपनी जोन के 'किंग' को। उसकी भाषा बदल चुकी थी। मुंबईया की जगह हिंदी में बात कर रहा था।"8

व्यंग्य में वीर रस की अनुभूति

व्यंग्य साहित्य में उक्त अन्य सभी रसों का रसास्वादन तो होता ही है किंतु कहीं–कही वीर रस भी देखने को मिलता है। गजेंद्र तिवारी के व्यंग्य आलेख चेतना के विवेकाश्व के अंतर्गत 'हारिए न हिम्मत' में समाज के युवा पीढ़ियों के लिए वीर रस के द्वारा संदेश दिया है–"जब लगे कि अब तूफान की विकरालता चरम पर पहुंच चुकी है और ऐसा लगने लगे कि आपकी नौका अब डूबी–तब डूबी, तभी उस संकट की घड़ी में आपके जीवट की परीक्षा होती है यह मान लीजिये। कविवर रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि मानव जीवन है तो संकट आएँगे ही अतः ईश्वर से यह प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आए बल्कि यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें संकटों से भयमीत नहीं होने तथा लड़ने की शक्ति दे। इस बात को ब्रूस–ली ने यूं कहा है, "एक आसान जीवन के लिए प्रार्थना न करें बल्कि एक चुनौती भरे जीवन को निभा पाने की शक्ति के लिए प्रार्थना करें"। अतः आइए ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने भीतर मौजूद जिजीविशा का आवाहन कीजिए, जीवन–शक्ति को जगाइए और सामने मौजूत चुनौतियों को ललकारते हुए उनसे अंतिम और निर्णायक युद्ध करने के लिए टूट पड़िये। आप देखेंगे की संघर्ष करने के आपके मजबूत इरादों के सामने बड़े–से–बड़ा संकट टिक नहीं पायेगा विपरितताओं के काले डरावने बादल आपकी आंतरिक दृढ़ता के समक्ष घुटने टेक देंगे और आप सफलता की पताका लहराते हुए एक नए उजाले का साक्षात्कार करेंगे। याद रखिए मुख्य चीज़ है हिम्मत। आप अपनी हिम्मत को बरकरार रखें, टूटने ना दें। फिर देखिए कि आपका संकल्प और आपका विश्वास आपको आपकी हिम्मत का कैसा मधुर प्रतिफल प्रदान करते हैं। कहा गया है – "हारिये न हिम्मत बिसारिये न हरी नाम।"9

PDF Toolkit Share Save Open with Print

निष्कर्ष

इससे स्पष्ट होता है कि व्यंग्य मानवीय करुणा को उभारता है, उपहास करता है। साथ ही उसके मूल में आक्रमण का भाव निश्चित रूप से विद्यमान रहता है। हमारे व्यंग्यकारों ने समाज के सुधार हेतु उपरोक्त रसों का व्यंग्य साहित्य में भर–भर कर उपयोग किया है, ताकि समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर किया जा सके। वर्तमान समय विसंगतियों से भरा हुआ है। तरक्की की चकाचौंध में सामाजिक सरोकार तथा मानवीय मूल्य धुंधलाते गए हैं। व्यक्ति और समाज में आक्रोश के स्थान पर पलायन का भाव व्याप्त हो रहा है तथा प्रशासन आर्थिक प्रगति के नाम पर विरोध करने के प्रजातांत्रिक अधिकार को कुंद करता जा रहा है। साथ ही मनुष्य की हताशा–निराशा एवं अवसाद अपने आप को अकेला महसूस करने के लिए विवश कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में व्यंग्य ही एक ऐसा हथियार है जिससे लड़ा जा सकता है। व्यंग्य ही एक उपयुक्त एवं संवेदनशील माध्यम है जिससे समाज, राष्ट्र एवं संपूर्ण मानव जाति के मंगल की कामना की जा सकती है।

संदर्भ सूची

(1). त्यागी, मेरी श्रेष्ठ रचनाएं, पृ.क्र.– 320
(2). परसाई हरिशंकर, सदाचार का ताबीज, पृ.क्र.–10
(3). डॉ नगेंद्र, रस सिद्धांत, पृ.क्र.– 349
(4). परसाई हरिशंकर, परसाई रचनावली, पृ.क्र.– 170
(5). तिवारी गजेंद्र, चेतना के विवेकाश्व, (धर्म का मूल है दया), पृ.क्र.– 41
(6). तिवारी गजेंद्र, व्यंग्य बत्तीसी, (कौन है खलनायक?), पृ.क्र.– 92
(7). हाथरसी काका तथा शरण गिरिराज, श्रेष्ठ हास्य व्यंग्य कविताएं, पृ.क्र.– 144
(8). तिवारी गजेंद्र, व्यंग्य बत्तीसी, (पंचतारा भिक्षार्थी), पृ.क्र.– 67–68
(9). तिवारी गजेंद्र, चेतना के विवेकाश्व (हारिये न हिम्मत) पृ.क्र.– 180–181

MAH/MUL/ 03051/2012 ISSN :2319 9318

आंतरविद्याशाखीय बहुभाषिक शोध पत्रिका

विद्यावार्ता™

Oct. To Dec. 2022
Issue 44, Vol-07

Date of Publication
01 Dec. 2022

Editor
Dr. Bapu g. Gholap
(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

विद्येविना मति गेली, मतीविना नीति गेली
नीतिविना गति गेली, गतिविना वित्त गेले
वित्तविना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले

-महात्मा ज्योतीराव फुले

❖ **विद्यावार्ता** या आंतरविद्याशाखीय बहूभाषिक त्रैमासिकात व्यक्त झालेल्या मतांशी मालक, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक सहमत असतीलच असे नाही. **न्यायक्षेत्र:बीड**

"Printed by: **Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.** Published by **Ghodke Archana Rajendra** & Printed & published at Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.,At.Post. Limbaganesh Dist,Beed -431122 (Maharashtra) and Editor **Dr. Gholap Bapu Ganpat.**

Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205
Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed
Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295
harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com
All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors / www.vidyawarta.com

INDEX

01) माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर उनके व्यैक्तिक.....
अर्जुन सिंह, डॉ श्याम सुन्दर कौशिक, चुड़ेला (झुन्झुनू) राजस्थान ||10

02) The Effectiveness of Art Therapy in the Holistic Development of ....
Navya Kaushik, Bhubaneswar, Odisha ||14

03) ATMOSPHERIC CONCENTRATION OF RUST SPORES OVER GREEN GRAM FIELD
Anarse P. S., kada Tq Ashli Dist Beed ||17

04) GREEN FINANCE: A ROADMAP TO GREEN AND SUSTAINABLE ECONOMY
Anupam Birla, Auraiya U. P. ||19

05) Development of Programme based on ICT Tools and its effectiveness....
Dr. Kailas Sahebrao Daundkar, Manchar ||28

06) Digital Education : A positive step towards Nation Building and Growth
Dr. Vibha Dubey, Prof. Manish Kumar Dubey, Kanpur ||34

07) निर्धनता के प्रमुख कारण एवं निवारण कार्यक्रम
डॉ. आनंद भूषण, आनंद, छपरा (बिहार) ||37

08) GLIMPSES OF INDIGENOUS LIFE AND POTENTIAL FOR TRIBAL TOURISM.....
Mr. Sanjeev Suman, Dr. Saurabh Dixit, Gwalior, (M.P.) ||40

09) Effect Of Weather Factors On The Severity Of Major Diseases ....
Kadam J.A., Ausa, Dist.- Latur (MS) ||50

10) A GLIMPSE (Short Story, originally written in Sindhi by MOHAN KALPANA....
Madhu Kewlani, Vadodara, Gujarat ||54

11) Ananalytical study of selectednon-Life insurance companies in India
Panchasara Reena ||57

12) AGRICULTURAL MARKETING PROSPECTUS IN PRESENT TRENDS
Dr. R.L.POONGUZHALI, NAGAPATTINAM ||61

13) Information Seeking Behaviour of the Faculty Members and Students....
Prachee Waray, Nashik ||64

www.vidyawarta.com/03 | http://www.printingarea.blogspot.com/

14) Development of Competition Law in India: An Analysis
Rahul Soni, Dr. Abhishek Kr. Tiwari, Lucknow (U.P.) ||68

15) Perceptiveof India's Growth with IRF and VD Applications
Dr. Saujanya Jagtap, Mumbai ||73

16) गडचिरोली जिल्ह्याचे आर्थिक अध्ययन (आर्थिक समस्या).....
संजय भास्कर मेश्राम, अकोला ||78

17) "मोबाईल गेमिंग आणि चिंता"
डॉ. उमाकांत सुभाष गायकवाड, चिंचोली (लिं.), ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद. ||82

18) अष्टांग योगाचा १८ ते २० वयोगटातील विद्यार्थीनींच्या मानसिक आरोग्यावर....
वैष्णवी धनंजय नवले, इंदोरी, ता. अकोले, जिल्हा - अहमदनगर ||85

19) भारतातील सुशासन व्यवस्थेचा चिकित्सक अभ्यास
डॉ. बाजीराव चंद्रकांतराव वडवळे, नांदेड ||89

20) लाला लजपतराय यांचे स्वराज्य संकल्पनेविषयी ऐतिहासिक विचारमंथन....
प्रा. डॉ. संजय जिभाऊ पाटील, नवलनगर, ता. जि. धुळे ||92

21) बचतगटाद्वारे महिलाचे झालेले परिवर्तन
Dr. Vijay R. Bhange, Nagpur ||96

22) अण्णाभाऊ साठे यांचा स्त्री विषयक दृष्टिकोन
प्रा. मनीषा सु. नेसरकर, बेळगाव ||100

23) राजर्षी शाहू महाराजांचे स्त्री विषयक कार्य
प्रा. डॉ. विद्यासागर पुंडलिक सोनकांबळे, भोकरदन जि. जालना ||104

24) प्राचीन भारत में श्रेणी संगठन
ट्विंकल शर्मा, चुड़ेला ||107

25) 'पचपन खम्भे लाल दीवारें'(उषा प्रियंवदा) उपन्यास में अभिव्यक्त....
डॉ. अंकिता विश्वकर्मा, पूर्णियाँ, बिहार ||109

26) महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा : समाजशास्त्रीय विश्लेषण
शीतल सूरोठिया, डॉ. सुनीति श्रीवास्तव, ग्वालियर (म.प्र.) ||113

27) शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक–उपलब्धि....
उदय प्रताप कुशवाहा, प्रो. राजेश कुमार सिंह ||116

28) मेहरुन्निसा परवेज के उपन्यासों में चित्रित नारी–संघर्ष
कृष्ण संबंधम, ईस्ट गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश ||120

29) कामकाजी एवं घरेलू महिलाओं के बच्चों का समग्र विकास : एक....
रश्मि प्रिया, डॉ. प्रभात कुमार चौधरी, दरभंगा ||123

30) संयुक्त पंजाब प्रान्त काब्रिटिश शासन काल में सामाजिक, राजनीतिक....
सोनिया, भिवानी ||126

31) असगर वजाहत के नाटकों में वंचित समुदाय
गरिमा सिंह, इलाहाबाद ||132

32) तकनीकी समाज में भावनात्मक रूप से संवेदनशील शिक्षकों की आवश्यकता
प्रो. कासनाले वर्षा, सोरब, शिवमोग्गा ||137

33) प्राचीन भारत में चर्म उद्योग
डॉ. शोकेन्द्र कुमार शर्मा, बड़ौत, बागपत ||141

34) मेजर निराला उपन्यास की मीमांसा
डॉ. श्रीप्रकाश यादव, अजीतमल, औरैया (उ.प्र.) ||144

35) लोकतंत्र में सरकार की उपादेयता
डॉ. सुधाकर कुमार मिश्रा, अलीपुर ||146

36) नैनीताल जनपद की विभिन्न झीलें व उनका पौराणिक महत्व
डॉ केदार पलडिया ||149

37) २१वीं सदी के हिन्दी उपन्यास : संवेदना और शिल्प
मेधा भारती, कानपुर (उत्तर प्रदेश) ||154

38) ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर पलायन के कारण एवं प्रभाव
श्री रमण, प्रो. बिनोद कुमार चौधरी, दरभंगा ||157

www.vidyawarta.com/03_http://www.printingarea.blogspot.com

39) वीर सावरकर की कलम से १८५७ की क्रांति के कुछ पहलू
डॉ. बिन्दु भसीन, बीकानेर ||160

40) समकालीन हिन्दी कविता में स्त्री विमर्ष
डॉ. नन्द किशोर चौधरी, गोरखपुर ||166

41) भारतीय राजनीति मे नैतिक संकट : एक विश्लेषण
मनोज कुमार द्विवेदी, छतरपुर (म. प्र.) ||168

42) संप्रति मे निर्गुण भक्तकवि शिरोमणि कबीर दास की प्रासंगिकता
यशवंत सिंह, नंदासैंण, चमोली, उत्तराखंड ||170

43) कृष्णा सोबती के उपन्यास समय सरगम में निहित अकेलापन एवं अजनबीपन
प्रो. (डॉ.) श्रीमती अनुसुइया अग्रवाल, नम्रता ध्रुव, महासमुंद ||174

44) सांसारिक जीवन में प्रेम–पथ व कार्य कारक स्वरूप
डॉ. पन्ना लाल यादव, सुमित कुजूर, दुर्ग ||181

45) Side effects of reduction of nutrition and yoga practice in working women----
Pradip Kumar Soni, Dr. Brijesh Kashyap, Smt. Vineeta Kumari, Bilaspur (C.G.) ||190

46) सांसारिकता में प्रेम–जीवन की आवश्यकता है
डॉ. पन्नालाल यादव, श्रीमती नीलम वर्मा, दुर्ग ||193

अभिमान रहेगा ऐसे दूरदर्शी व्यक्तित्व हमेशा जन भावनाओं में संचरण करते रहते है वह कभी मरते नहीं, उनके द्वारा समाज को दी गई शिक्षा दीक्षा की प्रासंगिकता अनंत काल तक बनी रहेगी भारतीय समाज में प्रेमभक्ति, विश्वास, श्रद्धा के वह हमेशा ध्रुव तारा कहलायेंगे।

संदर्भ सूची :

१—हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉ. अशोक तिवारी, पृष्ठ सं. —६६

२—हिंदी कविता आदिकाल से रीतिकाल तक, डॉ. संजीव सिंह नेगी, पृष्ठ सं.— ४३

३—https://www-jagran-com>spiritual

४—हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉ. अशोक तिवारी, पृष्ठ सं.— ८८८६

५—प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य https://mdudde-net>ma_hindi pdf, पृष्ठ सं.—३०४

६—प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, भक्तकाल, डॉ. अशोक तिवारी, पृष्ठ सं.—६

७—https://satishsatyarthi-com

८—प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, डॉ. अशोक तिवारी पृष्ठ सं—०७

९—कबीर साखी दर्पण, टीकाकार, साध्वी ज्ञानानंद जी पृष्ठ सं.—अ

१०— हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पृष्ठ सं.—६३

❑❑❑

43

कृष्णा सोबती के उपन्यास समय सरगम में निहित अकेलापन एवं अजनबीपन

प्रो. (डॉ.) श्रीमती अनुसुइया अग्रवाल
(डी. लिट) शोध—निर्देशक
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हिन्दी
शासकीय महाप्रभुवल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद

नम्रता ध्रुव
शोधार्थी

सारांश :

कृष्णा सोबती अपनी बेबाक एवं जीवांत लेखन के लिये पाठकों में विशेष पहचान रखती हैं। समय सरगम उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने जीवन के अंतिम पड़ाव में जीवन जी रहे बुजुर्गों की, उनके जीवन में आ रही उलझनों, मानसिक द्वंद्व, परिवारों में वृद्ध सदस्यों के प्रति अपनों और परायों की छोटी सोच को उजागर करने का सफल प्रयास किया है। जीवन की ढ़लान में जब उन्हें अपनों की सबसे ज्यादा आवश्यता होती है तब वे स्वयं को अकेला एवं अजनबी महसूस करते हैं। सामान्यत: परिवार के सदस्य इनसे अपना संबंध केवल स्वार्थ सिद्धि के लिये बनाये रखते हैं। वृद्ध परिवार में रहते हुये, परिवार से पृथक अपनी ही दुनिया में स्वयं को अकेला महसूस करना और अकेलेपन से जूझता रहता है। जब व्यक्ति अपनों के बीच होकर भी अपनापन न मिले तो वह अजनबी बन जाता है। उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने वृद्धजनों की समस्या को प्रमुखता से उजागर कर परिवार, समाज में उनकी स्थिति, मन: स्थिति, अनुभूति, परिवार के सदस्यों द्वारा किये जाने वाले व्यवहार को

उद्घाटित किया है। ईशान और आरण्या इस उपन्यास के ऐसे वृद्ध पात्र हैं जो एकाकी जीवन जी रहे है। आरण्या अविवाहित, अकेली लेकिन जीवन का आनंद लेती हुई है। वहीं ईशान परिवार से अलग एकाकी जीवन जीने को मजबूर है। इसके अतिरिक्त अन्य पात्र जो उम्र की उस दहलीज़ के अंतिम पड़ाव पर अपनों के प्यार, अपनापन को तरसते हुए अकेले और अजनबी होकर जीने को मजबूर है वे अन्य पात्र है दमयंती, सत्यनारायण, प्रभुदयाल, कामिनी आदि जो ऐसे ही वृद्धावस्था में अपने परिवारों से पीड़ित, दुःखी होकर परिवार में रहते हुये विवशता पूर्ण अकेले, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को व्यथित होकर जीने को मजबूर से नज़र आते हैं। लेखिका ने परिवार में वृद्धों की अवस्था, व्यथा, मजबूरी, दीनता, असहयोग की भावना तथा अपनापन और प्यार की कमी आदि को दृढ़ता से उजागर किया है उन्होंने उपन्यास के माध्यम से राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक स्थितियों, समस्याओं को सहज प्रस्तुत किया है।

कुँजी शब्द:—अकेला, अजनबी, वृद्धजन, वृद्धावस्था, आरण्या, ईशान, एकाकी, अकेलापन, अजनबीपन

हमारे भारतीय समाज की संरचना मानव से है। प्रत्येक मानव अपने—अपने परिवार और परिवार के सदस्यों से आत्मीय रूप से जुड़ा रहता है। वह स्वयं को मानव समूह से पृथक नहीं कर सकता। हमारा पारिवारिक विधान हर उम्र में एक—दूसरे की आवश्यकता के लिये एक—दूसरे पर निर्भर करता है । हर उम्र के व्यक्ति की घर में विशेष पहचान एवं उत्तरदायित्व निर्धारित रहता है । सभी सदस्य अपने—अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन निष्ठापूर्वक करते हैं। पूर्व में पारिवारिक संरचना संयुक्त परिवार के रूप में बनाई गई थीं। इस संयुक्त परिवार में प्रत्येक सदस्य अपने घर और सदस्य के प्रति सहयोग व सम्मान रखते थे। वृद्ध जनों के प्रति सम्मान, स्नेह और अपनापन रहता था। पर जैसा कि कहा जाता है समय गतिषील है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। वैसे ही विभिन्न मान्यताओं, प्रथाओं, परंपराओं और रूढ़ियों से बनी हुई हमारी पारिवारिक संरचना में भी विघटन होना स्वाभाविक है धीरे—धीरे वृद्धजन परिवार में एक बोझ के रूप देखा जाने लगा । मुंशी प्रेमचंद रचित कहानी 'बूढ़ी काकी' में बूढ़ी काकी की वृद्धावस्था की दुर्दशा दिखाई देती है साथ ही उनका अपनों के बीच रहते हुये भी स्वयं को अकेला और अजनबी भी सटीक चित्रित किया गया है। बहुत से कथाकारों, उपन्यासकारों ने मनोविज्ञान के अकेला और अजनबीपन का यथार्थ चित्रण किया है। 'समय सरगम' उपन्यास में कृष्णा सोबती ने मुख्य पात्र आरण्या और ईशान एवं अन्य सहायक पात्रों के माध्यम से परिवार में रहते हुये तथा परिवार से पृथक रहकर स्वयं को अकेले, अजनबी महसूस करते हुये, जीवन की उचाटता में रहकर जो जीवन जी रहे हैं उसे उन्होंने अपने उपन्यास में उजागर किया है।

उपन्यास का आरंभिक अनुच्छेद ही अकेले और अजनबीपन को उद्घाटित कर रहा है—

"दूर सामने हुमायूँ का मकबरा अपने गुबद के गोलार्द्ध में स्थित समय की धूप सेंक रहा है। सरदी की यह धुपैली गरमाहट हल्के से कपड़ों को छू रही है। जीने की अनंत नाटकीयता वह भी इतने विषाल मंच पर ! यह धरती, आकाष, सूरज, हवाएँ और हम!"[१]

कथानक का आगाज सुनहली सर्द मौसम के आगमन का आहट कराती हुई नायिका आरण्य का चित्रण करते हुये आरंभ किया गया है। आरण्या अविवाहित है तथा एकाकी जीवन बिंदास जी रही है। वहीं नायक ईशान भरा—पूरा परिवार होने के बाद भी एकाकी या अकेले जीवन जीने को विवश है। दोनों ही वृद्धावस्था की ओर अग्रसर है। वर्तमान में जहाँ अपने ही अपने वृद्ध सदस्यों को साथ नहीं रखते, उन्हें बोझ समझते हैं वहीं आरण्या और ईशान एक मिसाल बनकर वृद्धावस्था में स्वतंत्र रहकर अपने जीवन के हरपल का आनंद ले रहीं है।

आरण्या और ईशान अच्छे मित्र हैं दोनों ही उम्र की ढलान पर हैं और अपने—अपने जीवन में अकेले हैं। अपने—अपने घरों से अलग, अपने हम उम्र के लोगों के साथ समय बाँटते हुए—"ऊँचाई पर छाँह—घर में बैठे बतिया रहे हैं बूढ़े वरिष्ठ नागरिक। घर परिवार से बाहर हो रहा है उनका सार्वजनिक संवाद। बीती हुई उम्र का अर्जित एकांत! बस इतना ही।"[२]

उपर्युक्त साम्यता हमें पदुमलाल पन्नालाल बख्शी के द्वारा रचित संस्मरणात्मक निबंध 'वृद्धावस्था' में सेवानिवृत्त कर्नल के अकेलेपन को दिखाया गया है कि जब वे सेवानिवृत्त हो गये तब बगीचे में खुली हवा में सांस लेते हुये, हम उम्रों के सुख—दुःख बाँटने का आनंद ही अलग होता है परंतु गार्डन से लौटने के पश्चात् वही अकेलापन। अकेलेपन और अजनबीपन हमें उशा प्रियवंदा की कृति 'वापसी' और प्राण शर्मा की रचना 'अकेलापन' में भी दृष्टव्य होता है।

एकांत और अकेलेपन को लेखिका ने प्रकृति की मनोरम सुंदरता के धागे में पिरो दिया है। प्रकृति के मौसमी परिवर्तन में एकाकी जीवन का आनंद लेती आरण्या बरसात की रिमझिम बौछारों में अकेलेपन का कहीं दूर छोड़ देती है। जहाँ लोग अकेले होने पर दुःखी और संताप की अनुभूति करते हैं वहीं आरण्या अकेले जीवन—यापन करते हुये बहुत खुश एवं उत्साह से सराबोर है और प्रकृति के रिमझिम फुहारों में अपने अकेलेपन में खुषी, आनंद को ढूंढ लेती है—''आरण्या ने उत्साह से छाता और बरसाती निकाले और बरखा में घूमने निकल गई। अपार्टमेंट्स के सामने बिछी थी नई सड़कें। इन पर तो अपने पुराने दिनों को खोजा भी नहीं जा सकता। जाने कितने पीछे छूट गये। छप्प—पानी का बड़ा सा धक्का पैरों तले!''[3]

आरण्या और ईशान की मित्रता बहुत गहरी है। वे अपनी मित्रता में अपने सुख—दुःख, अपने अनुभवों को बाँटते हैं। भले ही दोनों ढलती उम्र के है किन्तु आरण्या में आज भी वहीं चंचलता, चपलता, स्फूर्ति को देखते है तो उसे उसकी बढ़ती उम्र का एहसास करा देते हैं—''आरण्या तेज—तेज कदमों से लगभग दौड़ने लगी। पाँव तले उखड़े पत्थर का खटका लगा। नीचे से टाइल उखड़ी हुई थी। सँभलकर! गिरेगी। कम पुरानी नहीं हो । दुर्घटना कभी भी हो सकती है।''[4]

कभी—कभी प्रकृति से अपना तालमेल करते हुये अपने अकेलेपन एवं अजनबीपन की तुलना कर अपने नश्वरता की ओर अग्रसर शरीर को समावेपित करते हैं—'पेड़ अब पहले से ज्यादा खामोश है। अपनी अबोली ऊँचाई पर स्तब्ध। क्या अपनी निरंतरता में मुग्ध। और हम दो बुढ़ाते नश्वर।''[5]

हमारा देश किस दिशा की ओर बढ़ रहा है लेखिका का चित पाठकों को इस ओर भी आकर्शित कर रही है। जिस देश की प्राकृतिक सुन्दरता को उन्होंने अपने उपन्यास में यदाकदा दर्शाया ही है उसकी एकता, अखण्डता, उसकी विभिन्नता में भी एकता को सहजता से प्रस्तुत किया है वहीं वह प्रश्न करती हुई नज़र आ रही है कि हमारी भारतीयता कहाँ है? अर्थात् हमारे देश की सोच किस दिशा की ओर अग्रसर हो रही है। हमारा देश किस प्रकार जातीय खण्डों में बँट रहा है—''पूरा देश उलझा है जातीय स्मृति की खलबली में! मैं द्विज हूँ, मैं अब्राहम्णहूँ। मैं क्षत्रिय, मैं राजपूत, मैं अराजपूत, मैं जाट—गूजर, मैं कमजोरवर्गी, मैं दलित, मैं अनुसूचित।''[6]

जब व्यक्ति अकेले जीवन—यापन करता है तब अपनी आवश्यताओं की पूर्ति के लिये व्यवस्था में होने वाली कोताही सहजता से स्वीकार कर लेती है। कहीं तो वह स्वयं को यह कहती हुई दिखती है कि अकेले रहने पर जीवन की गृहस्थी में कुछ न कुछ कमी रह जाती है—''अकेलों का यही इंतजाम। चाय है तो चीनी नहीं, चीनी है तो दूध नहीं तरतीब और व्यवस्था की कमी।''[7]

व्यवस्था की कमी को बड़ी सहजता से अकेलेपन के साथ लेखिका ने दर्शाया है साथ ही विलक्षण की प्राप्ति सन्नाटें मतलब एकांत में ही मिलती है एक नई थ्योरी प्रस्तुत किया गया—''मैं विशेष महसूस कर रही हूँ। उपहार में मिले है नरगिस के फूल! जिन पहाड़ो की हवाओं में सन्नाटे तैरते है, वहीं खिलते है नरगिस के फूल।''[8]

हर युग में, हर विधा में चाहे कहानी, उपन्यास या काव्य विधा हो सभी में अकेले और अजनबीपन को लेकर अभिव्यक्ति की गई है। अजनबीपन की भावना स्वाभाविक रूप से तब उत्पन्न होती है जब मानव स्वयं को संसार को जेलखाना, उद्देश्यहीन, अतार्किक, निरर्थक, बेवजह मान लेना ही उसे अजनबीपन की ओर घेर लेती है। साहित्य के क्षेत्र में देखा जाये तो आधुनिक काल के पहले से ही मनोवैज्ञानिक पक्ष को लेकर साहित्य की विभिन्न विधाओं में लेखन कार्य होता रहा है। आधुनिक काल

के आते–आते मनोवैज्ञानिक विधा को कर पृथक लेखन कार्य आरंभ हुआ इनमें मुख्य साहित्यकार है इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञेय। अन्य साहित्यकारों ने भी इस ओर लेखन किया है।

''कुँवरनारायण ने 'चिकित्सा' शीर्शक कविता में जीवन की निरर्थकता और मृत्यु की प्रतीक्षा तथा इस जीवन के बाद के जीवन की कल्पना की है। कविता के अंश है–

इस प्रतीक्षा गृह से लगा एक और कमरा है। जिसमें अजनबी है या जो शायद एक दूसरे से ढ़के हुये अनेक अजनबीयों से भरा है।''[९]

''डॉ. शंभुनाथ की कविता 'बंद कमरों का मुसाफिर' का अजनबी 'मैं' दुनिया के विशाल महल में कैद कर दिया गया है–

इसी महल में जनम कैद मिली है मुझको बंद कमरों के सफर के है दिन हजार अभी तोड़ शीषे की ये दीवारें कहाँ जाऊँगा?''

राजकमल चौधरी के काव्य का अजनबी अकेले में भटकता दिखाया गया है। 'वह नींद से भटकता हुआ आदमी' है जो कलकत्ता जैसी महानगरी में रहने वाला अजनबी है और आधी रात को सड़कों पर अकेला घूमता है वह अकेला है, अंधेरे में है और चुपचाप है। वह कहता है मैं सोये हुए शहर की नस–नस में।'[१०]

इनके अतिरिक्त कीर्ति नारायण मिश्र, सत्यनारायण श्रीवास्तव, देवेन्द्रगुप्त, हरिनारायण व्यास, श्रीकांत वर्मा, राजकमल चौधरी, डॉ. शंभुनाथ, गिरिजाकुमार माथुर आदि कवियों ने भी अजनबी पर और अकेलेपन को अपने काव्य में निरूपित किया है।

अकेलेपन का सामना व्यक्ति को अकेले ही करना पड़ता है। जब वह अकेला होता है तो स्वयं को अजनबी भी महसूस करता है। मनुष्य अपनो के किया–कलापों के साथ हँसी खुशी से अपना जीवन जीना चाहता है पर समय व परिस्थिति उसे किस दिशा में ले जायेगा ये तो वक्त ही बताता है। ईशान अपने परिवार से अलग रहते हैं। परिवार के बिना जीवन वीरान सा हो जाता है। ईशान जब भी स्वयं को अकेला महसूस करते हैं तो वह अपने बेटे के सामान को देखकर, छूकर अपने मन को सांत्वना देते है–''जब कभी उनकी स्कूल यूनीफॉर्म छूता हूँ तो लगता ही नहीं कि वह इस घर में नहीं है। जानता हूँ अगर यहाँ नहीं तो कहीं न कहीं है जरूर। जब गया तो तेरह का था, अब तो किसी का पिता बन चुका होगा।''[११]

निर्मल वर्मा रचित कहानी 'सुबह की सैर' में कर्नल निहालचंद नामक पात्र के बारे में चित्रित करते हुये यह बताने का प्रयास कर रहे है कि व्यक्ति जब परिवार से अलग होकर जीवन व्यतीत करता है तो वह अकेलेपन में घिरता चला जाता है। ''निहालचंद घर में अकेला है। अकेले रहते हैं। निहालचंद जीवन भर संघर्ष करते हैं परंतु जीवन के अंतिम पड़ाव में पत्नी की मृत्यु और बेटे के विदेश गमन से अपने को पूरी तरह खाली अनुभव करते हैं। इस अकेलेपन में भी वे उनका साथ नहीं छोड़ते।''[१२]

मनुष्य यादों को अपने स्मृति की तिजोरी में छुपाये रहता है। यह वह अमूल्य तिजोरी है जिसकी चाबी अकेलापन होता है तात्पर्य कि जब व्यक्ति अकेला होता है तब वह स्मृतियों में खो जाता है या फिर उसके साथ उसका सुख–दुःख बॉटने या सुनने वाला होता है तब वह अपनी स्मशतियों की तिजोरी खोलता है। इस तिजोरी में कई कीमती, सुनहरी, हश्दयस्पर्शी यादें होती हैं। आरण्या और ईशान ने भी अपनी यादों की तिजोरी को खोल दिया है–''लवी का सामान खुला पड़ा था और मै पुराना–सा फालतू महसूस कर रहा था। जैसे बीतें बरसों की गठरी अचानक खुलती गई हो।''[१३]

ईशान और आरण्या अकेले रहते है। एकाकी अपना जीवन जी रहे है थोड़ा समय एक दूसरे को देते है और अपना सुख–दुःख बॉटते है आज भी दोनों यही कर रहे है परंतु आज वे पुरानी सुनहरी यादों के पलने में झूल रहे हैं। कभी ईशान अपनी बातें बताता है तो कभी आरण्या–''ईशान अल्मोड़ा पहुँच गए थे। अल्मोड़ा, कालीकट, मिरतोला, हेमावती कोटज, अर्लबुस्टर और उनकी पत्नी एलिजाबेथ। बुस्टर और एलिजाबेथ दोनों चित्रकार थे। अर्ल पर्वत शिखरों को चित्रित करते। उनमें बर्फ के लिए कुछ अजीब सा सम्मोहन था।''[१४] स्मृतियों की टोकरी में एक खजाना

यह भी—''आरण्या ने क्षमा माँगते हुए कहा—जानते है, ईशान स्वामी रंगनाथन के सुझाव पर मेरे पिता मुझसे शारदा माँ का हिन्दी अनुवाद चाहते थे।'' तथा ''कभी लखनऊ के प्रोफेसर चक्रवर्ती को याद करते है तो कभी अल्मोड़ा के हेमावती कॉटेज में एक बंगाली विद्वान अनिवार्ण को।''[२५]

अपनों से दूर होकर जीवन जीने वाले स्वयं को अकेला, हताश और अजनबी मानकर जीवन बहुत संघर्षों में व्यतीत करते है उस पर उनकी वृद्धावस्था, उनके अकेलेपन और अजनबीपन को और अधिक बढ़ा देते है—''हार हारकर जी उठने के लिये! भला वक्त ने उसे इतना क्यों पछाड़ा! शायद इसलिए कि बार—बार हताश हो और हर बार उठ खड़ा हो फिर से जीन के लिए। अभाव दुर्दिन और दूर—दूर तक फैला रेगिस्तान।''[२६]

ईशान और आरण्या लगभग हर दिन शाम को मिला ही करते हैं। अपने—अपने सुख—दुःख को आपस में बॉटते हैं। अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। कभी अपने वर्तमान की सच्चाई का आभास करते हैं तो कभी साथ रहकर अपने वर्तमान लम्हों को शान के साथ जीने की प्रेरणा भी देते हैं लेकिन यथार्थ जो उनके साथ है वह उनका अकेला होना इस अकेलेपन का बोध भी कर ही लेते हैं— ''मैं कभी नींद में देखता हूँ कि जो देख रहा हूँ वह स्वप्न है और यह भी कि वह स्वप्न नहीं है। और मैं खड़ा—खड़ा किसी दूसरे को अपने तरह देख रहा हूँ कि वह रहा जो मैं हूँ।''[२७]

चेखव की कहानियों में भी उनके पात्र अजनबीपन और अकेलेपन से जुझते नज़र आते हैं। मनोवैज्ञानिक पक्ष को लेकर चेखव ने अपनी कहानियों में अकेलेपन और अजनबीपन को गहराई से उकेरा है— ''लगता है, शायद यह विचित्र उदासी और अनाम अकेलापन ही चेखव की कहानियों की मूल प्रेरणा रही होगी—जो सारे पात्रों, सारे वार्तालापों, सारी स्थितियों के पार भी मन पर वही प्रभाव छोड़ जाती है। उनकी हर कहानी का नायक मूलतः अकेला, दुःखी और उदास व्यक्ति है जो अपने को प्रायः विपरीत और अनजानी परिस्थितियों में पाता है— जहॉ कोई उसकी भाषा नहीं समझता, कोई उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करता और कोई उसे सहानुभूति नहीं देता।''[२८]

अकेला व्यक्ति स्वयं को सदैव अकेला ही पाता है। ईशान व आरण्या कितने ही करीबी मित्र हों पर वे है तो अकेले इसका एहसास ईशान को सदैव रहता है। आरण्या की तुलना में ईशान स्वयं को अकेला महसूस करते हैं इसलिए वे कह हीलेतेहैं— ''आपकी सराहना करूँगा। लेकिन यह न भूलिए, मैं अकेला हूँ। आगे—पीछे कोई है नहीं।''[२९]

घरों की एकांतता और मनुष्य की एकांतता लेखिका ने दोनों को बड़ी सहजता से चित्रित किया है। कई दिनों पश्चात् अपने घर वापस आने पर आरण्या को यह अनुभूति होती है कि घर का यह अकेलापन जिससेआरण्या चिर—परिचित है इसलिये यह अकेलापन उसे अच्छा प्रतीत होता है—''अकेले घरों का एकांत भरे—पूरे घरों से कितना अलग! झीना मगर सुथरा! और घड़ी के साथ—साथ धड़कता हुआ।

और—और अकेला

अकेला ही।

परिचित हूँ न इससे—तभी देख पा रही हूँ।''[३०]

व्यक्ति जब अकेला हो, कुछ परेशानियों ने जीवन को आ घेरा हो उस स्थितिमेंव्यक्तिआत्मचिंतन की ओर बढ़ने लगताहै। आत्म चिंतन व्यक्ति के अंदर की उमड़ती हुई अंतर्द्वंद को उजागर करता है। आरण्या के साथ हुये हादसे के बाद वह असमंजस की स्थितिमें है वह अपने हादसे जिसमें लुटेरे उसका सारा सामान लूट लेते है। उस समय नायिका आरणया को खेद है कि उसके पास जेबी टार्च भी नहीं होने के कारण वह वरदी वाले लुटेरों को देख भी नहीं पाई। इन्हीं ख्यालों, परेशानियों और अकेलेपन में उलझी हुई अंतर्मन की अभिव्यक्ति—''फिर क्यों उन्हें आवाज़ दे रही हो जो खुद तुम्हारे विरूद्ध घात लगाये रहते है।''[३१]

रिश्ते चाहे कितने ही बना लिये जाये, चाहे मित्रता का हो या अन्य कोई। वह रिश्ता जो बेटे—बेटियॉ, पति—पत्नी, माता—पिता या परिवार का रिश्ता होता है वह अन्य सभी रिश्तों से बड़ा, पृथक व अमूल्य होता है। जब वही रिश्ता टूट जाए, किसी कारण वष बिछुड़ जाए या अलग हो जाये तब मनुष्य उस रिश्ते को समझ पाता है लेकिन तब तक समय करवट ले चुका

होता है और वह अकेला, अजनबी बनकर रह जाता है। यही स्थिति समय–सरगम उपन्यास में ईशान की है। वह आरण्या से कहता है–''आरण्या, मेरे अपने आसपास कोई नहीं। शायद इसीलिए आपसे पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा। चेष्टा कर रहा हूँ आपके कोण को समझने–बूझने की।''[२३]

'बिंधे हुये रिश्ते' कहानी में विजय जोशी ने सत्यनारायण को अपने अकेलेपन, अजनबीपन और असहायपन से जुझते हुये दिखाया है। परिवार में रिश्ते केवल स्वार्थ के वशीभूत निभाये जाते हैं। सत्यनारायण के दो बेटे हैं दोनों ही उससे अलग रहते है। परिस्थितिवश सत्यनारायण को अपने छोटे बेटे राकेश के पास रहने जाना पड़ता है। राकेश सम्मति के लालच में अपने पिता को साथ रखने के लिये तैयार हो जाता है। राकेश का निम्नलिखित संवाद उसके स्वार्थ परता को उद्घाटित करता है–''उनके मन में अपने प्रति प्रेम का फायदा यह होगा कि गाँव में जो पुराना मकान है, उसको अपने नाम करवा लेंगे और उसे बेचकर कोटा में मकान ले लेंगे।''[२३]

विजय जोशी के पात्र सत्यनारायण जैसी साम्यता हमें समय–सरगम में भी देखने को मिलती है। लेखिका स्त्री मन को भलीभाँति समझती हैं इसलिये वह पाठकों के समक्ष दमयंती का चरित्र रखती हैं कि पति की मृत्यु के पश्चात् घर–परिवार, बेटे, बहू से सम्पन्न परिवार की स्त्री स्वयं को अकेला मानती है। उसे वह सुख, संतुष्टि अपने घर में नहीं मिलता इसलिए वह आश्रम का सहारा लेती है। बेटे व बहू अब इसे अपने साथ रखना नहीं चाहते केवल सम्पत्ति की चाह में वह घर पर रहती है–'' मैं तुम्हारी तरह अकेली होती तो क्यों परेशान होती। बच्चे साथ रह रहे है। मेरे घर में मेरा किचन चल रहा है। खर्चा मै कर रही हूँ । और मै अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती हूँ। बिना मेरी इज़ाजत मेरा सामान इधर से उधर करते रहते है। आरण्या मै बहुत दुःखी हूँ। पीछे आश्रम गई तो माधो को धमकाते रहे। बताओ, ममा लॉकर की चाबी कहाँ रखती है?''[२४]

मनुष्य आधुनिकता की दौड़ में इतना आगे बढ़ चुका है कि रिश्तों की पवित्रता, आत्मीयता और अपनापन न जाने विकास की आहूति में स्वाहा हो रही है। वहीं रिश्तों में एक बात और प्रमुखता से दिखाई देती है वह है वृद्ध माता–पिता के प्रति अवहेलना, तिरस्कार का भाव। जन्मदाता के प्रति संतान की उपेक्षा आज अपने चरम पर पहुँच गया है। वयोवृद्ध माता–पिता को बोझ समझना आज आम बात हो गई है ऐसी स्थिति में माता–पिता स्वयं असहाय, अजनबी और अकेला महसूस करने लगते हैं। विजय जोशी की कहानी 'आखिर किसके लिए' में रामविलासजी ने अपनी संतानों को पत्र लिखाकर सक्षम बनाया अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी उनकी सहायता की। परंतु आज जब वे उम्रदराज़ हो चुके हैं उनके तीन बेटे उसी शहर में रहते हुये भी वे बुढ़ापे में अकेले और असहाय रहते है, उनकी पीड़ा निम्न पंक्तियों में स्पष्ट हो रही है– ''अब सोचने में आता है, इतना सब कुछ किया आखिर किसके लिए किया, क्या इन्हीं दिनों को भोगने के लिए?''[२५]

दमयंती की दशा देखकर लेखिका उसका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करती है। पर वह यह जानती है कि वृद्ध काया जिसकी अहमियत एक पुराने फर्नीचर से ज्यादा नहीं होता। दमयंती के भय ने उसे कायर बना दिया है। लेखिका स्त्रियों की ऐसी दशा पर प्रश्न कर रही है – ''क्या उसके अस्तित्व और व्यक्तित्व के सूत्र अब भी पिता, पति और पुत्र के हाथ में है?''[२६]

दमयंती की भाँति कामिनी एक बीमार वृद्ध महिला है जिसकी सम्पति पर उसका भाई कब्जा करना चाहता है। कामिनी भी वृद्धावस्था में अकेले जीवन–यापन कर रही है। वह शारीरिक अक्षमता के वषीभूत कुछ भी कर पाने में अक्षम है इसलिए अकेलेपन और अजनबीपन की शिकार हो गई है। ऐसा ही प्रभुदयाल की कहानी है जिसके तीन बेटे हैं लेकिन वे भी स्वार्थी हैं। प्रभुदयाल की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। घर में उनके तीन सुपुत्र उनकी पत्नियाँ साथ में रहती हैं। परिवार होने बावजूद प्रभुदयाल स्वयं को अजनबी, अकेला महसूस करते हैं। प्रभुदयाल अपने पुत्रों से परेशान रहते हैं। पुत्र उनसे सम्पत्ति का अधिकार चाहते हैं। तीनों पुत्रों के व्यापार हेतु फैक्ट्री खोलकर दिया है फिर भी वे उन्हें रह रह कर व्यापार में घाटा बताकर पैसे की माँग करते रहते।–''मँझला बोला–बाबूजी, यह टालमटोल का वक्त नहीं। जो करना है वह करिए.. मुझे–मुझे क्या करना है? काम तुम संभाल रहे हो–यह भी तुम्हीं करोगे। बड़े बेटे ने मँझले को डाँटकर कहा–निकाल इनकी ताली। इसके पहले कि प्रभुदयाल गले में लटकती ताली को छुएँ, लड़के ने सूत में पिरोई ताली गले पर से उतार ली। बाप का इससे बड़ा अपमान भी क्या हो सकता है?''[२७]

नौकरी पेशा व्यक्ति जब सेवानिवृत्त हो जाते

है वे वृद्धावस्था रूपी रोग के साथ शारीरिक व्याधियों से ग्रसित हो अपनी मृत्यु का इंतजार करते रह ते है वे अपनों से त्यागे हुए रहते है। समय सरगम में ईशान को भी उनके अपनों ने वर्षो पहले छोड़ दिया। वे अकेले जीवन जीने को विवश है। उपन्यास के कई पात्र भी कुछ ऐसे ही शारीरिक, मानसिक वेदना के शिकार हो मृत्यु की चिंता से ग्रसित है जो हमें डॉ. शपि पालीवाल रचित कृष्णा सोबती के उपन्यासों में मध्य वर्ग के अंश में दिखाई देता है–"आरण्या और कुछ हद तक ईशान को छोड़कर शेष सभी पात्रों की आँखो में मृत्यु की कातर चिंता टपकती है। वे मृत्यु से इसलिये भी डरते है कि अकेले है। इस तथा कथित सभ्य वर्ग की जिन्दगी में निम्न वर्ग या निम्न मध्यवर्गीय जीवन के सुख–दुःख नहीं है इसलिये वे नितांत अकेले होकर बूढ़ी जिन्दगी को अपने ही जर्जर कंधों पर ढोने के लिए अभिशप्त है।"[२८]

अजनबी और अकेलेपन पर यदि बात की जाये तो दिमाग में यही बात आती है कि व्यक्ति अकेला जीवन–यापन कर रहा होगा, घर से बिछुड़ा हुआ होगा, परिवार के द्वारा खदेड़ा गया होगा, अधूरा प्रेम होगा, किसी मानसिक तनाव ने चारों ओर से घेर लिया होगा तभी व्यक्ति अपने में अकेलापन और अजनबीपन महसूस करता है। परंतु कई बार अपवाद देखने को मिलता है और यह अपवाद हमें नायिका आरण्या में मिल रहा है–दमयंती आरण्या को कहती है कि आप तो अकेले रहती हैं तो उदासी घेरती होगी। इसके विपरीत आरण्या एक चुलबुली, हँसमुख स्त्री है। वह अकेलेपन में ही आनंद की अनुभूति करती है–"दमयंती बड़ी मोहक हँसी हँसी। आप हैं अपने दिलो–दिमाग की मालिक। अकेले होते हुए क्या आपको उदासी नहीं घेरती!

नहीं!

कभी तो..

नहीं कभी नहीं!"[२९]

सम्पूर्ण उपन्यास में लेखिका की उत्कृष्ट लेखन शैली देखने को मिलती है। वाक्यों की बेजोड़ संरचना पाठकों को बाँधे रखने में सफल रही है। अपनी लेखनी से उन्होंने बड़े–बड़े मुद्दों को चाहे वह राजनीतिक हो या सामाजिक; सहजता से पाठकों के समक्ष उठाया है। उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी मिश्रित शब्दों का प्रयोग बहुतायत में किया गया है। समाजिक मुद्दे जैसे–राशन, पानी, बिजली, आवास स्वास्थ्य, आरक्षण आदि समस्याओं को चित्रित किया है और चिंता भी व्यक्त किया की हमारा देश किस दिशा की ओर जा रहा है। सदानंद महाराज जैसे पाखण्डियों का जो समाज में भ्रांतियों को जन्म देते हैं जनता को सचेत करने का प्रयास किया है।

निष्कर्ष :

मानव जीवन की चार अवस्थाओं में से चौथे तथा अंतिम अवस्था वृद्धावस्था के समय की विषम परिस्थितियों पर आधारित उपन्यास 'समय सरगम' अपने शीर्शक के अनुरूप वृद्धों की मनःस्थिति, उनके साथ किये जाने वाले व्यवहार, दुर्व्यवहार, स्वार्थ, मजबूरी, वेदना आदि को खोल कर प्रस्तुत किया है। आरण्या जैसी नायिका जो एकाकी जीवन जीने में जीवन का आनंद मानती हैं। जीवन के हर पल इस अवस्था में भी पूर्ण उत्साह, स्फूर्ति एवं अपने अंदाज में जीती हैं। मजबूत से मजबूत इंसान भी अकेला हो सकता है; समय परिस्थति किस ओर करवट ले। प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वृद्धा हो चुके व्यक्तियों के साथ सहयोग, प्रेम, अपनापन सहृदयता के साथ रहे। उन्हें कभी अकेला न होने दे न ही अकेलेपन का एहसास करें। उपन्यास के माध्यम से वृद्धों के प्रति हमारी सोच, मानसिकता में परिवर्तन करने के लिये प्रेरित करने के लिये विवश करता है। सोबती ने वृद्धों के मन की बात, उनके अकेलेपन के एहसास, स्वयं को परिवार के बीच अजनबी महसूस समझने का सटीक चित्रण किया है। हमारा समाज परिवार के सदस्यों उनके आपसी स्नेह व बंधन से बनता है जहाँ अपनापन होता है वहीं व्यक्ति खुद को अकेला और अजनबी नहीं समझता। प्रयास यही कि हम उस मानसिकता से निकलें और लोगों को अकेले और अजनबीपन की ओर अग्रेशित हो रहे हों मानसिकता के दायरे के बाहर न निकाले।

संदर्भ–ग्रंथ

१. सोबती, कृष्णा. समय सरगम. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन. प्रथम संस्करण २००८ पृष्ठ ७
२. वही, पृष्ठ १०
३. वही, पृष्ठ १७
४. वही, पृष्ठ ११
५. वही, पृष्ठ १५
६. वही, पृष्ठ १३
७. वही, पृष्ठ १६
८. वही, पृष्ठ १७
९. खेमानी, शोभा. आधुनिक हिन्दी कविता में यथार्थ बोध. इलाहाबाद : राजीव प्रकाशन. प्रथम संस्करण

Vidyawarta®

International Multilingual Research Journal

At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed Pin-431126 (Maharashtra)

ISO 9001:2015 CERTIFIED

Certificate Of Publication

This is to certify that the review board of our research journal accepted the research paper/article titled कृष्णा सोबती के उपन्यास समय सरगम में निहित अकेलापन एवं अजनबीपन of Dr./Mr./Miss/Mrs. Prof. (Anusuiya Agrawal, D.Litt.)

It is peer reviewed and published in the Issue 44 Vol. 07 in the month of Oct to Dec. 2022.

Thank you for sending your valuable writing for Vidyawarta Journal

Indexed (IIJIF)

Impact Factor 8.14

Govt.of India, Trade Marks Registry Regd.No.2611690

ISSN-2319 9318

Editor in chief

Dr.Bapu G.Gholap

(12)

ISSN 0975-8321

वाङ्मय

(त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका)

Peer Reviewed Journal
(Impact Factor 5.125)

सम्पादक : डॉ. एम. फ़ीरोज़ अहमद

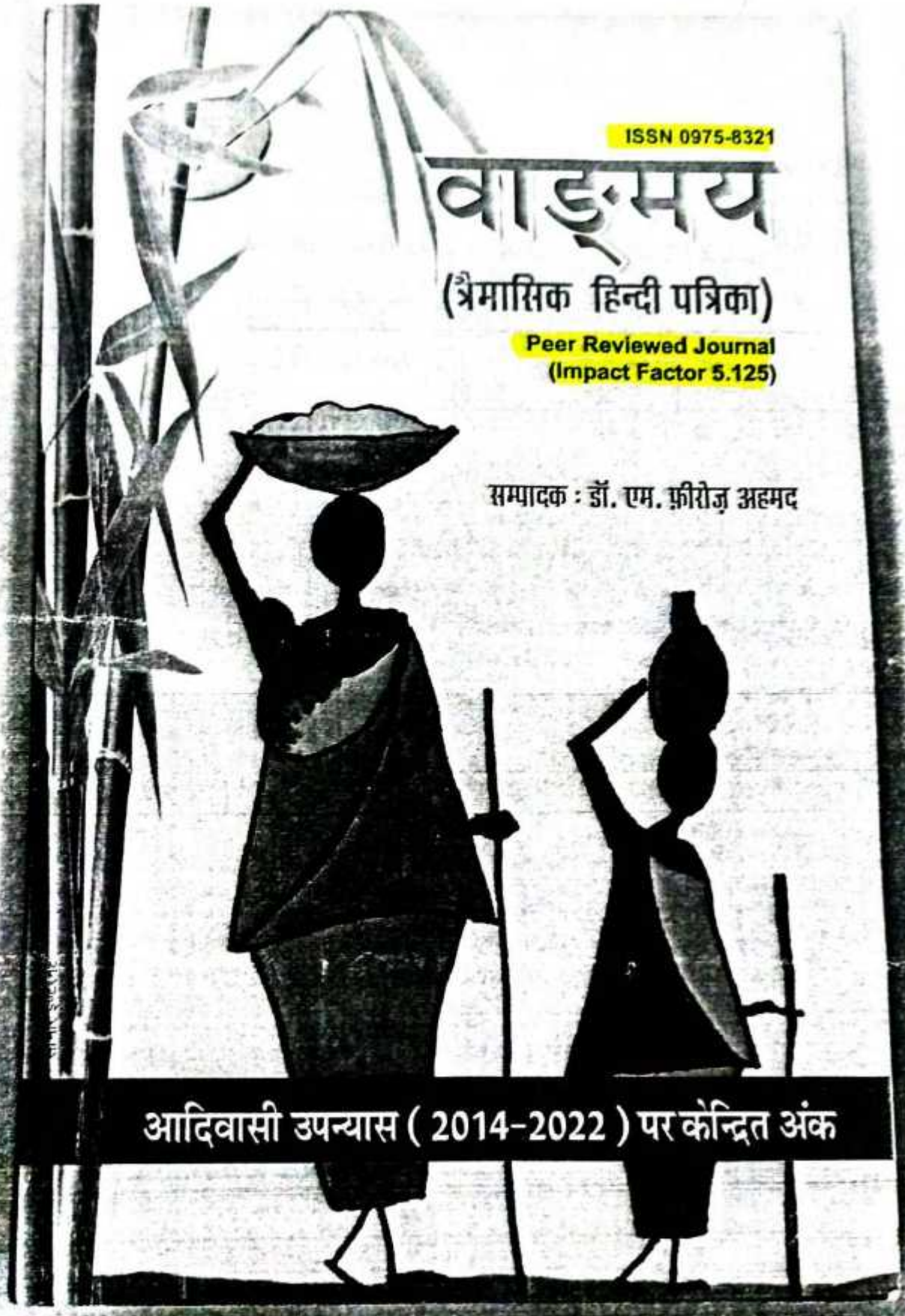

आदिवासी उपन्यास (2014-2022) पर केन्द्रित अंक

ISSN 0975-8321

वाङ्मय त्रैमासिक

वर्ष : 18 संयुक्तांक, अप्रैल–सितम्बर 2022

सम्पादक
डॉ. एम. फ़ीरोज़ अहमद
मोबाइल : 9044918670

सलाहकार सम्पादक
प्रो. मेराज अहमद
(ए.एम.यू. अलीगढ़)

परामर्श मण्डल
प्रो. रामकली सराफ(बी.एच.यू.)
डॉ. शगुफ़्ता नियाज़ (अलीगढ़)
डॉ. इकरार अहमद (दिबियापुर)

सम्पादकीय सम्पर्क
205- फेज-1, ओहद रेजीडेंसी,
नियर पान वाली कोठी,
दोदपुर रोड, सिविल लाइन, अलीगढ़-202002
मोबाइल : 7007606806
E-mail : vangmaya@gmail.com

इस अंक का मूल्य–175/–

सहयोग राशि :
द्विवार्षिक शुल्क व्यक्तिगत/संस्थाओं के लिए : 800 रुपए

16. नदी की टूट रही देह की आवाज़ पूर्वोत्तर का जीवंत आख्यान/134
डॉ. विजेंद्र प्रताप सिंह
17. 'ठहरिए...! आगे जंगल है' उपन्यास में सामाजिक विरूपता.../143
डॉ. भरत
18. आदिवासी पहचान का संकट : प्रार्थना में पहाड़/149
डॉ. परषोतम कुमार
19. आदिवासी बेड़ियाँ : शोषण एवं संघर्ष का यथार्थ चित्रण/155
डॉ. फत्तराम नायक
20. साधारण परिवेश की असाधारण गाथा : गायब होता देश/160
डॉ. जितेश कुमार
21. आदिवासी कबीलाई संस्कृति और समाज की दास्तान: मताई/166
डॉ. अमित भारती
22. आदिवासी समुदाय की राजनीतिक समस्याओं... 'लोकतंत्र के पहरुए'/175
डॉ. नितिन सेठी
23. मानव अभ्यारण्यों में स्त्री आखेट : पौराणिक आख्यान के छद्म.../184
डॉ. कुलभूषण मौर्य
24. नस्ती-जातिगत भेदभाव व संघर्ष की दास्तान : माटी-माटी अरकाटी/194
डॉ. शालिनी शुक्ला
25. काले अध्याय : अंतस् का अनकहा अध्याय/201
डॉ. मीना राठौर
26. आदिवासी समुदाय की अंतरंग अभिव्यक्ति : आठवाँ रंग @ पहाड़ गाथा/207
डॉ. करिश्मा पठाण
27. बदलाव और जिजीविषा का यथार्थ दस्तावेज : पुरवाई/215
डॉ. सुशील कुमारी

खण्ड-2 (विविध)

1. संजीव बख्शी के उपन्यास भूलनकांदा में आदिवासी जीवन/223
प्रो. (डॉ.) अनुसुइया अग्रवाल
2. रोहिणी अग्रवाल की दृष्टि में आलोचना की परम्परा और स्त्रियाँ/228
मैनाज बी
3. नारी अस्मिता और बेजगह कविता/234
डॉ. सविता प्रमोद
4. जयशंकर प्रसाद और उनका काव्यानुशीलन/239
डॉ. पुष्कर सिंह

संजीव बख्शी के उपन्यास भूलनकांदा में आदिवासी जीवन

प्रो. (डॉ.) अनुसुइया अग्रवाल

संजीव बख्शी छत्तीसगढ़ के सुप्रतिष्ठित साहित्यकार है। उपन्यास के क्षेत्र में उनका अलग ही प्रभुत्व है। इनकी समूची सृजनयात्रा एक गहन अध्ययनशील लेखन होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है, वे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए संयुक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए है। एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए भी एक अधिकारी व्यक्तित्व कम साहित्यिक व्यक्तित्व अधिक है। उनका प्रशासनिक जीवन उनके साहित्यिक जीवन से गुंथा हुआ है। अपने संस्मरणों में वे दोनों को साथ-साथ लेकर चलते है वे जहाँ भी रहे वहाँ एक साहित्यिक संसार बसा कर रहते थे। खैरागढ़ में जन्मे राजनांदगाँव के दिग्विजय महाविद्यालय में पढ़े गणित विषय से एम.एस.सी. किया पर संयोग से जिस दिग्विजय महाविद्यालय में पढ़े वहाँ कभी गजानन माधव 'मुक्तिबोध' रह चुके थे। हालाँकि जब ये मिडिल स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तभी उनका निधन हो गया था। किंतु उनका कुछ प्रभाव तो पड़ा ही होगा। उनके अनुपस्थिति में भी दूसरी उनकी अपनी भी एक साहित्यिक विरासत थी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी से जोड़ती हुई। सो गणित जैसे कठिन विषय में पूर्णता के साथ-साथ कविता लेखन में भी रुचि जाग्रत हुई।

भूलनकांदा हिंदी का अद्वितीय उपन्यास है। संजीव बख्शी के उपन्यास भूलनकांदा पर बनी फीचर फिल्म 'भूलन द मेज' 25 अक्टूबर 2021 को आँचलिक श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में रजत कमल अलंकरण से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक मनोज वर्मा ने यह सम्मान प्राप्त किया। उपन्यास सोलह खण्ड में विभक्त है। भूलनकांदा छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला ऐसा पौधा है, जिस पर पैर रखने से व्यक्ति रास्ता भटक जाता है और तब तक भटकता रहता है जब तक कोई व्यक्ति आकर उसे छू न दे। यह उपन्यास प्रशासन व्यवस्था पर कटाक्ष करता कि हमारी न्याय व्यवस्था भी तो भटकी हुई है, कही व्यवस्था का पैर भी भूलनकांदा पर तो नहीं पड़

गया है।

विष्णु खरे के शब्दों में "भूलनकांदा वाकई एक प्यारा उपन्यास है, इसकी कहानी में एक भयानक घटना घटती है, भूल से एक हत्या हो जाती है जो दरअसल न ही सुनियोजित है और न ही कत्ल है। यह हत्या का उपन्यास है पर हत्या का बहुत त्रासद और मानवीय उपन्यास।"[1] भूलनकांदा उपन्यास की रचना छत्तीसगढ़ के आदिवासी गाँव को केन्द्र में रखकर की गई है। आदिवासियों का जीवन बहुत ही सहज और सरल होता है। इनका लगाव प्रकृति से होता है, इसी कारण ये सभ्यता की चकाचौंध से दूर रहकर जंगलों के आसपास रहना पसंद करते है। किसी के बंधन में बँधना नहीं चाहते, स्वतंत्र जीवन जीना चाहते है, उन्हें सरकार के बड़े-बड़े अनुदानों से कोई मोह नहीं।

आदिवासी समाज की आय का साधन जंगल ही है, जंगल में शिकार करना, मछली पकड़ना, महुआ, तेन्दुपत्ता, इमली चार चिरौंजी, खैर, साल का बीज तथा अन्य बहुमूल्य प्रकार की लकड़ी जंगलों से प्राप्त होती है। इस सामग्री को ये साप्ताहिक हाट (बाज़ार) में बेचते है, जो सामान जंगलों में नहीं मिलती है उसे शहरों में जाकर बदले में अपनी वस्तु देकर खरीदते है, इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। "छत्तीसगढ़ के कांकेर क्षेत्र में बसे आदिवासियों का रंग गोरा है। वहाँ के लोगों को केवल नमक की आवश्कता होती है। सरकार आधी रात को नमक की बोरियाँ रख देती है, उन आदिवासियों के आत्मसम्मान की भावना इतनी प्रबल है कि वे नमक के बदले शहद इत्यादि सरहद पर रख देते है।"[2] आदिवासी समाज की सांस्कृतिक परम्पराएँ उनके जीवन संघर्षो से समृद्ध है, बस्तर क्षेत्र के आदिवासी चिरौंजी के बदले नमक प्राप्त करते है।

आदिवासी समाज विभिन्न जीवन संघर्षो की थकान को दूर करने के लिए मड़ई एवं अन्य सांस्कृतिक आयोजन करवाते हैं, जिसमें सभी आदिवासी स्त्री-पुरुष भाग लेते हैं। अभावों भरे जीवन के बीच मड़ई का उल्लास देखते ही बनता है। उपन्यास भूलनकांदा में संजीव बख्शी कहते हैं कि "रात-दिन घूम-घूम कर खरीदारी का मज़ा लेते है सब और रात भर नाच देखने का मज़ा जैसे जीवन का सबसे बड़ा आनंद। मड़ई जाने से रोक दो तो उससे बड़ी सजा कुछ नहीं, इस सजा के सामने जेल की सजा क्या सजा।"[3]

आदिवासी सभी उत्सव मिल-जुलकर मनाते है। संजीव बख्शी की कहानियों में खसरा नंबर 84/1 रकबा पाँच डिसमिल पहला कथा-संग्रह है जिसमें उनकी सात कहानियाँ संग्रहित है। आदिवासी और किसानों के संघर्ष को केन्द्र में रखकर लिखा गया इस संग्रह की पहली कहानी 'अहा बिजली' में एक आदिवासी की समस्या को उजागर किया गया है। 'अहा बिजली' झूलनातेंदु नामक एक आदिवासी गाँव है, इस गाँव में सिर्फ पचास घर हैं, जो पहाड़ों पर बसा है। घने जंगलों से घिरे हुए इस गाँव में अभी तक बिजली नहीं पहुँची है यह पूरी कहानी बिजली की उम्मीद लगाएँ बैठे हुए तथा बाद में इसी भरोसे के लिए ठगे गए आदिवासियों की संघर्ष की कहानी है। गाँव में बिजली

पहुँचाए जाने की सूचना मिलते ही ग्रामीण खुश होते है पर बिजली विभाग की समस्या यह है कि बिना वृक्षों को काटे-तार और खंभे नहीं लगाए जा सकते। गाँव के मुखिया के आदेश पर गाँव के सारे आदिवासी मिलकर वृक्षों को काट देते हैं, लेकिन वृक्षों के काटे जाने की खबर किसी तरह अखबार के संवाददाता को लग जाती है, वे इस प्रकरण को बिना समझे सुर्खियाँ बना देते हैं, जिसके फलस्वरूप वृक्ष के काटने के अपराध में सजा सुना दी जाती है। संजीव बख्शी लिखते हैं- "भोले-भाले आदिवासियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, यह भी समझ नहीं आ रहा था कि हमने न चोरी की है, न डकैती की है, न हत्या किस अपराध के लिए हमें पुलिस जेल लेकर जा रही है? उन्हें न सरकारी वकील की दलीलें समझ में आईं, न ही जज साहब का फैसला। सब इसके लिए तैयार थे, जैसा कहा जाएगा वैसा ही करना है।"[4] इस कहानी का अंत इस प्रकार होता हैं कि सभी को जेल भेज देते हैं वहाँ पहुँचने के बाद सब लोग देखते ही रह जाते है कि जेल में तो बिजली ही बिजली, सभी कहते है 'अहा बिजली'।

घोटुल एक तरह के सामूहिक स्थान को कहा जाता है, जिसमें पूरे गाँव की युवक-युवतियाँ सामूहिक रूप से रहते हैं। जहाँ गाँव के अंतिम छोर पर मिट्टी की झोपड़ी होती है वहाँ संध्या के समय युवक-युवतियाँ एक-एक करके एकत्रित होने लगते हैं और वे समूह में गीत गाते हुए घोटुल तक पहुँचते हैं, युवक का समूह अलग बनता है एवं युवतियों का समूह अलग। कई बार घोटुल में दीवारों की जगह खुला मंडप होता है। यह प्रथा प्रमुख रूप से गोड़ जनजाति के युवक-युवतियों का संगठन है। आदिवासियों के लिए घोटुल एक शिक्षा, संचार और निर्णय, संस्कृति और धर्म से जुड़ा स्थान माना जाता है इसमें नृत्य, गान जैसे विविध क्रियाकलाप में युवक-युवतियाँ भाग लेते हैं।

घोटुल प्रथा के अंतर्गत बहुत सारे नियम होते हैं, नियमों का पालन अनिवार्य होता है। इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान रहता है। ग्रामीणों को भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होती है। इस संगठन द्वारा जन्म से लेकर मृत्यु तक निशुल्क सहयोग दिया जाता है। इसके बदले गाँव वाले भोजन कराकर सम्मान करते हैं। इस तरह गाँव वालों के द्वारा अपनी संस्कृति का निर्वाह किया जाता है। संस्कृति मानव जीवन के कार्यों की महान उपलब्धि है। संस्कृति के अंतर्गत मानव जीवन की प्रत्येक छोटी-बड़ी बातों का मिश्रण होता है। मनुष्य के आचार-विचार, रहन-सहन, रीति-रिवाज मनोरंजन आदि भी संस्कृति के अंदर निहित है। संस्कृति मानव जीवन की एक ऐसी चलायमान प्रक्रिया है, जिसका निर्माण किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा संभव नहीं है। संस्कृति के निर्माण में कई शताब्दियाँ लग जाती हैं।

संस्कृति के अंतर्गत मनुष्य के सारे क्रिया-कलाप शामिल होते है। प्रत्येक समाज की अपनी-अपनी संस्कृति होती है तथा सभी को अपनी संस्कृति अत्यंत ही प्रिय होती है। आदिवासी समाज भी एक ऐसा समाज है जिसकी संस्कृति अनुपम है। भूलनकांदा

उपन्यास में आदिवासियों के सामाजिक ताने-बाने को मजबूत रखने के लिए अनेक प्रथाएँ एवं रीति-रिवाज जैसे मड़ई का त्यौहार, सल्फी रस का सेवन, महुआ के फूल का सेवन, बकरा भात की प्रथा, जड़ी-बूटी का सेवन, शिवजी की पूरे वर्षभर आराधना जिसे पोला तिहार कहते हैं, महुआ से बनी शराब को आदिवासी दुख और सुख दोनों में पीते है, शराब को आदिवासी नशा के रूप में उपयोग न करके औषधि के रूप में करते हैं। जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसी समय तुरंत शुद्ध महुआ के रस को पिलाया जाता है इसके फलों को एकत्रित करके उसे बाज़ार में बेचने पर रोजगार एवं आय की प्राप्ति होती है, यह आदिवासियों की आजीविका का साधन है आदिवासी समाज में ऐसे अनेक लोककथाएँ प्रचलित हैं जो नैतिक शिक्षा देती है। आदिवासी समाज में शिक्षा का अभाव होने के कारण रूढ़ियाँ और परंपराओं का अधिक प्रचलन है, शिक्षा के अभाव में उनकी सोच विज्ञान के प्रति नहीं है, वे लंबे समय से चली आ रही पुरानी रूढ़ियों को महत्त्व देते है।

आदिवासियों के प्रमुख देवता आंगादेव है तथा बलि-प्रथा का प्रचलन है, संजीव बख्शी के उपन्यास भूलनकांदा का आदिवासी समाज उन्नत तथा शिक्षित समाज से दूर निवास करते हैं, वे ऐसे अँचल में रहते हैं जहाँ पर आधुनिक संसाधनों का अभाव है, उन्हें राजनीति एवं राजनैतिक व्यवस्था का ज्ञान नहीं है। उन्हें तो सिर्फ गाँव के मुखिया के आदेश का पालन करना है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में उसके फैसले के विरुद्ध नहीं जा सकता, यदि कोई मुखिया के आज्ञा की अवहेलना करता है तो उसे समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है जो गाँव वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। न्याय के संबंध में मुखिया का मानना होता है कि "न्याय वह है जिसमें किसी की हार न हो, कोई तब ही अपने को जीतता हुआ माने जब उससे कोई हारा न हो, किसी को हराकर यदि वह जीता तो वह सही मायने में जीत नहीं है परंतु आजकल होता उल्टा है, कोई अपने आपको तभी जीता हुआ समझता है जब उसने किसी को हराया हो।"[5]

बैठक में मुखिया की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है, मुखिया कोई भी निर्णय सोच-विचार कर करता है। भूलनकांदा उपन्यास का अशिक्षित आदिवासी जहाँ एक ओर आपसी एकता और प्रेम का अनूठा उदाहरण देता है, वही दूसरी ओर गृहस्थ जीवन की प्रमुख समस्या की ओर संकेत उपन्यासकार करते हैं। दाम्पत्य प्रेम में भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन की विषम परिस्थितियों में एक-दूसरे का जीवनभर साथ निभाने की परंपरा का अभाव है। उनका प्रेम मात्र शारीरिक ही है उसमें दो आत्माओं का मिलन नहीं। जैसे ही कठिन परिस्थिति आती है, पति या पत्नी एक-दूसरे का साथ छोड़ किसी और के साथ प्रेम संबंध स्थापित कर लेते हैं, इस संबंध में बख्शी कहते हैं- "मुखिया ने ही बात छेड़ दी कैसे रे भकला! का मुखिया जी! तेरे को सजा हो जाती है रे तू जेल चला गया तो प्रेमिन का क्या होगा रे! का होही महाराज गाँव घर के बुता ल करेगी, अउ का करेगी! चूरी-वूरी पहन के किसी और दूसर बना लेगी तो आजकल गाँव में का हो जाए कुछ कहि नहीं सको महाराज।"[6]

इस चारित्रिक कमजोरी से गाँव का सामान्य व्यक्ति ही नहीं मुखिया भी चिंतित है, भूलनकांदा उपन्यास के गाँव नवागाँव में सल्फी पेड़ अधिक है यहाँ के निवासी सल्फी वृक्ष की पूजा करते है, इनका प्रमुख पेय पदार्थ सल्फी ही है। कौन-सा पेड़ किसका है यह पहले से निर्धारित रहता है, कोई दूसरे के पेड़ पर नहीं चढ़ता। सुबह से ही लोग सबसे पहले पेड़ पर चढ़कर एक बर्तन बाँध देते है और सबसे ऊपर के नुकीले हिस्से को चीरा लगा देते है जहाँ से रस टपकने लगता है। जब बर्तन भर जाता है तो उसे उतार लिया जाता है, यद्यपि गर्मी के दिनों में इसका उपयोग अधिक होता है। सरकारी नौकरी में रहते हुए संजीव बख्शी ने भुजिया और कमार जनजाति के लोगों के जीवन को नजदीक से देखा है।

संजीव बख्शी की रचनाओं में आदिवासी और किसानों के संघर्ष तथा स्वप्न का अपना एक अलग ही महत्त्व है। आदिवासियों के भोलेपन के कारण महँगी वस्तु देकर सस्ती चीज़ों का मिलना जैसे चिरौंजी के बदले नमक लेते थे, फिर भी वे अपने को ठगा हुआ नहीं मानते थे। इन समस्याओं को बख्शी उजागर करते हैं। संजीव बख्शी के साहित्य में आदिवासी समाज की सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थितियों का यथार्थ वर्णन हुआ हैं। आदिवासी समाज में उत्सव पर्व तथा लोकगीतों की परंपरा रही है। लोकगीतों व उत्सव के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पहलुओं का वर्णन हुआ है। उत्साह के अवसर पर सामूहिक रूप से नाच-गान एवं दारू पीना आदिवासी संस्कृति का आधार है।

संदर्भ-

1. विष्णु खरे, परख ताज़गी भरा उपन्यास-भूलनकांदा : संजीव बख्शी, वागर्थ, मई 2012, पृ. 91
2. जयप्रकाश चौकसी, दैनिक भास्कर, भूलन द मेज : स्वयं के साथ शून्य के फासले पर खड़ा इंसान, अक्टूबर-2020
3. संजीव बख्शी, भूलनकांदा, अंतिका प्रकाशन, गाजियाबाद, प्र. सं 2012, पृ. 75
4. संजीव बख्शी, खसरा नंबर 84/1 रकबा पांच डिसमिल, अमरसत्य प्रकाशन, दिल्ली, प्र. सं. 2021, पृ. 19
5. भूलनकांदा, पृ. 14
6. वही, पृ. 71

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (हिंदी), शा.म.व. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद (छ.ग.)

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान' उपन्यास में विभाजन की त्रासदी

डॉ. अनुसूइया अग्रवाल (डी.लिट्.)* मासूम वर्मा **

* प्राचार्य, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद (छ.ग.) भारत
** शोधार्थी (हिंदी) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना – कृष्णा सोबती प्राय: सात दशकों में फैले अपने रचनात्मक जीवन में हिंदी साहित्य को अनेकों रूपों में समृद्ध किया और सँवारा है। अपने लेखकीय जीवन के प्रत्येक चरण में नई-नई कृतियाँ दी है। कृष्णा सोबती की देश विभाजन से संबंधित उपन्यासों में एक अलग ही छवि है। 'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान' देश-विभाजन से संबंधित इनकी बहुचर्चित उपन्यास है। देश-विभाजन से संबंधित अनेक उपन्यास लिखे गए हैं। भीष्म साहनी का 'तमस', कमलेश्वर का 'कितने पाकिस्तान', राही मासूम रजा का 'अँधा गाँव', यशपाल का 'झूठा सच' दो भाग- 'वतन और देश' तथा 'देश का भविष्य', खुशवंत सिंक का 'पाकिस्तान मेल'।

देश का विभाजन एक अभिशाप है, जिसने कल तक जो पाकिस्तान-हिंदुस्तान का ही हिस्सा था उसे लोगों ने साम्प्रदायिकता के आधार पर दो भागों में बाँट दिया गया- 'हिंदुस्तान' और 'पाकिस्तान'। देश का विभाजन संवेदना के स्तर को भी प्रभावित किया। विभाजन एक ऐसी घटना है जिसने अनेक साहित्यकारों को हिला कर रख दिया है, परंतु सबसे अधिक प्रभावित कृष्णा सोबती हुई हैं, क्योंकि उन्होंने देश-विभाजन की पीड़ा को न केवल देखा है, उसे भोगा भी है।

'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान' उपन्यास का 2019 में पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। सोबती जी ने इस लेख के माध्यम से अपने जीवन के वो अनुभव अभिव्यक्त किया है, जो उन्हें विभाजन के बाद एक शरणार्थी के रूप में दिल्ली आने से लेकर सिरोही (गुजरात) के राजपरिवार के इकलौते वारिस की गवर्नेस बनने के दौरान हुए। उपन्यास की शुरूआत दो नक्शों से होती है, जो विभाजन के पहले और बाद के हिंदुस्तान को दिखाता है। इसके बाद विभाजन के असीम दर्द, दु:ख और पीड़ा दर्ज है। सोबती जी अपनी अनूठी शैली में वो अपने अनुभव की गहराई से उन बीते सालों को याद कर बताने की कोशिश करती हैं। उन जैसे लाखों लोगों को एक आजाद देश बनने की खुशी अपने घर, ज़िंदगी, इज़्ज़त, मान और खुद को खोने की कीमत पर मिली। 'घरों को पागलखाना बना दिया-सियासत ने सारा शहर भरा है अपने-अपने घरों से फेंके गए वजूदों से।'[1] सोबती जी जिसके खुद के सामने एक स्थिति है अपनी जड़ों से उखड़ने की, नई जगहों पर जमने की। सोबती जी और उनके संरक्षण में सिरोही राजपरिवार की गद्दी संभालने के लिए गोद लिए गए बच्चे तेजसिंह के किरदारों के अपनी जड़ों से बिछड़ने को लेकर एक अनोखी समानता है।

विभाजन एक ऐसा समय था जब देश की सभी रियासतों और रजवाड़ों से उनके शाही पद और कुछ विशेषाधिकार छोड़कर सारी शक्तियाँ और धन ले लिया गया था। उनमें भी अपनी जड़ से उखड़ जाने और खो जाने का दु:ख था, वे अपने महलों के अंदर ही एक अलग तरह के शरणार्थी बनकर रह गए थे। सोबती जी शाही परिवार में एक गवर्नेस की भूमिका में महलों के अंदर ही अलग-अलग ज़िंदगी और महल के मुलाजिमों की साजिशों की सच्चाई से रू-ब-रू करवाया। 'पांड्या जी आपके पास अब कोई ताकत नहीं। आज न सिरोही के दीवान हैं, न ही वकील-आप सिरोही राज का पुराना झोला हैं, जिसे देवी सिंह मामा ने अपने कन्धे पर लटका रखा है।'[2]

कृष्णा सोबती ने देश-विभाजन के समय रजवाड़ों से उनके शाही पद और शक्तियाँ ले लिए जाने की पीड़ा को उजागर किया। देश के बँटवारे के दौरान अपने जन्म-स्थान गुजरात और लाहौर को छोड़कर अपनी जड़ों से उखड़ कर आई सोबती जी रह-रह कर विभाजन के हताश कर देने वाले खौफ़नाक दृश्यों के बीचों-बीच स्मृतियों में खो जाती हैं। 'देखते-ही-देखते हा-मांस के पुतले जलने लगे। जलकर राख होने लगे। कटी-अधजली बाँहें, धड़, गर्दन, माल-असबाब कबाड़ की तरह ढेर हो गए।'[3] सोबती जी के सामने विभाजन के दर्दनाक दृश्य और पीड़ा को राजपरिवार के अकूत वैभव के सामने अपने स्मृति से निकाल पाना सहज नहीं था।

राजपरिवार के वैभव और सुख-सुविधा से प्रभावित हो जाने वाली सोबती जी का स्वभाव नहीं था। सोबती जी पूजा, व्रत, धर्म, अनुष्ठान तक सीमित नहीं थीं। उन्हें स्फूर्ति मिलती है विवेकानंद के भावों और भाषाओं से। चमनलाल ने भी 'आलोचना' पत्रिका में 'साम्प्रदायिकता, उपनिवेशवाद और तमस' में देश का विभाजन और आजादी दोनों एक साथ का उल्लेख किया है। 'वास्तव में 1947 का वर्ष देश को 15 अगस्त को मिली आजादी के लिए ही नहीं इस वर्ष भारत में हुए सबसे भयंकर साम्प्रदायिक दंगों के लिए भी हमेशा याद रहने वाला वर्ष है। अगस्त से पहले शुरू हुए ओर बाद में काफी समय तक चलते रहने वाले इन दंगों ने अमानवीयता के क्रूरतम रूपों का इतिहास रचा और कम-से-कम छह लाख निर्दोष स्त्री-पुरुषा, बच्चों-बूढ़ों ने इन भयानकतम क्षणों में बड़ी क्रूरताएँ सहकर अपने प्राण गँवाए।'[4]

स्त्रियों ने अपनी देह के साथ वहशत भरा सलूक झेला। 1947 की भयावह त्रासदी चारों ओर हजारों-हजार बेघर-बार भटकते लोगों की आवाज़ तन-मन पर होने वाले बेहिसाब बलात्कार और सामूहिक हत्याएँ। भारत के इतिहास में यह सबसे बड़ी अमानवीय त्रासदी थी, जिसे हिंदी लेखकों ने अपनी रचनाओं में अत्यंत मार्मिकता तथा यथार्थता के साथ अभिव्यक्त किया

है। यशपाल की रचना 'झूठा सच' में भी स्त्रियों की लाचारी को दिखाया है। 'हम तीनों जवान औरतें और तीन क्वाँरी लड़कियों- काशे, सत्ते और फूलों रह गयीं। उन्होंने गोद के बच्चों को भी छीन-छीन कर मर्दों की तरफ फेंक दिया, हम लोग काँपती हुई, रोती हुई देखती रह गयीं।'[5] औरतों ने इस विभाजन में अधिक पीड़ा भोगी, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान।

इस दंगे में औरतों के साथ अत्याचार, बलात्कार, लूटपाट होते हुए देखे गए। सोबती जी ने धर्म एवं जाति के नाम पर दंगों की पीड़ा को सहा है, जिसे 'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान' में धर्म के नाम पर हिंदू-मुस्लिम जाति के नाम पर राजपूत, ब्राह्मण, बनिया आदि को किस तरह दोस्त से दुश्मन बन जाते हैं, उसे अभिव्यक्त किया है। 'नहीं, नहीं हुकुम पाठशला अभी नह खुलेगगी। सुनते हैं गोकुल भाई और राजमाता में ठन गई है। शिशुशाला नहीं खुेगी बखेड़ा पड़ गया है। 'कैसे ?' यह तो मुझे नहीं मालूम पर लोग तो यी कह रहे हैं। हुकुम यह राजपूतों और बनियों की लड़ाई है।'[6]

विभाजन के उन खूनी दिनों की ओर मार-काट न खत्म होने वाली दंगे, कटे हुए मुसाफिरों से भरी रेलगाड़ियाँ, उधर से आ रही हैं, इधर सेजा रही हैं। मानों इंसानियत जैसे खत्म हो गई हो, दोनों ओर जो बच गए थे, वे खुली आँखों से जो देख रहे थे वह भयानक था। लेखकों को अपने होने पर भी शंका हो रही थी।

देश का विभाजन एक ऐसी राजनैतिक दुर्घटना थी, जिसमें लोगों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया। इस प्रभाव से स्वयं सोबती जी और उनके परिवार वाल भी नहीं बच पाए। सोबती जी के परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। 'कुछ दूरी पर मिल के अहाते में मकानों की अस्थायी कतारें। टीन की छतें और टीन की ही दीवारें। इन्हीं में से एक घर शान्ति मौसी का है। दरवाजे को खटखटाया कि सारा घर खुल गया। टीन के साँचे में खड़ी थी शान्ति मौसी।'[7] सोबती जी की मौसी जो छत वाले घर में रहा करती थी। विभाजन ने उनकी आर्थिक स्थिति खराब कर दी और अब वे टीन से बने घर में, जो उसकी बहन ने दिलाया है, उसमें रहने को विवश है।

देश में शरणार्थियों को बसाने व उनके लिए खान-पान जुटाने की समस्या भी सामने आई। विभाजन लोगों को भावनात्मक, विचारात्मक, मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी प्रभावित किया। देश-विभाजन ने मानव-जीवन को दयनीय बना दिया, जो लोग कभी अश्लील शब्दों को अपनी जबान में लाने के लिए भी नहीं सोचते थे, अब आक्रोश के कारण एक दूसरे के धर्मों को गाली देते और बँटवारा करवाने वाले नेताओं को भी देश के जन-जीवन को पूरे जड़ से हिला देने वाली घटना मानी जाती है। आजादी के दौर में जो देश-विभाजन हुआ उसने पूरे आमजन को एक-दूसरे के खिलाफ इतना अधिक आक्रोश से भर दिया कि उनके समक्ष कुछ भी दिखाइ नहीं दे रहा था और अगर दिखाई दे रहा था तो एक-दूसरे (हिंदू-मुसलमान) को जान से मार डालने का क्रोध।

'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान' उपन्यास में बनावटीपन नहीं है, जो भी उन्होंने भोगा है उस यथार्थ को कलात्मक ढंग से नि:संकोच अभिव्यक्त कर दिया। सोबती जी की 'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान' की भाषा शुद्ध खड़ी बोली हिंदी है। साथ-ही-साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग किया है, जो पात्र तथा प्रसंग के सर्वथा अनुकूल है। भाषा की कसावट रचना को विशिष्ट बनाती है। हिंदी कथा-साहित्य में 'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान' एक विशिष्ट उपलब्धि के रूप में स्वीकृत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सोबती, कृष्णा, 'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान' नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, 2017, पृ. 12.
2. वही, पृ. 246.
3. वही, पृ. 16.
4. चमनलाल, 'साम्प्रदायिकता, उपनिवेशवाद और 'तमस', आलोचना, नई दिल्ली : राजकममल प्रकाशन, 2004, पृ. 69.
5. यशपाल, 'देश और वतन' लखनऊ : लोकभारती प्रकाशन, 2010, पृ. 386.
6. सोबती, कृष्णा, 'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान' नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, 2017, पृ. 93.
7. वही, पृ. 128.

****

NATIONAL SEMINAR

Sponsored by

INDIAN COUNCIL OF HISTORICAL RESEARCH, NEW DELHI

on

RASHTRIYA ANDOLAN KI VIBHINNA DHARAYEIN: SHUBHASH CHANDRA BOSE AUR AZAD HIND FAUJ KE VISHESH SANDARBH MEIN

Organized by

School of Studies in History Pt. Ravishankar Shukla University Raipur, C.G.

17-19 March 2023

Certificate

This is to certify that Dr./Mr./Mrs./Ms. ....डॉ. अनुसुईया अग्रवाल........ of...डी. लिट. प्राचार्य, शास. महा. न. स्ना. महाविद्यालय, महासमुंद... has attended National Seminar on "*Rashtriya Andolan Ki Vibhinna Dharayein: Subhash Chandra Bose aur Azad Hind Fauj Ke Vishesh Sandarbh Mein*" as Chairperson/ Invited Speaker/ Participant and Presented paper entitled ....भारतीय राष्ट्रवाद और नेता जी सुभाष चंद्र बोस........

....

Dr. D.N. Khute	Dr. Banso Nuruti	Prof. Priyamvada Shrivastava	Prof.K.L.Verma
Convener	Organizing Secretary	Head	Vice-Chancellor